राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10]   तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का सोलहवां दिवस   [संख्या : 8

शुक्रवार,

8 मार्च, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।
(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, आज महिला दिवस है। महिला दिवस पर बधाई...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा प्रश्नकाल में।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, जवाब दें आप। कोई अंकित नहीं हो रहा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

अजमेर नगर निगम की बैठकें

138. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत बोर्ड की साधारण सभा की बैठक आयोजित करने के क्या प्रावधान हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रावधानानुसार अजमेर निगम की कितनी बैठकें होनी चाहिए थीं व गत तीन वर्षों में कितनी बैठकें आयोजित हुईं?

(3) क्या पूर्व में बैठकें समय पर आयोजित न करने के कारण अब तक किसी नगरपालिका अध्यक्ष को निलम्बित किया गया? यदि हां, तो किन किनको?

(4) क्या सरकार उक्त प्रावधानानुसार बैठकें आयोजित नहीं करने पर महापौर, अजमेर के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): (1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 के अन्तर्गत बोर्ड की साधारण सभा की बैठक 60 दिवस के भीतर और कलेण्डर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होना आवश्यक हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(2) गत तीन वर्षों में अजमेर नगर निगम की 18 बैठकें माह फरवरी, 2013 तक होनी चाहिए थीं लेकिन 4 बैठकें ही आयोजित हुई हैं।

(3) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रभाव में आने के पश्चात् अब तक किसी भी अध्यक्ष को बैठकें समय पर आयोजित न करने के कारण निलम्बित नहीं किया गया है। मेड़ता सिटी नगरपालिका के अध्यक्ष श्री गौतम टांक को स्वायत्त शासन विभाग के आदेश दिनांक 06.07.2004 के जरिये निलम्बित किया गया था। स्पष्टीकरण एवं निलम्बन आदेश की प्रति क्रमश: परिशिष्ट 'ब' व 'स' पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) इस प्रकरण में नियमानुसार जांच करवाना अनिवार्य है। जांच के उपरान्त औचित्य के आधार पर उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, इन्होंने राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज रूल्स, 2009 की जो प्रति दी है उसमें स्वीकार किया गया है कि मिनीमम एक साल के अन्दर 6 मीटिंग्स होनी चाहिए। दूसरा, स्पेशल मीटिंग 7 दिन के अन्दर कण्डक्ट करने के नियम हैं और तीसरा मीटिंग साधारणतया म्युनिसिपैलिटीज के परिसर के अन्दर ही बुलायी जाएगी। इन तीनों में, मेरा माननीय मंत्री महोदय से प्रश्न है कि विभाग ने जब नियम बनाये, इसलिए नियम बनाये होंगे कि इसकी पालना करनी या करवानी है। तो मेरा यह प्रश्न है कि सन् 2009 से लेकर आज तक विभाग ने जहां-जहां या नगर निगम, अजमेर में पालना नहीं हुई तो विभाग ने क्या कार्यवाही की? नम्बर दो, अभी तक किस-किस पालिका या निगम को पत्र लिखे? नम्बर तीन, क्या अजमेर निगम की परिसर से बाहर मीटिंग हुई? हुई तो कब हुई और किन परिस्थितियों में हुई? चौथा प्रश्न है, अजमेर में स्पेशल मीटिंग के लिए क्या पार्षदों ने मांग की? यदि हां, तो कब की?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा कि राजस्थान म्युनिसिपैलिटीज कण्डक्ट आफ बिजनेस रूल्स, 2009 में यह प्रावधान है कि

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

60 दिन के अन्दर बैठक को बुलाया जाना चाहिए और एक कलेण्डर वर्ष में कम से कम 6 बैठकें होनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, बात सही है। दूसरी बात आपने पूछी कि स्पेसिफिक रिज्योल्युशन के मार्फत अगर बोर्ड के एक बटा तीन सदस्य रिक्विजिशन करते हैं तो उस पर चेयरमैन द्वारा बैठक बुलायी जानी चाहिए। यह भी बात सही है। लेकिन अगर चेयरमैन नहीं बुलाता है तो सात दिन के पश्चात् चीफ एक्ज्यूक्युटिव आफिसर दस दिन के अन्दर-अन्दर बैठक बुलायेगा। यह भी बात सही है। सवाल इस बात का उठता है, आपका प्रश्न मोटे तौर पर यह है कि जो अध्यक्ष या सभापति या मेयर अगर इनके अनुसार बैठक नहीं बुलाता है तो उसके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है। मुख्य मकसद आपका, बात करने का यह है।

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने स्पेसिफिक अजमेर के लिए पूछा है। मैं आपको अजमेर का पूरा खाका बता देता हूं। क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। जैसा कि आपने बताया कि नगर निगम की सीमा के बाहर बैठक बुला ली गई। स्पेसिफिक रिज्योल्युशन पर बैठक नहीं बुलायी गई। इन सब बातों का जवाब दूंगा। पहली बात मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि 1995 से लेकर 2009 तक...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 2009 के बाद की जानकारी चाह रहा हूं। (व्यवधान) परिसर के बाहर मीटिंग बुलायी या नहीं? इसका उत्तर दें। बात को घुमा कर क्यों दे रहे हैं। स्पेसिफिक पूछा है। रूल्स 2009 में बने हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, एक मिनट। माननीय सदस्य, आपके पूरक प्रश्नों से आप यदि संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं फिर आपको अवसर दूंगा लेकिन मंत्रीजी को आप जवाब नहीं देने दे रहे हो। आप जवाब तो सुनो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य के मूल प्रश्न में 2009 कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपने सप्लीमेंट्री में पूछा है। मुझे सप्लीमेंट्री का जवाब विस्तार से देना पड़ेगा बात को समझाने के लिए। सदन की जानकारी में आ जाए।

पहली बात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1995 से लेकर 2001 तक श्री वीर कुमार वहां के चेयरमैन थे। उस वक्त 60 मीटिंग्स होनी चाहिए थीं। कुल मिलाकर उनके वक्त में 10 मीटिंग्स हुई। वीर कुमार आपकी पार्टी के थे।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 2009 में रूल्स बने हैं। नगर पालिकाओं के रूल्स 2009 में बने हैं। आप 2009 के बाद का बताइये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 2009 के बाद पर भी आ रहा हूं। जवाब दूंगा उसका पूरा।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): माननीय मंत्रीजी, पालिका के गठन के दिन से बता दो, क्या-क्या हुआ? ठीक रहेगा। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं 2009 के सन्दर्भ में पूछ रहा हूं। (व्यवधान) बात को घुमा-घुमा करके जवाब दे रहे हैं। असली मुद्दे पर आना नहीं चाह रहे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 2009 का स्पेसिफिक जवाब दूंगा। आप विराजें।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): जब से नगरपालिका गठन हुआ तब से बता दो साहब।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरी बार बनी श्रीमती अनिता भदेल। उनके वक्त में 37 बैठकें होनी चाहिए थीं, कुल मिलाकर 12 हुईं। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सदस्य का 2009 का है। (व्यवधान) मंत्री महोदय, बात को घुमाओ मत।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, तीसरी बार धर्मेन्द्रजी चेयरमैन बने। उस समय 54 बैठकें होनी चाहिए थीं सिर्फ 14 हुईं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इससे क्या मतलब है? यह क्या बात हुई।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मंत्रीजी की आदत है। हर चीज को घुमा कर बोलते हैं। 2009 की बात पूछ रहे हैं। (व्यवधान) आप घुमा क्यों रहे हैं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप जयपुर को ले लें। (व्यवधान) आप बीकानेर को ले लें। (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): विधान सभा में कितनी बैठक हुई

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

हैं। यह भी पूछ लो। इन दोनों ने की हुई हैं। विधान सभा में कितनी मीटिंग्स हुई हैं, यह भी सदन के पटल पर रख दो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान म्युनिसिपल रूल्स बने थे 2009 में। 2009 का आप रेफरेंस दे रहे हो कि 60 दिवस के भीतर और साल में 6 होनी चाहिए। जिस समय का आप वाकया बता रहे हो, उस समय ये रूल्स लागू नहीं थे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हमने 2009 के रूल्स जो बनाये जिसकी पालना म्युनिसिपैलिटीज को करनी चाहिए। चाहे वह हमारी हो या किसी की भी हो। क्या विभाग ने इसकी पालना नहीं करने वाली सभी नगर पालिकाएं, जिसमें हम भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका विभाग जो मानीटरिंग करता है, उसने कभी किसी को इसके बारे में अपनी तरफ से कोई पत्र लिखा है क्या कि आपने इसकी पालना नहीं की?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं दे रहा हूं जवाब। अध्यक्ष महोदय, 2009 में...

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): केवल मेड़ता का ही क्यों लिखा? इस कानून की अवहेलना करने का कारण, केवल मेड़ता को ही क्यों लिखा? (व्यवधान) केवल मेड़ता को टारगेट बनाया। और भी लोगों को हटाया होगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सुनो। आपकी भी मैं बताता हूं। आप भी मेयर रहे हो न। आपने क्या किया है बताता हूं मैं।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय ने सवाल किया कि बिजनेस आफ कण्डक्ट रूल्स जो हैं वह 2009 में बनाये गये। 2009 के पहले एक्ट बना और एक्ट के बाद में यह रूल्स बने लेकिन उसके पहले भी एक म्युनिसिपल एक्ट लागू था जो आपने बनाया था और उससे पहले और था जो कि 1959 का था। उसमें प्रोविजन एक महीने में एक बैठक बुलाने का था। 2009 में जो हमने एक्ट बनाया, जो आपसे पास करवाया, उसमें तो दो महीने में एक मीटिंग बुलानी थी मतलब एक कलेण्डर ईयर में 6 मीटिंग बुलानी थी। आपके टाइम पर तो 12 बुलानी थी। मैंने आपका सारा हिसाब-किताब बता दिया कि कितना किया और कितना नहीं किया।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कहा कि आपने उनको चेतावनी दी या नहीं दी। 2011 में एक परिपत्र निकाला गया। 2011 में सारी म्युनिसिपैलिजी में भेजा गया कि आपको अनिवार्य तौर मीटिंग बुलानी

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

चाहिए। एक बात। खास तौर पर अजमेर के लिए 27.02.2013 को बाकायदा नोटिस दिया गया कि आपको बैठक बुलानी चाहिए। न केवल अजमेर को, अजमेर को तो स्पेशली दिया गया। मेरी बात सुनिये। मेरी अर्ज सुनो। स्पेशली दिया गया है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरे प्रश्न लगने के बाद दिया है नोटिस।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, मेड़ता के चेयरमैन को, गोतम टांक जिनका नाम था, आपकी सरकार के द्वारा उस अध्यक्ष को सिर्फ इस बिना पर हटा दिया गया कि तुमने मीटिंग नहीं बुलायी। वो हाई कोर्ट चले गये, हाई कोर्ट में जाकर स्टे ले आये। इसके बाद में भी आपने तीन महीने के बाद में फिर उसको सस्पैंड कर दिया, वो फिर हाई कोर्ट गये और हाई कोर्ट से फिर स्टे ले आये। यह एक ऐसा एग्जाम्पल है।

मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह एक जिसको कहते हैं न लैस ग्रेविटी का, बदनीयती से जानबूझकर के अगर कोई मेयर नहीं मीटिंग बुलाता है तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है लेकिन इतना बड़ा ओफेंस नहीं है कि एक चुने हुए मेयर को, जो आम जनता के द्वारा सुना जाता है उसको आप सिर्फ इस बात पर सस्पैंड कर दो। अगर यह सस्पेन्शन चालू कर दिया तो हालत यह होगी, जैसा आपके टाइम पर हुआ, मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2003 से लेकर के 2008 तक आपने 58 चुने हुए आदमियों को सस्पैंड किया, 58 और अभी हमने इन चार, साढ़े चार सालों में सिर्फ 9 आदमियों को सस्पैंड किया उसमें भी सिर्फ एक भी आदमी ऐसा नहीं था जिसको सिर्फ बैठक के नाम पर सस्पैंड किया। जो सस्पेन्शन हुआ वह यह हुआ कि वित्तीय अनियमितता के कारण, भूमि सम्बन्धी कोई न कोई घोटाले के कारण, अधिक सन्तान हो गयी हो, ए.सी.बी. प्रकरण हो गया हो, आपराधिक प्रकरण हो गया हो, इन पर सिर्फ 9 के खिलाफ कार्यवाही की गयी साढ़े चार साल में और आपने पांच साल में चुने हुए 58 आदमियों को घर बैठा दिया।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यहां मीटिंगों की बात हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं मीटिंगों की बात पूछ रहा हूं। (व्यवधान) यह भटका रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इस विषय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को मेरा और तुम्हारा, इसमें नहीं बनाओ, अगर आपको इस म्युनिसिपैलिटीज की वर्किंग को सुधारना है, चाहे वो मैं ही क्यों नहीं चेयरमैन हूं, कानून जब आपने बना लिया उस कानून की पालना के लिए विभाग ने भी कभी समय-समय पर अधिकारियों को इस बात का कुछ खयाल आया कि जब 2009 में जिस रूल को हमने बनाया एक्स, वाई, जेड नगरपालिका इसकी पालना नहीं कर रही है, साल में कम से कम एक नोटिस तो उसे टिकाना चाहिए न ताकि कम से कम इसके सुधार में तो आये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वो भी आपके पास भेज देता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने एक्स को दिया होगा, केवल 27 तारीख को इसलिए दिया कि प्रश्न पूछ लिया।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह मेरे प्रश्न देने के बाद है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 9.12.11 को भी दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट, मंत्री महोदय, आप इसको विवादित मत बनाओ।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 9.12.11 को भी दिया है, वो नोटिस आपके पास भेज सकता हूं। (व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): इनके प्रश्न के बाद दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि इसको विवादित विषय मत बनाइये, किसने किया, किसने नहीं किया, जो किया सो किया लेकिन इसकी वर्किंग के सुधार के लिए, जिस भावना से अपन ने रूल्स बनाये, एक्ट बनाया उसकी पालना हो। आपका जो अधिकारी मानीटरिंग पर बैठा है, वर्ष में एक बार तो कम से कम उनका विश्लेक्षण करें और यदि वो उसकी पालना नहीं कर रहे हैं तो उनको एक शो-काज नोटिस तो दें कि आपके यह पालन नहीं हो रही है, अगर आपको सैकण्ड चांस हो और आपने इसमें सुधार नहीं किया तो आपके विरुद्ध कार्यवाही होगी। इससे एक्स हो, वाई हो, मैं हूं या कोई भी हो, कम से कम वर्किंग में सुधार आयेगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा नहीं तो यह साल में एक-एक मीटिंग करके जिस ढंग से चल रहा है, सच में तो क्या है कि हमने तो आपको कहा कि इसकी ए.जी.

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आडिट भी हुई है लेकिन चार साल की रिपोर्टें पड़ी हुई हैं उसका कोई परीक्षण कर नहीं रहा है और उसके कारण से अगर सबसे ज्यादा खराब कहीं आ रहा है सारे सिस्टम में तो आपकी नगरपालिका और पंचायत राज है।

कृपा करके इसको अपना, मेरा मत बनाइये, जो नियम हमने किये हैं उसकी पालना हो, भविष्य में भी कम से कम उसके लिए पाबंद करने के लिए कोई न कोई हमें तरीका निकालना चाहिए जिसके कारण यह जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं यह मजबूत हो सकें और यह सही प्रकार से काम कर सकें।

श्री अध्यक्ष: चलिये, अगला प्रश्न। श्री रामहेत सिंह।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे दो पूरक प्रश्न और हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं, हम सहमत हैं, मैं सहमत हूं उससे।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): नहीं, मेरे दो प्रश्नों का उत्तर दिलाइये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बैठिये, आपकी बात का तो जवाब अभी आ जायेगा। (व्यवधान)

मैं सहमत हूं। सैक्शन 39 में स्पेसिफिकली यह प्रोविजन है कि "deliberately neglected or avoided performance of duties" अध्यक्ष के लिए है लिखा है और 48(1) में यह लिखा है कि "Chairperson to convene the regular meetings of the Municipality to provide in Section 58." लेकिन इनके बावजूद भी हाई कोर्ट के डिसीजंस को देखते हुए हमें इस बात पर भी विचार करना पड़ता है और बहुत गम्भीरता से विचार करना पड़ता है कि एक चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ हम कितना बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि सरकार इसीलिए यह उचित समझती है कि सीधी पद्धति से जो जन प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आया है उसको लैस ग्रेविटी के आधार पर इतना बड़ा एक्शन उसके खिलाफ नहीं लेना चाहिए। गोतम टांक का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं इसी के साथ-साथ, यह वाएलेशन यहीं नहीं हुआ है, यह पूरी 185 म्युनिसिपैलिटीज में हुआ है। किसी ने भी पूरी, जितनी बुलानी चाहिए थी वो बैठकें नहीं बुलायीं।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

स्पेसिफिक आपने जो दो सवाल उठाये, आपने एक बात तो यह उठायी कि नगर निगम की सीमाओं के बाहर बैठक बुला ली गयी, अगर बुला ली गयी तो इसकी जांच करवा ली जायेगी, जांच करवा कर के जो कुछ भी एक्शन, जो प्रोपर एक्शन होगा वो लिया जायेगा। एक बात।

दूसरी बात आपने यह कहा कि, साहब, स्पेसिफिक मीटिंग बुलायी गयी आपको ध्यान होगा स्पेसिफिक मीटिंग जो बुलायी गयी उस पर वन थर्ड मैम्बर्स के दस्तखत होने चाहिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): हां हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिन लोगों ने दस्तखत किये उनमें से पांच बदल गये कि हमने दस्तखत नहीं किये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह गलत है। यह गलत है, इसकी जांच करायी जाए।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पांच बदल गये, रिकार्ड पर है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप तारीख बताओ किस तारीख को आया है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह रिकार्ड पर है। आपको मैं रिकार्ड दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप पहले तारीख तो बताओ। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पांच बदल गये, कैसे मीटिंग बुला रहे हैं चेयरमैन, मेयर किस तरीके से मीटिंग बुलाएगा ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछ रहा हूं ...(व्यवधान) स्पेसिफिक मीटिंग बुलाने के आपको कब पत्र मिले हैं, तारीख तो बताओ, इसमें तो तारीख ही नहीं है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तारीख बता दी मैंने आपको।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): बताओ न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको तारीख बता दी कि इस तारीख को वो बैठक ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): स्पेसिफिक मीटिंग कब बुला ली गयी, बताओ। किस-किस तारीख को बुलाया? (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): रिक्विजिशन जो उन्होंने दिया उन 13 आदमियों के नाम और 13 आदमियों की तारीख जिस पर कि मेयर ने ये लिखकर के दे दिया कि, साहब, इन पांच आदमियों ने बदल दिया, उन्होंने कभी पलट करके उस बात को रिजैक्ट नहीं किया कि, साहब, हमने नहीं किया।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उनसे पूछा ही नहीं गया है, यह मेयर केवल अपनी गलती छिपाने के लिए कर रहा है। केवल अजमेर में बजट की औपचारिकता पूरी करने के लिए उन्होंने मीटिंग एक 22.09.10 को, एक 14.2.11 को, एक 12.2.12 को, एक 6.2.13 को, मीटिंग करके बैक डोर से चले गये हैं और आज नगर निगम की सीमा से बाहर श्रीनगर पंचायत समिति में जाकर के मीटिंग की, हमने विरोध किया, हमने धरना दिया, लाखों रुपये का अपव्यय हुआ फिर भी वहां पर किसी प्रकार का कोई उसमें परिवर्तन नहीं किया। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप यह हमारी निगाह में लाये हो।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): स्पेशल मीटिंग 18.7.11 को बुलायी, आपको भी हमने उसका पत्र लिखा कि 18.7.11 को यह वन थर्ड से ज्यादा लोगों ने मीटिंग बुलायी है, आपने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। बजट भी किस तरह पारित हुआ, उसकी भी शिकायत हुई लेकिन आपका विभाग उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं मांग करता हूं कि उस मेयर को, जो मीटिंग कंडक्ट नहीं करते हैं, 18 में से 4 ऐसा रेश्यो, मैं नहीं कहता लेकिन बजट के अलावा मीटिंग ...

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आज अजमेर सड़ रहा है, अजमेर का कोई विकास नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामहेत सिंह।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अजमेर की हालत बड़ी खराब है इसलिए आप आश्वासन दो कि उसके खिलाफ आप कार्यवाही करोगे।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): कार्यवाही करो।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। एक प्रश्न को 18 मिनट हो गये, आगे सारे प्रश्न पड़े हैं। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यवाही करवाइये। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप कृपा करके एक सैकण्ड अगर दे दें। माननीय मुख्य मंत्रीजी, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, पी.ए.सी. ने बहुत प्रयत्न करने के बाद इन दोनों लोकल बाडीज का ए.जी. आडिट शुरू हो गया और लगभग चार रिपोर्टें आज की तारीख में पेंडिंग हो गयी। स्पीकर साहब, मैंने आपको भी कई बार पत्र भी भेजा मैंने स्वयं व्यक्तिगत आकर कहा, जो भी आपको कमेटी बनाना हो, पी.ए.सी. को नहीं दें, नयी कमेटी बनायें पर जो कुछ आडिट होकर के आ गया, कम से कम उसका निस्तारण होगा तो इन दोनों सिस्टम में सुधार की गुंजाइश बन सकती है। कृपा करके इसकी व्यवस्था कोई तो करें ताकि कम से कम भविष्य में इस प्रकार नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: श्री रामहेत सिंह। अगला प्रश्न।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने खुद ने कह दिया है, मंत्रीजी ने कह दिया जब कोई बात नहीं रहती है ... (व्यवधान) उन्होंने कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इसके मायने यह होते हैं आडिट भी टाइम पर होना चाहिए, रिपोर्ट भी टाइम पर होनी चाहिए ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह विषय अलग है, अपना यह विषय अलग है। आपका स्पीकर साहब से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं यह अलग चीज कह रहे हैं। मैं समझ गया उनकी बात को। मैं समझ गया आपकी बात को।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह क्लियर हो जाए। अध्यक्ष महोदय, दो तारीखें बता देता हूं।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। माननीय मंत्रीजी, आसन पांवों पर है, आप विराजिये।

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है, मैं समझ पाया हूं, मैं समझ पाया हूं तो एक इस प्रकार का प्रस्ताव आया है कि लोकल सैल्फ के जो

(श्री अध्यक्ष)

इंस्टिट्यूशंस हैं उनका आडिट अलग से एक कमेटी असेम्बली करे न कि पब्लिक एकाउंट्स कमेटी, उस कमेटी का गठन किया जाना चाहिए, यह प्रस्ताव मेरे पास आया हुआ है, जो विचाराधीन है। इसके बारे में कह रहे थे, इससे कोई सम्बन्ध नहीं था इसका। (व्यवधान) हां, ठीक है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दो तारीखें पूछ रहे थे, सिर्फ एक सैकण्ड का मौका दें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकार लिया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपने जो यह सवाल पूछा कि रिक्विजशन की मीटिंग स्पेसिफिक परपजेज के लिए कब बुलायी गयी? 29.09.11 को 19 निर्वाचित सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त एक अनुरोध पत्र माननीय महापौर महोदय को मिला और उसके बाद में 27.09.11 को उनमें से 19 में से पांच आदमियों ने अपने आपको यह कह दिया कि, साहब, हमारे दस्तखत इसमें नहीं हैं, हमारे फर्जी दस्तखत हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इसकी जांच कराओ, यह उन्होंने नहीं कहा है ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जांच करा लेंगे ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेयर ने अपनी खाल बचाने के लिए यह आपको कहा है, लिखकर के भेजा है, यह आपको गलत इन्फोर्मेशन गयी है।

श्री अध्यक्ष: कृपया अब प्रकरण को समाप्त करिये, अगला प्रश्न पुकार चुका हूं।

भिवाड़ी औद्योगिक नगर के अपशिष्ट एवं शहरी जल-मल का शुद्धिकरण एवं निस्तारण

139. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास):- क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भिवाड़ी औद्योगिक नगर के औद्योगिक अपशिष्ट एवं शहरी जल-मल के शुद्धिकरण एवं निस्तारण की वर्तमान में क्या व्यवस्था है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भिवाड़ी औद्योगिक नगर के औद्योगिक अपशिष्ट एवं शहरी जल-मल के शुद्धिकरण एवं निस्तारण की कोई कार्य योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो उक्त योजना कब तक साकार रूप ले

(श्री रामहेत सिंह)

लेगी? यदि नहीं, तो क्यों? योजना का विवरण एवं पूर्ण होने की अवधि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भिवाड़ी सी.ई.टी.पी. के पानी के निस्तारण के लिये रीको द्वारा भिवाड़ी से ग्राम बूढीबावल व करीरीवास से होते हुए ग्राम आकोली तहसील कोटकासिम तक पाइप लाइन डाली गयी है? यदि हां, तो उक्त पाइप लाइन किस एजेन्सी से डलवाने का प्रस्ताव किस विभाग के किस अधिकारी के निर्देश पर लिया गया है? क्या उक्त कार्य की भौतिक फीजिबिलिटी व कानूनी रिपोर्ट तैयार करवायी गयी थी तथा उक्त पाइप लाइन डलवाने पर अब तक कुल कितनी राशि व्यय की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना के अंतिम बिन्दु हरियाणा सीमा पर जल निकासी को हरियाणा राज्य द्वारा बन्द कर दिया गया है एवं उक्त परियोजना का पानी साहबी नदी में नहीं जा रहा है एवं उक्त अपशिष्ट व जल-मल को ग्राम आकोली तहसील कोटकासिम में ही छोड़ दिया है? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या यह भी सही है कि उक्त परियोजना का पानी साहबी नदी में नहीं जाने के कारण परियोजना ही निरर्थक हो गयी है? यदि हां, तो उक्त पानी के निस्तारण के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) वर्तमान में औद्योगिक नगर भिवाड़ी के औद्योगिक अपशिष्ट का शुद्धिकरण रीको औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में स्थापित एवं भिवाड़ी जल प्रदूषण नियंत्रण ट्रस्ट द्वारा संचालित 6 एम.एल.डी. क्षमता के संयुक्त अपशिष्ट शोधन प्लान्ट द्वारा एवं भिवाड़ी के शहरी जल-मल का शुद्धिकरण नगर विकास न्यास, भिवाड़ी द्वारा स्थापित एवं संचालित 4 एम.एल.डी. क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट द्वारा किया जा रहा है। औद्योगिक नगर भिवाड़ी के औद्योगिक अपशिष्ट एवं शहरी जल-मल का शुद्धिकरण के पश्चात् निस्तारण खुले स्थान पर वाष्पीकरण एवं भूमि रिसाव द्वारा किया जा रहा है।

(2) जी हां। भिवाड़ी औद्योगिक नगर के औद्योगिक अपशिष्ट एवं शहरी जल-मल के शुद्धिकरण एवं निस्तारण की कार्य योजना बनाई गई है एवं वर्तमान में इस कार्य योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

(3) जी हां। भिवाड़ी सी.ई.टी.पी. से शोधित पानी के निस्तारण के लिए रीको द्वारा भिवाड़ी से ग्राम बूढीबावल व करीरीवास से होते हुए ग्राम आकोली तहसील कोटकासिम के समीप स्थित साबी नदी तक पाइप लाइप डाली गई है। उक्त पाइप लाइन डलवाने का निर्णय रीको के पर्यावरण, वित्त, तकनीकी, विद्युत एवं सम्बन्धित इकाई कार्यालयों के अधिकारियों की गठित कमेटी की अभिशंसा पर रीको प्रबंधन द्वारा लिया गया। उक्त कार्य की भौतिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करवायी गयी थी। उक्त पाइप लाइन डलवाने के कार्य में रु. 10.87 करोड़ की राशि व्यय की गई है।

(4) जी हां। परियोजना के साबी नदी में अंतिम बिन्दु के बाद नदी के बहाव क्षेत्र को हरियाणा सीमा में ग्रामवासियों द्वारा मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया है। वर्तमान में परियोजना का शोधित पानी साबी में नहीं जा रहा है। पानी आसपास के क्षेत्र में फैल रहा है।

(5) जी नहीं। औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में स्थित संयुक्त अपशिष्ट शोधन प्लान्ट से शोधित जल के साबी नदी में निस्तारण की परियोजना सार्थक है। यह परियोजना सुचारु रूप से शुरू कर दी गई थी। परन्तु वर्तमान में इस परियोजना में अवरोध उत्पन्न हो गया है। उक्त समस्या के मूल कारणों का विश्लेषण कर परियोजना को शीघ्र ही पुन: चालू किया जावेगा। इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी क्लस्टर में स्थित एवं भविष्य में आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले औद्योगिक अपशिष्ट के शुद्धिकरण एवं निस्तारण की विस्तृत कार्य योजना तैयार करने हेतु रीको द्वारा पर्यावरण सलाहकार कम्पनी को कार्य आदेश दिनांक 23.01.2013 को जारी किया है। सलाहकार कम्पनी विस्तृत कार्य योजना 90 दिवस में तैयार कर रीको को प्रस्तुत करेगी।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पैरा नम्बर में मैंने यह पूछा है कि योजना का विवरण एवं पूर्ण होने की अवधि का विवरण सदन में रखें। यह प्रश्न का जवाब अधूरा है। पूरा जवाब दिलवाएं।

दूसरा, आपने पैरा-4 के जवाब में कहा है कि साबी नदी के अन्तिम बिन्दु पर हरियाणा सीमा पर हरियाणा के लोगों द्वारा इस पर मिट्टी डालकर उस पानी के बहाव को रोक दिया गया है और वह आसपास ही फैला हुआ है। मेरा मंत्री महोदय से यह पूरक प्रश्न है कि हरियाणा की सीमा पर हरियाणा के लोगों ने जो नैचुरल पानी का बहाव है उसको क्यों रोका? उससे पहले भी जो

(श्री रामहेत सिंह)

हरियाणा के भिवाड़ी का जो अपशिष्ट पानी निकलता था वह भिवाड़ी के आस पास के गांवों से होता हुआ हरियाणा को जाता था, उन्होंने वहां भी रोक दिया। इसका कारण क्या है यह सदन में बताएं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ट्रीटेड पानी जो जाता था, गांव वालों ने इस बात को लेकर विरोध किया कि यह ट्रीटेड पानी जो हमारी साबी नदी में आ रहा है इससे हमारे यहां का अण्डर ग्राउण्ड पानी पोल्यूट हो रहा है। यह स्वीकार करने में मुझे कोई एतराज भी नहीं है कि वर्तमान में जो सी ई टी पी है, वह कैपेसिटी से ज्यादा पानी का इनपुट हो गया।

यह जो योजना बनी थी साबी नदी में पानी डालने की, लीगली और फिजिबली पूरे मापदण्ड पर तय की गयी, उसके बाद ही इसको लागू किया गया था। जब यह आर्डर निकाला गया था तब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर यह कार्य योजना बनाई गई थी। लेकिन अचानक पानी उसमें ज्यादा आने लग गया और उसकी कैपेसिटी कम हो गयी तब हमने यह एनश्योर किया कि इसकी कैपेसिटी बढ़ायेंगे और उसकी अलग से एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए हमने आर्डर कर दिये। लेकिन वर्तमान में जो पानी वहां पर जा रहा था वह निश्चित रूप से उस क्वालिटी का नहीं था, इसमें डाला जाए। हमने बार-बार रिक्वेस्ट भी की कि बहुत जल्द ही हम इस पानी को तैयार करके ट्रसरी प्लाण्ट लगाकर के इस पानी को और ज्यादा शुद्धिकरण कर लेंगे लेकिन उससे पहले ही गांव वालों ने इस पानी को रोक दिया।

अब हमने वहां एक अलग से लैण्ड आइडेन्टिफाई कर ली है, लैण्ड हम ले रहे हैं। उसके ट्रसरी प्लाण्ट को और अपडेट करने के लिए ढाई करोड़ की स्वीकृति हमने दे दी है।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। यह भिवाड़ी में जो सी ई टी पी प्लाण्ट है, इसका रीको द्वारा पिछले साल 2010-11 में 2 करोड़ 10 लाख रुपये दिए गए और 2011-12 में 2 करोड़ 60 लाख दिये गये। इस तरह से इसको अब तक 7 करोड़ 68 लाख रुपए का भुगतान किया गया। तो यह जो भुगतान इस ट्रस्ट को किया गया ट्रीटमेंट प्लाण्ट को आपरेट करने के लिए और उसके कारण आपने स्वयं ने माना है कि यह पाल्यूटेड पानी है और इस कारण से हरियाणा के लोगों ने रोक दिया। उसके कारण कोटकासिम तहसील की आकोली,

(श्री रामहेत सिंह)

हाजनाका, लालपुर, बूढीबावन में पूरे इलाके में भरा हुआ है । खेतों में फैला हुआ है, फसल बर्बाद हो चुकी है और उस कारण से अब चूंकि जनाक्रोश के कारण से उस पानी को इन्होंने भिवाड़ी में रोका है और भिवाड़ी में भी पैकेज बना-बना कर छोड़ा हुआ है। कभी इस जोहड़ में डाल देते हैं गांव के पास, कभी दूसरे गांव के जोहड़ में डाल देते हैं। उस कारण से जो जमीन के नीचे का वाटर लेवल है, उसमें इतना पोल्यूशन हो गया है कि उसको पी नहीं सकते। जहां भी यह फैला हुआ है वहां पशु चला जाए या व्यक्ति घुस जाए, उसके आसपास में महामारी फैलने की भी संभावना रहती है।

इसके लिए सरकार की कोई सुदृढ़ व्यवस्था है क्या, क्या योजना है, कब तक इस पानी को ठीक करके, इस पानी को जो पाल्यूटेड पानी है, इसको ट्रीट करने के बाद उस ट्रीटमैंट प्लांट से जिस तरह से दिल्ली के अन्दर बिल्डर्स को सप्लाई किया जाता है पानी और बिल्डर्स उस पानी का उपयोग कर लें या प्लांट में वापस रीसाइकिल करके, स्वच्छ करके इस पानी का उपयोग किया जा सकता है क्या? ऐसी कोई सरकार की योजना है क्या?

तीसरा, एक अभी राजस्थान स्टेट पोल्यूशन बोर्ड ने एक एनेलिसिस रिपोर्ट वाटर सैम्पल नम्बर 8149 से 8157 एवं 8186 से 8187 यह रिपोर्ट दी है। इसके बारे में सरकार क्या सोचती है और यह रिपोर्ट आने के बाद सरकार ने क्या किया?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह तो मैं पहले ही स्वीकार कर चुका लेकिन इससे पहले जैसा माननीय सदस्य जानकारी चाह रहे हैं कि जैसे दिल्ली में ट्रीटेड वाटर जो है, बिल्डर्स को दे रहे हैं, वहां बिल्डर्स की संख्या कम थी लेकिन काश्तकार कनेक्शन लेकर के पानी काफी वर्षो से ले रहे हैं। उस वक्त भी पानी की क्वालिटी कोई बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन फिर भी काश्तकार पानी ले रहे थे। अब चूंकि पानी का इनपुट ज्यादा हो गया और पानी की वहां हमने सी ई पी टी जो बना रखी है, 6 एम एल डी है। नया जो सी ई पी टी प्रपोज किया वह 15 एम एल डी का प्रपोज किया है। इसके तीन फेज हैं। फर्स्ट फेज, सैकण्डरी और ट्रसरी। सैकण्ड फेज के बाद जो पानी निकलता है वह निश्चित रूप से उस गुणवत्ता का नहीं होता इसलिए वहां यह आवश्यक महसूस किया गया कि ट्रसरी प्लांट के माध्यम से इस पानी को और ज्यादा प्योरीफाई किया जाए ताकि यह सब तरह के काम में आ सके और खास तौर से किसान भी उसका सदुपयोग कर सके।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

ट्रसरी प्लांट को अपग्रेड करने के लिए रीको द्वारा 2.50 करोड़ की जो उस वक्त डिमांड इन्होंने क्रिएट की है वह स्वीकृत कर दी है और इसकी एक डी पी आर बनाने के आदेश दे दिए गये हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह चिन्ता केवल आपकी नहीं है। यह पूरा सदन भी इस चिन्ता में सम्मिलित होता है और इसको हम स्वयं भी एन्श्योर करना चाहेंगे कि न केवल भिवाड़ी बल्कि किसी भी क्षेत्र में पानी का प्रदूषण नहीं हो और इसमें तत्काल कार्यवाही करके सी ई टी पी को, ट्रसरी प्रोजेक्ट को जो हमको अपग्रेड करना है उसको हम चालू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: राव राजेन्द्र सिंह जी। इसके बाद आपका।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस ट्रस्ट का निर्माण किया 2011 में which is Bhiwadi Jalpradushan Niwaran Trust. Now this Trust is restricted by its own constitution. आप जितना पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रस्ट को वह आप इण्डस्ट्रीज से कलैक्ट करके ट्रस्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं कि पोल्यूशन रहित वाटर, अब उसमें आपका सिटी का पानी भी आता है, सिटी स्वेज का भी आता है और इण्डस्ट्रियल स्वेज का भी आता है। यह 2010 में सैण्ट्रल पोल्यूशन बोर्ड की एक रिपोर्ट थी । जब तक सेण्ट्रल पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट नहीं आयी, तब तक आपको यह पता नहीं चल पाया कि आपका जो 6 एम एल डी का प्लांट था उसमें दरअसल 15 एम एल डी के प्लांट की आपको आवश्यकता है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जब देहली में इण्डस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से देहली से इण्डस्ट्रीज शिफ्ट हो रही थीं उस वक्त भिवाड़ी एक ऐसा इण्डस्ट्रियल एरिया था, नीमराना एक ऐसा इण्डस्ट्रियल इनपुट था जहां राजस्थान इण्डस्ट्रीज और मैन्युफैक्चर यूनिट्स को गेन कर सकता था, But not at the cost of the public health. ट्रीटमेण्ट प्लांट्स लगाने से पहले आपकी वह दूरदर्शिता होनी चाहिये थी कि कितनी इण्डस्ट्रीज हमारे यहां आएंगी। हम लोग इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट को प्रोग्रेसिव डवलपमेंट स्टेट का मानते हैं। आपको 5 साल की या 10 साल की नहीं सोचनी चाहिये थी, आपको 25 साल और 50 साल की सोचनी चाहिये थी। आपने इस काम को समय पर न करके 15 साल से लोग- बाग कंटेमिनेटेड पानी पी भी रहे हैं। कंटेमिनेटेड पानी से सिंचाई भी कर रहे हैं और कंटेमिनेटेड पानी के आर्डर से एयर पोल्यूशन भी हो रहा है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आखिर मैं यह जानना चाहता हूं कि 2011 में जाकर आपकी नींद क्यों उड़ी और 2011 के बाद में आपने यह काम क्यों किया जबकि पिछले 15 वर्ष से भिवाड़ी इस प्रकार से प्रदूषण से पीड़ित है, वहां का आम नागरिक पीड़ित है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भिवाड़ी में एक यू आई टी का 4 एम एल डी का एस टी पी है और दूसरी ओर जैसा माननीय सदस्य ने बताया जल प्रदूषण नियंत्रण संघ जो बना हुआ है वह इण्डस्ट्रियल एरिया का बना हुआ है। एक तरफ 4 एम एल डी का एस टी पी है और दूसरी तरफ 6 एम एल डी का सी ई टी पी है। सी ई टी पी में पानी ज्यादा आया और एस टी पी का पानी भी उसमें मिक्स हो गया। यह दोनों पानी मिक्स होने से वहां पर पूर्व में यह परम्परा रही है कि काश्तकार इस पानी को लेते रहे हैं। जब तक काश्तकार इस पानी को ले रहे थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी और एस टी पी व सी ई टी पी दोनों का पानी मिक्स होकर जा रहा था लेकिन जब विभाग की जानकारी में आया तब विभाग ने इसकी डी पी आर तैयार करायी और विभाग खुद ही इस बात से चिन्तित है। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, इस चिन्ता में मैं स्वयं को शामिल करता हूं और एन्श्योर करना चाहता हूं बहुत जल्द पूरी डी पी आर के साथ में 15 एम एल डी का ट्रीटमेण्ट प्लांट बनायेंगे। खास तौर से फर्स्ट, सैकिण्ड, थर्ड फेज जो ट्रसरी का लगने के बाद ही उस पानी की क्वालिटी ज्यादा शुद्ध हो पायेगी तब हम उसको नदी में छोड़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। खास तौर से आज भी वहां के काश्तकार इस बात की डिमाण्ड कर रहे हैं कि इस पानी का थोड़ी और ज्यादा प्योरिटी बढ़ाकर आप इसको यदि काश्तकारों को देंगे तो काश्तकारों को भी इससे लाभ होगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय सदस्य, मैं मेरी बात पूरी कर लूं पहले...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं आपकी इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा...

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं तो अपनी बात पूरी कर लूं पहले...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट। मैं आपकी इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैं सिर्फ आपसे यह पूछना चाहता हूं हालांकि आपसे इसका डायरेक्टली कन्सर्न नहीं है। आप पैसा इकट्ठा करके एक ट्रस्ट को दे रहे हो। मैं एनवायर्नमेंट मिनिस्टरी को जो देख रहा है और पोल्यूशन डिपार्टमेंट से मैं पूछना चाह रहा हूं 15 साल से जिन लोगों को आप कंटेमिनेटेड पानी पिला रहे हैं, जो लोग इसके लिये दोषी हैं, कम से कम आप इसके लिये कुछ तो कार्य करिये जिससे कि इसकी पुनरावृत्ति न हो। आप करैक्टिव मेजर्स ले लेंगे, मैं यह तो बात मानता हूं। मैं आपकी सिंसियरिटी को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं लेकिन आज तक करैक्टिव मेजर्स नहीं लिये गये, पूरी की पूरी जनता जिस प्रकार से इससे बेहाल हुई है और उसके स्वास्थ्य पर जितना प्रतिकूल असर पड़ा है, आखिर इसकी जिम्मेदारी कोई तो लेगा? जिम्मेदारी को पूरी करने और आपको कोडिफाई करने के लिये आपको कठोर निर्णय लेना पड़ेगा इण्डस्ट्री मिनिस्टरजी। अदरवाइज यूं ही पोल्यूशन होते रहेंगे और इण्डस्ट्रीज के नाम पर लोग-बाग़ कैन्सर जैसी बीमारी से रोग ग्रस्त होते रहेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं यह कह रहा था...

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा। इनके साथ ही दे दें। माननीय मंत्री महोदय, आहूजा के प्रश्न का भी साथ ही जवाब देकर मैं आगे चलूंगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योगों से जुड़ा रहा हूं। बीस साल लेबर लीडर रहा हूं। हमने यह कहा जब भिवाड़ी में मैन्यूफैक्चरिंग चालू हुआ स्वर्गीय महामहिम भैरोंसिंहजी शेखावत के समय से तब एक इण्डस्ट्रियल एरिया था लेकिन अब वहां सात इण्डस्ट्रियल एरिया हैं। चौपानकी है, भिवाड़ी है, खुशखेड़ा, नीमराना, शाहजहांपुर मिलाकर पूरा बैल्ट है। मैं संक्षेप में अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर जब गल्फ कंट्रीज में बड़े-बड़े ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से वहां कंट्रोल किया जाता है। समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाया जाता है। आपने उद्योगों का विस्तार किया। अभी भी इस बजट में भी, पिछले बजट में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा रीको के इतने औद्योगिक क्षेत्र होंगे, इतने होंगे, यह बोला है। मेरा यह कहना है कि अभी यहां बैठे हुए वहां के क्षेत्रीय विधायक माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के व्यक्तिगत आदेश से वहां 27 उद्योग बन्द कर दिये गये हैं कि आपका अपशिष्ट और दूषित पानी निकलता है। 27 उद्योग इस समय बन्द हैं। आप नये उद्योग

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

लगाना चाहते हैं, माननीय मुख्य मंत्रीजी से माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आप लगाना चाहते हैं, वहां उद्योग बन्द हो गये। इसके लिये कोई ट्रीटमेंट प्लांट का एक्सपर्ट टैक्नोक्रेट्स चाहिये। यह ट्रीटमेंट प्लांट जो दिया गया है वहां बी एम ए को दिया गया है भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को। वहां कोई एक्सपर्ट नहीं है। वह उद्योगों से पैसे वसूल करके चलाता है। पाली में जैसे लगा बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट। नगर परिषद् ने, पाली, बालोतरा और सांगानेर ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट की वहां आवश्यकता है। मेरा यह भी आपसे निवेदन, पूछना है कि आप यह बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के लिये एक्सपर्ट को, पोल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड को दिल्ली के स्तर पर या गल्फ कंट्री के स्तर पर लगाने के लिये तैयार हैं कि नहीं हैं ताकि अपशिष्ट पानी, गन्दा पानी, दूषित पानी निकले ?

श्री अध्यक्ष: बैठिये। मंत्रीजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): न तो किसान बरबाद हो, न उद्योग बन्द हों। वर्तमान में 27 उद्योग मौखिक आदेश से माननीय मुख्य मंत्रीजी बन्द हैं यह उद्योग।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी। समाप्त करिये।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष: आपने पूछ लिया।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि किसान वहां से काश्त करते थे उस पानी से। जरा एक बार बता दो कौन से गांव में सिंचाई की गयी इससे? यह पानी तो जिस गांव में भी गया पूरे गांव बरबाद हुए हैं और आज हालत यह है आसपास के 20 गांव में भयंकर...

श्री अध्यक्ष: विराजो-विराजो। भाषण नहीं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था तब यह सिक्स एम एल डी का था और तब वहां पर उद्योगों की संख्या कम थी लेकिन पिछले तीन सालों से जिस तरह से औद्योगिक विकास में राजस्थान में लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है उसके बाद वहां पर उद्योग...

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) 7 करोड़ रुपये आपने तीन साल में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब तो सुनेंगे तक नहीं...(व्यवधान) जवाब नहीं सुनेंगे? जवाब नहीं सुनेंगे? जवाब सुनिये पहले...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): 7 करोड़ रुपये आपने दे दिये उसका क्या किया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब सुनिये। जवाब सुनिये...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): प्रदूषित पानी फैलाता है उसी को ट्रीटमेंट का दे दिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, जवाब सुनिये।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): उसके बाद विभाग ने यह एन्श्योर किया माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सामने जमीन की समस्या थी। वहां पर हमने तत्काल यू आई टी से 11,600 गज जमीन ली है उनसे। हमने पैसे स्वीकृत किये हैं। जोधपुर विश्वविद्यालय के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के एक सीनियर प्रोफेसर से इसकी डी पी आर हम तैयार करवा रहे हैं। मैं स्वयं इस बात को मान रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कि प्रदूषित जल की कास्ट पर हम डवलपमेंट नहीं करना चाहते। मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिन 27 यूनिट्स की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इस तरह के आदेश रीको को दिये गये कि इन यूनिट्स का पानी बन्द करें, इनकी बिजली बन्द करें। तत्काल कार्यवाही की गयी।

मैं बार-बार सदन को आश्वस्त करता हूं, मैं स्वयं इस बात को कभी अच्छा नहीं बताता कि इस तरह से प्रदूषण वहां पर फैले लेकिन मैं जब बार-बार आपसे यह कह रहा हूं...(व्यवधान) सी ई टी पी की क्षमता 6 एम एल डी से बढ़ाकर हमने 15 एम एल डी कर दी। उसके लिये हमने आर्डर दे दिये। उसके लिये हमने 11,600 गज जमीन यू आई टी से ले ली। पैसों का हमने प्रोविजन कर दिया और उसमें मैं निवेदन करूं माननीय अध्यक्ष महोदय, थ्री फेजेज हैं फर्स्ट, सैकिण्ड, थर्ड। ट्रसरी ट्रीटमेंट के बाद पानी की प्योरिटी ज्यादा बढ़ती है। करीब-करीब सभी जगह सैकेण्डरी ट्रीटमेंट हैं लेकिन चूंकि भिवाड़ी हमारा एक प्रेस्टिजियस इण्डस्ट्रियल एरिया है, जिस तरह से डी एम आई सी का प्रोजेक्ट आ रहा है इससे इस औद्योगिक क्षेत्र की महत्ता और ज्यादा बढ़ जाती है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

मैं स्वयं भी चाहता हूं कि वहां पर पानी पूरी प्योरिटी का मिले कि कोई भी आदमी उसको न केवल काश्तकार और डवलपर्स बल्कि इण्डस्ट्री वाले भी यदि इस पानी का उपयोग करना चाहें तो पानी का सदुपयोग करें। इसलिये ट्रसरी ट्रीटमेंट के माध्यम से उस पानी की ज्यादा प्योरिटी बढ़ाकर हम लोगों को देना चाहते हैं और निश्चित रूप से इनपुट ज्यादा होने की वजह से यह समस्या आयी है। लेकिन अब भविष्य में इस तरह की समस्या नहीं आयेगी, मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: चलिये। अगला प्रश्न। श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा। हालांकि विषय बहुत महत्व्पूर्ण है और शाहपुरा से आने वाले माननीय विधायक ने जो बात कही है, मैं समझता हूं कि बहुत चिन्ता का विषय है। इन्होंने 15 साल का नाम ठीक लिया। 15 साल नहीं, बल्कि 30 साल बात करनी चाहिये कि लम्बे समय से पूरे प्रदेश के अन्दर, पूरे दश के अन्दर जिस प्रकार से प्रदूषण की समस्या घर कर गयी है। औद्योगीकरण के नाम पर उद्योग लगाना वैसे तो आवश्यक भी है कोई दो राय नहीं है इसके अन्दर। परन्तु जगह-जगह प्रदूषण के माध्यम से जो पानी निकलता है वह खेतों को खराब कर रहा है। गायों के खुर खराब कर रहा है और कुओं के पानी को खराब कर रहा है। चाहे पाली हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे बालोतरा, चाहे भिवाड़ी, टपूकड़ा या कोई बात करें, सब जगह पर स्थिति यह बनी हुई है। कोई जगह की बात कर लीजिये जहां औद्योगीकरण है वहां पर सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी मानिटरिंग कर रहा है। हाई पावर्ड कमेटी बना रहा है।

एम्पावर्ड कमेटी बना रखी है उन्होंने अलग से। उसके बावजूद भी चाहे यह इल्लिगल माइनिंग की समस्या हो, चाहे प्रदूषण की समस्या हो, यह आज हमारे लिये चुनौती के रुप में हैं, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इसका किस प्रकार से हल हो सकता है। पोल्यूशन बोर्ड अपना काम करे, मैं एक ऐसी कमेटी बनाऊंगा, जो एक्सपर्ट की कमेटी होगी कि लोंग टर्म में इस समस्या के क्या समाधान हो सकते हैं। चाहे हमारा इनवेस्टमेंट 10 परसेंट कम आये, उसकी हम चिंता नहीं करें लेकिन प्रदूषण किसी कीमत पर नहीं हो जिससे कि खेत खराब हों, गायों के खुर खराब हों या लोगों को तकलीफ हो। मैं समझता हूं कि इससे पूरा सदन सहमत होगा। हम इस दिशा में कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़।

जोधपुर जिले में कार्यरत होम गार्ड्

140. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में होम गार्ड्स की ड्यूटी पर जवानों को लगाने के मानदंड निर्धारित हैं तथा इनसे किस प्रकार की डयूटी करवायी जाती है? मानदंड की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में होम गार्ड्स की ड्यूटी पर कितने जवानों को लगा रखा है तथा इन्हें कितना मानदेय का भुगतान किया जा रहा है? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में कार्यरत होम गार्डस द्वारा नियमित ड्यूटी देने के बावजूद समय पर मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों एवं किन कारणों से?

(4) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में कार्यरत होम गार्डस के जवानों को डयूटी की अनिश्चितता के कारण बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो किन कारणों से?

(5) क्या सरकार कार्यरत होम गार्डस को नियमित ड्यूटी एवं मानदेय में वृद्वि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह गुढा): (1) विभिन्न विभागों/संस्थाओं में होम गार्डस को ड्यूटी पर लगाने हेतु कोई मानदंड निर्धारित नहीं है। विभिन्न विभागों/संस्थाओं की मांग के अनुसार होम गार्डस नियोजित किये जाते हैं। होम गार्डस को सामान्यत: निम्न कार्यों हेतु नियोजित किया जाता है:-

1. कानून व्यवस्था अनुरक्षण,
2. प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिसाद हेतु गठित संगठनों का सहयोग करने (अग्निशमन सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं इत्यादि)
3. यातायात संचालन,
4. विद्युत, पानी व अन्य आवश्यक सेवाओं के बाधित होने पर सहयोग करने हेतु,
5. राज्य की सामाजिक कल्याण योजनाओं में सहायता हेतु,
6. महासमादेष्टा व राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कर्तव्य निर्वहन हेतु।

(2) जनवरी, 2013 में प्रदेश में शहरी/ग्रामीण होम गार्डस का

(श्री राजेन्द्र सिंह गुढा)

नियोजन कर प्रदेश में 258511 मानव दिवस सृजित किये गये व बोर्डर होम गार्डस के नियोजन कर 59127 मानव दिवस सृजित किये गये। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। शहरी एवं ग्रामीण गृह रक्षा स्वयं सेवकों को प्रतिदिन 220 रुपये एवं सीमा गृह रक्षा स्वयं सेवकों को प्रतिदिन 403 रुपये मानदेय भत्ता दिया जाता है।

(3) जोधपुर जिले में कार्यरत होम गार्डस द्वारा नियमित डयूटी देने पर भुगतान डयूटी समाप्ति के एक माह के भीतर कर दिया जाता है, केवल निम्नलिखित पुलिस सहायतार्थ ड्यूटी पर लगाये गये होम गार्ड का भुगतान पुलिस विभाग द्वारा किया जाना शेष है, जिस हेतु बजट आबंटन/प्रावधान हेतु कार्यवाही की जा रही है:-

क्र.सं.	डयूटी का नाम	सदस्य संख्या	बकाया भुगतान की अवधि
1.	यातायात जोधपुर शहर	230	12/2012 से

(4) जोधपुर जिले में पुलिस विभाग एवं अन्य संस्थानों की मांग अनुसार स्वयं सेवकों को ड्यूटी पर लगाया गया है। सभी स्वयं सेवकों को एक साथ ड्यूटी पर नहीं लगाया जा सकता है।

(5) प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: सारा विस्तृत जवाब दिया फिर भी कुछ बाकी रह गया।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, बाकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी विराजे हैं। आपने बजट में मानदेय बढ़ाये भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि खण्ड 2 व 5 में आपने कहा कि मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। मानदेय कितना बढ़ाया जायेगा और कब बढ़ाया जायेगा? यह स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: यह तो अभी विचाराधीन है।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष: अभी विचाराधीन है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): प्रस्ताव में है, कितना बढ़ाया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: फाइनल नहीं हुआ है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): प्रस्ताव तो विचाराधीन है। उसमें मानदेय कितना बढ़ाने का प्रस्ताव है? एक तो यह और दूसरी मेरी मांग है कि इसको 220 से इसको मिनिमम 500 रुपये किया जाये। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि होम गार्डस को आप 1 महीने के लिये ड्यूटी पर लगाते हैं और फिर वह 2, 3 महीने के लिये बेरोजगार हो जाता है। रोटेशन प्रणाली से आप होम गार्डस को लगा रहे हैं। आप मुझे यह बतायें कि पूरे वर्ष भर कितने होम गार्डस ने ड्यूटी की है और कितने होम गार्डस अधिकारियों के पास लगे हुए हैं? साथ ही, इन होम गार्डस की ड्यूटी भी पुलिस की तरह कठिन है। मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, पश्चिमी बंगाल की तरह राजस्थान में भी होम गार्डस को नियमित ड्यूटी पर लगाने का विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों? यह सवाल तो स्पष्ट करें पहले।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): 33 प्रतिशत होम गार्डस को ड्यूटी पर लगाया जाता है और आवश्यकतानुसार इनकी ड्यूटी बढ़ती और घटती रहती है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): वर्ष भर होम गार्डस कितने लगे हुए हैं? हमने यह पूछा कि वर्ष भर कितने होम गार्डस ने ड्यूटी की और अधिकारियों के पास कितने होम गार्डस लगे हुए हैं, वह तो बताओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने खण्ड 1 के उप खण्ड 6 में कहा कि महासमादेष्टा व राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कर्तव्य निर्वहन हेतु होम गार्डस लगाये जाते हैं। दूसरी तरफ आपने कहा कि 258511 मानव दिवस सृजित किये गये। आपके स्वयं के पास भी शिकायतें आयी हैं कि बहुत बड़ी संख्या में होम गार्डस आज पुलिस अधिकारियों के घर पर रसोइये का काम, बागवान का काम और दूसरे काम कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय की जानकारी में है।

श्री अध्यक्ष: जोधपुर जिले की बात है, इससे सम्बन्धित नहीं है यह। गलत बात है मैं अलाउ नहीं करुंगा। ना, ना, कोई मतलब नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कितनी शिकायतें आपके पास आयी हैं?

श्री अध्यक्ष: अलग प्रश्न है यह।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इस प्रश्न का कोई अर्थ ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, अलग प्रश्न है। जोधपुर जिले से सम्बन्धित बात है, आप पूरे राजस्थान की कर रहे हैं। अगला प्रश्न, श्री दिगम्बर सिंह।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बाकी है। अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब आया नहीं।

श्री अध्यक्ष: श्री दिगम्बर सिंह।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे प्रश्न बाकी हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे 2 प्रश्न बाकी रह गये।

श्री अध्यक्ष: श्री दिगम्बर सिंह।

डीग-कुम्हेर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विषय अध्यापकों के रिक्त पद

141. डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि डीग-कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय के अध्यापकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो किन-किन में? विद्यालयों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कतिपय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सम्बन्धित विषयों के अध्यापकों के विरुद्ध दूसरे विषयों के अध्यापक गण पदस्थापित हैं? यदि हां, तो ऐसे अध्यापकों के नामों की सूची विद्यालयों के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों पर शीघ्र ही अध्यापकों का पदस्थापन और पद विरुद्ध लगे हुए अध्यापकों के स्थान पर सम्बन्धित विषय के ही अध्यापक पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी।

शिक्षा मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) जी हां। डीग-कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र के निम्नांकित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान वर्ग/विषय के अध्यापकों के पद रिक्त हैं:-

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

नाम विद्यालय	विज्ञान विषय के रिक्त पदों का विवरण	
	व्याख्याता	वरिष्ठ अध्यापक
राज. बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुम्हेर	जीव विज्ञान-01 रसायन विज्ञान-01	-
राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय, डीग	गणित-01	-
राज. बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, डीग	-	01
राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुम्हेर	गणित-01	-
राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिनसिनी	-	01
राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय, साबोरा	-	01
राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय, विरहरु	-	01
योग	**04**	**04**

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डीग-कुम्हेर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सम्बन्धित विषयों के अध्यापक जो सम्बन्धित विषय एवं दूसरे विषयों के विरुद्व पदस्थापित अध्यापकों का विवरण इस प्रकार है:-

1. श्री उत्तम चन्द गौतम, वरिष्ठ अध्यापक (संस्कृत) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पैघोर का इसी विद्यालय से व्याख्याता-संस्कृत के पद विरुद्व
2. श्री जुमना लाल, वरिष्ठ अध्यापक (हिन्दी) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बरौली चौथ का इसी विद्यालय से व्याख्याता-हिन्दी के पद विरुद्व
3. श्री प्रकाश चौधरी, वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रारह का राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुम्हेर से वरिष्ठ अध्यापक (सामान्य) के पद विरुद्व
4. श्री योगेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) राजकीय उच्च

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

माध्यमिक विद्यालय, भटावली का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विरहरु से वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान) के पर विरुद्ध

(3) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही उक्त रिक्त पद को भरा जा सकेगा। पद विरुद्ध लगे हुए अध्यापकों के स्थान पर सम्बन्धित विषय अध्यापक उपलब्ध होने पर, की गयी शिक्षण व्यवस्था को समाप्त किया जा सकेगा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, सीनियर सैकण्डरी स्कूल कुम्हेर जिसमें करीब 456 बालिकाएं पढ़ती हैं, अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी अपने बजट भाषण में घोषणाएं की हैं कि तहसील स्तर पर विज्ञान, कामर्स और कला तीनों संकाय हम खोलेंगे। लकीली मेरे कुम्हेर गर्ल्स स्कूल में पहले से साइंस बायलोजी का सब्जेक्ट मौजूद है। फिजिक्स, कैमेस्ट्री और बायलोजी 3 सब्जेक्ट में से मात्र उसमें 1 फिजिक्स का लेक्चरर मौजूद है। कैमेस्ट्री और बायलोजी दोनों के पद रिक्त हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदय आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो रिक्त पद हैं कैमेस्ट्री और बायलोजी के, इन पदों को आप कब तक भरने का मानस रखते हैं? कितने दिन में आप इनको भरना चाहते हैं, नम्बर एक। नम्बर दो, मैं जानना चाहता हूं कि हमारी जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल कुम्हेर है उसमें कामर्स की फैकल्टी भी है, कामर्स में केवल टाइपिंग है जो मैं समझता हूं आज बहुत ही ओब्सलिट सब्जेक्ट रह गया है। आज के जमाने में बैंकिंग की नालेज बच्चे को नहीं होना, आज के जमाने में बच्चे को कम्प्यूटर की नालेज नहीं होना और केवल टाइपिंग को पढ़ाना या टाइप सिखाना, कामर्स अगर इसको ही कहते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मैं पूछना चाहता हूं कि क्या माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय कुम्हेर में कला एवं वाणिज्य संकाय जो संचालित हैं, उनमें सभी विषयों के टीचर्स लगाने का आप विचार रखते हैं? यदि हां तो कब तक?

श्री अध्यक्ष: बस।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, कुम्हेर में भौतिक विज्ञान का एक पद, रसायन विज्ञान का एक पद, जीव विज्ञान का एक पद स्वीकृत है। इनमें से भौतिक विज्ञान का पद भरा हुआ है तथा रसायन एवं जीव विज्ञान के व्याख्याता के पद चूंकि रिक्त हैं। चूंकि इस विद्यालय में बालिकाओं की संख्या तीन-तीन है, इसलिए ये छात्राएं राजकीय बालक उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहां पर ये तीनों पद भरे हुए हैं, वहां पर भेजी जाती है लेकिन फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आरपीएससी से सीधी भर्ती एवं डीपीसी होने के बाद इन पदों को भरा जा सकेगा। परन्तु वाणिज्य के पदों के लिए जो बात की गई है, वाणिज्य में तीन पद स्वीकृत हैं जिनमें एक पद पर जो बिजनस एडमिनिस्ट्रेशन का है उस पर राम बाबू शर्मा काम कर रहे हैं, दूसरा पद जो अकाउंटेंसी का है उस पर प्रतापसिंह काम कर रहे हैं, बुककीपिंग का पद खाली है, उसको भी राजस्थान लोक सेवा आयोग और डीपीसी के माध्यम से...

श्री अध्यक्ष: आप शीघ्रातिशीघ्र जब भी सम्भव हो तत्काल भर दें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): हां हम वहां तुरन्त भर देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुनलाल। अगला प्रश्न। (व्यवधान) एक प्रश्न और आ जाये।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): प्रश्न संख्या 142.

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड, हमारे कुम्हेर में एक बालक और एक बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है।

श्री अध्यक्ष: तकनीकी शिक्षा मंत्री।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): एक स्कूल में टीचर्स तीनों हैं। फिजिक्स का भी है, कैमेस्ट्री का भी है, बायोलोजी का भी है और गर्ल्स स्कूल में जब कैमेस्ट्री और बायोलोजी के टीचर्स नहीं हैं तो यह सम्भव है...

श्री अध्यक्ष: जितना जल्दी सम्भव होगा भर देंगे। एक प्रश्न और आ जाये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): क्या यह सम्भव है कि उस स्कूल से एक-एक घण्टे की क्लास के लिए बालिका विद्यालय में वहीं से टीचर्स भेजे जायें, जब तक दूसरी टीचर्स उपलब्ध न हो।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): यह जो मैंने बताया है वैसे तो हमने व्यवस्था कर रखी है।

बिलाड़ा (जोधपुर) तहसील मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

142. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की घोषणा की गई है? यदि हां, तो प्रदेश में कौन-कौनसी तहसीलों में उक्त संस्थान खोल दिये गये एवं कहां-कहां किन-किन कारणों से नहीं खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बिलाड़ा तहसील मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त संस्थान खोलने हेतु कोई नीति बनाई है? यदि हां, तो नीति नियमावली की प्रति सदन की मेज पर रखें एवं नहीं, तो पूर्व में उक्त संस्थान किस आधार पर खोले गये? नीति एवं नियमावली की प्रति सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (श्री रामकिशोर सैनी): (1) जी नहीं।

(2) जी हां। मुख्य मंत्री बजट घोषणा वर्ष 2012-13 में बिलाड़ा तहसील मुख्यालय पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(3) जी नहीं। क्षेत्रीय आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर गुणावगुणों के आधार पर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार किया जाता है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि आपने प्रश्न के जवाब के खण्ड 2 में लिखा है, मुख्य मंत्री के बजट भाषण वर्ष 2012-13 में, पेज 1 से 91 तक, मैं तो यह कहता हूं कि वर्ष 2008-09 से लगाकर वर्ष 2013-14 तक, 'बिलाड़ा' शब्द बजट में नहीं है। 'बिलाड़ा' शब्द बजट के अन्दर नहीं है, वर्ष 2008-09 से लगाकर 2013-14 के बजट में। मैंने एक-एक लाइन पढ़ी है और उसमें 'बिलाड़ा' शब्द नहीं लिखा और आप कह रहे हैं कि वर्ष 2012-13 के

(श्री अर्जुन लाल)

मुख्य मंत्री कल बजट घोषणा में बिलाड़ा के अन्दर हमने आईटीआई की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी है। (व्यवधान) हां वही है इन्टरनेशनल पर है और वही लेकर डूबेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह 'बिलाड़ा' शब्द नहीं है। वर्ष 2012-13 के बजट की मैंने एक-एक लाइन पढ़ ली है। आपका कहना है कि उस बजट भाषण में मुख्य मंत्रीजी ने आईटीआई खोलने की घोषणा कर दी है तो वर्ष 2012-13 की घोषणा की प्रशासनिक स्वीकृति, एक साल बाद भी उस घोषणा के बाद आपने कहीं शिलान्यास किया हो, वित्तीय स्वीकृति कुछ जारी की है क्या? आपने कोई वित्त पोषण उस पर किया है क्या? घोषणा की इससे मुझे लगता है कि यह 2013-14 की जो घोषणाएं हैं, वह एक भी घोषणा पूरी नहीं हो सकती जबकि आपके 2012-13 की यह घोषणा भी पूरी नहीं हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस पर इस वर्ष मुझे जवाब दे दिया कि प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी है, क्या आप इसको वित्त पोषित करेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब देने दीजिये।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने...

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आईटीआई से सम्बन्धित मामला है। मेरे क्षेत्र का भी सवाल है। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): पिछले चार साल से सदन में और बजट घोषणा में भी आपने सुना होगा, सारी बजट घोषणाओं में जब आई टी आईज की घोषणा की जाती है तो उनका नम्बर घोषित किया जाता है कि हम राजस्थान में इतनी आई टी आईज खोलेंगे, उसमें आईटीआईज खोलने में आपका विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा भी है। उसमें हमने आईटीआई खोलने की घोषणा कर दी है। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल है।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): मेरे क्षेत्र में छतरगढ़ में वर्ष 2011-12 में आईटीआई खोलने की घोषणा की थी, वह भी आज तक पूरी नहीं हुई है। (व्यवधान) मेरा माननीय मंत्रीजी से सवाल है कि यह कब तक चालू कर देंगे? (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसीफिक सवाल है, आपने घोषणा की थी कि हमने नम्बर आफ आई टी आईज की

(श्री अर्जुन लाल)

घोषणा की है, परन्तु आई टी आईज की घोषणा अल्पसंख्यक क्षेत्रों के अन्दर की है, क्या अनुसूचित जाति वाले जो क्षेत्र हैं, क्या वह अल्पसंख्यक क्षेत्र हैं? मैंने आपसे नीति नियमावली पूछी तो आपने कहा कि हमारे यहां कोई नीति नहीं है सिर्फ है तो अनीति ही अनीति है। (व्यवधान) या तो इसके लिये नीति बतायें, या हमको नीति नियमावली ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे यहां कोई नीति नहीं है, अनीति ही अनीति है, यह सवाल है क्या? मंत्रीजी ने जवाब दिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): ×××

श्री अध्यक्ष: आपका अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) जवाब दे रहे हैं विराजें आप। (व्यवधान) हां, मंत्री महोदय। (व्यवधान) जवाब तो आने दीजिये।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) आपको जवाब चाहिये तो ठीक है। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) आपको जवाब चाहिये ही नहीं।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो शब्द माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने बताये हैं, जो शब्द माननीय सदस्य ने यहां बोले थे उनको आप एक्सपंज कराइये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: देख लेंगे। (व्यवधान) देख लेना। (व्यवधान)

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बताया है कि बजट घोषणा 2012-13 में 20 आई टी आईज के लिए घोषणा की गई थी, वे जहां-जहां और जितनी खोली हैं उनको सब जगह प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। आप कहें तो मेरे पास बीसों आईटीआई की लिस्ट है, आप चाहें तो मैं इनको बोल सकता हूं। (व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मंत्री महोदय, मुझे तो सिर्फ वित्तीय स्वीकृति की नीति बता दें, क्या इनकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ××× ...(व्यवधान)

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): आप मेरा जवाब सुन लें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको मैंने परमीशन दी ही नहीं फिर क्यों चालू हो गई? यूं नहीं। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मैंने कोई असंसदीय शब्द नहीं बोला है।

श्री रामकिशोर सैनी (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): मैं यह पढ़ सकता हूं, मेरे पास यह लिस्ट है।

(12.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) पढ़ सकता हूं, मेरे पास में लिस्ट है, मौजूद है हाथ में, हमने जो 20 आई टी आई खोले हैं राजस्थान के अन्दर, उनमें बसवा है, सिकराय है, गंगापुरसिटी है, चौथ का बरवाड़ा है, चौहटन है, लक्ष्मणगढ़ है, सुवेटा है, चित्रावास है, पीपलखूंट है, नवलगढ़, टाटोटी, जायल, नावां, बिलाड़ा जो आपका है, भोपालगढ़, मण्डोर, भदेसर, गोपालगढ़ और बांसवाड़ा, ये 20 आई टी आई के केन्द्र हैं।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्री अनिल जैन, सदस्य की ओर से प्रदेश के सरकारी तथा अनुदानित स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावास आदि गृहों को अनुदानित कीमत पर गेहूं व अन्य सामग्री उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।
2. श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती में हुई कथित अनियमितता के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

3. डा. जसवंत सिंह यादव एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में राजकीय महिला महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

4. डा. फूलचन्द भिण्डा एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से सरकारी कालेजों में कार्यरत व्याख्याताओं को यूजीसी की अनुशंसा के बावजूद सेवा का लाभ न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री बहादुर सिंह एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर के बागरैन के 33 केवीए के जीएसएस को बिजली सप्लाई भीमनगर के स्थान पर हिण्डौन से करने के सम्बन्ध में।

6. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से कोटा नगर निगम क्षेत्र व रामगंजमण्डी में गन्दे पानी की वजह से फैली पीलिया बीमारी से एक की मौत होने के सम्बन्ध में।

मंत्रीजी, आप तो बहुत वरिष्ठ मंत्री हो ...(व्यवधान)

7. श्री राजकुमार रिणवां एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से इंदिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर के सेक्टर 8 में स्थित कुए एवं बालाजी मंदिर की जमीन का अधिग्रहण कर आवासीय योजना में उपयोग करने के सम्बन्ध में।

8. श्रीमती अनिता भदेल एवं चार अन्य सदस्यों की ओर से अजमेर के गांधी नगर पहाड़गंज में 1952 में पाकिस्तानी विस्थापितों को दिये 164 आवासों के लोगों को अजमेर नगर निगम द्वारा मालिकाना हक नहीं देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री बाबूलाल खराड़ी एवं एक अन्य सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के वन क्षेत्र में आने वाले गांवों में सड़कें नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से राज्य में गत चार वर्षों में महिला अत्याचार विशेष रूप से दुष्कर्म की घटनाओं में वृद्धि होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाय, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं।

11. श्री ओटाराम देवासी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सिरोही के

(श्री अध्यक्ष)

राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्रीमती अनीता सिंह, सदस्य की ओर से जिला परिषद्, भरतपुर में निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत कार्यरत एक महिला का ए.सी.ई.ओ. द्वारा तीन माह का वेतन रोक लेने एवं वेतन के बदले अस्मत मांगने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

13. श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से ब्यावर से पिण्डवाड़ा फोर लेन रोड क्रासिंग जालिया-प्रथम के पास ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में।

14. श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से पंचायत समिति खमनोर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में नियुक्त 10 रोजगार सहायकों को बिना कारण बताये अचानक नौकरी से हटा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी मा0 सदस्य श्री ओटाराम देवासी, श्रीमती अनीता सिंह, श्री शंकर सिंह रावत एवं श्रीमती किरण माहेश्वरी को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री ओम बिरला, सदस्य की ओर से कोटा शहर की जीर्णशीर्ण व अधूरी सीवरेज प्रणाली के कारण जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

2. श्री बहादुर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वैर की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में।

3. श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से कस्बा चौमूं को बीसलपुर जल योजना से जोड़ने के सम्बन्ध में।

4. श्री जगसीराम कोली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री अजय सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांजू एवं बुटाटी के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

6. डा. गोपाल जोशी, सदस्य की ओर से बीकानेर के पीबीएम ग्रुप अस्पताल में विभिन्न रोगों के इलाज की व्यवस्था सुचारु नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री प्रभुलाल सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की ग्राम पंचायत बड़गांव की सिवायचक कृषि भूमि का आबंटन तथा नियमन करने के सम्बन्ध में।

8. श्रीमती कमला कस्वां, सदस्य की ओर से सादुलपुर में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

9. श्री विजय बंसल, सदस्य की ओर से भरतपुर शहर की टूटी हुई सड़कों का अतिशीघ्र नवीनीकरण कर दुरुस्त करने के सम्बन्ध में।

10. श्री कैलाश चन्द भंसाली, सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के समस्त सार्वजनिक पार्कों का सौन्दर्यीकरण करने के सम्बन्ध में।

11. श्री रामलाल गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में पुलिस चौकी एवं पुलिस सी.ओ. सर्किल, सी.आई. पोस्ट स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

12. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से जोधपुर के श्री जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में की गई नियुक्तियां तत्काल रद्द करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री ओटाराम देवासी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सिरोही के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मेरे सिरोही विधान सभा क्षेत्र में डाक्टरों के रिक्त पदों से आम जन को हो रही भारी समस्या की ओर आपके माध्यम से व आपकी जानकारी में लाते हुए डाक्टर लगाने की चर्चा करता हूं।

महोदय जी, सिरोही विधान सभा क्षेत्र में राजकीय अस्पताल में डाक्टरों के अधिकांश पद लम्बे समय से खाली पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखें। माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाये रखें, अपनी-अपनी सीटों पर विराजें, कृपया विराजें। मंत्रीजी।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): लेकिन राज्य सरकार आज दिन तक एक भी डाक्टर नहीं लगा पाई है।

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): महोदय, सिरोही जिला मुख्यालय के सार्वजनिक अस्पताल की बात करें तो यहां के डाक्टरों के प्रमुख पद लम्बे समय से खाली हैं जिसमें आर्थोपेडिक्स...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उनको तो समझाओ साहब, कि अपनी सीटों पर रहें। अध्यक्ष महोदय, इन मंत्रियों को तो समझाओ, ट्रेजरी बैंचेज को कि अपनी सीटों पर रहें ...(व्यवधान) इनको समझाओ कि अपनी-अपनी सीटों पर रहें ...(व्यवधान) अपने चेम्बर में जाकर काम करें, कितने गम्भीर विषय माननीय सदस्य उठा रहे हैं, हमें कहां मिलता है मौका, अध्यक्ष महोदय, शून्य काल में मौका मिलता है कुछ कहने का। ये गम्भीर ही नहीं हैं, यहां अपने चेम्बर में जाएं, आपको चेम्बर मुहैया करा रखे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप उनको बोलने ही नहीं देना चाहते ...(व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): रेडियोलोजिस्ट, पेथोलोजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ जिसमें 15 में से 12 कनिष्ठ विशेषज्ञ तथा 12 में से 7 चिकित्सा अधिकारियों के पद खाली पड़े हैं। इसी प्रकार से, सिरोही विधान सभा क्षेत्र के शिवगंज शहर के ब्लाक स्थित अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पद लम्बे समय से खाली पड़ा है एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय अस्पतालों की बात करें तो खाली पड़े डाक्टरों के पदों में चार साल में एक भी पद को नहीं भरा गया है।

महोदय, जिला मुख्यालय अस्पताल में चिकित्सकों के रिक्त पदों में विशेष रूप से स्त्री रोग विशेषज्ञ, पेथोलोजिस्ट, रेडियोलोजिस्ट, शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी के कारण सिरोही के दिन में सैकड़ों रोगियों की 60 से 70 छोटी-मोटी गाड़ियां पालनपुर, मेहसाणा गुजरात जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा सिरोही जिला अस्पताल में डाक्टर लगाने की जो सूची थमाई, उसमें जिला अस्पताल में नियुक्त 11 डाक्टरों ने ज्वाइन ही नहीं किया तो लगाने का क्या अर्थ निकला? जिसे सरकार नियुक्ति मान रही है लेकिन वास्तविकता यह है कि लोगों की समस्या ज्यों की त्यों है। विधान सभा क्षेत्र में शिवगंज और कालींदरी में डाक्टरों के पद खाली पड़े हैं। जिले के 6 में से 5 सीएचसी सेंटर पर तीन-तीन डाक्टर लगाये गये जब कि सबसे पुरानी उप तहसील मुख्यालय कालिंदरी सीएचसी पर मात्र एक ही डाक्टर लगा हुआ है जिसके कारण ग्रामीण

(श्री ओटाराम देवासी)

क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है एवं आम जन को चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है।

महोदय, राज्य सरकार नि:शुल्क जांच योजना लागू करने जा रही है। मेरा निवेदन है कि पहले जांच करने वालों को लगाओ और बाद में योजना लागू करो। सिरोही में सोनोग्राफी मशीन महीनों से ताले में बंद पड़ी है क्योंकि ताला खोलने वाला नहीं है। ब्लड बैंक जिला मुख्यालय पर ब्लड बैंक पेथोलोजिस्ट के अभाव में बंद होने के कगार पर है, कैसे नि:शुल्क जांच हो रही है? महोदय, आम जन के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। सिरोही विधान सभा क्षेत्र में आम जन को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होने को देखते हुए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा विधान सभा में धरने पर बैठने की पूर्व में भी सूचना दी गई। अगर सिरोही जिला मुख्यालय अस्पताल में आर्थोपेडिक्स व शिशु रोग विशेषज्ञ, शिवगंज में स्त्री रोग विशेषज्ञ, पालड़ी में सर्जन तत्काल नहीं लगाये जाते हैं तो अभी मैं धरने पर बैठने को तैयार हूं।

(12.08 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

अगर सरकार सिरोही विधान सभा क्षेत्र में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध नहीं करवा सकती तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सिरोही जिले को या तो गुजरात से जोड़ दो ताकि यह समस्या खतम हो जाए, सिरोही जिले को पूरे को, गुजरात को दे दो ताकि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान हो सके। मैं आपके माध्यम से आज ही मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी या तो डाक्टरों की व्यवस्था करो, नहीं तो मैं पूरे जिले की तरफ से धरने पर बैठने को तैयार हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, माननीय सदस्य दो-तीन बार वैल में भी आए, हमने इनको यहां वापस अपनी सीट पर भेजा। वास्तव में सिरोही जिले में 15 पदों में से 12 पद अगर डाक्टरों के खाली हों तो हास्पिटल कैसे चलेगा और वहां के लोगों का इलाज कैसे होगा, एकाध पद खाली हो तो समझ में आ सकता है।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): पूरे जिले की यही स्थिति है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सारे के सारे पद खाली हैं, आज की तारीख में दोनों शिवगंज में भी और सिरोही में भी, दो बार माननीय सदस्य वैल में आकर के यहां भेजा हमने इनको वापस कहा कि आप अपनी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बात को किसी न किसी माध्यम से रखें और मंत्री महोदय आप जो कुछ भी आपके पास है, आज की तारीख में उसी को घुमाना पड़ेगा लेकिन कम से कम अति आवश्यक एक डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर है, दो सीटें वहां रिजर्व सीटें हैं, गरीब व्यक्ति उस एरिया में रहते हैं, अधिकांश ट्राइबल लोग हैं और वास्तव में उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, निश्चित रूप से जो भी आपके पास उपलब्ध है, जहां से भी, वहां से कम से कम कुछ भेजकर के कुछ स्थानों की पूर्ति तो करो ताकि माननीय सदस्य को जो पीड़ा है। और पहले दिन, जिस दिन से हाउस चला, उस दिन से लेकर लगातार इसी विषय को वो विभिन्न माध्यमों से इस सदन में उठाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी भी प्रार्थना है कि उनकी जितनी आवश्यकता की पूर्ति आज की स्थिति में जो कुछ आपके पास उपलब्ध है उसे आप करने के लिए जरूर कहें तब तो ठीक है नहीं तो माननीय सदस्य यहां वैल में आकर धरने पर बैठेंगे तो वो स्थिति ठीक नहीं है। उनके लिए तो यह मजबूरी है क्योंकि उनको अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब देना पड़ता है लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारा कोई माननीय सदस्य यहां आकर वैल में बैठकर इस तरह की स्थिति को लाये।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): मंत्री महोदय, जवाब दो अभी।

श्री जगसीराम (रेवदर): आबू रोड, रेवदर और पूरे ट्राइबल एरिया में यही स्थिति है।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): यह पूरे सिरोही जिले का मैटर है।

श्री सभापति: आप क्यों बोल रहे हो माननीय सदस्य? आप विराजो। आप विराजो।

श्री जगसीराम (रेवदर): यह पूरे सिरोही का मामला है। आबू रोड, रेवदर, पूरे जिले का है। इनके साथ मैं भी धरने पर बैठूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। आप तो विराजो। अनुमति सिर्फ माननीय सदस्य को दी गई है, आपको नहीं दी गई है अनुमति। (व्यवधान) आप विराजो। (व्यवधान)

श्री जगसीराम (रेवदर): मंत्रीजी से जवाब दिलवायें। पूरे सिरोही जिले की स्थिति है।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): मंत्रीजी, जवाब दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। किसी का भी अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): ×××

श्री सभापति: आप तो विराजो। मंत्रीजी बोल रहे हैं आप विराजो। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं न, आप तो विराजो। (व्यवधान) आप विराजो।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री सभापति: आप तो विराजो। आप विराजो। मैं आपको अलाउ कर ही नहीं रहा हूं। आप तो विराजो। (व्यवधान) मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं माननीय सदस्य का। आप विराजो।

श्री जगसीराम (रेवदर): ×××

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के नेता महोदय। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। मैं फिर मंत्रीजी को जवाब देने के लिए बाध्य भी नहीं करूंगा। (व्यवधान) आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं मंत्रीजी का। आप विराजो। विराजिये आप। मंत्री महोदय। आप विराजिये माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो अभी अपनी बात रखी है और माननीय कटारिया जी ने जो इसके लिए अभी मुझे कहा है तो मैं इनको आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहली अक्टूबर, 2009 से अब तक हमने 90 डाक्टरों की पोस्टिंग सिरोही में कर रखी है। जहां तक आगे आने वाले समय की आप जो बात फरमा रहे हैं तो अभी कुछ दिन पहले ही हमने एक हजार डाक्टर्स की भर्ती की है और उसमें जैसे ही हमारी सूचना पूरी हो जाएगी तो उसमें से जरूरी आपके हम पोस्ट कर देंगे। वहीं नहीं, और जहां भी कमियां हैं वहां भी पूरी कर देंगे। (व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): ×××

श्री सभापति: आपका जवाब आ गया माननीय सदस्य। आप विराजो। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री सभापति: आप तो विराजो। श्रीमती अनीता सिंह। श्री शंकर सिंह रावत।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री सभापति: मैं आपका नाम पुकार रहा हूं और आप बोल ही नहीं रही हैं। आप विराजो माननीय सदस्य। आप विराजिये। आपका नाम मैंने तीन बार पुकारा। अनीता सिंहजी। (व्यवधान) आप तो विराजो। आप यहां क्या करने आ गये? उन्होंने आश्वस्त कर दिया सदन को। आपको और प्रतिपक्ष नेता महोदय, सब माननीय सदस्यों को समाहित करते हुए उन्होंने कह दिया तो उसके बाद क्या बचता है? (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): सभापति महोदय, आप हाउस को तो आर्डर में लाइये।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री सभापति: जब आश्वस्त कर दिया, सदन में उन्होंने आश्वासन दे दिया कि एक हजार डाक्टर्स की और भर्ती हो रही है उसमें लगा दिया जाएगा। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता महोदय, सदन के अन्दर आपकी बात को भी उन्होंने समाहित करते हुए सारी बात कह दी और सदन में आश्वासन दे दिया है कि एक हजार चिकित्सकों की अब भर्ती हो रही है उसके अन्दर लगा दिये जाएंगे। सभी के लिए कहा है। आप सहित सभी के लिए कहा है। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, चिकित्सकों की जो कमी है इसीलिए तो सरकार भर्ती कर रही है और उन्होंने कह दिया कि एक हजार चिकित्सकों की भर्ती हो रही है। पूरे सदन को उन्होंने आश्वस्त किया है कि सारे जो चिकित्सालय हैं और जहां पर आवश्यकता है उन सभी को भर दिया जाएगा। आप सहित सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त किया है, पूरे सदन को आश्वस्त किया है फिर आप क्या चाह रहे हो? ऐसा नहीं, माननीय सदस्य, आप पधारो। आप पधारो प्लीज। प्रतिपक्ष के नेता महोदय। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा माननीय सदस्य। माननीय सदस्य आपने कहा कि एक हजार चिकित्सकों की और भर्ती हो रही है, आप सभी के लिए उन्होंने कहा कि जहां भी रिक्त पद हैं वहां दे देंगे तो आज का आज तो आदेश निकलने से रहा। चिकित्सकों की भर्ती के बिना आप चाहो कि आज आदेश निकल जाए तो नहीं निकल सकता आदेश। (व्यवधान) बोल तो दिया चिकित्सा मंत्रीजी ने। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद में ही तो नियुक्तियां होंगी। आप पधारो, आप पधारो। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। आप पधारो। प्रतिपक्ष के नेता महोदय से अनुरोध कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: श्रीमती अनीता सिंह।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): सभापति महोदय, हाउस को आर्डर में लायें ताकि मैं अपनी बात को कह सकूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप सदन में ही थे न? जब मंत्रीजी ने जवाब दिया तब आप सदन में ही थे न? सदन को आश्वस्त किया है तो और क्या आश्वासन चाह रहे हैं आप? और क्या चाह रहे हैं आप? (व्यवधान) और क्या चाह रहे हैं आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप ऐसा करो, आप एक मिनट रुको। (व्यवधान) आप एक मिनट रुको। आप अगर अपने आसन पर जाएंगे तो मैं मंत्रीजी से वापस जो चिकित्सकों की भर्ती होगी उसके लिए पूरे सदन को आश्वस्त करा देता हूं। आप आसन पर तो विराजो। (व्यवधान) आप खड़े रहो यह नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) आप बोलते जाओ, कुछ भी अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने आसन पर पधार जाओ नहीं तो आप बोले जाओ। (व्यवधान) आप बोले जाओ फिर। (व्यवधान) आपका तो आ रहा है न माननीय सदस्य। (व्यवधान) आप इनको वहां वापस पहुंचाओ। आपने जो बात रखी है, उन्होंने जो बात रखी है उसका वापस जवाब दिलवा देता हूं पर आप उनको कहो कि वापस वहां पहुंचे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। (व्यवधान) मैं पूरे सदन को आश्वस्त करवा रहा हूं, आप अपने आसन पर तो पधारो। (व्यवधान) आप अपने आसन पर तो पधारो, मैं जवाब दिलवा रहा हूं। मैं आश्वस्त करवा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री सभापति: आप पधारो अपने आसन पर, मैं अभी जवाब दिलवा देता हूं। आप पधारो तो सही। आप पहले आसन पर पधारो। (व्यवधान) इस

(श्री सभापति)

तरह से आप व्यवधान करो और आप चाहें कि मंत्रीजी जवाब दें वह मैं किसी हालत में उस व्यवस्था को पसन्द नहीं करूंगा। आप अपने आसन पर पधारो। मैं दिलवा दूंगा जवाब। आप पहले पधारो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री सभापति: श्रीमती अनीता सिंह। (व्यवधान) श्रीमती अनीता सिंह। आप बोलना चाहती हैं?

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): सभापति महोदय, मैं बोलना चाहती हूं। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये माननीय सदस्य, आप विराजो। विराजो, विराजो।

भरतपुर जिला परिषद के अधीन कार्यरत महिला द्वारा यौन शोषण की शिकायत का प्रकरण

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): आप हाउस को तो आर्डर में लाओ सभापति महोदय। सभापति महोदय, आज महिला दिवस है। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे राजस्थान की महिलाओं को और सारे प्रदेश को महिला दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं।

उसके साथ-साथ महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार के उत्पीड़न होते हैं, उसके ऊपर मैं अपनी बात भी रखना चाहती हूं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह सदन को बताना चाहती हूं कि एक महिला उत्पीड़न के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है Vishakha and others versus State of Rajasthan and others, 1997, this judgment came on 13.8.1997. Yet 15 years after the guidelines were laid down by this Court for the prevention and redressal of sexual harassment and their due compliance under Article 141 of the Constitution of India until such time appropriate legislation was enacted by the Parliament many women still struggle to have their most basic rights protected at workplaces. मेरा इसमें कहने का मतलब यह है माननीय सभापति महोदय, हमारे प्रदेश के अन्दर जो वर्किंग वीमन्स हैं, जो महिलाएं दफ्तरों में काम करती हैं चाहे सरकारी हो या निजी कार्यालय हों, उन कार्यालयों के अन्दर उन

(श्रीमती अनीता सिंह)

महिलाओं की सुरक्षा के लिए कि उनके साथ सैक्सुअल हरेसमेंट नहीं हो, इस सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है 1997 के अन्दर, हर सरकारी दफ्तर के अन्दर और हर निजी दफ्तर के अन्दर जहां भी महिलाएं काम करती हैं, वहां पर एक शिकायत कमेटी का गठन होना चाहिए, जिसके अन्दर अगर महिलाओं के साथ ऐसी कोई परेशानी उत्पन्न होती है तो वह वहां जाकर शिकायत कर सके। लेकिन जानने पर यह जानकारी आती है कि ऐसी शिकायत कमेटियां बहुत कम बनी हुई हैं तो उनकी वजह से महिलाओं का उत्पीड़न है, उनकी जो शिकायत है, वह सही समय पर दर्ज नहीं हो पाती और यदि दर्ज हो पाती है तो उसके ऊपर जो कार्यवाही होनी चाहिए जिस उचित माध्यम की, वह कार्यवाही नहीं हो पाती है।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि Rajasthan Civil Services Conduct Rules, 1971 उसके अन्दर भी इन्होंने प्रावधान किया हुआ है, ''Prohibition of sexual harassment of working women. No Govt. servant shall indulge in any act of sexual harassment of any woman at her workplace.'' यह कानून बनाया गया है 1971 में और इसमें बहुत सारे नोर्म्स भी दिये हुए हैं कि किन-किन चीजों को ये मानते हैं। उसके साथ जब यह बताया गया है कि ऐसी कोई शिकायत हो, कोई महिला अगर इस प्रकार की शिकायत करती है तो इसके लिए भी इन्होंने रूल के अन्दर बनाया हुआ है। इन्होंने लिखा है कि ''In particular, it should be ensured that the victims, or witnesses are not victimized or discriminated against while dealing with complaints of sexual harassment the victims of sexual harassment should have the option to seek transfer of the perpetrator or their own transfer." मैं यह निवेदन कर देना चाहती हूं कि जिन-जिन महिलाओं का, ऐसी वह शिकायत करती हैं और जिसके प्रति वह शिकायत करती हैं, उसका तुरन्त वहां से ट्रांसफर करना चाहिए। उसके पीछे यह भी योजना रहती है, यह मानस रहता है कि वह व्यक्ति अगर वहां पर रहेगा तो जांच में उसका असर होगा और जिस महिला ने अपनी शिकायत दी है, उस पर भी असर होगा और वह जांच ठीक प्रकार से नहीं होगी।

दूसरी बात यह की जाती है कि वह जो शिकायत कमेटी बनाई जाये, वह कमेटी ऐसी बनाई जाये जिसमें 50 प्रतिशत महिलाएं रहनी चाहिए यानी अगर आपने चार आदमी लिये हैं तो उसमें 50 प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए, तब जाकर उसकी शिकायत की जांच सही हो सकती है। उसकी जो चेयरमैन हो, वह भी महिला होनी चाहिए ताकि जो महिला अपनी सैक्सुअल हरेसमेंट की

(श्रीमती अनीता सिंह)

शिकायत करती है, उस महिला को अपनी बात कहने के लिए, वह आराम से अपनी बात कह सके और वह समझ सके कि भई, उसकी यह परेशानी है। उसकी परेशानी और शिकायत है, उसके ऊपर उसको न्याय मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो कम्प्लेंट्स हो रही हैं, एक तो हमारे पूरे प्रदेश के अन्दर सरकारी और निजी दफ्तर, जहां पर महिलाएं काम करती हैं, जो वर्किंग वीमन्स हैं, उनके लिए कोई शिकायत कमेटी होनी चाहिए जिसमें वह शिकायत दर्ज करा सके। जहां शिकायत कमेटी नहीं बनी हैं, मैं आपके माध्यम से यह चाहती हूं कि आज महिला दिवस है। सभापति महोदय, आज आप चेयर पर बैठे हैं। आपके माध्यम से मैं यह चाहती हूं कि आज यह आदेश यहां पर महिला दिवस पर हो कि पूरे प्रदेश की महिलाओं को कि शिकायत कमेटियां बने। जहां बनी हुई हैं, अच्छी बात है, लेकिन जहां नहीं बनी हुई है, उसके लिए आज की तारीख में आपके द्वारा आदेश हो कि सब जगह ऐसी कमेटियां बनें जहां सैक्सुअल हरेसमेंट होता हो और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है जो 15-16 साल पहले हो गया, उसको वहां पर बनाया जाये। जो बात मैं आपसे यहां पर कहना चाहती हूं...

श्री सभापति: आ गई बात आपकी माननीय सदस्या। आ गई ना बात आपकी।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मैं बात पर आ रही हूं सर, मैं आपको बताऊंगी तो सही ना कि किस रूल के अनुसार मैं बोल रही हूं। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहती हूं, मामला मैंने आपके सामने रखा है। महिलाएं जिस प्रकार से इस सरकार के अन्दर उत्पीड़ित हो रही हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हमारी लड़कियां पढ़ें, हम पढ़ाई-लिखाई की बहुत बात करते हैं कि हमारी बच्चियां बहुत पढ़नी चाहिए, हमारी बच्चियां अच्छी-अच्छी नौकरी में जानी चाहिए, सब बातें हम करते हैं लेकिन जब लड़कियां पढ़-लिखकर नौकरी पर लगती हैं तब उनके साथ जो उत्पीड़न होता है, उसके लिए यह सरकार बिलकुल ध्यान नहीं दे रही है, कांग्रेस की सरकार बिल्कुल अनदेखी कर रही है। सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, भरतपुर के अन्दर...

श्री सभापति: हो गया माननीय सदस्या।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): हो कहां गया सभापति महोदय, महिलाओं की बात सुनो ही नहीं आप। यह कोई बात थोड़े ही है।

श्री सभापति: और कितना बोलेंगी आप माननीय सदस्या? कितना और आप बोलेंगी माननीय सदस्या? (व्यवधान) बोल तो दिया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): महिला डैस्क हर थाने पर होने चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो विराजो। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, इन्होंने गम्भीर विषय उठाया है। शिकायत समिति बने, यह सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। (व्यवधान) उस आर्डर के तहत होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आज महिला दिवस है तो... (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): सरकार इतनी संवेदनहीन है कि बात ही नहीं सुनना चाहती। (व्यवधान) सरकार आश्वासन दे आज।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एक तरफ सरकार महिला सुरक्षा की बात करती है और... (व्यवधान) महिला सुरक्षा तभी हो सकेगी जब महिला शिकायत कमेटी बनाई जाये। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसलिए निवेदन है कि महिलाओं के लिए ऐसी कमेटी बनाई जाये। (व्यवधान) साड़ियां बांटने से कुछ नहीं होगा। महिलाओं को सम्मान दिलवाओ। (व्यवधान) माननीय सभापतिजी, सदन के नेता ने...

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): सभापतिजी, सरकार से आदेश दिलवाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप नहीं चाहेंगी कि आपकी माननीय सदस्या बोलें? मैं इनको तो कहूंगा कि आप बैठ जाओ। आप विराजो। (व्यवधान) आप इन माननीय सदस्याओं को तो कहें कि ये तो विराजें। ये मेरे कहने से तो बैठ नहीं रहीं, आप इनको कह दो।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): सब बैठ गईं, आपके कहने से बैठ गईं।

श्री सभापति: बैठ गईं? ठीक है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि भरतपुर जिला परिषद के अन्दर एक पीड़िता ने अपनी सैक्सुअल हरेसमेंट की शिकायत तीन महीने पहले दर्ज कराई कि उसके साथ यह-यह सब कुछ हुआ। उसके बाद उसकी जो कमेटी बनी, वह ठीक नहीं बनी। (व्यवधान) जो सैक्सुअल हरेसमेंट उसके साथ हुआ और उसकी जांच के लिए

(श्रीमती अनीता सिंह)

कमेटी नहीं बनी। एफआईआर भी बहुत मुश्किल से, मुख्य मंत्रीजी के पास उसने चार-चार, पांच-पांच चक्कर काटे, तब जाकर 10-15 दिन उसकी एफआईआर दर्ज हुई और मेरा कहना यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट में इस बात का उल्लेख है, जो आपके सिविल सर्विसेज रूल्स हैं, उसमें इस बात का उल्लेख है कि किसी के प्रति अगर ऐसी कोई शिकायत दर्ज होती है तो उस अधिकारी को वहां से हटाना चाहिए। मुझे बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है और बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसके खिलाफ शिकायत हुई। कांग्रेस की सरकार से बार-बार कहने के बाद भी उस अधिकारी को आज तक वहां से हटाया नहीं गया, जिसकी वजह से पीड़िता भी वहां परेशान है और उसमें जांच नहीं हो रही है...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): सभापति महोदय...

श्री सभापति: मंत्रीजी, आप एक मिनट बैठो।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मंत्रीजी, मैं दो मिनट में मेरी बात खतम करके, आप अपनी बात कहियेगा। मेरा कहना, मेरी आपसे सिर्फ इतनी मांग है कि उस महिला के साथ, उस लड़की के साथ जो अन्याय हुआ है। एक तो जो कानून के अनुसार है, वह होना चाहिए। इस बात को आप भी मानेंगे मंत्री महोदय, जिसकी शिकायत हो, उसको उस आफिस से हटा देना चाहिए जब तक कि उसकी शिकायत पूरी नहीं हो या जांच पूरी नहीं हो क्योंकि उसके रहने से जांच प्रभावित होती है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा दो चीजों की मांग करना चाहती हूं। एक चीज तो यह कि ऐसी शिकायत कमेटियां पूरे प्रदेश में, सारे सरकारी और निजी कार्यालयों में बननी चाहिए जिनसे महिलाओं को सुरक्षा मिल सके और दूसरी बात यह है कि उस आफिसर का, जिसके प्रति शिकायत दर्ज है, उसका वहां से ट्रांसफर हो। ट्रांसफर होने के बाद जो कमेटी आपने वहां बनाई है, जिसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, 50 प्रतिशत होना चाहिए, वह 50 प्रतिशत नहीं है, उसको बढ़ाया जाये और जो लड़की है, पीड़िता है, उसको न्याय मिल सके। इतनी गुहार मैं सभापति महोदय, आपसे और मंत्री महोदय, आप दोनों से करना चाहती हूं।

श्री सभापति: विराजो। मंत्रीजी। अब मंत्रीजी बोलें, थोड़ा शांति से आप सुन लेना।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): सभापति महोदय, नगर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो विषय उठाया है, मैं उसी क्रम में निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमती रूचि फौजदार, इन्होंने अपने वेतन को समय से नहीं मिल पाने के क्रम में सम्बन्धित अधिकारी पर कुछ आरोप भी लगाये और उन आरोपों को लगाये जाने के ही क्रम में एक एफआईआर भी दर्ज की गई। मुकदमा नम्बर 940/2012, धारा 509 आईपीसी, पुलिस थाना मथुरा गेट, भरतपुर इस प्रकरण के दर्ज होने के साथ ही चूंकि इन्होंने यह शिकायत जिला कलक्टर को भी की, जिला कलक्टर के स्तर पर कार्यवाही करते हुए इस प्रकरण की जांच के लिए चार सदस्यों की एक समिति का भी गठन किया गया। माननीय सदस्य द्वारा जो हवाला दिया गया, जांच कमेटी में महिलाओं का पचास प्रतिशत प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस क्रम में, मैं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि चार सदस्यीय जो समिति है, समिति में श्रीमती वीना महावर, सहायक जिला कलक्टर, भरतपुर, उपनिदेशक महिला अधिकारिता विभाग, भरतपुर, श्रीमती ममता सिंघल, परीवीक्षा अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भरतपुर, श्री आलोक शर्मा, अध्यक्ष, बाल संरक्षण समिति, भरतपुर, यह सम्मिलित किये गये। तो यह महिला अधिकारी भी उस जांच समिति में, जिला कलक्टर ने उनको यह जिम्मेवारी दी और उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की 21.1.2013 को, इसमें जांच समिति ने यह पाया कि श्रीमती रूचि फौजदार की वेतन पत्रावली को अनुचित मांगों के लिए लटकाना या रोकना, यह प्रमाणित नहीं पाया गया और न ही जो आरोप लगाये गये....(व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजो अब। आप सुनना नहीं चाहती माननीय सदस्य। (व्यवधान) मंत्रीजी बोलेंगे तब तक आप विराजो।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरा यह कहना है जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत करी उसका स्थानांतरण नहीं किया गया और उसकी वजह से यह शिकायत जो है....

श्री सभापति: आप विराजिये। आप नहीं चाहते हो। आपने गम्भीर कोई प्रश्न उठाया है वह जवाब दे रहे हैं, आप उनका जवाब तो पूरा आने दो।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, जवाब दे रहे हैं लेकिन वह गलत तरीके से दे रहे हैं तो हम टोकें, रोकेंगे तो सही सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री सभापति: इस तरह से मैं माननीय सदस्य, देखो आप...(व्यवधान)

(श्री सभापति)
आपने जो प्रश्न उठाया, मंत्रीजी सारी की सारी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। (व्यवधान) आप नहीं सुनना चाह रहे?

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय सभापतिजी, जिसके खिलाफ शिकायत है वह बैठा रहेगा ...(व्यवधान) उस व्यक्ति को तीन-चार महीने से वहां से हटाया नहीं गया इस वजह से यह जांच जो है प्रभावित हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं, आपका संरक्षण चाहती हूं।

श्री सभापति: तो अब आगे बोलने तो दो आप इनको। आप बोलने दो न इनको। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, यह गलत प्वाइंट पर जा रहे हैं, इसीलिए मैंने बीच में टोका। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह आपका विषय नहीं है माननीय सदस्य, आपका नहीं है, आप विराजिये ना। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस समिति में जो गैर सरकारी सदस्य बनाया गया वह कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी है, सबसे बड़ी बात यह है। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एसीईओ को वहां से पद से क्यों नहीं हटाया जा रहा है । (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एसीईओ को पद से हटाया या नहीं, यह तो माननीय, हम बैठेंगे ना, महिला का इश्यू है....

श्री सभापति: आपको भी बोलना है, आप तो विराजो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बैठेंगे लेकिन पहले यह जो बात है उसके ऊपर मंत्री महोदय जवाब दें, माननीय सभापतिजी, यह महिला से सम्बन्धित विषय है, माननीय मंत्रीजी यह भी जवाब दें कि उस एसीईओ को उस पद से हटाया वह आज भी वहीं पर लगा हुआ है। (व्यवधान) सभापति महोदय, यह पंचायती राज मंत्री से....(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कृपया एक बात बता दें, यह कह रहे हैं कि यह जो रूचि फौजदार है उसको तीन-तीन महीने तक...(व्यवधान) आप कह रहे हैं वेतन देने में अनियमितता नहीं की तो तीन महीने तक वेतन क्यों नहीं

(श्री अमराराम)

दिया गया, क्या उस सीईओ और एसीईओ के द्वारा तीन महीने तक वेतन नहीं देने का क्या कारण था।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): वह बात भी आयेगी, बात सुनेंगे तब आयेगी। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): और उसको वहां से हटाया क्यों नहीं गया...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप इनको पूरा सुन तो लो। आप सुन तो रहे नहीं हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, यह जो एसीईओ है सुरेश चन्द, इस एसीईओ को वहां से हटायेंगे तभी तो जांच हो पायेगी, नहीं तो उस जांच को प्रभावित करेगा। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): जवाब जो है वह जवाब गोलमोल दे रहे हैं।

श्री सभापति: पूरी बात तो आने दो। पूरी बात तो उनको करने दो। (व्यवधान) यह सदन में इस बात को गम्भीरता लेकर के बात कर रहे हैं और आप उनको बीच में टोक-टोक करके बैठा करके पूरी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसे कैसे चलेगा सदन। (व्यवधान) मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं सरकार की ओर से, तो आपको सुनना चाहिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार के मंत्रीजी दो बात बता दें, एक तो...

श्री सभापति: तो आगे बोलने तो दो। आप यह बोल रहे हैं उसके पहले आप सब खड़े हो जाओ तो यह जवाब ही नहीं देंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वही तो कह रहा हूं।

श्री सभापति: तो फिर आप विराजो न।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हम तो पहले यह सुनना चाहते हैं कि एसीईओ जो वहां तैनात है उसको हटाया गया कि नहीं हटाया गया वहां से।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, सेक्सुअल हरेसमेंट में कोई भी कार्यवाही नहीं होगी अगर पुलिस के अधिकारी एफ.आई.आर... (व्यवधान)

श्री सभापति: इनको बोलने तो दो। (व्यवधान) इनको तो बोलने दो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): तीन-तीन महीने रूचि फौजदार को तनख्वाह नहीं देना, मंत्रीजी यह भी बतायें कि उसमें पैसे नहीं थे क्या, तीन महीने किस बात के लिए रोका गया।

श्री सभापति: आप पूरी बात तो आने दें ना। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आप बोलने देंगे माननीय सदस्य तब बात आयेगी ना। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो विराजो न, यह बोल रहे हैं, तो आप रूको तो सही। आप सुनिये तो सही। (व्यवधान) जवाब तो आने दो पूरा। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): जवाब गलत देंगे तो....

श्री सभापति: तो आप विराजो।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न पुन: उठाया गया है माननीय अमरारामजी साहब विधायक महोदय के द्वारा भी, मैं सबसे पहले तो आपकी जानकारी में एक यह लाना चाहता हूं कि वह कार्मिक संविदा पर कार्यरत है और ...(व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): चाहे संविदा पर है, किस पर भी है, महिला अगर काम करती है तो...(व्यवधान)

श्री सभापति: तो आखिर सुनने तो दो न आप। (व्यवधान) आप सुनो तो सही पहले।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): आप अपनी जानकारी चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? मैं, सभापति महोदय...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप सुनो तो सही पूरी बात को।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सेक्सुअल हरेसमेंट किया जायेगा....

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): जो महिलाएं काम करती हैं उन पर तो ज्यादा दबाव रहता है...(व्यवधान)

श्री सभापति: सुनने का माद्दा तो रखो। मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): सभापति महोदय, दौराने अनुसंधान मुस्तगीसा के बयान लिये गये, कार्यालय जिला परिषद, भरतपुर के रिकार्ड एवं अन्य पत्रादि प्राप्त किये गये।

श्री सभापति: आप सुनिये। इस शोरगुल के अन्दर जवाब ही नहीं आ पायेगा।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): अभियोग में आरोपी श्री सुरेश चन्द, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं श्री ज्ञानचन्द गोयल, लेखाधिकारी से तफतीश की गई। जिला परिषद से अन्य सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त किया गया। तफतीश से पाया गया कि परिवादिया कार्यालय जिला निर्मल भारत अभियान, भरतपुर में जिला समन्वयक के पद पर संविदा पर कार्यरत है जिसके वेतन भुगतान हेतु सम्बन्धित कार्यालय-राजस्थान सरकार से पूर्व स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होता है, इसी कारण वेतन भुगतान में विलम्ब हुआ था। (व्यवधान) इस सब के क्रम में...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): और सब के वेतन भुगतान समय पर हो रहे हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति: इनका सुनने तो दीजिये, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): इस विषय की जांच कराये जाने के लिए जिला कलक्टर ने अपने स्तर पर एक समिति का गठन किया जिस समिति में वहां के उच्च पदस्थ अधिकारी जिसमें महिला अधिकारीगण भी शामिल हैं उन्होंने जांच की और जांच में यह जो आरोप लगाया गया इस आरोप को निराधार पाया गया। वहीं थाने में दर्ज प्रकरण में भी इस आरोप को मिथ्या पाया गया। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): यह बिलकुल उस महिला के साथ अन्याय है। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उस आदमी को, एसीईओ को हटाया नहीं....(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया माननीय सदस्य, आ गया। आप विराजो। (व्यवधान) आप विराजो, आप विराजो। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह सारी मेनिपुलेटेड कार्यवाही की गई है, मैं सभापति महोदय, आपको कहना चाहूंगी...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) श्री शंकर सिंह रावत।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ××× (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत। (व्यवधान) श्रीमती किरण

(श्री सभापति)

माहेश्वरी। श्रीमती किरण माहेश्वरी। (व्यवधान) आप बोलेंगे? मैंने आपका नाम पुकार दिया है। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बोलेंगे। यह जो महिला के साथ में दुराचार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करवायें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ××× (व्यवधान)

श्री सभापति: अच्छा, आप विराजो, एक मिनट आप विराजो। अच्छा, मेरे को बोलने दो, आप विराजो। हां, मैं व्यवस्था, एक मिनट विराजो आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ××× (व्यवधान)

श्री सभापति: आप तो हमारे सबसे वयोवृद्ध हो, आप विराजो। (व्यवधान) आप विराजो। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो तो सही आप। यह महिला, महिला को ही नहीं बोलने दे रही हैं। आप तो विराजो। आपका है न, आप तो विराजो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: आप विराजो, विराजो आप।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: यह प्रश्न आपका है कि आपका है? आप तो विराजो फिर।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री सभापति: आप तो विराजो न, वह बोल रही हैं माननीय सदस्य, विराजो आप। (व्यवधान) अच्छा, आप विराजो, एक मिनट, माननीय सदस्य, आप विराजो, आप विराजो, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के नेता महोदय, सरकार में आप लोग भी रहे हैं, हर चीज की शिकायत की जांच जब जिला प्रशासन के ध्यान में आती है जिला कलक्टर को की जाती है, जिला कलक्टर ने तीन माननीय जो महिला अधिकारी हैं उनको शामिल किया, एक पुरुष अधिकारी शामिल हुआ, अब उनकी जांच की रिपोर्ट की तथ्यात्मक आधार पर ही तो कार्यवाही होगी, बिना तथ्यों के, अगर उनको माना जाता कि हां, शिकायत बिलकुल वाजिब है तो सरकार उसके ऊपर कार्यवाही करती। जब उन्होंने, तीन माननीय जो महिला सदस्य हैं, महिला दिवस पर यह बात कर रहे हैं तो तीन माननीय महिला सदस्य उसके अन्दर थीं जो अधिकारी भी हैं, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा की अधिकारी भी हैं, उन्होंने कर ली, फिर भी अगर कोई शिकायत है, फिर पुन: जिला कलक्टर को दिला दो आप, फिर जांच हो जायेगी। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ××× (व्यवधान)

श्री सभापति: अब विराजें। अब आप विराजो। (व्यवधान) अब किसी का अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के ध्यान में यह विषय भी लाना चाहता हूं कि उक्त प्रकरण की शिकायत 12.11.2012 को राज्य महिला आयोग को भी की गई है उनके द्वारा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलना चाहती हैं? नहीं तो मैं....(व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने कह दिया है अब आपका अंकित नहीं होगा। आप विराजो ...(व्यवधान) आप अगर वापस और कोई जांच तो आप दे दीजिए जिला कलक्टर को, महिला आयोग को दे दीजिए, मुख्य मंत्री को दे दीजिए, गृह राज्य मंत्री को दे दीजिए।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): सभापति महोदय, इसकी

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

शिकायत महिला आयोग को भी उक्त कार्मिक द्वारा की गई है 12.11.2012 को और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की प्रमुख भी महिला हैं।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ×××

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: आप विराजें, माननीय सदस्य आप क्या चाह रहे हो और? जांच चाह रहे हो? हो जाएगी जांच, मैं आश्वस्त कर रहा हूं आपको, आप गृह राज्य मंत्री को लिखकर के दे दीजिए फिर जांच हो जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने इस संवेदनशील विषय पर पुन: जांच करने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिया और हमें उम्मीद है कि जांच से पहले सम्बन्धित अधिकारी को हटा दिया जाएगा। हमें उम्मीद है आपसे, अब जांच तो दुबारा हो जाएगी।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी। अब आप विराजें।

खमनौर पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में नौकरी से हटाये गये रोजगार सहायक

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, एक अति महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने रखना चाहती हूं। जिला राजसमन्द में खमनौर पंचायत समिति है वहां पर नरेगा के रोजगार सहायकों का चयन ग्राम पंचायतों में नियमानुसार चयन प्रक्रिया से रोजगार सहायक अनुबंध पर लगाये गये अप्रैल 2008 में और यह अप्रैल 2008 में नरेगा रोजगार सहायकों को लगाया गया था पंचायत समिति खमनौर में वह चालीस लोग थे ऐसे जिनको लगाया गया था। एक आदेश निकला 17.8.2009 को जिला कार्यक्रम समन्वय एवं जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा जिसमें बिना कोई कारण बताये दस रोजगार सहायकों को हटा दिया गया और यह कहा गया कि 31.5.2009 से यह जो अनुबंध पर लगाये गये थे, एक साल हो गए उनको और इनका अनुबंध अब समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन उसमें कोई कारण नहीं बताया गया है। जब हमने आरटीआई के तहत इसकी सूचना मंगवाई कि क्या कारण रहा कि इनको हटाया गया? तो खमनौर पंचायत समिति से एक पत्र हम लोगों को मिला। जो 8.6.2009 का एक आदेश है उस आदेश में इन्होंने कहा कि कार्मिक के अनुबंध के सम्बन्ध में विषयान्तर्गत निवेदन है कि पंचायत समिति खमनौर में नरेगा कार्मिकों को अनुबंध पर निम्नलिखित सूची अनुसार इनका

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

समाप्त हो रहा है। अत: आपसे निवेदन है कि समस्त कार्मिकों को अनुबंध पर एक वर्ष के लिए इनको बढ़ाये जाने की कृपा करें। यह जो एक साल का समय समाप्त हो रहा है तो एक साल और इनको कन्टीन्यु किया जाए, ऐसा खमनौर पंचायत समिति का आर्डर है। इसमें सभी का जो नाम लिखा गया है उनके आगे इनकी टिप्पणी में लिखा गया है कि इनके कार्य संतोषप्रद हैं। सभापति महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यही जब हमने जिला परिषद से सीईओ जिला परिषद राजसमंद को पत्र लिखकर सूचना मांगी की कि क्यों इन्हें हटाया गया है? तो उन्होंने एक आदेश हमारे हाथ में थमाया जो आदेश वहीं 8.6.2009 का है और आदेश के अन्दर पर्टिकुलर दस लोगों का नाम जिनका मैं पढ़कर के सुना रही हूं कोठारिया के हैं पुष्पा प्रभुलाल सांवरिया जो बीपीएल में आती हैं उसके आगे लिखा गया कि इसका कार्य असंतोषप्रद है। गुंजोल में करणसिंह सज्जनसिंह झाला जिसके नाम के आगे लिखा गया टिप्पणी में असंतोषप्रद। झालों की मदार के हरिश्चन्द्र ईश्वरलाल रोजगार सहायक जो बीपीएल के हैं उसके नाम के आगे भी टिप्पणी में लिखा गया असंतोषप्रद। बागोल के योगिता माली पत्नी पन्नालाल माली वह भी विकलांग हैं और उसके नाम के आगे भी लिखा गया असंतोषप्रद। बामनहेड़ा गीता लोहार पत्नी नंदलाल लोहार रोजगार सहायक उसके नाम के आगे भी लिखा गया असंतोषप्रद। बिलोता की ललिता राजमल डांगी रोजगार सहायक हैं उसके नाम के आगे भी लिखा गया असंतोषप्रद। भैसाकमेण के निर्भय सिंह राठौड़ मेघसिंह उनके नाम के आगे भी लिखा गया असंतोषप्रद। गोवर्धनसिंह, किशनसिंह सिसोदिया जो सिस्वी के हैं उनके नाम के आगे भी असंतोषप्रद लिखा गया है और बीपीएल के हैं वह भी। उठारड़ा के देवराजसिंह मंगलसिंह चौहान जिसके नाम के आगे असंतोषप्रद लिखा गया और करौली के राजेन्द्र सिंह भैरूसिंह झाला उनके नाम के आगे भी असंतोषप्रद लिखा गया और बीपीएल की सूची में आते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि एक ही आदेश है, एक हमें मिलता है पंचायत समिति खमनौर से जिसमें इन सबके आगे लिखा गया है संतोषप्रद और एक वही सेम आदेश जिला परिषद से जब हम निकलवाते हैं तो वह आदेश उसी तारीख का और उस आदेश में संतोषप्रद के आगे अ शब्द एड किया गया है। जिसको कि ओवर राइटिंग के, आप अगर फोटो कापी देखेंगे, यह सत्यप्रतिलिपि है जिसके अन्दर आ जाएगा कि यह संतोष का अ लगाया गया है उसके आगे। यह जो दो सूचियां हैं एक ही तारीख की, एक ही आदेश, एक पंचायत समिति में कहते हैं कि संतोषप्रद, जिला परिषद से वही सूची निकालते

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

हैं तो कहते हैं कि असंतोषप्रद। इसलिए मैं चाहूंगी कि हमारे पंचायती राज मंत्री यहां पर विराजमान हैं, यह इस बात का क्लियरिफिकेशन करें कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है? क्योंकि मेरे द्वारा एक पत्र कलक्टर को भी, आपको भी और मुख्य मंत्रीजी को भी इस संदर्भ में लिखा गया था कि यह दस रोजगार सहायकों को बिना कोई कारण के इनका अनुबंध समाप्त कर दिया गया और जब हमने कारणों का पता लगाया तो जिला परिषद ने हमें कहा कि असंतोषप्रद कार्य रहा। जबकि पंचायत समिति खमनौर यह लिखकर के दे रही है कि इनका कार्य संतोषप्रद है। वहां जो ग्राम पंचायतों के सरपंच हैं उनकी कापी भी मेरे पास है। ग्राम पंचायत सिस्वी के द्वारा लिखा गया है कि यह जो व्यक्ति हैं इन्होंने नाम लिखा है यह बीपीएल की सूची में आते हैं और इनका कार्य संतोषप्रद है इसका हम प्रमाणित करते हैं। इसी तरीके से भैसा कमेण के ग्राम पंचायत के सरपंच ने भी लिखकर के दिया है। ऐसे सभी सरपंचों के भी लैटर्स मेरे पास में हैं जिसमें सरपंच कह रहे हैं कि यह ग्राम रोजगार सहायक जो हैं इसका कार्य संतोषप्रद है इसे कन्टीन्यु किया जाए। लेकिन जिला परिषद के अन्दर कैसा मैन्युपुलेशंस हुए हैं कि वह इस सूची में संतोषप्रद के आगे अ शब्द एड करके असंतोषप्रद किया गया है।

श्री सभापति: वह तो आपने बोल दिया है माननीय सदस्य, यह आ गया है ध्यान में, मंत्रीजी सुन रहे हैं सारी बात आ गई ध्यान में, आपकी बात आ गई है पूरी ध्यान में, अब आप मंत्रीजी को सुनना चाहते हैं? जो आपने अभी बात उठाई है वहीं बात चाह रहे हैं न तो आप विराजें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं मंत्रीजी से चाहूंगी कि वह इसको क्लियर करें।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह भर्ती पंचायत अपने स्तर पर ग्राम सभा के माध्यम से करती है और यह पूर्ण रूप से संविदा पर हैं। अब माननीय सदस्य, संतोष और असंतोष दो बातों के ऊपर अपनी बात कह रहे हैं। सरपंच साहब ही इनकी हाजिरी वैरिफाई करते हैं, वहीं इनको भुगतान करते हैं और वह इनके कार्य से संतुष्ट हैं या नहीं हैं उसका निर्धारण भी वही करते हैं। और जिला परिषद में असंतोषप्रद लिखा है और पंचायत समिति में संतोष शब्द लिखा है या जो भी हो, मैं आपसे यह बात कह रहा हूं कि इसकी मैं पूरी जानकारी ले लूंगा। दूसरी, बात हम तो आगे होकर के 23 हजार ऐसे संविदाकर्मियों को परमानेंट करना

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

चाहते हैं। इसलिए मैं यह चाहूंगा कि जो व्यक्ति हमारा टेम्परेरि संविदा पर काम कर रहा हो, पहले तो अपना वो काम को बेहतर तरीके से करें। एक व्यक्ति की शिकायत हुई है जिसने स्वयं बीपीएल में गरीब लोगों से पैसा ले लिया। इसलिए एक आदमी को हमने इस तरह से उसको हटाया है। बाकी जो जानकारी मेरे पास आई है मैं उसको तुरन्त उसकी भी जांच कराऊंगा। अगर उन लोगों की कोई गलती नहीं है तो मैं आपको वादा करता हूं कि उसको हम लगातार चलाएंगे। लेकिन शिकायत अगर इनकी हैं और पंचायत ने इसको हटा दिया है तो वह खुद अपने आप तय करेंगे कि इनको क्या करना चाहिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, मैंने क्लियर ही इस बात को कहा है कि ग्राम पंचायत से ग्राम पंचायत सभा में से ग्राम पंचायत के सरपंच ने यह लिखकर के दिया कि इनका काम संतोषप्रद है। इसे कन्टीन्यु किया जाए और इसको वह प्रमाणित कर रहे हैं। ऐसे सभी सरपंचों ने लिखकर के दिया है। दूसरा, यह सारे जो दस रोजगार सहायक हैं यह हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने भी इनको फेवर किया। हाई कोर्ट ने भी इन्हें कहा कि इनको परमानेंट रखा जाए, इनका कोई दोष नहीं है, इनका कार्य संतोषप्रद है। ऐसा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सरपंच लिखकर के दे रहा है इसलिए इसको रखा जाए। उसके बावजूद भी इनको नहीं रखा गया। आप कह रहे हैं कि इसकी जांच कराएंगे, यह बहुत अच्छी बात है कि इसकी जांच कराएंगे। जांच करायें क्योंकि इनके ऊपर कोई एलीगेशन नहीं है। लेकिन साथ-साथ उन्हें तो आप दस को रखेंगे लेकिन जिस व्यक्ति ने जिला परिषद में ये जो संतोषप्रद के आगे 'अ' वर्ड यूज करके इन्हें 2009 में हटा दिया और ये टाइपिंग मिस्टेक है या मेलाफाइड इंट्रेस्ट है इसको देखना चाहिए और जो ऐसे कर्मचारी हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे? इसके बारे में भी सदन को स्पष्ट करें।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): इसको बहुत जल्दी हम दिखवायेंगे अगर किसी ने जानबूझकर किया है तो उनके खिलाफ भी हम कार्यवाही करेंगे क्योंकि हम तो 23 हजार को परमानेंट करना चाह रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ठीक है। माननीय सभापति जी, एक आखिर में माननीय मंत्रीजी से चाहूंगी कि वे कार्यवाही भी करेंगे और वे इन दस लिपिकों को भी रखेंगे, साथ ही एक आपने अभी आदेश निकाला है

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कि नरेगाकर्मियों को लिपिक भर्ती के अन्दर तीन वर्ष का जिनका अनुभव होगा उन्हें आप 30 मार्क्स बोनस मार्क्स देंगे। क्योंकि इनका अनुभव ये 2008 से लगे हुए हैं, 2009 में इनको बिना कोई कारण के हटा दिया तो अब आप जब वापस से ये जो भर्ती करेंगे तो क्या वो 30 नंबर का जो बोनस अंक है वो बोनस अंक इनको देकर इनको लिपिक भर्ती के अन्दर लेने की भी कृपा करेंगे? क्योंकि इनका कोई दोष नहीं था। दोष आपके कर्मी का था वहां पर जिला परिषद का जिसने जानबूझकर यह 'अ' वर्ड यूज किया इसलिए इनको रखना चाहिए। इनका हक बनता है कि ये उसमें रहें और 30 बोनस मार्क्स इनको मिले ये भी इनका हक है इसलिए वो हक भी इनको दिलाने की चेष्टा आप करेंगे। ऐसा मैं चाहूंगी कि आप आश्वस्त करें।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, चूंकि 2009 और अब 2012-13 आ गया है इनको डिस्कंटीन्यु हुए काफी समय हो गया है अब इनके लिए हम क्या कर सकते हैं उसको मैं दिखवा लूंगा। दूसरा जो माननीय सदस्या कह रही हैं कि हाई कोर्ट ने भी इस तरह के कोई निर्देश जारी किये हैं तो उसको भी एग्जामिन करेंगे लेकिन कोशिश हम यह करेंगे कि उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं।

श्री सभापति: प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निम्न माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति होगी:- श्री ओम बिरला।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, मैं बैठा हुआ था।

श्री सभापति: आप अब विराज जाओ।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सर, स्थगन लगा हुआ था।

श्री सभापति: आपका नाम पुकारा तब आप बोले ही नहीं अब आप विराज जाओ। अब नहीं। आप बोलना ही नहीं चाहते। लिखा देते हो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): कहां, नाम ही नहीं आया।

श्री सभापति: कैसे नहीं आया मैंने कितनी बार नाम पुकारा आपका।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सर, एक बार भी नहीं आया।

श्री सभापति: अब नहीं। आप विराज जाओ।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): एक बार भी नहीं आया मैं बैठा हूं साहब।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बोलने दो साहब। इतना बड़ा गम्भीर मसला है।

श्री सभापति: अब आप विराज जाओ।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): एक बार भी नहीं आया। नाम ही नहीं आया, साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बुलवा दो, साहब। नये सदस्य हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): नये सदस्य हैं और नाम भी नहीं आया, साहब।

श्री सभापति: मैंने आपका नाम एक बार नहीं पूरे सदन में दो-दो, तीन-तीन बार आपका नाम पुकारा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): शोरगुल में नहीं सुना। शोरगुल में सुन नहीं पाये। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैंने आपका एक बार नहीं, आपका तो मैं विशेष ध्यान रखता हूं। बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूं आपका तो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक बार।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नये सदस्य हैं मौका दीजिये आप।

श्री सभापति: चलिये साहब, प्रतिपक्ष के नेता महोदय कह रहे हैं हमारे सम्माननीय। बोलिये शंकर सिंह जी। आइंदा आप अगर गलती करेंगे तो मैंने आज तो अलाउ कर दिया अगली बार नहीं करूंगा।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सर, मैं यहां बैठा हूं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं सदन छोड़कर कहीं नहीं गया।

श्री सभापति: सुन भी तो नहीं रहे थे आप।

ब्यावर से पिंडवाड़ा राजमार्ग पर जालिया-प्रथम के पास ओवरब्रिज का निर्माण

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): पूरा सुन रहा हूं, साहब। आवाज ही नहीं आई।

निवेदन है कि ब्यावर से पिंडवाड़ा फोर लेन की जो सड़क बन रही है, उस सड़क के ऊपर जालिया रोड पर हाइवे क्रासिंग हो रहा है। उस क्रासिंग के ऊपर ये पुल नहीं बना रहे हैं। ओवरब्रिज नहीं बनने की वजह से उस पंचायत समिति जवाजा के 25 ग्राम पंचायतों का रोड उसी जगह से होकर जा रहा है और उसके ऊपर धार्मिक स्थल भी बने हुए हैं। दूधालेश्वर महादेव का

(श्री शंकर सिंह)

तीर्थस्थल, कोटड़ा रामदेव जी महाराज का भव्य मंदिर, नीलकंठ महादेव का तीर्थस्थल जैसे तीर्थस्थल बने हुए हैं और 25 ग्राम पंचायतों का उसी रोड से क्रोस होकर के आना-जाना बन रहता है और भारी मात्रा में ट्रक, ट्रेलर, बसें ओर छोटे वाहन भी वहां से निकलते हैं, उनकी संख्या की भी वहां से पूरी जानकारी कर ली गई और जिला कलक्टर अजमेर के द्वारा भी वहां आकर के मौका निरीक्षण किया गया और अभी इस जिद पर अड़े हुए हैं दोनों साइड से रोड तीन महीने से बंद करा रखे हैं और चार दिन से वहां पूरी जनता बैठी हुई है रोड को रोक करके कि हम इसको नहीं बनने देंगे। आपसे निवेदन है माननीय मंत्री महोदय, कि ये जानकारी में लायें, सरकार के ध्यान में, कि ये आखिर फोर लेन जो बन रही है उसके ऊपर कौन आकर के, कोई दिल्ली जाकर तो हम कह नहीं सकते, वो राजस्थान में बन रहा है हमारे क्षेत्र में बन रहा है रोड और हमारे क्षेत्र की जनता को उसके बनने से दुविधा हो जाएगी वहां पर दुर्घटना का एक स्थल बन जाएगा इसलिए आपके माध्यम से निवेदन है कि ये सरकार से आश्वस्त करायें कि उस जगह पर ओवरब्रिज बनाया जाएगा और उसके नहीं बनने से दुनिया भर की वहां दुर्घटनाएं होंगी, ऐसा मेरा निवेदन है।

दूसरा इसी सम्बन्ध में, वो जो रोड बन रहा है जो रोड कोटड़ा से काबरा रोड जो उसी रोड को क्रोस करने वाली जो 25 ग्राम पंचायतों को जाने वाली सड़क है, उसका भी मैंने यहां विधान सभा में प्रश्न लगाया था, इसके चौड़ाईकरण के लिए। उसका आदेश भी, मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी को लैटर दिया था उसमें वापस जवाब पूछा है उप शासन सचिव वी.एस. सिंह जी, उनके द्वारा पत्र क्रमांक 7863, दिनांक 25.1.2012, दूसरा लैटर है 24778, दिनांक 28.3.2012 इसमें मुख्य अभियंता (पथ) श्री जी.एल. राव, उनका जवाब आया है उसका पत्र क्रमांक है 415/3.10.2012 सभापति महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि ये सरकार का जो आदेश और विधान सभा में प्रश्न पूछा उसका अभी वो कह रहे हैं कि ये आदेश सरकार का दिया हुआ सही मानें या गलत है। इसका माननीय मंत्री महोदय से जवाब दिलावायें कि ये जो 2012 की है उसमें लिखा है कि वर्तमान स्थिति - सड़क की स्थिति कोटड़ा से काबरा रोड किलोमीटर 1/800 से 22/500 वर्तमान स्थिति 22.70 किलोमीटर डामर सड़क प्रस्तावित कार्य 3 मीटर से 5.50 मीटर की चौड़ाईकरण का कार्य अनुमानित लागत 422.55 लाख ये कार्य टीएफसी में स्वीकृत है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि स्वीकृति का आदेश सही है या गलत। कृपया मंत्रीजी से आदेश दिलायें और ये

(श्री शंकर सिंह)

सही है तो कार्य अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ है और वहां पर ओवरब्रिज बनेगा कि नहीं बनेगा इस मामले में माननीय सभापति महोदय, हमें थोड़ा सा आश्वस्त करें। वहां की जनता बहुत ज्यादा परेशान होकर के चार दिन से वहां पर बैठी हुई है। यह आश्वस्त करें कि ये आदेश है वो सही है या गलत है ये तो आप कम से कम बता दें।

श्री सभापति: अब आप विराजें। श्री ओम बिरला। (व्यवधान) मैं आपको अलाउ करूंगा। श्री ओम बिरला।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, शून्य काल में ट्रेजरी बेंचेज की हालत देखिये। न इनके मंत्री रहते, न इनके माननीय सदस्य रहते।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सरकार भाग चुकी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप देखिये हम किसके पास जाएं। शून्य काल में अलग-अलग विषय उठते हैं। अगर ये ही रुचि है सदन को चलाने में ट्रेजरी बेंचेज की तो मतलब दुर्भाग्य है हमारा। आज हमारा भाई, भविष्य कितने बालक-बालिकाएं देख रहे हैं किस तरह विधान सभा चल रही है क्या मेसेज लेकर जाएंगे वो बालक ओर बालिकाएं जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं इसलिए आप इनको कहिये साहब, आकर कम से कम जवाब तो दे सरकार।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): 6 महीने पहले भाग रही है सरकार।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आखिर हम कहां जाएंगे? हमें ये तो बतायें कि हम कहां जाएंगे?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह जानकारी देना चाहता हूं कि अभी-अभी ये जानकारी मिली है...

श्री सभापति: मैं आपको अलाउ करूं तब बोलें। आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): एक ही मिनट में बोल रहा हूं।

श्री सभापति: मैं आपको अलाउ करूं, तब बोलना न। आप विराजिये तो सही। आपने दे दिया न लिखकर। आपको दिये हुए मुश्किल से एक मिनट भी नहीं हुआ। आप विराजो। श्री ओम बिरला।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, हम आखिर कहां जाएंगे?

श्री सभापति: अब आप विराज जाओ। आ गया सरकार के ध्यान में।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): नहीं, सरकार के ध्यान में तो आ गया लेकिन यह आदेश सही है या गलत है, मंत्रीजी नहीं हैं। पूरा सदन खाली पड़ा हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सरकार है कहां। कहां है सरकार। नेपथ्य में चली गई सरकार। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सरकार में कोई मंत्री जवाब देने की स्थिति में नहीं है। आखिर हम किसको पूछें।

श्री सभापति: आ गया ध्यान में सरकार के।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, हम यहां जितने बैठे हैं एक-एक दस के बराबर हैं। एक-एक दस के बराबर हैं। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, कोई भी मंत्री जवाब देने की स्थिति में नहीं है कि प्रमुख शासन सचिव का आदेश सही है या गलत है।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): कांग्रेस की तरफ से केवल दस-बारह आदमी हैं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): हम किसको पूछें?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ...(व्यवधान). चीफ व्हिप को क्या नहीं करना पड़ा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जाओ।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदय, आखिर कोई भी मंत्री यहां जवाब देने के लिए हाजिर नहीं है। क्या सदन में खाली आकर के ही जाएंगे। यहां सरकार कोई जवाब देने के लिए नहीं है।

श्री सभापति: आपकी बात हो गई। आपने कह दी। सरकार के ध्यान में आ गई। अब आप विराज जाओ।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): सभापति महोदय, हां या ना का जवाब... (व्यवधान) ये आदेश सही है या गलत है ये तो जवाब दिलवा दो।

श्री सभापति: आप विराज जाओ अब। मैंने आपकी बात मान ली आपको अनुमति दे दी फिर आप मेरी बात भी मानो न। श्री ओम बिरला।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): इनसे जवाब तो दिलवा दो कम से कम।

(13.00 बजे)

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कोटा शहर की जीर्णशीर्ण व अधूरी सीवरेज प्रणाली

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि कोटा शहर में आरयूआईडीपी व चम्बल शुद्धिकरण योजना के तहत सीवरेज के निस्तारण हेतु सीवरेज लाइन व सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट किया जाना था।

योजनान्तर्गत करोड़ों रुपये की राशि का कर्ज लिया गया। वर्ष 2000 से कार्य प्रारम्भ किया गया तब से शहर के कई हिस्सों में सीवरेज लाइनें डाली गई किन्तु उनका प्रोपर्टी कनेक्शन अब तक नहीं किया गया।

उक्त कार्यों में उचित प्लानिंग के अभाव में करोड़ों रुपये सीवरेज लाइनें डालने में खर्च किये गये किन्तु डाली गई सीवरेज लाइनें अभी तक अनुपयोगी पड़ी हुई हैं। विभागीय लापरवाही के चलते सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी अभी तक काम में नहीं लिया जा सका है। विभागीय तालमेल के अभाव में बिना प्रोपर्टी कनेक्शन किये ही कई सीवरेज लाइनों के ऊपर से गुजरने वाली सड़क को सीमेंट कंक्रीट बना दिया गया जिससे प्रोपर्टी कनेक्शन करने में धन व समय का अपव्यय भी अधिक होगा।

शहर के कई प्रमुख क्षेत्र जिनमें कि सीवरेज की अधिक समस्या है उन्हीं की सर्वाधिक उपेक्षा की गई है। शहर के नये इलाकों विशेषकर गणेश तालाब, दादाबाड़ी, महावीर नगर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, महावीर नगर विस्तार योजना, तलवंडी, विज्ञान नगर, रंग विहार, कम्पीटिशन कालोनी क्षेत्र में अधिकांश सीवरेज लाइनें जीर्णशीर्ण हो गई हैं जिसके कारण सीवरेज के निकास की गम्भीर समस्या है। उक्त कालोनियों का विकास हाउसिंग बोर्ड के द्वारा किया गया है किन्तु फिर भी उक्त क्षेत्र के निवासियों को नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है।

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में

(श्री ओम बिरला)

मांग करता हूं कि शहर में अधूरे पड़े सीवरेज कार्यों को शीघ्रता से पूरा किया जाये। शहर में जहां सीवरेज लाइनें डाली गई हैं, उनका प्रोपर्टी कनेक्शन करके उपयोग में लिया जाए तथा नये कोटा शहर की गणेश तालाब, दादाबाड़ी, महावीर नगर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, महावीर नगर विस्तार योजना, तलवंडी, विज्ञान नगर, रंग विहार, कम्पीटिशन कालोनी में नई सीवरेज लाइन डालकर सीवरेज की समस्या का निदान कर क्षेत्र के निवासियों को राहत प्रदान की जाए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सभापति महोदय, मैं दो मिनट बोल तो लूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सभापति: मैं आपको अलाउ ही नहीं कर रहा हूं। आप वरिष्ठ सदस्य हो। इससे पहले दो माननीय सदस्यों ने पाइंट आफ इन्फोरमेशन का दे रखा है, इनके बाद मैं आपको बोलने का अवसर दे दूंगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सभापति: उनको दूंगा उसके बाद आपको भी दे दूंगा। आपसे पहले दो माननीय सदस्यों ने दिया है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सभापति: मैंने आपको अलाउ ही नहीं किया है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। आप अगर ऐसे ही बोलते रहोगे तो, आपके पहले दो माननीय सदस्यों ने पाइंट आफ इन्फोरमेशन का दे रखा है। (व्यवधान) आप विराजो, आप विराजो, आप तो बोल गये ना। श्री बहादुर सिंह।

वैर की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण

श्री बहादुर सिंह (वैर): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत वैर विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मेरे विधान सभा

(श्री बहादुर सिंह)

क्षेत्र वैर के अन्तर्गत आने वाली सड़क वैर से हलैना 12 किलोमीटर व हलैना से नदबई 13 किलोमीटर, एनएच 11 पर खेडली मोड़ खेडली वाया पथैना 13 किलोमीटर, एचएच 11 से नवोदय विद्यालय छोंकरवाडा 2 किलोमीटर व खेडली रोड से जसवर तक 7 किलोमीटर की सड़कें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। इन सड़कों में गहरे गड्ढे बने हुए हैं। कई वर्षों से डामरीकरण नहीं करवाया गया है जिसके कारण से आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दुर्घटना के कारण कई व्यक्तियों की मृत्यु तक हो चुकी है।

इसके अलावा वाहनों को भी भारी नुकसान पहुंचता है। किसानों के वाहनों में तेल की खपत भी बढ़ जाती है जिससे उन पर आर्थिक बोझ पड़ता है। गहरे गड्ढे होने के कारण बहुत बार जाम की स्थिति बनी रहती है और किसानों और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा उपरोक्त वैर से हलैना और हलैना से नदबई सड़कों पर दोनों तरफ की पटरियों पर नरेगा योजनान्तर्गत दो वर्ष से रुक-रुक कर कार्य चल रहा है लेकिन वह अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। इस कार्य को शीघ्र पूरा करवाया जाए।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उक्त सभी सड़कों का डामरीकरण एवं उल्लेखित सड़कों की पटरियों का कार्य शीघ्रातिशीघ्र करवाया जाए।

श्री सभापति: श्री भगवान सहाय सैनी।

चौमूं को बीसलपुर योजना से जल वितरण

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत चौमूं कस्बा को बीसलपुर जल योजना से जोड़कर जलापूर्ति बढ़ाकर सीवरेज लाइन स्वीकृति करवाने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा।

सभापति महोदय, वर्तमान में चौमूं कस्बे में प्रति व्यक्ति रोजाना लगभग 40 लीटर पानी दिया जाता है जो मापदण्डों के आधार पर 120 लीटर प्रति व्यक्ति रोजाना होना चाहिए और इसी कारण चौमूं में सीवरेज लाइन स्वीकृत नहीं की जा रही है।

बीसलपुर जलयोजना जयपुर में विश्वकर्मा तक स्वीकृत है जहां से चौमूं कस्बा केवल 20 किलोमीटर दूरी पर है। विश्वकर्मा से चौमूं तक बीसलपुर

(श्री भगवान सहाय सैनी)

जलयोजना जोड़ने में खर्चा भी अधिक नहीं आयेगा तथा चौमूं से बीसलपुर जलयोजना से जुड़ जाने पर चौमूं कस्बे की जलापूर्ति बढ़ने पर सीवरेज लाइन डालना तो सम्भव हो ही जायेगा साथ में आने वाले समय में चौमूं में जो पीने के पानी की किल्लत आने की सम्भावना है, उसका समाधान भी हो जायेगा।

अत: चौमूं को बीसलपुर जलयोजना से जुड़वाकर चौमूं कस्बे में सीवरेज लाइन स्वीकृत करवाने की कृपा करें।

श्री सभापति: श्री जगसीराम कोली। (व्यवधान) आप विराजो, माननीय सदस्य प्रक्रिया के निमय 295 के तहत बोल रहे हैं। आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप विराजो।

रेवदर के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

श्री जगसीराम (रेवदर): सभापति महोदय, विधान सभा संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र रेवदर राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में रिक्त पद भरवाने के क्रम में रेवदर उपखण्ड स्तर व तहसील स्तर का है। विगत 4 वर्षों से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण रेवदर व आस पास से आने वाले छात्र-छात्राओं से शिक्षण व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं चल पा रही है। रेवदर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 450 छात्राएं अध्ययनरत हैं। यहां शिक्षण व्यवस्था हेतु स्वीकृत 13 पदों के विरुद्ध केवल 3 पद ही भरे हुए हैं। रेवदर की दोनों उच्च माध्यमिक विद्यालय की हैं। अत: मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि एक तरफ तो सरकार बालिका शिक्षा को बढ़ावा दे रही है दूसरी तरफ बच्चों व क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है। अत: सरकार से मांग है कि तुरन्त प्रभाव से उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की कृपा कराएं ताकि आने वाले समय में शिक्षा के प्रति रेवदर क्षेत्र अग्रणी क्षेत्रों में आए।

श्री सभापति: श्री अजय सिंह।

डेगाना के सांजू व बुटाटी के उप स्वास्थ्य केन्द्रों का क्रमोन्नयन

श्री अजय सिंह (डेगाना): सभापति महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं डेगाना विधान सभा क्षेत्र के सांजू एवं बुटाटी के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता को सदन के सामने लाना चाहता हूं।

(श्री अजय सिंह)

सभापति महोदय, डेगाना विधान सभा क्षेत्र के सांजू कस्बे एवं उसके आस पास गांवों/ढाणियों में चिकित्सा सुविधाओं का भारी अभाव है। उपखण्ड मुख्यालय डेगाना से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस उप तहसील मुख्यालय कस्बे की आबादी लगभग 7000 से अधिक है। कस्बा राष्ट्रीय राजमार्ग 458 पर स्थित है। यह कस्बा प्रशासनिक एवं व्यापारिक दृष्टि से आस-पास के गांवों एवं ढाणियों का केन्द्र बिन्दु है, जहां चिकित्सा सुविधा के नाम पर केवल उप स्वास्थ्य केन्द्र है। जिस कारण कस्बे की आबादी एवं आस पास के गांवों/ढाणियों के लोगों को समय पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। कस्बे में भामाशाह द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के समान भौतिक सुविधाओं वाला अस्पताल भवन भी बनाया हुआ है। अतः इस केन्द्र को क्रमोन्नत करने पर सरकार को भौतिक सुविधाओं के लिए किसी प्रकार धन राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

इसी प्रकार राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर स्थित धार्मिक आस्था के प्रतीक बुटाटी कस्बे में प्रतिदिन लकवे की बीमारी से पीड़ित क्षेत्र एवं देश के विभिन्न भागों से हजारों लोग चतुरदासजी महाराज की धाम पर आते हैं। यह कस्बा जन-जन की आस्था का केन्द्र है लेकिन इसी कस्बे में भी चिकित्सा सुविधाओं के नाम केवल उप स्वास्थ्य केन्द्र है जबकि यहां की जनसंख्या एवं प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं की दृष्टि से यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 108 एम्बुलेंस की अतिआवश्यकता है। अतः माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी से आग्रह है कि डेगाना विधान सभा क्षेत्र के सांजू व बुटाटी कस्बों में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत कर 108 एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने का श्रम करावें। धन्यवाद

श्री सभापति: डा. गोपालजी जोशी।

बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में अव्यवस्था

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा संचालन के नियम 295 के अधीन में यहां सदन में बताना चाहता हूं बीकानेर में पीबीएम ग्रुप अस्पताल में विभिन्न रोगों के इलाज की व्यवस्था ठीक से नहीं हो रही है। विशेष तौर से स्वाइन फ्लू के रोगियों की जांच व दवाइयों की लापरवाही सामने आ रही है। कभी जांच की किट प्राप्त नहीं होती है तो कभी मरीजों के सैम्पल जयपुर भेजने पड़ते हैं, तब तक मरीज जिंदा रहे या नहीं इसकी कोई परवाह नहीं रहती है। दवाइयां भी कई वक्त नहीं मिलती हैं। मरीजों को अस्पताल में न मिलकर

(डा. गोपाल जोशी)

बाजार से खरीदनी पड़ती हैं। सभी प्रकार की दवाइयां नहीं मिलती हैं। जितनी सरकार से घोषित कर रखी है वह सारी दवाइयां प्राप्त नहीं होती जिसके अभाव में मरीजों की जान खतरे में रहती है। अच्छा यह होगा कि हर वार्ड के बाहर कौन-कौनसी दवाइयां उपलब्ध हैं उसका बोर्ड लगा होना चाहिए। पीबीएम अस्पताल में नर्सों व डाक्टरों की भी कमी है जितने डाक्टर व सभी ग्रेड की नर्सों की आवश्यकता है उतनों से आधे भी नहीं है। स्वाइन फ्लू के वार्ड में व अन्य वार्डों में मरीजों को जहां लेटाया जाता है उस पलंग पर चद्दरें फटी, गंदी, न जाने कब की धोई हुई हैं, यही हाल कम्बल व तकियों का है, यहां तक कि बिस्तर भी फटे व गंदे दुर्गंध वाले पलंग पर बिछाये रहते हैं। बीकानेर सम्भाग के सबसे बड़े व सबसे पुराने अस्पताल में सफाई का आलम यह है कि आप कई वार्डों में बिना नाक बंद किये वहां से गुजर ही नहीं सकते, मेरा मानना है कि गंदे दुर्गंध भरे अत्यन्त सफाई विहीन वार्डों से गुजरने एवं अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को वहां से गुजरने में काफी दिक्कत आती है व अस्पताल सम्बन्धी रोगों के संक्रमण का खतरा हमेशा के लिए हो सकता है। बीकानेर सम्भाग में इस रोग से व अन्य रोगों से सबसे अधिक लोग ग्रस्त हैं। जानकारी के अनुसार दिसम्बर, 2012 में इस रोग से 12 लोगों की मृत्यु हो गई एवं जनवरी 2013 में 15 लोगों की मृत्यु हो गई, इसके अतिरिक्त 150 मरीज और पाजिटिव पाये गये हैं। आदरणीय श्रीमानजी, अस्पताल में आक्सीजन की कमी रहने से भी मरीजों को मृत्यु का सामना करना पड़ता है । कई दिन तक आक्सीजन बिलकुल नहीं था। आक्सीजन की पाइप लाइन सिस्टम की खास आवश्यकता है। स्वाइन फ्लू जैसी भयंकर व जानलेवा विनाशक बीमारियों के लिए एक विशेष एक्शन प्लान की आवश्यकता है, यह रोग केवल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में फैल रहा है। इसकी रोकथाम, उपचार व समाप्त करने की हर कोशिश करनी होगी अन्यथा यह एक एपीडेमिक की तरह पूरे देश को जकड़ लेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रभुलाल सैनी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: आपको मैं अलाउ करूं जब ही, पहले यह प्रक्रिया पूरी हो जाने दो आप। श्री प्रभुलाल सैनी। श्रीमती कमला कस्वां।

श्रीमती कमला कस्वां : +++

श्री सभापति: सबको आप एक्सपंज करना क्योंकि ये नहीं है, शुरूआत से लेकर अब तक।

सादुलपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली समस्या की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र में जिले में तेजी से अग्रसर होता जा रहा है। यहां राजकीय व मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 60 से अधिक है जहां बालक-बालिकाएं 12वीं तक शिक्षा प्राप्त कर प्रतिवर्ष सैकड़ों की तादाद में महाविद्यालय जाने के लिए तैयार होते हैं, विशेषकर छात्राओं की संख्या काफी होती है लेकिन राजकीय महाविद्यालय मेरे क्षेत्र से 60 किमी दूर चूरू में होने के कारण बी पी एल परिवारों की तो बात छोड़िये साधारण किसान भी बड़ी बाधाओं को पार कर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। अपने बच्चों को इतनी दूर भेजने में असमर्थ होता है, छात्रावास में सीमित जगह होने के कारण छात्र-छात्राओं को चूरू में कमरा लेकर रहना पड़ता है जो उनके मां-बाप पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है नतीजा यही होता है कि मजबूरन या तो अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या बालक-बालिकाओं को निजी महाविद्यालय मोहता विद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है जहां दोगुनी से भी ज्यादा फीस देकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ रही है। ऐसे में गरीब प्रतिभावान छात्र-छात्राएं अपनी आर्थिक स्थिति के चलते उच्च शिक्षा से वंचित हो रहे हैं जो उनके साथ सरासर अन्याय है। सरकार हर बजट में शिक्षा पर विशेष महत्व देती आई है लेकिन मेरे क्षेत्र की इस विकट समस्या का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के आने वाले बजट में सादुलपुर में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा कर क्षेत्र के हजारों बच्चों के चेहरों पर मुस्कान लाकर उनका भविष्य उज्जवल बनाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री विजय बंसल।

भरतपुर शहर की क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र भरतपुर में, भरतपुर शहर की सम्पूर्ण सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं व भरतपुर से कुम्हेर बयाना की सड़कें बेहद ही खराब हैं। भरतपुर एमएसजे कालेज से चिकसाना होते हुए उत्तर प्रदेश बार्डर तक कुछ वर्ष पूर्व ही नवीनीकरण हुआ था लेकिन आज यह सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। अत: मेरा सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन है कि इन सड़कों को अतिशीघ्र नवीनीकरण कर दुरूस्त कर आम जनता को राहत दिलाने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कैलाश चन्दजी भंसाली। श्री रामलाल गुर्जर।

आसीन्द में पुलिस चौकी की स्थापना

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): आसीन्द विधान सभा क्षेत्र के आसीन्द में पुलिस चौकी एवं पुलिस सीओ सर्किल सीआई पोस्ट नहीं है जबकि मैं पिछले विधान सभा के सत्रों में बात उठाता व मांग करता आ रहा हूं। पुलिस स्टेशन आसीन्द, बदनौर व शम्भुगढ़ में मुकदमों की संख्या भी अधिक तथा अन्तरराष्ट्रीय तीर्थ स्थल सवाईभोज मंदिर एवं देवनारायण जन्मस्थली देवनारायण मंदिर स्थित है। सेंसेटिव स्थान भी प्रशासन व पुलिस द्वारा आसीन्द को मान रखा है फिर भी उक्त पुलिस स्टेशन चौकी सीआई पोस्ट एवं सीओ सर्किल क्यों नहीं खोला गया जब कि आसीन्द उपखण्ड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे कार्यालय भी स्थापित हैं तथा सर्किल भी बहुत बड़ा है। क्षेत्र में शांति व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए जनहित में अविलम्ब आसीन्द में पुलिस चौकी एवं पुलिस सीओ सर्किल सीआई पोस्ट इसी बजट में घोषणा करने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूलचन्दजी भिण्डा।

जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में की गई अनियमित नियुक्तियों की जांच

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन है कि राजस्थान में विश्वविद्यालयों की स्थापना निरन्तर हो रही है परन्तु राज्य में शिक्षा की व्यवस्था एवं स्तर निरन्तर गिर रहा है। राज्य के मुख्य मंत्री रहे व्यक्ति के नाम पर स्थापित एवं वर्तमान मुख्य मंत्री के गृह शहर में स्थापित सरकारी विश्वविद्यालय व शिक्षक चयन में हुई धांधली शिक्षा जगत के लिए शर्मनाक एवं निन्दनीय है। राजनेताओं एवं नौकरशाहों ने पदों का बंटवारा करा लिया। पात्र युवक अनशन पर हैं। मुख्य मंत्री को चाहिए कि दागनुमा कृत्य समाप्त कर शिक्षा जगत में मिसाल कायम करें। विश्वविद्यालय चयन में हुई धांधली से संदेश गया है कि कभी योग्यता अर्जित करो, चयन पक्का है। कोई भी पात्र, चयन तो पार्टी के लोगों का होगा। कोई भी आए, चयन तो राजनेताओं के रिश्तेदारों का होगा। न्यायालय में भले ही जाएं, झूठा हल्फनामा देकर रातों-रात नियुक्ति दे देंगे। पीएच.डी. कभी करो, 2009 में ही मान लेंगे। आप कुछ भी

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

योग्यता नहीं रखते, आपकी रिश्तेदारी चयन समिति में होनी चाहिए। आवेदन के समय योग्यतम है, जन्म विश्वविद्यालय के नौकरशाह के घर होने पर चयन पक्का है। आप अन्य पिछड़ा वर्ग की किसी भी जाति में जन्म लो, चयन तो जाति विशेष के लोगों का होगा। यह इस बात को इंगित करता है कि उच्च शिक्षा के स्थापित नियम कायदों एवं यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित योग्यताएं ताक में रखना, सत्ता के बल पर कुछ भी किया जा सकता है।

इस सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि इस सदन के नेता रहे स्वर्गीय जयनारायण व्यास के नाम से स्थापित संस्था को दागदार होने से बचाये जाने के लिये सभी नियुक्तियां तत्काल रद्द की जावें तथा चयन में दोषी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर जांच सी.बी.आई. से कराई जावे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रभुलाल सैनी।

बडगांव (हिण्डौली) ग्राम पंचायत की सिवाय चक कृषि भूमि का आबंटन तथा कब्जे का नियमन

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की ग्राम पंचायत बडगांव (हिण्डौली) की सिवायचक भूमि का लघु एवं सीमांत कृषकों को भूमि का आबंटन 1993 के बाद सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। जिला कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारियों द्वारा भूमि के सिवायचक आबंटन की उद्‌घोषणाएं तो खानापूर्ति के लिए कर दी गई हैं, लेकिन एक भी किसान को भूमि आबंटन नहीं किया गया है। ग्राम पंचायत बडगांव में वर्तमान में 16 हजार 774 बीघा सिवायचक भूमि काबिज काश्त किसानों के द्वारा खेती की जा रही है। इसमें ग्राम बडगांव में 11671 बीघा, ग्राम बाल में 1896 बीघा, सुहरी में 4104 बीघा भूमि उपलब्ध है। एस.टी; एस.सी; बी.पी.एल; लघु तथा सीमांत कृषकों से प्रत्येक वर्ष अतिक्रमण दिखाकर 100 गुणा तक पैनल्टी राशि व फसल नीलामी कर किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उक्त ग्राम पंचायत सहित सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र के किसानों को कृषि योग्य सिवायचक भूमि को आबंटित करने हेतु तथा नियमित काबिज काश्तकारों को भूमि नियमन करवाने की कार्रवाई कराया जाना सरकार की संवेदनशीलता होनी चाहिए।

(श्री प्रभुलाल सैनी)

अत: मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की ग्राम पंचायत बडगांव (हिण्डौली) की सिवायचक कृषि भूमि आबंटन तथा नियमन करने के आदेश जारी करने का श्रम करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: पर्ची के माध्यम से निम्न माननीय सदस्यों को अनुमति होगी। श्री गोविन्दसिंह डोटासरा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सभापति महोदय, मैंने जो जानकारी दी, उसकी सरकार से जानकारी दिलवाइये। सरकार से जानकारी दिलवाएं। यह क्या बात हुई। इतना महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान) 5-5 पुलिस अधिकारियों को हटाने के निर्देश हाई-कोर्ट दे रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इस सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सरकार इतनी नाकारा हो गयी। सरकार यहां पर है नहीं, जवाब नहीं देगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपने जानकारी दे दी। पाइण्ट आफ इन्फार्मेशन में होता क्या है?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): तो सरकार जवाब दे, हाउस चल रहा है।

श्री सभापति: आपको मालूम है, पाइण्ट आफ इंफार्मेशन क्या होता है? आपने जानकारी दे दी। सरकार की जानकारी में आ गया। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सरकार जवाब तो दे। सरकार जवाब दे। (व्यवधान)

श्री सभापति: जरुरी नहीं है कि सरकार जवाब दे। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जरुरी कैसे नहीं है। यह इतना महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति: पाइण्ट आफ इंफार्मेशन इतना महत्वपूर्ण थोड़ी है कि सरकार जवाब दे।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इस मामले में सरकार को जवाब देना पड़ेगा।

श्री सभापति: सदन के ध्यान में आप ले आए, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापतिजी, खिलाफ टिप्पणी है, कोर्ट की। (व्यवधान) कोर्ट की टिप्पणी है। माननीय न्यायालय की टिप्पणी है, सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। न्यायालय की टिप्पणी है यह। (व्यवधान)

श्री सभापति: सचेतक महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, प्रार्थना है। सिर्फ प्रार्थना है, प्रार्थना यह है, सभापति महोदय। पाइण्ट आफ इंफार्मेशन के माध्यम से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय 5-5 अधिकारियों को हटाने का निर्देश दे और न्यायिक जांच के आदेश दे, वकीलों के मामले में। इसमें प्राइमा-फेसाइ सरकार की गलती मानी है उच्च न्यायालय ने। यदि सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण, उत्तर नहीं आयेगा तो संदेश क्या जाएगा कि सरकार ने वकीलों पर बर्बर लाठीचार्ज किया। प्रार्थना है सिर्फ आपसे, आपसे प्रार्थना है। (व्यवधान) स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हमें कोई, हम कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप थोड़ी देर में करें।

श्री सभापति: माननीय सचेतक महोदय, पाइण्ट आफ इंफार्मेशन के माध्यम से आप जानते हो, मैंने माननीय सदस्य को अलाउ नहीं किया। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप सरकार को निर्देश तो दें कि जवाब दें निकालने का।

श्री सभापति: उसके बाद भी आप बोले। वह सब का सब सदन के ध्यान में आ गया।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वह आपने बड़ी कृपा की। पर सरकार को निर्देश तो दें।

श्री सभापति: कोई जरुरी नहीं है कि मैं उसका मंत्रीजी से जवाब दिलवाऊं। (व्यवधान) मतलब ही नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): वह असमंजस की स्थिति रहेगी।

श्री सभापति: इंफार्मेशन आपने दे दी सदन को, बस। आ गया सदन के ध्यान में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह बात सही है, सभापति महोदय, पर आज जिस आसन पर विराजे हैं, वह आसन सर्वशक्तिमान आसन है। आप चाहें, इस विषय पर आपसे प्रार्थना है। आप भी उसी समुदाय से पधारते हैं, वकील बिरादरी से पधारते हैं। इसलिये प्रार्थना है हमारी कि आप गृह मंत्रीजी को, 10 मिनट बाद दे दें।

श्री सभापति: हाउस चल रहा है, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद दे दें।

श्री सभापति: विराजिये। श्री गोविन्दसिंह डोटासरा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र गोविन्दगढ़ में बंद चल रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप भी विराज जाओ। मैंने आपको अलाउ ही नहीं किया अभी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): बंद चल रहा है अभी।

श्री सभापति: आपको किस विषय पर बोलना है। आप क्या बोलना चाह रहे हो? (व्यवधान) नहीं, मैं आपको अलाउ नहीं करुंगा। अंकित नहीं हो रहा आपका। आप विराजो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: आप विराजो। (व्यवधान) आप विराजो। श्री गोविन्दसिंह डोटासरा। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है आपका। माननीय सदस्य, मैं आपको अलाउ नहीं करुंगा। पहले मेरी प्रक्रिया पूरी हो जाने दो हाउस की। (व्यवधान) मैं उसके तहत जब अलाउ करूंगा, बोल देना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री सभापति: आपके कई माननीय सदस्य बाद में आये, मैंने उनको तो अलाउ किया।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

लक्ष्मणगढ़ में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनकी आदत खराब पड़ी हुई है, सभापति महोदय, भगवान इनको विपक्ष में ही बनाये रखे और ऐसे ही समय खराब करते रहें।

सभापति महोदय, पिछले वर्ष जुलाई में राजस्थान में अतिवृष्टि हुई।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

माननीय सभापति महोदय, आप सबको ध्यान में है। पूरे अखबारों में भी आया, चैनलों में भी आया कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हुई। शहर का लगभग 70 प्रतिशत एरिया, बिलकुल बाढ़ जैसे वहां पर हालात हो गये। वैसे भी वह शहर कटोरीनुमा बना हुआ है। करीब 37 ग्राम पंचायतों में अतिवृष्टि का प्रकोप हुआ। उस प्रकोप के कारण से विधान सभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ के नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड नम्बर 1, 2, 9, 10, 22, 23, 24 में लोग 10-10 दिन तक घरों से नहीं निकल सके। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, संवेदनशील सरकार के मुखिया ने वहां पर पूरे प्रशासन को भेजा। यहां से 3-3 एक्स्ट्रा अधिकारी लगाये। जोधपुर से सेना को भी भेजा कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो। लेकिन उस अतिवृष्टि के कारण से माननीय सभापति महोदय, शहर की सड़कें टूट गयीं, नालियां टूट गयीं। मनरेगा में ग्राम पंचायतों में जो ग्रेवल सड़कें बनी हुई थीं, वह टूट गयीं। कई-कई जगह कच्चे रास्तों, ग्रेवल और सड़कों की यह स्थिति हो गई कि आवागमन बाधित हो गया। आदमी पैदल जाने जैसी स्थिति में भी नहीं रहा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय से भी हम मिले। हमने निवेदन किया। प्रभारी मंत्री आदरणीय दुरू मियां साहब भी जिले के दौरे पर पधारे। राज्य सरकार ने, जिला कलक्टर महोदय ने नगरपालिका से और ग्राम पंचायतों के लिये पंचायत समितियों से प्रस्ताव मांगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एस.डी.आर.एफ. के तहत जिला कलक्टर महोदय ने पी.डबल्यू.डी. की जो सड़कें खराब हुईं, उसमें 8 करोड़ 13 लाख रुपये के प्रस्ताव भेजे। नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ ने 4 करोड़ 11 लाख रुपये से अधिक के प्रस्ताव भेजे और पंचायत समिति के माध्यम से 5 करोड़ 37 लाख रुपये से भी ज्यादा के प्रस्ताव भेजे। इनमें से अधिकतर प्रस्तावों की प्रशासनिक स्वीकृति माननीय जिला कलक्टर, सीकर के द्वारा कर दी गई। लेकिन अफसोस के साथ मुझे निवेदन करना पड़ रहा है कि पी.डबल्यू.डी. के माध्यम से केवल 32 लाख रुपये वहां पर स्वीकृत हुए। 32 लाख रुपये ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। पंचायत समितियों की जो ग्रेवल सड़कें खराब हो गयीं, उसके लिये एक पैसा स्वीकृत नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, नगरपालिका क्षेत्र के लिए भी यह जो राज्य आपदा मोचन निधि है, उसके माध्यम से प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बावजूद भी एक रुपया भी जारी नहीं हुआ।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो राज्य

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

आपदा मोचन निधि है, यह कहती है कि मिट्टी भराव हम देते नहीं हैं, नवीनीकरण सड़क देते नहीं हैं, सी.सी. सड़क आप बना नहीं सकते। सुरक्षा दीवार आप नहीं बना सकते। नालियां आप बना नहीं सकते। नालियों को ऊंचा आप नहीं कर सकते। बंकर आप नहीं बना सकते तो क्या कर सकते हैं हम? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमारी एक अपील को सुना और इसी बजट में सीवरेज स्वीकृत किया उसके लिए तो मैं सरकार को और माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे राज्य आपदा मोचन निधि से दें या पंचायती राज या डी.एल.बी., स्वायत्त शासन विभाग यह पैसा उपलब्ध करवाएं। जो लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका की टूटी हुई सड़क और नालियां हैं, जो गांव की ग्रेवल सड़कें टूटी हुई हैं, जो पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कें टूटी हुई हैं, इनके लिए बजट उपलब्ध करवाया जा सके। इससे आम लोगों में यह विश्वास जमे, आम लोग आवागमन का साधन लेकर जा सके इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय, पर्ची के माध्यम से मैंने यह मामला उठाया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप पंचायती राज विभाग को, स्वायत्त शासन विभाग को और आपदा विभाग को इस बात का निर्देश फरमाएं कि लक्ष्मणगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो प्रस्ताव उस वक्त जिला कलक्टर ने यहां पर भेजे थे। लोगों ने जनरेटर आनन-फानन में खरीद लिए, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं ने भी खरीद लिए, नगरपालिका ने तो अपने पैसे से उसका चुकारा कर दिया लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंचों के आज भी पैसे बकाया पड़े हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट शीघ्र स्वीकृत करवाएं जिससे प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि से जो सड़कें, नालियां, ग्रेवल सड़कें और कच्चे रास्ते खराब हुए थे, उनका वापस दुरुस्तीकरण करवाया जा सके, नवीनीकरण करवाया जा सके। माननीय सभापति महोदय, आपने समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अब्दुल सगीर खां

धौलपुर में पर्यटन स्थलों का विकास

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात पर्यटन स्थलों के बारे में, धौलपुर के लिए विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा, इस शेर के साथ कि-

'गालिब का रंग मीर का लहजा मुझे भी दे,

(श्री अब्दुल सगीर खां)

लफजों से खेलने का सलीका मुझे भी दे,
तेरी नवाजिशें हर इक खास आम पर,
दरिया है तेरा नाम तो कतरा मुझे भी दे।'

माननीय सभापति महोदय, धौलपुर एक ऐतिहासिक नगरी है जहां पीर, संत और फकीर, राजा-महाराजा, एक स्टेट और यहां पर पर्यटन स्थल के रूप में अनेकों स्थान हैं। जैसा कि माननीय सभापति महोदय, एक बहुत ही खूबसूरत हसीन झरना है 'दमोह'। सरमथुरा से 15 किलोमीटर स्थित है जो कि राजस्थान के दूसरे नम्बर का झरना है।

माननीय सभापति महोदय, यह इतना खूबसूरत स्थान है लेकिन हालत यह है कि वहां पर नीचे जाने के लिए सीढ़ियां नहीं हैं। वहां पर एक एनिकट है जो भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। उसकी ऊंचाई बढ़ाकर पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खास तौर से वे लोग जो प्रकृति का आनन्द लेते हैं और उसका विश्वास रखते हैं, मुझे Wordsworth जो कि एक बहुत ही नोटेड पोएट रहे, उनकी चंद पंक्तियां याद आती हैं, जिन्होंने एक कविता लिखी, "Daffodils" पर-

"For oft when on my coach I lie,
in-vacants or in pensive mood.
They flash upon that inward eye,
which is the bliss of solitude."

तो ऐसा हसीन नजारा, वहां पर खूबसूरत फूल भी है और खूबसूरत झरना भी है। आज राजस्थान में पर्यटन में उसे शामिल कर लिया जाए तो मैं यह कहता हूं कि राजस्थान के दूसरे नम्बर का झरना, उससे राजस्थान को भी फोरेन एक्सचेंज अर्न करने का मौका मिलेगा और वहां पर पास में पहाड़ियां भी हैं। जिस तरह से Wordsworth ने यह बात कही कि-

"Behold her single in the field,
you solitary High-land lass!
Stop here or gently pass.
The music in my heart I bore,
long after it was heard no more."

इतना हसीन और सुन्दर दृश्य कि जहां एकांत का वहां पर रहकर आपको जो आनन्द मिलेगा, अनुभूति होगी और प्रकृति का जो दृश्य देखने को मिलेगा, ऐसा 'दमोह' सरमथुरा के पास है माननीय सभापति महोदय।

इसी तरह से भूतेश्वर महादेव व पंचमुखी हनुमानजी, पार्वती नदी के

(श्री अब्दुल सगीर खां)

दोनों किनारों पर स्थित है। बाड़ी-बसेड़ी रोड पर बसेड़ी से पांच किलोमीटर दूर, बाड़ी से बारह किलोमीटर दूर प्राकृतिक सुन्दरता और हर वर्ष लक्खी मेला भी लगता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन स्थानों को राजस्थान के ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट में लेकर और उनको पापुलराइज किया जाए और इसी प्रकार से एक स्थान है 'रमदा' माननीय सभापति महोदय, पूरे हाउस के ज्ञान के लिए, रामायण-कालीन यह स्थान, जहां ऋषि वाल्मीकि आश्रम है, जहां लव और कुश ने जन्म लिया, सीताजी वहां पर रहीं, ऐसा स्थान जहां पर हजारों-लाखों लोग श्रद्धा के लिए सुमन चढ़ाने जाते हैं, वहां पर अवैध कब्जे हो रहे हैं।

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, सैंपऊ का महादेव मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है जो कि धौलपुर से मात्र पांच किलोमीटर दूर है। यह भी एक आस्था का मरकज है। मैं राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारे स्थानों को राजस्थान के पर्यटन विभाग में लेकर इनको पापुलराइज करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर के अन्दर एक स्थान है जिसे तीर्थ राज मुचकुंड कहते हैं। माननीय सभापति महोदय, श्री कृष्ण भगवान वहां पर आए थे। यह महाराजा धवल देव के समय का बना हुआ है। पुष्कर राज से किसी भी तरीके से इसकी अहमियत कम नहीं है। सैकड़ों मंदिर हैं। इतना शीरीन और सोबर और स्पिरिचुअल माहौल आपको देखने को मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, आप कभी पधारें। उस स्थान को नैग्लैक्ट किया हुआ है। हमारी सरकार में जब माननीया वसुंधरा राजेजी मुख्य मंत्री थीं तो उन्होंने ऐसे पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए, वह चाहे तीर्थ राज मुचकुंड हो, वन-विहार हो, तालाब-ए-शाही हो या जार-जरीने की मस्जिद, इन सारे ऐतिहासिक स्थलों को पैसा देकर डवलप करने का कार्य किया। वहीं पर माननीय सभापति महोदय, एक पहाड़ी पर पहाड़ बली बाबा अब्दाल शाह विराजमान हैं जो शाह शरीफ अब्दाल शाह के नाम से मशहूर है। हिन्दू-मुस्लिम एकता का पूरे धौलपुर जिले के प्रतीक के रूप में तीर्थ राज और तीर्थों के स्थानों में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि तीर्थ राज मुचकुंड और पहाड़ बली बाबा अब्दाल शाह की मजार को इसमें शामिल किया जाए, जहां कि सैकड़ों, हजारों और लाखों लोग वहां पर आते हैं। इससे भी धौलपुर और राजस्थान को एक अच्छे विकास के लिए मौका मिलेगा।

(श्री अब्दुल सगीर खां)

इसी प्रकार से, माननीय सभापति महोदय, वहां पर एक स्थान है वन विहार। इस वन विहार के अन्दर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, यहां पर बहुत सारे आपको वाइल्ड लाइफ में बहुत सारे रेअर बर्डस, वहां पर झीलें हैं लेकिन इनको विकास करने के लिए कई बार इस विधान सभा में, आज यहां पर मंत्रीजी विराजमान नहीं हैं, अस्वस्थ हैं। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम धौलपुर आएंगे। वे निश्चित रूप से इन स्थानों पर जाएंगे और वहां पर जाने के बाद योजना बनाकर उन्हें विकसित करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, इन साढ़े चार वर्षों के अन्दर एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया है। मैं क्या यह समझूं कि भारतीय जनता पार्टी के वहां पर प्रतिनिधि हैं और इसलिए इन साढ़े चार सालों के अन्दर एक नया पैसा भी इन स्थानों पर खर्च नहीं किया गया। पूरा आज जो बजट आया है उसमें भी कहीं भी प्रावधान नहीं किया गया है कि राजस्थान में जो पर्यटन स्थल है। उनमें जो बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर देने की बात है, वहां पर उनके जीर्णोद्धार की बात है, कहीं पर भी बजट में इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया है और धौलपुर को पूरी तरह से नैग्लेक्ट किया गया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्रीजी से, इन शब्दों के साथ-

'इन्साफ़ जालिमों की हिमायत में जाएगा
यह हाल है तो कौन अदालत में जाएगा।
यह तमन्ना नहीं चांद-सितारा हो जाऊं
हां, अंधेरा कहीं हो तो उजाला हो जाऊं।
उसको मालूम नहीं, उसमें हुनर हैं क्या-क्या
वो अगर छू लें तो मिट्टी से सोना हो जाऊं।।' धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छोटू सिंह भाटी।

जैसलमेर में पानी की विभिन्न समस्याओं का निराकरण

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जैसलमेर जिले की तरफ, जो राजस्थान के पश्चिमी कोने में बसा हुआ है, उस जिले के अन्दर पानी मांगते थे तो घी मिलता था। पानी नहीं मिलता था, लेकिन समय आया, जैसलमेर आई जी एन पी नहर आई और नहर आने के बाद, हमको ही नहीं बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और फलौदी को भी इसका पानी मिला, लेकिन आज नसीब जैसलमेर के

(श्री छोटू सिंह भाटी)

वासियों का है कि वहां नदी किनारे पंछी प्यासा। नहर के होते हुए भी वहां के लोगों को नहर का मीठा पानी नसीब नहीं होता है। माननीय सभापति महोदय, निवेदन है वर्तमान समय के अन्दर आज ट्यूबवैल की हालत ऐसी है कि जैसलमेर के अन्दर करीब 15-20 ट्यूबवैल आज के समय में वर्तमान में बंद हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं उस ट्यूबवैल से केवल वही गांव ही प्रभावित नहीं होता है, उस ट्यूबवैल से पास की पूरी ढाणी पेयजल से वंचित होती है। उसके नाम हैं – नगराजा, बींजराज सिंह का तला, दऊ, उंडा, आसाचा, जोगा, भींयासर, इनके ट्यूबवैल आज बंद हैं। यह बंद क्यों हैं? यह बंद हैं पम्प के द्वारा, यह बंद हैं मोटरों के द्वारा, यह बंद हैं विभाग की लापरवाही के द्वारा। माननीय सभापति महोदय, यह बंद होने से हमारे पूरे जोन का पानी बंद हो जाता है। सभापति महोदय, आपके विभाग का स्टाफ वहां है फिर भी आज पोस्टें इस हिसाब से हैं कि जे ईएन की पोस्ट पूरे सर्किल में केवल दो है। जब उनको निवेदन किया जाता है तो वह कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है। वहां एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं। जब उनको कहा जाता है मोटरें नहीं, पाइप नहीं, दूसरे ज्वाइंट नहीं। निवेदन करना चाहता हूं जैसलमेर के अन्दर नहर आई है। हम उन प्रदेशों का भी स्वागत करते हैं, उनको भी धन्यवाद करते हैं जिन प्रदेशों से होकर हमारे यहां नहर आई। लेकिन नहर आने के बावजूद भी आज नहर की स्थिति यह है कि वहां से आने वाली पाइप लाइन बंद है। या तो स्टाफ की कमी से है, या स्टाफ की लापरवाही से है। उस हिसाब से सुल्ताना गांव, जिससे 25 किलोमीटर से पाइप लाइन आती है, जबकि नहर वहां से केवल चार किलोमीटर पर चलती है, लेकिन उसके लिये पाइप लाइन जोड़ी नहीं गयी है। इसके अलावा पारेवर को नहर से जोड़ा हुआ है, लेकिन मोटरों की खराबी से और बिजली की आंख-मिचौली से उन गांवों को पानी नसीब नहीं होता है। उससे प्रभावित होने वाले गांव, जो नहर से पाइप लाइन आती है उससे प्रभावित गांव है जोगा, भोजराज सिंह की ढाणी, खुईवाला, आलम का गांव, जानी खां की ढाणी में आज तक पानी नहीं पहुंचा है।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं जो ट्यूबवैल आज से पूर्व में बने हुए हैं, उन ट्यूबवैलों में स्थिति आज यह हो गयी कि उनमें बजरी आ गयी और ट्यूबवैलों ने जवाब दे दिया। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से दूसरे जिलों को पानी दिया जा रहा है, क्यों नहीं हमारे जिले को भी दें। आपने गडरा, जो डिस्ट्रीब्यूटर था, बहुत बड़ी नहर थी, उसको तो बंद कर

(श्री छोटू सिंह भाटी)

दिया, लेकिन गडरा को बंद करने से पूर्व पाइप लाइन तो जरूर ले सकते थे और पाइप लाइन यदि वह ले लेते तो हमारा बसिया क्षेत्र, जिसके अन्दर 24 गांव आते हैं, वहां पूरा पानी मीठा मिलता। आज स्थिति यह है कि वहां के ट्यूबवैल का पानी पीने के लिये कोई भी जन प्रतिनिधि चला जाये, वहां स्थिति यह है कि चाय बनाते हैं तो चाय भी फट जाती है। वहां पीने योग्य पानी नहीं है, फिर भी जनता को वहां बरदाश्त है और वहां बैठी है। वह खारा पानी भी समय पर नसीब नहीं होता है, क्योंकि पाइप में इतना जंग लग जाता है कि मोटरें और पम्प आये दिन खराब होते हैं।

मंत्री महोदयजी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जिस हिसाब से इन दिक्कतों से हमारा जिला भुगत रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं इसी प्रकार की स्कीम 2004 में 245 आर डी से निकली थी। वह काम 580 लाख का स्वीकृत हुआ था। स्वीकृत होने के बाद काम चालू हुआ, उसमें 4 ग्राम पंचायत और कम से कम 15-20 ढाणियों को मिलाना था। वह पाइप लाइन का काम हुआ या नहीं हुआ, चार-पांच साल वह चले गये और चार साल मुझे सदन में कहते हुए चले गये, उस पाइप लाइन से, जो 245 आर डी से पानी हमारी चार ग्राम पंचायतों को और 25 ढाणियों को मिलना था, आज तक नहीं मिला। वह पैसा कहां गया? वह पाइप लाइन कहां गयी? हमने इंक्वायरी की। जब भी यह विधान सभा चलती है, मैं इसको उठाता हूं, लेकिन फिर भी कोई आश्वासन नहीं। मैंने मंत्री महोदय से भी निवेदन किया, मैंने कमिश्नर साहब को भी निवेदन किया। खाली आश्वासन दिया कि वह तो पाइप लाइन नहीं आयेगी, लेकिन दूसरी पाइप लाइन से आपके क्षेत्र को जोड़ा जायेगा और इन गांवों को पानी दिया जायेगा। वह आश्वासन चार साल पूरे हो गये, हमारे पास जवाब नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत बड़ी मुख्य बात है और पानी का मामला है। दो मिनट मुझे दीजियेगा। पहली बार मौका आया है। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, आप जैसलमेर आओ तो पता पड़ेगा।

श्री सभापति: आप सम-अप करो जल्दी। आप विराजो।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): जिस हिसाब से निवेदन करना चाहता

(श्री छोटू सिंह भाटी)

हूं मंत्रीजी को सभापति महोदय आपके माध्यम से, कि इस स्थिति को देखते हुए 650 लाख रुपये उस स्कीम में खर्च हुए। लेकिन उन गांवों को मंत्रीजी आज तक पानी नहीं मिला। यह पैसा कहां गया? यह पैसा भ्रष्टाचार में गया या गबन हुआ। आज तक पानी नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इतनी बड़ी स्कीम का चार साल तक कोई खुलासा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या कारण है, क्या मिलीभगत है?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: अब आप विराजो।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं हमारे जैसलमेर जिले को बजट में छुआ तक नहीं। जिस हिसाब से बजट भाषण आया, जैसलमेर जिले के नाम का उल्लेख तक नहीं। क्यों नहीं है उल्लेख? जैसलमेर सीमावर्ती जिला है। आपको बिजली देता है, आपको पानी देता है, आपको जमीन देता है, आपको खनिज देता है, फिर भी पानी नहीं मिलता है।

श्री सभापति: अब आप विराजो, आपकी सब बात आ गयी।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): सभापति महोदय, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है आज स्थिति यह है कि हमारी 60 प्रतिशत जनता पानी की कमी भुगत रही है, स्टाफ के बगैर भुगत रही है। जो आपने पाइप लाइनें लगाईं, उस पाइप लाइनों से आज दिन तक वहां की जनता को पानी नहीं मिला।

श्री सभापति: अब आप विराजो।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन जैसलमेर की जनता पर रियायत बरते और जैसलमेर की जनता के दु:ख को देखे। इसी प्रकार से सम में भी एक स्कीम बनाई थी कि जो फ्लोराइड पानी पीते हो, उसके लिये आपको मीठे पानी की नहर धनाणा से लाई जायेगी। वह स्कीम भी आज ठंडे बस्ते में पड़ी है। माननीय सभापति महोदय, इस प्रकार से जैसलमेर को अनदेखा क्यों किया जा रहा है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: अब आप विराजो। आप बोल गये न सारी बात। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): पानी जैसा मामला है। केवल हमें पानी चाहिये। जैसलमेर की जनता केवल पानी चाहती है।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, जैसलमेर जिला सीमावर्ती जिला है। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): सभापति महोदय, मंत्रीजी जब जवाब दें तो यह बतायें कि जैसलमेर में यह स्थिति क्यों है? (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): सभापति महोदय, जैसलमेर जिला पानी के लिये तरस रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: सुन रहे हैं। अब आप विराजो।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): सभापति महोदय, चार साल हो गये इस प्रकार के आश्वासन आपने दिये हैं और हमने सुने हैं। सुनने के बावजूद चार साल में सरकार का कार्यकाल बीत गया और चार साल सरकार की जवानी के साल होते हैं, उसे कहते हैं चार साल। अब तो बुढ़ापा है। बुढ़ापे में भी पानी नहीं मिला। क्या कारण है? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सदन में, कि इस प्रकार का जो काम हो रहा है, उसे रोका जाये और हमारे जैसलमेरवासियों को जिस प्रकार से पानी की किल्लत है, उस पानी की समस्या का समाधान किया जाये। इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मंत्री महोदय, जैसलमेर का ध्यान रखो। सारी स्कीम्स आपने बन्द करवा दीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पाइन्ट आफ इन्फोरमेशन के माध्यम से चन्द्रकान्ताजी मेघवाल ने दिया है। चूंकि आज महिला दिवस भी है और काफी माननीय सदस्यों ने दिया है। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। (व्यवधान) आप विराजो। आप तो बोल गये।

सूचना प्राप्ति प्रश्न

वकील हड़ताल पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बताओ तो सही। यह क्या बात हुई, साहब। (व्यवधान) आपने कहा था कि पर्ची के बाद बुलवायेंगे। सरकार से जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): एसपी हटा दिये, एडीशनल एसपी हटा दिये... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। आपने सदन का ध्यान आकर्षित कर दिया। आप बोल गये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सरकार जवाब तो दे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप सदन के वरिष्ठ नेता भी हैं। सचेतक महोदय, इसी तरह आपका भी आया है। आप यह जानते हैं पाइन्ट आफ इन्फोरमेशन के माध्यम से जरूरी नहीं है कि सरकार जवाब दे। कोई जरूरी नहीं है। आप सदन के ध्यान में ले आये। यह पाइन्ट आफ इन्फोरमेशन का सीधा-सीधा अर्थ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, वैसे तो आसन की आज्ञा सर्वोपरि है, पर सदन के चलते हुए कई बार यदि ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो..

श्री सभापति: मैं आपको निवेदन कर रहा हूं न। आप ध्यान में ले आये। सदन अभी स्थगित नहीं हो रहा। सदन की बैठक चल रही है। यह आप मेरे ऊपर छोड़ो न। आसन पर छोड़ें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा इतना ही निवेदन है, आप आसन पर विराजे हैं, ...(व्यवधान) आप क्षमा भी करेंगे।

श्री सभापति: इतनी देर से महिला दिवस, महिला दिवस कर रहे तो मैंने उनका नाम पुकार लिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, आप समय निश्चित कर दें। सदन चल रहा हो तब ऐसी घटना घटित हो गई। राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा था कि सबसे कमजोर सरकार। उच्च न्यायालय ने अचानक ही पांच अधिकारियों को हटा दिया। (व्यवधान) तो यह तय हो गया वकीलों पर कल जो लाठी चार्ज हुआ उसमें सरकार की सरासर गलती थी जिनको कल गृह मंत्रीजी बचा रहे थे। स्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री सभापति: सचेतक महोदय, आप बोल गये। आपने बता दिया। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा। आप मुझे कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा। (व्यवधान) मैं बोलने के लिए बोल ही नहीं रहा हूं। सदन चल रहा है और एक ऐसी घटना हो गयी कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने कल जो वकीलों पर लाठी चार्ज हुआ, उसको सही मानते हुए जस्टिस आरएस चौहान की जांच के बाद पांच-पांच अधिकारियों को हटाया है। इससे बड़ी क्या बात है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): वकीलों को मारा, फिर व्यापारियों को मारेंगे फिर कर्मचारियों को मारेंगे, फिर मजदूरों को मारेंगे। (व्यवधान) बेरोजगारों को मारेंगे। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): महत्वपूर्ण विषय पूर्ण हो गया राजस्थान में। (व्यवधान) संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। संवैधानिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी है।

श्री सभापति: मैंने श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल का नाम पुकार लिया है। आप विराजें। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सरकार से संविधान की पालना करवाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय ने क्या-क्या टिप्पणियां की हैं? हम जानना चाहते हैं। जिस सरकार को सदी की सबसे कमजोर सरकार बताया उसी सरकार के गृह मंत्रीजी कल कह रहे थे कि वकीलों ने बड़ा उद्दण्ड किया, वकीलों ने उपद्रव किया। हम जानना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है। हमें सूचना दे दें। हमें कोई स्कोर नहीं करना। हमें कोई भाषण नहीं देना। आप आसन पर विराजे हैं, आप उस विरादरी के हैं सभापति महोदय। आपसे प्रसिद्ध वकील पूरे मेवाड़ में कोई नहीं। जवाब दिलवाइये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): जय हो आपकी। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): कम से कम गृह मंत्रीजी को यहां पर होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो।

(भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश माननीय सदस्यों का सदन कूप में आगमन और नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, जवाब दिलवाओ। (व्यवधान) हम और कुछ नहीं चाहते। हम सरकार से जवाब चाहते हैं...

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, आप हाउस को आर्डर में लाइये ताकि मैं मेरी बात कह सकूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने क्या-क्या टिप्पणी कर दी। सदी की सबसे कमजोर सरकार।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापतिजी, गृह मंत्रीजी को बुलाइये। उनके बिना नहीं होगा यह काल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): स्थिति स्पष्ट कर दें। हमें कुछ नहीं करना है। सरकार स्थिति स्पष्ट कर दे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): सभापति महोदय, हाउस को आर्डर में लाइये ताकि मैं मेरी बात कह सकूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या यह सही है कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने जांच करवाने के बाद, कल जो लाठी चार्ज हुआ उसको अवैध, अनैतिक मानते हुए पांच-पांच अधिकारियों को एक साथ हटाने का काम किया है। बता दो आप। इस तरह की हालत हो रही है कि एक न्यायिक अधिकारी की पिटाई हो जाए राजस्थान के अन्दर।

श्री सभापति: वैल में आये हुए माननीय सदस्यों को आप भेजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप जवाब दिलवाने का तय कर दें।

श्री सभापति: आप इनको भिजवाओ तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हां, हम चले जाएंगे।

श्री सभापति: सचेतक महोदय, विराजो आप। आप पाइन्ट आफ इन्फोरमेशन का पूरा अर्थ समझते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): घटना सामान्य नहीं है। घटना सामान्य होती...

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के सचेतक हैं। अच्छी तरह से आप जानते हैं कि पाइन्ट आफ इन्फोरमेशन का अर्थ क्या होता है। सरकार जवाब देती है, नहीं देती है या आसन क्या व्यवस्था देता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। (व्यवधान) सदन चल रहा है। आप यह चाहें कि मैं पाइन्ट आफ इन्फोरमेशन के माध्यम से जवाब दिलवा दूं ...(व्यवधान) सदन चल रहा है। आपने प्रश्न उठा लिया। जब व्यवस्था होगी, मैं दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह सरकार कभी मजदूरों को मारे, कभी सरपंचों को मारे, डंडे मारे ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप व्यवस्था फरमा दें। हमें आधा घंटे बाद जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्री सभापति: आसन को इस तरह से आप दबाव डालकर जवाब सरकार से दिलवाना चाहते हो, वह तो नहीं होगा। (व्यवधान) आप मेरे ऊपर

(श्री सभापति)

छोड़िए न। मैंने आपको कहा कि सदन की बैठक चल रही है। इसका आप अर्थ नहीं समझते। मैंने तो कल का कहा ही नहीं है। मैंने आपको यह कहा कि सदन की बैठक चल रही है। आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमारा यह नहीं कहना ...(व्यवधान) एक घंटे बाद दिलवा दीजिए।

श्री सभापति: मैंने आपको कहा कि सदन की कार्यवाही चल रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): राजस्थान उच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की है, यह सदन जानना चाहता है। राजस्थान का आम अवाम जानना चाहता है। आप आधा घंटे बाद करवा दीजिए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): कहां-कहां की टिप्पणी की हैं, पुरानी भी टिप्पणी मंगवाएं क्या? उच्च न्यायालय ने पहले भी टिप्पणी की होंगी। मंगवाएं क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): विराजें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): मैं क्यों विराजूं? यह बताओ आप।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): दोनों का शामिल करके दे दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, नई परम्परा की शुरूआत कर रहे हैं यह। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या यह सही है कि ...(व्यवधान) जांच के बाद दोषी पाया है। क्या उच्च न्यायालय ने जांच के बाद पांच अधिकारियों को निलम्बित किया है या हटाया है? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह नई परम्परा की शुरूआत करवाना चाह रहे हो आप लोग।

श्री सभापति: सरकारें कभी अक्षम नहीं होती हैं। (व्यवधान) सरकार अक्षम हो तो राज नहीं चलता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम कब कह रहे हैं? सबसे सक्षम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सरकार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने सदी की सबसे कमजोर सरकार बताई थी। इस सरकार के चलते यह पहली बार हुआ राजनीतिक इतिहास में। सदन चल रहा हो और वकीलों पर लाठी चार्ज हुआ हो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपकी गवर्नमेंट को तो एनआरआई गवर्नमेंट बताया गया था। लन्दन से चलती थी सरकार। एनआरआई गवर्नमेंट चलाकर बैठे हो यहां पर। किसने क्या कहा, इसके ऊपर बहस होती हो ... (व्यवधान) आप इस बात के लिए आसन को बाध्य नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं। आप बोलेंगे तो यह भी बोलेंगे फिर। सदन चलेगा कैसे? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): यह क्या तरीका है? माननीय सदस्य, आपको बोलने का तरीका रखना चाहिए। कहां से उठकर आये हो? (व्यवधान) क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते हो, इसका पता ही नहीं चलता।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं न। आप सभी खड़े हो।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते हो, इसका पता ही नहीं चलता। आपके दिमाग और जुबान में नियंत्रण ही नहीं है, आप क्या बोल रहे हो। कहां से उठकर आ गये यहां। (व्यवधान) पता नहीं क्या बोलते हैं। आज तक जो बोला वह समझ ही नहीं आया।

(14.00 बजे)

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोल रहे हैं। विराजो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की जानकारी चाही है, क्योंकि यह गम्भीर मामला है, अगर हाई कोर्ट ने राजस्थान की पुलिस के चार-चार अधिकारियों को अगर इस प्रकार के आदेश देकर उनको हटाने की बात कही है तो सरकार की जानकारी में यह विषय जरूर आया होगा। अगर ऐसा है तो जानकारी दे दें और नहीं है तो न में जानकारी दे दें। क्योंकि यह कोई सामान्य बात नहीं है। पूरे पुलिस प्रशासन के ऊपर जिस प्रकार के उन्होंने कमेंट्स किये तो क्या किये, क्यों किये और किन आधारों पर किये?

यह कोई सामान्य बात नहीं, अगर आप इसको छिपाओ भी सही तो भी जनता के सामने तो यह मैसेज आयेगा क्योंकि अगर हाई कोर्ट ने कोई

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आदेश किया तो उसको न आप छिपा सकते हो ना मैं छिपा सकता हूं। वो अभी नहीं आयेगा दो घंटे बाद आयेगा। मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आयेगा, उस माध्यम से आवे, अच्छा है हाउस चल रहा है और हम सब लोग यहां विभिन्न विषयों पर चर्चा कर रहे हैं तो सरकार अपनी तरफ से अगर उनको जानकारी पहुंच गयी है, अगर नहीं पहुंची है तो आधे घंटे बाद मंगवाकर के कम से कम वस्तु:स्थिति बता दीजिए, क्या वास्तव में हाई कोर्ट ने इस प्रकार के कोई आदेश दिये हैं क्या? बस इतना ही जानना चाहते हैं, और क्या है इसमें।

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैंने पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन के जो माननीय सदस्यों ने लिखकर के दिये हैं, दो माननीय सदस्यों ने पहले लिखकर के दे दिया, माननीय सदस्य श्री कालीचरणजी सराफ ने आकर के मुझे पर्ची दी और जब बोल रहे थे, कई माननीय सदस्य दूसरे 295 पर बोल रहे थे, कुछ अपने पर्ची के माध्यम से बोल रहे थे और मैंने आपको बार-बार निवेदन किया कि आप विराज जाओ, आपने मेरे को दे दिया, मैं जब आपको अलाउ करूं तब आप बोलना लेकिन इसके बावजूद भी जो बोलना था आपने बोल दिया, वो अंकित भी हो गया।

आप मेरे से तो बहुत ज्यादा वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं आप, पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन का जो सीधा-सीधा सम्बन्ध है कि आपने सरकार की जानकारी में कोई ऐसा तात्कालिक विषय है, वो ले आये और वो सरकार के ध्यान में आ चुका होता है। ऐसा नहीं है कि आप इन पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से उठाएं तभी सरकार के ध्यान में आये, सरकार के ध्यान में आ चुकी होती है लेकिन फिर भी माननीय सदस्य ने उठाया, मैंने आपको यही निवेदन किया कि अभी सदन चल रहा हैं, आप भी जानते हैं, आप राजस्थान सरकार के गृह मंत्री रहे हुए हैं, कि ऐसे विषय जब कभी आ जाते हैं, उनको जब सदन में कोई माननीय मंत्री बोलता है तो सरकार की तरफ से वक्तव्य आता है तो कम से कम आप यह तो आसन पर विश्वास रखें कि जो आयेगा उसके अन्दर दे दी जायेगी। मैंने बारबार यह कहा कि सदन चल रहा है, माननीय सदस्य आप विराज जाएं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): कब ...(व्यवधान)

श्री सभापति: फिर वो ही। मैं कह रहा हूं सदन चल रहा है। अभी सदन चल रहा है ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मान लो यह नहीं भी दें, अपने क्या नुकसान है, सरकार ही डाक में खड़ी होगी। जो जानकारी हमको आयी और हमने सदन को दे दी। इसका मतलब चार-पांच अधिकारियों के खिलाफ अगर हाई कोर्ट किसी प्रकार का स्ट्रिक्चर पास करती है या कोई निर्णय पास करती है, यह कोई सामान्य बात है क्या, सारी की सारी पुलिस, प्रशासन के ऊपर एक तरह से उन्होंने जिस प्रकार का निशाना मारा है, क्या वास्तव में इसके बारे में अगर सरकार नहीं बोलेगी तो सरकार स्वयं अंधेरे में और डाक में खड़ी होगी, हमें तो कोई आवश्यकता नहीं। आप नहीं देना चाहते, मत देओ लेकिन उसके कारण से मैसेज क्या जायेगा?

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल। (व्यवधान)

आप बोल रहे हैं, मंत्रीजी, आप बोलना चाहते हैं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, आप इजाजत दे रहे हो तो।

श्री सभापति: आप बोलें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, यह सब, पूरा सदन जानता है कि यह सारा मामला सबजुडिस है। माननीय उच्च न्यायालय ने खुद ने आदेश देकर के मौके पर भी न्यायाधीशों को भेजा है,, डी.जी. भी गये हैं, हाई कोर्ट के जजेज भी गये हैं और सब कुछ अपने सामने उन्होंने मामला विचाराधीन रखा है।

अब सवाल यह है कि आप यह कहते हैं कि, साहब, पुलिस के पांच अधिकारियों के खिलाफ एक्शन हो गया, एक्शन हो गया तो कापी आप बता दें। अब कापी ना आपको मिली, ना हमें मिली तो आज उस पर चर्चा किस प्रकार से की जा सकती है? आप स्वयं गृह मंत्री रह चुके हैं, क्या बगैर किसी न्यायालय के आदेश को देखे बगैर आपने कभी सदन में कोई बात कही है? तो आप क्या कहलवाना चाहते हैं हम से? अगर जो भी उच्च न्यायालय का आदेश होगा, 100 परसेंट उसकी पालना यह सरकार करेगी।

अगर गलती किसी की भी हो, गलती चाहे एडवोकेट्स की भी हो, यह भी माना है, यह भी आपकी जानकारी में है कि कुछ एडवोकेट्स के द्वारा जो कृत्य किया गया है उसकी भी आलोचना हुई है, कुछ पुलिस वालों के खिलाफ भी आरोप लगे हैं। दोनों तरफ के आरोप लगे हैं।

बात आ जाने दीजिए, आज सदन चल रहा है, अभी कोई सदन उठ तो रहा नहीं है, जो जैसी स्थिति होगी सदन के सामने रखा जायेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, यह विषय सबजुडिस है इसीलिए हमने सवेरे आने के बाद इस विषय की चर्चा प्रारम्भ नहीं की ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अभी चर्चा करने की क्या आवश्यकता है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं की। हमने नहीं की, मैं आपको कह रहा हूं न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अभी हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अचानक यह जो जानकारी मिली, अचानक यह जो जानकारी मीडिया के माध्यम से और बाकी के माध्यम से मिली इसलिए क्योंकि अधिकृत आप ही बता सकते हैं, हमारे पास तो कोई नहीं है, तो हमने अपना विषय रख दिया, आप अगर इसकी जानकारी करके सदन को बताना चाहें तो बता दें और नहीं बताना चाहें तो न बताएं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अधिकृत जानकारी आने के बाद में तो उसको कोई नहीं छुपा सकता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बस तो फिर क्या दिक्कत है? अब हो गया, फिर इसके बाद क्या लेना-देना। बताएं तो ठीक, नहीं बताओ मत बताओ।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल।

सूचना

कोटा शहर की कतिपय कालोनियों में अशुद्ध पेयजल से पीलिया रोग का फैलाव

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, पिछले तीन महीने से यू.आई.टी. की 16 कालोनियां कोटा नगर निगम के क्षेत्र में पड़ती हैं, उन कालोनियों में पानी अशुद्ध होने की वजह से लगातार पीलिया की बीमारी फैल रही है और कोटा मेडिकल चिकित्सालय में वर्तमान में कम से कम 35 रोगी एडमिट हैं और प्राइवेट हास्पिटलों में भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है।

तीन दिन पहले गणेश नगर कालोनी का सर्वे मैंने घर-घर घूमकर किया और मैं 500 मकानों में घूमी, वहां मैंने देखा कि 125 के लगभग ऐसे हैं

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

जिनका पीलिया पोजिटीव आया है। वो पेशेंट मुझे मिले, उन्होंने अपनी पर्चियां दिखायीं।

माननीय सभापति महोदय, मेरा मात्र इतना सा निवेदन है कि जो 20-25 साल पुरानी कालोनियां हैं ओर लोगों ने अपनी पूरी जिंदगीभर की कमाई का पैसा लगा कर के यू.आई.टी. से मकान खरीदे और अभी वर्तमान में पीने का पानी भी अगर उन लोगों को नहीं मिले तो मैं यह मानती हूं कि यह राजस्थान का दुर्भाग्य है।

मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, मैंने मंत्रीजी को भी इस बात को पर्सनल मिलकर नोटिस में डाला है और मैं दोबारा आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि कम से कम जो पी.एच.ई.डी. और यू.आई.टी. का वर्षों पुराना समझौता है और जिस समझौते पर पी.एच.ई.डी. कायम नहीं रह पा रही है। जब पी.एच.ई.डी. ने यह कहा कि हम 14 एम.एल.डी. पानी इन यू.आई.टी. की कालोनियों में अपनी ओर से उपलब्ध करवायेंगे और वो पानी अखिलगढ़ प्लांट से आयेगा। अभी वर्तमान में मात्र 14 एम.एल.डी. पानी इन 16 कालोनियों के लिए मिल रहा है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि आप पी.एच.ई.डी. विभाग पर दबाव बना कर उस जनता के बारे में सोचें क्यों कि व्यक्ति, जो बी.पी.एल. व्यक्ति है उसकी 15 दिन पहले मृत्यु हो चुकी है, उसकी तीन लड़कियां हैं, छोटे-छोटे बच्चे हैं, आज उसकी स्थिति यह है कि उसके बच्चों को कोई कमा कर खिलाने वाला नहीं है। उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद वहां पर पूरी कालोनी में इस तरह की दहशत फैली हुई है कि वो पीने का पानी कहां से जाकर लाएं क्योंकि आसपास पांच-पांच किलोमीटर तक पूरी कालोनी में पानी की यही स्थिति है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब हो गया आपका, ध्यान आ गया। हो गया।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मेरा निवेदन है कि वहां पर हम पीने का शुद्ध पानी जनता को उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: अधिसूचनाएं। श्री शांती कुमार जी धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री):

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की निम्नांकित 20 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/2013-104 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/2013-105 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/2013-106 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 में संशोधन किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/2013-107 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 में संशोधन किया गया है;

5- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/2013-108 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/2013-109 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/2013-110 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(84)वित्त/कर/2009-45 दिनांक 30.7.2009 में संशोधन किया गया है;

8- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/2013-111 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है;

9- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/2013-112 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

10- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/2013-113 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(63)वित्त/कर/2005-80 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है;

11- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/2013-114 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख से कम जनसंख्या वाले किसी शहर, नगर, गांव में स्थित धर्मशाला, मैरिज गार्डन और सामुदायिक केन्द्रों में किसी होटल वाले द्वारा उपलब्ध करवाये गये विलासों पर संदेय कर के संदाय से तुरन्त प्रभाव से छूट प्रदान की गई है;

12- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/2013-115 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा भूमि के विकास या उस पर निर्माण से सम्बन्धित करार एवं पावर आफ एटोर्नी के दस्तावेजों पर सशर्त स्टाम्प शुल्क घटाया गया है;

13- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/2013-116 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.12(25)वित्त/कर/11-154 दिनांक 9.3.2011 को अतिष्ठित किया गया है;

14- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/2013-117 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 की धारा-53 के तहत सभी श्रेणी की भूमियों पर दिनांक 1.4.2013 से भूमि कर की छूट प्रदान की गई है;

15- अधिसूचना संख्या : एफ.12(11)वित्त/कर/2013-118 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008 की धारा-16 के तहत कतिपय खनिजों के खनिज अधिकारों पर देय पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर की कर दरों में संशोधन किया गया है;

16- अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)ट्रान्स/कर/एचक्यू/13 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)ट्रान्स/कर/एचक्यू/09/पार्ट-II-2 दिनांक 9.3.2011 में संशोधन किया गया है;

17- अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)ट्रान्स/कर/एचक्यू/13 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विशेष सड़क कर के संदाय से छूट दी गई है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

18- अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)ट्रान्स/कर/एचक्यू/13 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विशेष सड़क कर के संदाय से छूट दी गई है;

19- अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)ट्रान्स/कर/एचक्यू/13 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.6(257)परि/कर/एचक्यू/11/6-क्यू दिनांक 14.11.2011 में संशोधन किया गया है; एवं

20- अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)ट्रान्स/कर/एचक्यू/13 दिनांक 6.3.2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या : एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/95/11-के दिनांक 31.3.2006 में संशोधन किया गया है।

श्री सभापति: वार्षिक प्रतिवेदन। श्री शांती कुमार धारीवाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-25(4) के अन्तर्गत राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: डा. दयाराम परमार।

डा. दयाराम परमार (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12

1- महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-12; एवं

बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 से 2010-11

2- महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11.

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्र. सं. 30)

श्री सभापति: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। डा. रघु शर्मा।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

गुरुवार, दिनांक 07 मार्च, 2013 को कार्य सलाहकार समिति की बैठक मध्यान्ह पश्चात् माननीय अध्यक्ष जी के चैम्बर में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 08 मार्च, 2013 से 22 तक सदन में अग्रेत्तर लिये जाने वाले कार्य का बटवारा निम्न प्रकार किया जाए :-

शुक्रवार, दिनांक 08 मार्च, 2013	1- अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) वर्ष 2012-2013 पर मुखबंद का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण । 2- आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद ।
शनिवार, दिनांक 09 मार्च, 2013 रविवार, दिनांक 10 मार्च, 2013	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 2013 मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 2013	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर ।
बुधवार, दिनांक 13 मार्च, 2013 गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 2013 शुक्रवार, दिनांक 15 मार्च, 2013	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
शनिवार, दिनांक 16 मार्च, 2013 रविवार, दिनांक 17 मार्च, 2013	बैठक नहीं होगी ।

(डा. रघु शर्मा

सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013	1. राजस्थान निजी विश्वविद्यालयों की विधियां (संशोधन) विधेयक, 2013 ; 2. जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2013 ; 3. वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा (संशोधन) विधेयक, 2013 ; 4. राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 ; 5. महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 ; 6. राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिये चयन) (संशोधन) विधेयक, 2013 ; एवं 7. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 ; पर विचार एवं पारण। 8- आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।
मंगलवार, दिनांक 19 मार्च, 2013 बुधवार, दिनांक 20 मार्च, 2013 गुरुवार, दिनांक 21 मार्च, 2013	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबंद का प्रयोग किया जाकर दिनांक 21 मार्च, 2013 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेगी)

(डा. रघु शर्मा)

शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2013	1- राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। 2- राजस्थान वित्त विधेयक, 2013 पर विचार एवं पारण। 3- गैर-सरकारी कार्य दिवस। (मध्याह्न पश्चात् 3.00 बजे से मध्याह्न पश्चात् 5.00 बजे तक)

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

याचिकाओं का उपस्थापन। श्री अनिल जैन (अनुपस्थित) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

याचिका

रामगंजमण्डी के चेचट कस्बे को तहसील का दर्जा

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के चेचट कस्बे को तहसील बनाये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

मुखबंद

अनुपूरक अनुदान की मांगों (द्वितीय संकलन) का पारण

मांग संख्या-1- राज्य विधान मण्डल

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-1 राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,60,01,000/- (सात करोड़ साठ लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-2- मंत्रिपरिषद

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-2 मंत्रिपरिषद के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,56,96,000/- (दो करोड़ छप्पन लाख छियानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-5- प्रशासनिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-5 प्रशासनिक सेवाओं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 29,52,81,000/- (उनतीस करोड़ बावन लाख इक्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-6- न्याय प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,64,92,000/- (दो करोड़ चौंसठ लाख बानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-7- निर्वाचन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,65,34,000/- (चार करोड़ पैंसठ लाख चौंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-9- वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-9 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,54,31,000/- (ग्यारह करोड़ चौवन लाख इकतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-10- विविध सामान्य सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-10 विविध सामान्य सेवायें के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,21,43,68,000/- (एक अरब इक्कीस करोड़ तियालीस लाख अड़सठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-12- अन्य कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-12 अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,52,37,18,000/- (एक अरब बावन करोड़ सैंतीस लाख अठारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(मुखबंद के समय कुछ भी कार्यवाही अंकित नहीं की गयी)

मांग संख्या-13- आबकारी

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय

(श्री सभापति)

के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या-14- बिक्री कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-14 बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,32,65,86,000- (एक अरब बत्तीस करोड़ पैंसठ लाख छियासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

मांग संख्या-15 -पैंशन व अन्य सेवानिवृत्ति के लाभ

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,16,26,32,000/- (तीन अरब सोलह करोड़ छब्बीस लाख बत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-16- पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,28,27,96,000/- (एक अरब अट्ठाइस करोड़ सताइस लाख छियानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या-17- कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,05,33,000/- (बारह करोड़ पांच लाख तैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-18– जन सम्पर्क

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-18 जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 70,53,49,000/- (सत्तर करोड़ तिरेपन लाख उनचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-19- लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,82,47,000/- (ग्यारह करोड़ बयासी लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?'

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-20-आवास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,06,97,78,000/- (दो अरब छह करोड़ सत्तानवे लाख अठहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(श्री सभापति)

मांग संख्या-21-सड़कें एवं पुल

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-21 सड़कें एवं पुल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,10,86,45,000/- (एक अरब दस करोड़ छियासी लाख पैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-22-क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-23-श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,22,69,70,000/- (एक अरब बाइस करोड़ उनहत्तर लाख सत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-24-शिक्षा कलां एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,75,11,000/- (बारह करोड़ पचहत्तर लाख ग्यारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-25-कोषागार व लेखा प्रशासन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-25 कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,86,70,000/- (तीन करोड़ छियासी लाख सत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,74,22,09,000/- (दो अरब चौहत्तर करोड़ बाइस लाख नौ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-27-पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-27 पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,78,06,53,000/- (एक अरब अठहत्तर करोड़ छह लाख तिरेपन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(श्री सभापति)

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,14,62,80,000/- (सात अरब चौदह करोड़ बासठ लाख अस्सी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-30-जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,39,89,95,000/- (तीन अरब उनतालीस करोड़ नवासी लाख पचानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-32-नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-32 नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,99,63,24,000/- (दो अरब निन्यानवे करोड़ तिरसठ लाख चौबीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-33 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये

(श्री सभापति)

1,33,43,58,000/- (एक अरब तैंतीस करोड़ तियालीस लाख अठावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-34 प्राकृतिक आपदाओं से राहत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,11,15,12,000/- (एक अरब ग्यारह करोड़ पन्द्रह लाख बारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,15,18,000/- (छत्तीस करोड़ पन्द्रह लाख अठारह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-36-सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,27,65,61,000/- (एक अरब सताइस करोड़ पैंसठ लाख इकसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-37-कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-37 कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय

(श्री सभापति)

के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 11,61,91,000/- (ग्यारह करोड़ इकसठ लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 23,31,42,000/- (तेइस करोड़ इकतीस लाख बयालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-39-पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 44,64,47,000/- (चवालीस करोड़ चौंसठ लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-40-राजकीय उपक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-40 राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,66,97,000/- (अट्ठाइस करोड़ छियासठ लाख सतानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या41-सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-41 सामुदायिक

(श्री सभापति)

विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,72,87,36,000/- (पांच अरब बहत्तर करोड़ सतासी लाख छत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-42-उद्योग

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,57,87,000/- (पैंतीस करोड़ सत्तावन लाख सत्तासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-43-खनिज

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 50,42,36,000/- (पचास करोड़ बयालीस लाख छत्तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-46-सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 81,60,92,000/- (इक्यासी करोड़ साठ लाख बानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-47-पर्यटन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-47 पर्यटन के

(श्री सभापति)

सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,47,22,000/- (पांच करोड़ सैंतालीस लाख बाइस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-48-विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 54,23,32,37,000/- (चौवन अरब तेइस करोड़ बत्तीस लाख सैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 38,98,46,000/- (अड़तीस करोड़ अठानवे लाख छियालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 50 - ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,99,99,000/- (चौदह करोड़ निन्यानवे लाख निन्यानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री सभापति)

मांग संख्या-51–अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या-51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,14,32,03,000/- (दो अरब चौदह करोड़ बत्तीस लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक एक घंटे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 14.41 बजे एक घंटे के लिए स्थगित हुई)

(15.41 बजे)

पुनः समवेत् होने पर

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

व्यवस्था का प्रश्न

मुखबंद के दौरान मत विभाजन

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाह रहा था। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक मिनट के लिए निवेदन कर रहा था, सदन चल रहा था, मुख बंद करके सप्लीमेंटरी डिमाण्ड्स पर मत विभाजन हो रहा था क्योंकि सत्ता पक्ष में अन्तर्विरोध है, सत्ता पक्ष के अधिकांश माननीय सदस्य इस समय मुख्य मंत्री और मंत्रिमण्डल के साथ नहीं हैं इसलिए वह पलायन करके सदन में नहीं थे, हमारी मत विभाजन की मांग थी और, अध्यक्ष महोदय, नियमों के नियम 286 के अन्दर मत विभाजन की व्यवस्था है और माननीय सभापति महोदय ने यह कह दिया कि मुखबंद में मत विभाजन नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, आपसे ज्ञानी कौन है और आप ही हमारा संरक्षण करते हैं, हम चाहते हैं कि सदन चले, हमारे माननीय सदस्य विचार व्यक्त करें पर सदन में अगर सत्ता पक्ष का यह रवैया रहे, आज अभी भी मत विभाजन की हमारी मांग है।

श्री अध्यक्ष: काम की बात करें, लम्बा भाषण नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो व्यवस्था फरमाई है सभापति महोदय ने, उसको बदलने का अधिकार आपको है इसलिए आप बदलें।

श्री अध्यक्ष: अभी जो प्रतिपक्ष के सचेतक ने बात कही है, मैं सारे प्रकरण को देख लूंगा, प्रोसीडिंग्स भी मंगवा लूंगा और इस विषय में आज ही व्यवस्था भी दे दूंगा, वैसे परम्परा के अनुसार इस अवसर पर कभी डिवीजन मांगा नहीं गया है, कभी डिवीजन मांगा नहीं गया है। परम्परा यह रही है। दूसरा, जिस बीएसी की मीटिंग में आप लोगों ने यह तय किया था, उसको सदन में प्रस्तुत कर दिया गया ...(व्यवधान) तो फिर आप बोल लें, मैं बैठ जाता हूं, नहीं, आप बोल लें, मैं बैठ जाता हूं ...(व्यवधान) आप बोल लें न तो, ...(व्यवधान) फिर आप यहां आकर बोल लें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम यहां विरोध करने के लिए नहीं आते, हम चाहते हैं कि सदन चले, पर पार्लियामेंटरी मिनिस्टर किसी भी रूप में सदन को चलने नहीं देना चाहते। इन्होंने यहां तक कह दिया कि हां और ना तो फोर्मेलिटी है, मत विभाजन हमारा अधिकार है, हां और ना का मतलब है, आप हमसे वोट ले रहे हो, हम हां करें तो वो, ना करें तो वोट, हम ना कर रहे हैं, डिवीजन मांगना हमारा अधिकार है, आपकी परम्परा की बात मान सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश भी सर्वोपरि हैं, आपके निर्देशन भी हमारे लिए शिरोधार्य हैं परन्तु यह कहकर यह जो नियम ओर प्रक्रियाओं के नियम हैं, जो आर्टिकल 280 के अन्दर जो नियम बने हैं, इन नियमों की अवहेलना नहीं की जा सकती। अध्यक्ष महोदय, इस पर आपको विचार करना चाहिए, यह कौन सा नया चरित्र है विधान सभा के अन्दर?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सचेतक महोदय, डिवीजन तो आप लोगों में हो गया। तिवाड़ी जी ने अलग रास्ता अपना लिया और आपने अलग रास्ता अपना लिया। डिवीजन तो आप में आलरैडी हो गया, इसके बाद और कौन सा डिवीजन करना चाह रहे हो? नया डिवीजन कर रहे हो क्या आप और कोई कटारिया जी? वह नया डिवीजन कर रहे हो क्या कोई?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप तो अपने लोगों की चिंता करो ...(व्यवधान) अपने लोगों की चिंता करो, चार-चार बार व्हिप जारी होने के बाद भी आपके मैम्बर उपस्थित नहीं हो रहे हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय से भी मैंने बार-बार व्यवस्था के नाम पर उनसे एक आदरपूर्वक आग्रह कर रहा था, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आखिर इस प्रजातंत्र के संघीय ढांचे के अन्दर पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के अन्दर एक ही तो अधिकार हमारे पास में है कि अपनी बात हम यहां कह

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

दें और बात कहकर अगर उसमें आपको यह अर्ज कर दें कि इस बात पर सहमति नहीं बन रही है तो अपने वोट को डिवीजन करा दें, मुझे यह बताइए कि यह सदन भी तो वोट कास्ट होकर ही आया है, जब सदन का कास्टिंग बैंच मार्क ही वोट है तो सदन के अन्दर हम वोट डालने की बात अधिकारपूर्वक क्यों नहीं कह सकते और अगर परम्परा नहीं है तो जिस वक्त परम्परा का जन्म होता है, आज परम्परा का जन्म हो जाए, इसमें क्या बात है? और अगर हम कोई बात कह रहे थे तो आसन से आदरपूर्वक ही तो यह बात कह रहे थे कि आसन हमसे यह बात सुन ले और उसके बाद में अपनी व्यवस्था दे दे आखिर एज ए अक्रोस द ट्रेजरी बेंचेज हमारी पोजीशन के नाते यह हमारा भी धर्म बनता है कि अगर कोई ऐसी बात हो रही है तो कम से कम हम आसन का ध्यान तो आकर्षित करें। आज हम आसन से यह अपेक्षा करते हैं कि उच्च लोकतांत्रिक परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए जो इस सदन के प्रत्येक सदन का अधिकार है और अधिकार संविधान ने दिया है, किसी पार्टी या दल का अधिकार नहीं है। उस संविधान के अधिकार की रक्षा करना आज आसन का यह कर्तव्य है और आसन से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के उच्च चरित्र के समाधान के लिए हम चाहते हैं कि आप ऐसी परम्पराओं का निर्वाह करें और ऐसी परम्पराओं को जन्म दें जिससे यहां ही नहीं, पूरे के पूरे राष्ट्र में एक संदेश जाए कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के अन्दर राजस्थान की विधान सभा ने उच्च लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पूरी की पूरी तरीके से शत प्रतिशत उसका पालन किया है। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह धमकियां दे रहे हैं, आप कोई जो है, अनुनय विनय नहीं फरमा रहे हैं, आप तो जिस तरह से जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यह स्पष्ट आसन को धमकी है ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट, एक मिनट, कालीचरण जी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यह जो आपका टार्चर का, बोलने का जो रवैया है, यह पूरी तरह से अशोभनीय है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय आसन हैं या मंत्री महोदय मंत्री हैं, मैंने धमकी दी है, नहीं दी है, तो आपको निर्णय करना है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं भी इस सदन का एक सदस्य हूं और जितना अधिकार आपको है, उतना ही अधिकार मुझे भी है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय ...(व्यवधान) को जो अधिकार है, उसे मुझे दिलाने की थोड़े ही बात कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): जितना अधिकार आपको है, उतना अधिकार मुझे भी है ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आपको अधिकार है ...(व्यवधान) यह अधिकार आपको नहीं है, अगर मैंने कोई बात कही है तो सदन के सामूहिक हित की बात कही है, किसी दल के हित की बात नहीं की है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): +++ अधिकार, उसका आ गया, यहां सब जो हैं, चुनकर आए हैं, +++ अधिकार पर नहीं चुनकर आए हैं ...(व्यवधान) आपको यह भाषा शोभा नहीं देती।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, +++ अधिकार की बात कही है? (व्यवधान) मंत्री महोदय, आपकी भाषा का स्तर यह है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमारे पिताजी आए हैं यहां ... (व्यवधान) रिकार्ड पर इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन को हाइजेक कर रखा है ...(व्यवधान) कि सदन शांतिपूर्वक नहीं चले ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कौन सी भाषा का इस्तेमाल यहां मंत्री महोदय कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): किसके अधिकार की बात कर रहे हैं, हम जनमत के अधिकार से आए हैं ...(व्यवधान) जनमत के अधिकार से आए हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जो इन पुस्तकों में सुरक्षित है, अध्यक्ष महोदय, जो इन पुस्तकों में सुरक्षित है। माननीय शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही, संवैधानिक बात कही, यह कौन सी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आसन पर आप विराज रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप धमका रहे हैं, आपकी भाषा नितांत अशोभनीय है, हमको सख्त एतराज है इस बात का, कोई अधिकार नहीं है आपको।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): हमको क्या अधिकार है, क्या नहीं है, यह आसन तय करेगा या कोई मंत्री तय करेगा, उनका जो अधिकार है, ...(व्यवधान) वह किसी मंत्री का अधिकार नहीं है ...(व्यवधान) किसी मंत्री को अधिकार नहीं है ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि मंत्री के अशोभनीय वक्तव्य को यहां अपलिखित किया जाए, मंत्री के अशोभनीय वक्तव्य को अपलिखित किया जाए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मंत्री भी सदन के सदस्य होते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम निंदा करते हैं मंत्री महोदय के वक्तव्य की ...(व्यवधान) इनके अशोभनीय व्यवहार के लिए इनको प्रताड़ित किया जाए। हम आसन से अपेक्षा करते हैं कि इनके निंदनीय व्यवहार के लिए इनको प्रताड़ित किया जाए ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): प्रताड़ित आपको जनता करेगी, जब फील्ड में आप जाएंगे तब ...(व्यवधान) जब से सदन चल रहा है, उस दिन से लेकर आज दिन तक आपको सदन को शांतिपूर्वक नहीं चलने दिया ...(व्यवधान) इसका फैसला जनता करेगी ...(व्यवधान) जनता पकड़ कर आपको प्रताड़ित करेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किसको धमकी दे रहे हो, फील्ड में जाने की किसको धमकी दे रहे हो? आपकी बपौती है क्या यह? देख लेंगे आपको, आ जाना आप भी ...(व्यवधान) बात करते हैं, क्या है, यह सब्जी मण्डी है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): सब्जी मण्डी आपने बना दी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किसको धमका रहे हो ...(व्यवधान) मुझ जैसे निरीह प्राणी को किस तरह धमका रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): वह किताब उठा लेते हैं और संसदीय परम्पराओं की दुहाई देते हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं तो सीधा-साधा हूं, केवल स्पीकर को ही अधिकार है, मेरे को धमकाने का ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): शर्म आनी चाहिए आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरे जैसे सीधे-सादे आदमी को मर्जी आये जैसे धमकायेंगे ये? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): चार लोगों ने एक +++ बना रखा है

(श्री राजेन्द्र पारीक)

माननीय अध्यक्ष महोदय। ये चार लोग मिलकर पूरे सदन को हाइजेक करते हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय को क्या हो गया है.... (व्यवधान) आपको यह शोभनीय देता है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): ...सदन को हाइजेक करने का मतलब मालूम है? सदन को हाइजेक करते हैं, हाइजेक की परिभाषा मालूम है? How do you hijack a sadan? कभी सदन हाइजेक हो सकता है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): होता है, रोज हो रहा है। आपकी मर्जी होती है तो हाउस चल रहा है, जब मर्जी नहीं होती तो हाउस नहीं चलता। यह हाइजेक ही है और क्या है। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): .... माननीय मंत्री महोदय, अपने व्याकरण का सही प्रयोग करिये...(व्यवधान) और अगर नहीं आता तो आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी से व्याकरण सीख लीजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): जरूरत पड़ेगी तो वो भी सीख लूंगा। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सीख लो। (व्यवधान) बढ़िया रहेगा, सीख लो।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आपको इस तरह से नहीं करने देंगे, रोकेंगे आपको। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): आप हमें रोक दीजिये लेकिन जनमत के विचार को नहीं रोक सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आसन से संरक्षण प्राप्त है हमें। (व्यवधान) हमें नियम और प्रक्रिया में संरक्षण प्राप्त हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए आपके हर ऐसे कृत्य को हम यहां नहीं करने देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम आपकी कृपा से सदन में नहीं हैं। (व्यवधान) हम आपकी कृपा से सदन में नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): किसने दिया आपको यह अधिकार? (व्यवधान) सदन की मर्यादाएं तार-तार करते हो आप लोग। चार आदमी खड़े हो जाते हो और कोई...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इजाजत मिल गई।

श्री अध्यक्ष: मैटेरियल आपको मिल जाएगा इनको बोलने के बाद अपने आप ही, आप शांति रखो। (व्यवधान) इनको बोलने के बाद आप मौका ले लोगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपने मुझे इजाजत दी है।

श्री अध्यक्ष: पहले इनको। आपके पास कोई मैटेरियल कम हो तो और ज्यादा मिल जाएगा, पहले इनको बोल जाने दो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, matter is very simple. बात इतनी सी है कि कल बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें माननीय कटारिया साहब भी मौजूद थे, माननीय राठौड़ साहब भी मौजूद थे, दिगम्बर सिंह जी मौजूद थे, वगैरह-वगैरह सब लोग मौजूद थे। कुल मिलाकर वो जो बैठक चली वो सिर्फ एक पाइंट पर चली कि सप्लीमेंट्री डिमांड्स को मुखबंद करके पास किया जाए या नहीं किया जाए और वो सर्वसम्मति से दो मिनट में बैठक खतम हो गई कि हां, इसको मुखबंद करके पास कर दिया जाए। मैं यह कहता हूं कि जिस तरीके का भाषण प्रतिपक्ष की तरफ से दिया जा रहा है कि प्रजातन्त्र की हत्या हो रही है, प्रजातन्त्र की यह हो रही है तो फिर यह प्रजातन्त्र कल क्यों नहीं आपको याद आया? कल आपने क्यों नहीं आब्जैक्ट किया कि इसमें मुखबंद नहीं होना चाहिए? आपने यह क्यों नहीं किया?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है कि बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में मुखबंद का निर्णय हुआ वो सब पक्ष और प्रतिपक्ष मान रहा है, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं है और आज तक जब भी मुखबंद हुआ है तो उस पर चर्चा नहीं होती लेकिन यह कतई नहीं हो सकता कि जब हां और ना करके हम किसी डिमाण्ड को पास कर रहे हैं और जो जनतांत्रिक व्यवस्था से इस सदन में उस मत के माध्यम से ही 200 माननीय सदस्य आते हैं। इस सदन में हम वित्त या कानून जैसी कोई भी इस सदन के माध्यम से पास करके देते हैं उसी को राज्यपाल महोदय पैसे देने का काम करती है और राज्यपाल और राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त होकर आने वाले कानून प्रदेश की जनता के बीच में लागू होते हैं। निश्चित रूप से उसमें डिविजन मांगना हमारा हक है। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी में जो मुखबंद का प्रयोग है उसको हम शत-प्रतिशत लागू कर रहे हैं लेकिन आप

(श्री अमराराम)

निर्णय देंगे कि सभापति महोदय ने कह दिया कि इस पर आप डिविजन नहीं करा सकते, यह हमारा कहना है। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती कि इस जनतांत्रिक व्यवस्था के इस मंदिर में सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्रीजी यह कहें कि केवल यह हां और ना, पास करना केवल फार्मेलिटी है, इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती। मंत्रीजी को खड़े होकर राजस्थान की सात करोड़ जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए कि जो यह कहें कि यह केवल फार्मेलिटी है तो फिर कानून पास करना भी फार्मेलिटी हो जाएगी, हमारा बजट पास करना भी फार्मेलिटी हो जाएगी?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपका विरोध करना फार्मेलिटी है। आपका विरोध करना फार्मेलिटी है, यह कहा है मैंने।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): फार्मेलिटी नहीं है, विरोध तो हमारा ही है। (व्यवधान) फार्मेलिटी है या नहीं है यह आप नहीं करेंगे, अध्यक्ष जी करेंगे। फार्मेलिटी क्या है, क्या नहीं है, सरकार के संसदीय कार्य मंत्री इस कार्यवाही को केवल औपचारिकता कहें इससे ज्यादा अपमान जनतांत्रिक व्यवस्था का नहीं हो सकता। मेरा तो निवेदन है कि संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपको इसके लिए राजस्थान की सात करोड़ जनता से खड़े होकर माफी मांगनी चाहिए वरना आप वही डिक्टेटरशिप कर रहे हो जो 26 जून, 1975 को की। उसकी बू आज आ रही है कि आज वकीलों को न्यायालय में जाकर आपके आदेश से पुलिस ने पीटा उसका कारण है कि आज राजस्थान के हाईकोर्ट ने पहली बार अपने आदेश के अनुसार उनको ज्युडिशियली इन्क्वायरी प्रजेंट जज से करवाई है और आपके अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिये हैं। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात क्या होगी कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नहीं जंगलराज हो रहा है। मंत्री यहां खड़े होकर कह रहे हैं और दूसरे मंत्रीजी की भी मैं कहता हूं कि जांच कराओ।

श्री अध्यक्ष: विराजो-विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इनकी भी जांच कराओ। ये आबकारी मंत्रीजी हैं न, इनकी जांच कराओ। यही मेरा निवेदन है। (व्यवधान) वहां जनता में जाएंगे तो बतायेंगे कि इनके मतदाताओं ने इनको वहां घुमाया यह पता है। इनकी जांच जरूर कराओ। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): लोग करते हैं वहां, लोग रोज करते हैं जांच। (व्यवधान) इनकी करनी है जांच। (व्यवधान) पूरे अपराधियों और

(श्री राजेन्द्र पारीक)
भूमाफियाओं से मिले हुए, शराब का अनैतिक कारोबार करने वाले लोग हैं और यहां आकर व्यवस्था की दुहाई देते हैं। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): आप तो आ जाना। (व्यवधान) आ जाना।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप दुहाई देते हैं नैतिकता की, भूमाफियाओं के साथ मिले हुए हैं और अवैध शराब का कारोबार करने वाले लोग हैं। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): यह बात हो रही है? आप कौन होते हो?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह बात हो रही है? (व्यवधान) आप कौन होते हो? आप कौन होते हो? (व्यवधान)

डा. राजकुमार शर्मा (राज्य मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी): आप कौन होते हो? (व्यवधान) क्या सदन में आप लोग ही बोलेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हम नहीं बोलेंगे? आपकी मेहरबानी से बोलेंगे?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): कोई आपकी मेहरबानी से नहीं बोल रहा है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन को आम सभा बना रखा है क्या अध्यक्ष महोदय आपके रहते हुए। (व्यवधान) इस तरह कर रहे हैं मंत्रीगण हमारे लोगों से। किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): पूरा सदन और पूरा राजस्थान आपको जानता है। भूमाफियाओ से मिले हुए हैं, अवैध कारोबार करते हैं आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो कहां जाएं हम? अध्यक्ष महोदय, हमारी लोकतांत्रिक बातों के लिए....

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं चार्ज लगाता हूं...(व्यवधान) दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य पर...(व्यवधान) आप भूमाफियाओं से मिले हुए हैं, आप अवैध कारोबार करते हैं शराब का।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर। मंत्रीजी, आसन पांवों पर, विराज जाएं आप। (व्यवधान) आसन पांवों पर। अंकित नहीं होगा। अब आप विराज जाएं। (व्यवधान) आसन पांवों पर है, आप विराज जाएं माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा किसी का भी। आसन पांवों पर है, विराज जाएं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री पेमाराम (धोद): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ×××

(माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अंकित करने के निर्देश)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कुकृत्य में तो आप हो जिससे आपको लोग कादे में रगड़ते हैं। आपके मतदाता जिन्होंने आपको चुनकर भेजा और आपके कुकृत्य के कारण सीकर में आपको गन्दे पानी में घुमाते हैं। उन्होंने ही भेजा था आपको। (व्यवधान) वो लोगों के प्रति जो आप.... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): यह सब आपकी करतूत थी। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): वो लोगों के प्रति जो आपने वादाखिलाफी की उसका परिणाम था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): पूरी तरह से माफियाओं से मिले हुए हैं। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): जांच कराओ, सरकार आपके पास है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): .... जांच कराओ, अमराराम ने किसी की जमीन खाई है, अवैध शराब है तो गिरफ्तार कराओ न। सरकार लेकर बैठे हो। हम थोड़े गिरफ्तार करने वाले हैं। जांच कराओ, गिरफ्तार करो आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): वो भी करेंगे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): शर्म तो आपको करनी चाहिए जब आप जमीन खाते हो। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, अब तमक रहे हैं इससे काम नहीं चलेगा। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अब तो जांच होनी चाहिए। (व्यवधान) भूमाफिया हैं तो आपकी जांच होनी चाहिए। (व्यवधान) इनकी जांच कराओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज समाप्त करें, बहुत हो गया। माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है। विराजें। मेरे अभी तक यह समझ में नहीं आया कि यह बहस किस बात की हो रही है। (व्यवधान) जो बात माननीय प्रतिपक्ष के सचेतक ने कही थी उस पर मैं व्यवस्था देने खड़ा हुआ था। हालांकि उस पर मुझे व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं थी और वह इसलिए नहीं थी कि जो प्रकरण मेरे सामने चल नहीं रहा है उस पर व्यवस्था देने को बाध्य नहीं हूं, यह नियमों में है। उस वक्त जब प्रकरण चल रहा था तब व्यवस्था दी जाती वो अलग बात होती फिर भी मैंने इस बात को स्वीकार किया प्रतिपक्ष का सम्मान करते हुए कि मैं उस पर व्यवस्था देने जा रहा हूं। उसको भी आपने नहीं सुना। (व्यवधान) हां, वो देख लिया मैंने। मैंने सारा देख लिया। अब यदि आप उस पर व्यवस्था चाहते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं मानता फिर भी अगर प्रतिपक्ष ने निवेदन किया तो उसको स्वीकार करते हुए मैंने कहा कि मैं उस पर व्यवस्था दूंगा।

(16.00 बजे)

व्यवस्था

मुखबंद के दौरान चर्चा या मत विभाजन की अनुमति नहीं

चूंकि मैंने सारे नियमों को देख भी लिया है। यह बात भी सही है कि कल जब तय हो गया बीएसी की मीटिंग में और बीएसी की रिपोर्ट रख दी गई और उसको सर्वसम्मति से हाउस ने पास किया। परम्परा यह है कि मुखबंद पर कोई चर्चा नहीं होती, कोई डिवीजन नहीं होता और उसके अलावा, एक बात और है, जिसका माननीय सदस्यों को शायद न इधर पता है और न उधर पता है, केवल बहस-बहस हो रही है। मुखबंद के अवसर पर हां-ना के अलावा जितनी बहस होती है या आपस में उलझते हैं, वह रिकार्ड पर नहीं जाती है, यह परम्परा रही है। यह भी परम्परा है, फिर भी बहस चल रही है जिसका कोई औचित्य नहीं माना जाना चाहिए, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस प्रकरण को यहीं समाप्त करें। रिकार्ड पर कोई अनुचित चीज गई है तो उसको मैं देखकर एक्सपंज भी करूंगा। जहां तक मेरा ख्याल है, इस तरह की बातें कोई रिकार्ड पर गई ही नहीं हैं, जिस तरह की परम्परा रही है आज तक की। और अगर इस तरह की बातों में उलझते रहेंगे पक्ष और प्रतिपक्ष तो यह सदन नहीं चलने वाला है। राजस्थान की छह करोड़ जनता मीडिया के माध्यम से हम यहां क्या कर रहे हैं, उसको देख रही है। कोई यह सोचे कि मैं क्या कर रहा हूं, बाहर पता नहीं है, लोग बैठे-बैठे मूल्यांकन कर

(श्री अध्यक्ष)

रहे हैं, इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, कृपया सदन को सदन के तरीके से चलने दें, आगे की कार्यवाही को चलने दें, जिससे कि कार्यवाही सम्पन्न हो सके। अब मैं... (व्यवधान) मैंने कहा कि व्यवस्था के लिए मैं व्यवस्था दे दूंगा, यह मैंने कहा है लेकिन उसको आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं बाध्य भी नहीं हूं, यह भी मैंने साथ में कहा है। (व्यवधान) तो आपको मैं कह चुका हूं। आसन पांवों पर है, फिर भी आप खड़े हो रहे हो। सीनियर सदस्य होकर भी आपको नियमों की जानकारी नहीं है, मंत्रीजी भी रहे हो शायद, फिर यह स्थिति है। आप विराजो।

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013, श्री शांती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

अनेक माननीय सदस्य: नो नो।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, क्या आपने आज्ञा दे दी?

श्री अध्यक्ष: आज्ञा दे दी आपको, तभी बोल रहे हैं। वैसे आपके लिए आज्ञा कोई महत्व तो नहीं रखती, फिर भी आपको दे दी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं, नहीं, नहीं, आपकी आज्ञा तो सर्वोपरि है...

श्री अध्यक्ष: फिर भी आप बोलो। चलिये, चलिये, चलिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपकी आज्ञा के बगैर... अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, आज्ञा ही नहीं, मैं अनुमति भी मांग रहा हूं। There is a difference between आज्ञा एण्ड अनुमति.

श्री अध्यक्ष: मैं इतना समझता नहीं हूं। इतना ही समझता हूं कि आप महान हैं। आप तो चालू रखो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): है, फर्क है। मैं कल डिक्शनरी लाकर बता दूंगा आपको। मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक पर विचार

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो उन्हें अनुमति दी जायेगी।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013 को विचारार्थ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है ना बोलने के लिए।

श्री अध्यक्ष: मैंने तो अभी पूछा है, मैं ना कहां कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, अभी जो राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013 सदन के अन्दर पारित करने के लिए माननीय प्रभारी मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है...

(16.04 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

होना तो यह चाहिए कि इस विधेयक के पारण के लिए आज्ञा आपसे मुख्य मंत्रीजी लेते तो ठीक था। परन्तु सभापति महोदय, यह दुर्भाग्य है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान का कि संसदीय प्रजातंत्र में बहुमत का आदर करना, एक तरह से सर्वोपरि है। पर इस कांग्रेस पार्टी में सत्ता में ये लोग बैठे हैं और इस सत्ता पक्ष में जो अन्तर्विरोध है, आज उसी का कारण है, सभापति महोदय, कि सत्ता पक्ष के अधिकांश सदस्य आज...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप इस पर बोलो ना।

श्री नगराज (धरियावद): कांग्रेस पार्टी की बात कहां से आ गई बीच में ही? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर):... राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013 के माध्यम से कंसोलिडेटेड फण्ड से अधिकार ले रहे हैं। यह इस कंसोलिडेटेड फण्ड पर अगर अधिकार है तो वह राजस्थान की अवाम का है। यह सारा वह पैसा है जो राजस्थान की जनता कर के रूप में इस कंसोलिडेटेड फण्ड में जमा कराती है। अगर यह इस तरह का विवाद हो रहा है। घोषणाओं पर घोषणा हो रही है। कंसोलिडेटेड फण्ड में जितना पैसा आ रहा है, उससे कई गुना घोषणा बिना बजटीय प्रावधान के 2011-12, 2012-13 में कर दी। उसी के अनुसरण में अब भी घोषणाएं कर रहे हैं, इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूं कि सिर्फ बजट के अन्दर किसी बात की घोषणा कर देना, इससे काम नहीं चलेगा। वित्त पोषण की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। इस सरकार के चलते जिस तरह से करापवंचन हो रहा है, इस सरकार के चलते जिस तरह से माफिया सरकार के धन को लूट रहे हैं, चाहे वह खनन का मामला हो, रायल्टी का मामला हो, चाहे वह एक्साइज का मामला हो, इसलिए सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो विधेयक ये लेकर आये हैं, इस विधेयक के विरुद्ध मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को मंत्री महोदय वापस लें और उसके बाद दुबारा इसको प्रस्तुत करें।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा जो बजट प्रस्ताव पेश किये गये। हर बजट के, हर बिन्दु पर उन्होंने वित्त पोषण की भी घोषणा की। मैं यह मानकर चलता हूं कि अगर किसी ने नहीं सुनी तो इसका मतलब यह कि वह अचेत था। (व्यवधान) इतना महत्वपूर्ण बजट, जिसने कि गरीब को शक्ति दी महंगाई से मुकाबला करने के लिए। जिसने मिडल क्लास के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए हरसम्भव प्रयत्न किये। अगर वह कोई व्यक्ति सदन में

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

विराजमान हैं, अगर वह उसको ढंग से नहीं सुने तो मैं यह समझता हूं, इससे ज्यादा अफसोसजनक स्थिति नहीं हो सकती। रहा सवाल इस बात का कि माननीय सचेतक महोदयजी ने यह कहा कि सत्ता पक्ष में भिन्न मत हैं। यह भिन्न मत तो यह सीट दिखा रही है। एक तरफ वो बैठती हैं और एक तरफ वो बैठते हैं और दोनों गायब हैं। दोनों एक साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। यह सारा सदन ही नहीं, बल्कि सदन में उपस्थित सारे अधिकारीगण और सारे पत्रकारगण देख रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि एक तो चली गईं और एक घर चले गये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): विराजो। विराजो, विराजो, विराजो। बात कहने दो मंत्रीजी को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कंसोलिडेटेड फण्ड से आप कितना पैसा ले रहे हैं?

श्री सभापति: आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा सवाल है, कंसोलिडेटेड फण्ड से कितने पैसा लेने का अधिकार ले रहे हैं, वह बता दें ना ये। फिर खड़े हो गये। यह थोड़े ही है कि वह चली गई या वह चले गये। यह फाइनेंस बिल है। इस पर बताना पड़ेगा कि आप कंसोलिडेटेड फण्ड से कितना पैसा लेने के लिए राजस्थान विधान सभा से आप अधिकार ले रहे हो, वह बताइये जरा खड़े होकर।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, अनुपूरक मांग द्वितीय संकलन की कुल राशि 10421 करोड़ 17 लाख 60 हजार रुपये होती है और इसमें जो वोटेड है, उसकी संख्या 4221 करोड़ 17 लाख 60 हजार रुपये में से, कुल मिलाकर 10221 करोड़ और जो चार्ज्ड है, चार्ज्ड की श्रेणी में राशि 199 करोड़ 37 लाख 71 हजार रुपये है। सभापति महोदय, अक्टूबर में जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स पास की गई, वह सप्लीमेंट्री डिमांड्स अक्टूबर तक की थी। उसके बाद में यह आप जानते ही हैं, पूरा सदन जानता है, माननीय सदस्य भी जानते हैं कि बजट एस्टीमेट कमेटी की जो मीटिंग होती है वह नवम्बर से लेकर दिसम्बर तक की होती है और

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

तभी जाकर के यह फाइनल फिगर आ पाती है, वह फाइनल फिगर आपके सामने पेश की है। जवाब बहुत स्पष्ट है, इसको भी थोड़ा सा समझ लें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, दुर्भाग्य है राजस्थान के दस हजार करोड़ से ज्यादा की सप्लीमेंट्री डिमांड यानी जो बी.ई. थी, बजट एस्टीमेट था, उसके बाद आर.ई. आई, आर.ई. के बाद सप्लीमेंट्री डिमांड ली, अक्टूबर में फिर सप्लीमेंट्री डिमांड ले रहे हैं, यह बजटीय प्रावधानों का खुला उल्लंघन है, सभापति महोदय, यह वित्तीय नियमों का खुला उल्लंघन है, जो सरकार यह कर रही है। हम जानना चाहते हैं, यह वोटेड का तो आपने बता दिया चार हजार, यह जो दो सौ आज आप ले रहे हैं कंसोलिडेटेड फंड से, किस-किस फंड में कितनी-कितनी राशि ले रहे हैं, किस-किस विभाग को अतिरिक्त राशि कितनी-कितनी दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, किस कारण से दे रहे हैं। बी.ई. हुई, आर.ई. हुई, उसके बाद एक बार सप्लीमेंट्री अक्टूबर में ले ली, अब दोबारा यहां सप्लीमेंट्री में आने की आवश्यकता क्या पड़ी थी, यह बताइये आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं वर्षवार बताने को तैयार हूं, वर्षवार। फिर आप यह नहीं कहोगे कि हमारे टाइम की क्यों कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, जो सदन के विचारार्थ है वह राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013, 2013 के बारे में बतायें, यह कहां से चालू हो जाते हैं, 2013 के बारे में बताइये न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं बता रहा हूं। वर्ष 2003-04, कुल बजट अनुमान, वर्ष 2003-04 ...(व्यवधान)

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह आप क्यों बता रहे हैं, आप तो आपकी बताओ, 13 की बताओ। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बता रहा हूं। हां, बता रहा हूं। भाईजान, यह फाइनेंस मैटर है, जरा मेहरबानी करो। भाई, मेहरबानी करो। वर्ष 2003-04, कुल बजट अनुमान प्लान और नान प्लान बी.ई. 31363.63 करोड़ रुपये, सप्लीमेंट्री आई 8221.91 करोड़ रुपये। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मंत्रीजी बोल रहे हैं, बोलने दो न।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): तो

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

यह सप्लीमेंट्री जो बनी, आदरणीय राठौड़ साहब, यह जो सप्लीमेंट्री बनी वह 25.5 परसेंट की बनी जो कि बीजेपी के राज में थी। (व्यवधान) 2007-08 में, सभापति महोदय, 2007-08 में 37623.78 करोड़ का बजट अनुमान था और सप्लीमेंट्री जो बनी वह 5307.76 करोड़ रुपये, जो कि 14.11 प्रतिशत थी, वह भी बीजेपी के राज में थी। 2011-12 आ जाये, 2011-12 में (व्यवधान) 2011-12 में कुल मिलाकर के बजट अनुमान था 66233.82 करोड़ रुपये और सप्लीमेंट्री जो डिमांड बनी वह 7019.68 करोड़ रुपये बनी, जो कि सिर्फ 10.60 प्रतिशत थी, कहां 25.5, कहां 14.11 और कहां घटकर एकदम 10.60 प्रतिशत रह गई। कुल बजट का आकार भी बढ़ा और सप्लीमेंट्री का प्रतिशत कम हुआ, यह 2011 और 2012 में हुआ, कांग्रेस के शासन में। (व्यवधान) अब इसके बाद 2012 और 2012 लीजिये। 12-13 में 78889.21 करोड़ रुपये का बजट अनुमान था और सप्लीमेंट्री बनी 10737.81 करोड़ रुपये की जो कि सिर्फ 13.66 करोड़ थी, यह विगत वर्ष की विद्युत कम्पनियों के रिस्ट्रक्चरिंग का भार अतिरिक्त, फिर भी सप्लीमेंट्री बीजेपी के समय से काफी कुछ कम हुई। यह जवाब है मेरा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि विद्युत कम्पनियों के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए आपने जितना पैसा दिया, उसमें किस-किस कम्पनी को कितना-कितना पैसा आपने अतिरिक्त दिया, पूर्व में बजट एस्टीमेट के अनुसार कितना-कितना पैसा देय था और किन कारणों से अतिरिक्त पैसा दिया। आपने विद्युत उत्पादन में ज्यादा पैसा दिया, डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा दिया। मेरा आरोप है, महंगी दरों पर बिजली खरीद कर, बिजली खरीद में घोटाला था, इसलिए इन्होंने इस तरह का काम किया है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): विद्युत वितरण निगम को बांड्स के ब्याज के अनुदान के लिए 1829.13 करोड़ रुपये, विद्युत वितरण निगमों को विद्युत दरें नहीं बढ़ाने हेतु अनुदान दिया गया 250 करोड़ रुपये, विद्युत वितरण निगमों को विद्युत चोरी अपराध के कम्पाउंडिंग और जमा राशि के विरुद्ध अनुदान दिया गया 85 करोड़ रुपये, विद्युत वितरण निगमों को पूंजी विनिवेश के लिए 1959.73 करोड़ रुपये दिया गया और आखिरी में विद्युत वितरण निगमों को अतिरिक्त विद्युत आपूर्ति के लिए 1299.46, कुल मिलाकर 5423.32 करोड़ रुपये दिया गया। हुजूर, हिसाब पेश है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हमें मालूम है, राजस्थान के अन्दर कितनी विद्युत उपलब्धता रही, सारे माननीय सदस्य जानते हैं, राजस्थान के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गांव 24-24 घंटों में 18-18 घंटे विद्युत, अंधेरे में डूबे रहे। राजस्थान के अन्दर किसान को चार घंटे, पांच घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिली। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, सरकार का....

श्री सभापति: आप भी बोलेंगे?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हां। सभापति महोदय, विद्युत की बात कर रहे हैं हमारे संसदीय कार्य मंत्रीजी और अभी वित्त मंत्री कर रहे हैं, राजस्थान की सात सौर ऊर्जा कम्पनियों से जिनका 83 करोड़ रुपये बचाने के लिए फर्जी बिजली की खरीद बताते हैं और वह जनता को चोरी बताकर जिस तरह से लूटने का काम कर रहे हैं, शायद राजस्थान के पहले इतिहास में कभी नहीं रहा कि किसी किसान का साढ़े बारह एचपी का कनेक्शन अगर पन्द्रह एचपी का दिखा देंगे लोड कम आने के कारण, वीआर कम आने के कारण, आज तक दो हजार रुपये पेनल्टी थी, यही सरकार है जो नौ हजार रुपये पर एचपी के हिसाब से, वह लूटने का काम करेंगे, खाने का काम कम्पनियों से मिलकर सरकार करे और राजस्थान का किसान और आम जनता उसको भरने का काम करे, राजस्थान में पहली बार है कि एक साल में आम उपभोक्ता की तीन दफा रेट बढ़ाकर जनता की जेब लूटने का काम सरकार कर रही है और जो जनता का पैसा बजट से ले रहे हैं वह उसको चूना लगाने का काम कम्पनियों से मिलकर सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह पैसा किसी भी सूरत में उनको खाने की इजाजत नहीं हो, उन कम्पनियों को मालामाल करने के लिए सात ऊर्जा कम्पनियों को 83.5 करोड़ रुपये, बैंक गारंटी बचाने के लिए फर्जी बिजली का उत्पादन दिखाने का काम करे, उसकी आज जांच हो रही है और निश्चित रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): सभापति महोदय, खनन रायल्टी में जो पैसा आ रहा है, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उसमें कितना अपेक्षित था, कितना पैसा आया और क्या कारण था कि यह कम आया और आपने सेल्स टैक्स रायल्टी को माइनिंग पर क्यों खत्म किया, क्योंकि आप चाहते थे, आप राजस्थान में अवैध खनन करवा रहे हैं। पूरा देश जानता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अवैध खनन हो रहा है और उसको बचाने के लिए आपने सेल्स टैक्स रायल्टी को माफ किया है और टेण्डर प्रक्रिया को खत्म किया है। कृपया, राजस्थान सरकार को कितनी रायल्टी आनी थी इस वर्ष और

(श्री रामहेत सिंह)

कितनी आई और उसके कमी के कारण क्या रहे और आपने ऐसा निर्णय क्यों लिया, यह बतायें जरा। (व्यवधान)

श्री सभापति: बोलें साहब, आप भी बोलें। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्य्म से कि एक वर्ष में पांच हजार करोड़ रुपये एक्स्ट्रा ऊर्जा कम्पनियों को दिया गया, इसका मतलब इन्होंने कंगाली पैदा की, बिजली के माध्यम से कंगाली पैदा की। इतना ही नहीं, किसानों को लूटने के लिए पच्चीस रुपये जो स्थायी सेवा शुल्क था, दो सौ पचास रुपये कर दिया। यह कहते हैं हमने पैसे नहीं बढ़ाये, जो किसान पानी सूख गया, दो सौ यूनिट अगर महीने की जलाता है तो एक रुपया तो यह स्थायी सेवा शुल्क ले रहे हैं और नब्बे पैसे की बात करते हैं, एक बात। दूसरे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, पिछले वर्ष हमारे माननीय मुख्य मंत्री को रिजर्व बैंक के अधिकारी को यह कहना पड़ा, हमें लोन दिलाओ। रिकार्ड पर है। 84 संस्थाओं से ऋण ले चुका बिजली बोर्ड और उसके बाद कोई ऋण देने के लिए तैयार नहीं है, यह कंगाली पैदा की और आज जनता के पैसे को लूट रहे हैं। बिजली कम्पनियों को दिलाना चाहते हैं, यह क्या स्थिति है। पांच हजार करोड़ की है, फिर भी कहते हैं 13 प्रतिशत, यह बात कही थी कि 2003 और 2004, 2004-03 दिसम्बर में हम आये थे, 2003 का बजट इन्होंने ही पास किया था 2003 और 2004 का, यह जो पच्चीस प्रतिशत बताया गया है, यह असत्य कहा गया कि हमारी सरकार ने किया है, एक बात यह है। तीसरी बात यह कहना चाहता हूं, सप्लीमेंट्री बजट में अगर दस प्रतिशत से ऊपर हम जाते हैं तो इसका मतलब हमारे बजट अनुमान फेल होते हैं। मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं और बजट मैंने पढ़ा है। पांच प्रतिशत से ज्यादा अगर बजट एस्टीमेट फेल होते हैं तो बजट बनाने वाला जो है, क्योंकि आज एवजी वित्त मंत्री बैठे हैं, इनसे तो क्या कहूं मैं, वित्त मंत्रीजी होते निश्चित तौर पर मैं पूछता और उसी भाषा में पूछता, बजट की भाषा में कि बजट भाषा के सिद्धांत क्या हैं। इस कारण से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की छूट नहीं दी जाय, इस सदन को इस प्रकार से गुमराह नहीं किया जाय।

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, बिजली में किसानों को किस तरह से लूट मचा रखी है। उसमें बिल में स्थाई सेवा शुल्क नाम से वसूला जा रहा है। जिसमें से सेवा शब्द हटा दिया और

(श्री केसाराम चौधरी)

सेवा नाम की चीज दे नहीं रहे हैं, ट्रांसफार्मर पन्द्रह-पन्द्रह दिन में मिलते नहीं हैं और उसमें यह जो सेवा शब्द जो हटाया है बिलों में से उसका क्या कारण है यह तो बता दें मंत्रीजी?

श्री सभापति: विराजो आप।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड-2 व 3, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 व 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-1 अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री शांती कुमार धारीवाल।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री सभापति: कोई माननीय सदस्य...

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यह बेसिकली फिस्कल डेफिसिट आफ प्रूडेंस की बात है। हम एप्रोपिएशन बिल में सप्लीमेंट्री जब लाते हैं तब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जिस परिस्थिति को जिस वक्त बजट पास हो रहा था या उसके बाद में जब आर.ई. हो रही थी। उन परिस्थितियों को हम पहले से मद्देनजर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

नहीं रख सकते। Happenings which were not cleared at that time. मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अलावा भी आप लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं आपका ध्यान आर्टिकल-115 सैक्शन-1 ए एंड आर्टिकल 2, 3 व 5 सैक्शन-1 ए की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपके स्टेट बजट मैन्युअल के पैरा-21 पर, आपको इतना भी अधिकार नहीं है कि अगर आप सर्विसेज के हैडस्पेस को चेंज कर रहे हैं और अगर जिसको आप कहते हैं कि न्यू सर्विसेज के अन्दर अगर आप वह चीज चेंज कर रहे हैं। न्यू सर्विसेज का मतलब मैं आपको ठीक वैसा बताता हूं आपने बिजली कम्पनियों को न्यू सर्विसेज नाम से एक यूजर चार्जेज कलेक्ट करने का जिम्मा सौंपा। अब आपकी बिजली कम्पनी Bijli company is limited by the constitution. रजिस्ट्रार आफ कंपनीज में उसका कान्स्टीट्यूशन और उसका पूरा संविधान पंजीकृत है। वह बिजली की एनर्जी को सप्लाई और सर्विस करने का काम करती है। उसका संविधान के अन्दर कहीं यह नहीं है, यह कोई बिजनस प्रोसेसिंग हाउस के काल सेंटर्स नहीं हैं कि जो-जो लोन रिकवरी के लिए काम करते हो। आपने बिजली कंपनी से यूजर चार्जेज इकट्ठे करवाए। एक तो आपने उस कम्पनी से चार्ज इकट्ठे करवाए जो स्वयं घाटे में जा रही है। फिर किस हैसियत से तो चार्ज आपने रिकवर करवाए? क्योंकि वह उसके कान्स्टीट्यूशन प्रोविजन का कहीं कोई मैटर ही नहीं है। संविधान जिसके तहत जेवीवीएनएल बना है, डिस्काम्स बनी हैं वह इस बात का अधिकार ही नहीं देता DISCOM is not constituted with the right or a duty to perform for an activity or a service which does not fall within the domain of providing energy service. Now how is user charge appropriated with collection of user charge with the DISCOM activities? दूसरा, जिस सैक्शन की मैं आपको बता रहा हूं। नई एक्टिविटी को डिफाइन मैं करवा रहा हूं, यह बात मैं आपसे इसलिए निवेदन कर रहा हूं I am not trying to, you know that, divert you from the issue. आपका सप्लीमेंट्री ग्रांट आप ही हैं। पिछले इतने वर्षों से जब से बजट पेश हो रहे हैं सप्लीमेंट्रीज आती हैं और रि-सप्लीमेंट्रीज भी आती हैं। सिक्स-पे कमीशन बीच में अगर लागू हो जाता तो आपके और भी सप्लीमेंट्रीज आती। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि कहां हमको, जब आपका न्यू सर्विसेज के नाम से आर्टिकल कान्स्टीट्यूशन का जिसका मैंने मेंशन किया, वह आपको रेस्ट्रिक्ट करता है? Further large expenditure exceeding 5 lakhs or 20% of the existing budget provision under sub head or where there is no sub head under a minor head whichever is more arising out of extension of an existing activity, shall be treated as new service. Expenditure on new service shall be made from the contingency fund during

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

the course for the financial year. आपको 20 परसेंट पर रेस्ट्रिक्ट कर देती है। उसके अलावा, आपको अधिकार नहीं है। मैं और पढ़ दूं, मैं आपको इसलिए क्योंकि आप सप्लीमेंट्री ला रहे हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं In 9 grant, 24 cases, an expenditure of 28.80 crores was incurred during a particular financial year on new service. आप चाहो तो मैं फाइनेंशियल ईयर बता दूं? फिर आप फरमाएंगे कि नहीं, 2004-05 में क्या हुआ, 2006-07 में क्या हुआ, 2008-09 में क्या हुआ? सभापति महोदय, फरमाएंगे पता नहीं कहां चला गया? अगर आप चाहेंगे तो, साल मैं बता दूं? In financial year ending 2010-11. That is the expenditure was more than 20% of the budget provision and exceeded 5 lakhs in each case as shown in Appendix 2.11 of the CAG report and in all these cases expenditure on new service was not made from the contingency fund and was incurred without the approval of the Legislature. अब इससे बड़ा कान्स्टीट्यूशन वायलेशन क्या हो सकता है? अब आप जवाब दे दें। सभापति महोदय, जवाब ले लें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, जो प्रश्न उठाया गया है, उसका इस विधेयक से ताल्लुक ही नहीं है। जहां तक यूजर चार्जेज का सवाल है, बहुत स्पष्ट बात है कि बजट की रिप्लाई आएगी उसके बाद में अगर यह सवाल उठाते तो उसका जवाब दे दिया जाएगा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): नहीं, नहीं, आप विराजें, मैंने यूजर चार्ज का तो नए सर्विस को डिफाइन करने के लिए दिया है। लेकिन मैं जो बोला हूं वह सीएजी के पैरा से बोला हूं। मैंने यूजर चार्ज का तो सिर्फ एक उदाहरण के लिए आपको दिया था। मैं यूजर चार्ज पर तो और डिबेट ही नहीं करूंगा. I do not want to give you my ammunition to you now. When I will discuss the budget then I will tell you what you have done. लेकिन आज मैं आपसे वह बात कर रहा हूं जो सीएजी ने मेंशन की है। मैं चाहता हूं क्योंकि आप सप्लीमेंट्री ला रहे हैं तो मैं सप्लीमेंट्री के साथ यह चाहता हूं कि न्यू सर्विसेज में जहां आपने कान्ट्रावेंशन किया है, उस पर सैट आफ फाइनेंस का क्या है? अब पर्ची आ गई है आपकी, आप पढ़ दो। These Bureaucrats are going to run this country. They are going to run this state. Sorry, I take my word back. They are going to run this state. Probably they are going to run in your and in my house also.

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा सिर्फ दो लाइन का जवाब है आपकी बात का। कोई लम्बी बात करने की

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

आवश्यकता ही नहीं है और मैं न कोई इर्रेलेवेंट बात करना चाहता और न कोई इर्रेलेवेंट बात को यहां उठाना भी नहीं चाहिए। मोटी बात यह है कि कंटिंजेंसी फण्ड से लिया गया एडवांस भी सप्लीमेंट्री में ही एडजस्ट होता है। मोटी बात यह है, आपकी बात का जवाब आ चुका है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, राव साहब को क्या हो गया? आपके मुंह से तो ऐसे शब्द निकलते ही नहीं हैं। आप किसी गलत आदमी के साथ रहने लग गए आजकल दो-तीन दिन से।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैंने वापस ले लिया है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपका तो सारा सदन सम्मान करता है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैंने वह शब्द वापस ले लिया है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप तो कभी ऐसा शब्द बोलते ही नहीं ऐसा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): गलती से निकल गया I take my word back but that word only, not the context.

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, राठौड़ साहब मेरा अनुरोध है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) आप किस अधिकार से बोल रहे हैं यह बतायें तो सही, आपने अनुमति ली है क्या? (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मेरा अनुरोध है आपको भी अच्छा लगेगा।

श्री सभापति: आप तो विराजो, मेरी अनुमति से कोई बोल रहा है क्या? जैसे चाहे आप खड़े हो रहे हो? मान कहां रहे हो आप लोग? न आप मान रहे हैं और न ये मान रहे हैं। आप विराजें।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सभापति महोदय, मैं जो बोलूंगा वह आपको भी अच्छा लगेगा।

श्री सभापति: मंत्रीजी, उन्होंने शब्द वापस ले लिया है ना, शब्द वापस ले लिया है।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य

(श्री अशोक बैरवा 'खण्डार')

ने +++ स्टेट कहा है कृपया करके इसे कार्यवाही से निकाला जाए। यह पूरे राज्य के लिए तौहीन की बात है और यह सदन की गरिमा के प्रतिकूल है इसलिए इसको एक्सपंज किया जाए।

श्री सभापति: उन्होंने शब्द ही वापस ले लिए हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैंने अपने शब्दों को वापस ले लिया है और मैं आदरणीय मंत्री महोदय, आपसे वापस रिपीट कर रहा हूं The new service was not made. आप कह रहे हो न कंटिंजेंसी फण्ड से होता है The new service was not made from the contingency fund and was incurred without the approval of the Legislature. मैं तो वहीं बात पढ़ रहा हूं जो सीएजी ने लिखी है। आप कह रहे हो कंटिंजेंसी फण्ड से ही होता है, आपने नहीं किया, यही तो मेरा आपसे आब्जेक्शन है।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री सभापति: दे दूंगा मैं, बिलकुल दूंगा। श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट पर बोलने का जो मुझे मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जो मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया उसमें राजस्थान की जनता को केवल गुमराह किया। उसमें कई पाइंट्स मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। इन्होंने कई जगह कई हवाई फायर किये। पैरा-25 में लिखा है कि हमने प्रदेश की ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। गत चार वर्षों में राज्य की उत्पादन क्षमता में 4,628 मेगावाट की वृद्धि हुई है। मैं यह इस सदन को बताना चाहूंगा कि ये जो सौर ऊर्जा है और पवन ऊर्जा है वो प्राइवेट कंपनीज करती हैं वो एक ओन गोइंग प्रोसेस है, हर साल सर्टेन नंबर आफ मेगावाट आते रहते हैं लेकिन जहां थर्मल पावर का जो प्रोडक्शन है, उसमें आज की तारीख तक सरकार की एक भी मेगावाट बिजली हमें प्राप्त नहीं हुई

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

है। ये जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं सब हमारे आन गोइंग, खाली वित्तीय स्वीकृति हमने नहीं दी, हमने टेण्डरिंग तक कर दी थी, इन प्रोजेक्ट्स की और मैं आपके सामने यह लाना चाहूंगा कि छबड़ा-1 एंड 2 - 500 मेगावाट, नं. 3 एंड 4 - 500 मेगावाट, एसटीपीएस-6 - 250 मेगावाट, केटीपीएस नं.7 - 195 मेगावाट, गिराल - 1,2 – 250 मेगावाट, धौलपुर-1,2,3 – 330 मेगावाट, बरसिंगसर - 250 मेगावाट, मरुधर पावर 135 मेगावाट, वेस पावर 1370 मेगावाट और कालीसिंध 1200 मेगावाट। आपको जो भी बिजली मिल रही है पिछले चार साल में वो हमारे लगाये हुए पावर प्रोजेक्ट्स से मिल रही है। मुख्य मंत्रीजी ने जब आपका पहला बजट पेश हुआ था 2009 तो बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं की थीं कि हम 6 सुपर क्रिटीकल पावर प्रोजेक्ट्स लगाने वाले हैं। 1320 मेगावाट के हम 6 लगाने वाले हैं लेकिन हुआ क्या? ये तो कोरे कागजी शेर निकले। एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तक एक भी सुपर क्रिटीकल पावर प्रोजेक्ट या टेण्डर नहीं हुआ है आज की तारीख में। हां विंड में आपके जरूर हुए हैं विंड के अन्दर अगर आप कहते हैं कि हजार मेगावाट हमने किया है इस साल में तो उसका प्लांट लोड फैक्टर 15-20 प्रतिशत होता है तो अगर इंस्टाल कैपेसिटी हजार मेगावाट है तो एक्चुअली 150-200 मेगावाट वो पावर एवरेज देता है पूरे वर्ष में। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि अपने सेन्ट्रल गवर्नमेंट में जितने स्केम हुए हैं, मेरे ख्याल में अपने देश के इतिहास में इतने स्केम कभी नहीं हुए हैं। आपका इतना भारी 2जी स्केम हुआ, आपका हैलीकोप्टर स्केम हुआ। कोमनवेल्थ गेम्स के अन्दर कलमाडीजी जेल गये, इतना बड़ा स्केम हुआ। आपके राबर्ट वाड्रा का स्केम उसकी भी बातें चल रही हैं कि जमीन हमारी जैसलमेर में भी आकर उनकी कम्पनियों ने जमीनें खरीदीं और फर्टीलाइजर स्केम। वो कहावत है कि 'बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां शुभान अल्लाह'। अब मैं आपको हमारे प्रदेश के एक सुपर स्केम के बारे में बताऊं। मेरे पास डाक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, आपके सामने मैं पेश करना चाहूंगा। जो राजस्थान के पहले दो सुपर क्रिटीकल पावर प्रोजेक्ट्स 2640 मेगावाट के 11 हजार करोड़ रुपये जिनके ऊपर खर्च होने वाले हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहूंगा। राजस्थान सरकार ने प्राइवेट पार्टीज को और भेल को सबको आमंत्रित किया पूरे 1300 मेगावाट के दो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। इनके अन्दर खाली तीन लोग आये एक रसिया की कम्पनी थी, एक इंडिया की कम्पनी थी बीजीआर और एक बीएचईल थी। ये टेण्डर 30.9.2010 को किया गया और इसकी बिड 1.1.2011 को ओपन की गई। इस बिड में बीएचईएल

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

दोनों पावर प्रोजेक्ट्स में एल-1 थे उनको अवार्ड नहीं किये गये। इसका कारण भी इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने दुबारा रिबिडिंग की। उसकी कंडीशन में यह कहा कि प्लांट एंड मशीनरी की इंटरनेशनली और नेशनली कीमतें डाउन हो गयी हैं तो हम स्टेट का पैसा बचाना चाहते हैं इसलिए हम इसको रिबिड कर रहे हैं। दोनों बिडिंग में बीएचईएल एल-1 आया। उसको रोक दिया। अब दुबारा बिडिंग हुई। ये रीटेण्डरिंग 7.7.12 को हुई और इसकी जो प्राइस बिड है वो 24.1.13 को खुली। ये बिड जब वापस खुली तो इसमें लगभग 554 करोड़ रुपये कम टेण्डरिग हुई। पर दुबारा जब इन्होंने की, उसके अन्दर फिर बीएचईएल एल-1 आई दोनों में। इन्होंने एक कंडीशन बना दी थी रीबिड के अन्दर। कंडीशन यह थी कि हम एक कम्पनी एक से ज्यादा पावर प्रोजेक्ट नहीं देंगे। अब बीएचईएल इतने पावर प्रोजेक्ट्स कर रही है उसको अगर दो मिलते हैं पावर प्रोजेक्ट्स, उसने सबको ढाई सौ-तीन सौ करोड़ से नीचे की कीमत पर किया। इनका जो कारण बताया कि इंटरनेशनल प्राइस आफ प्लांट एंड मशीनरी कम हो रही है और हमारे 554 करोड़ रुपये हमने बचाये। मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट लेट हुआ एक साल की जो देरी हुई इस पावर प्रोजेक्ट में इसमें 2640 मेगावाट का अपने को नुकसान हुआ पर डे का। 2640 मेगवाट का प्लांट चौबीस घंटे तो चलता नहीं 80% टाइम चलता है तो हम ले लेते हैं इसको 2112 मेगावाट। 2112 मेगावाट का मतलब है 422 लाख यूनिट पर डे। 365 दिन में 422 लाख यूनिट पर डे करें तो पूरे साल में 1,54,200 यूनिट पर ईयर अपने को घाटा हुआ और इस 1,54,200 यूनिट को 4.50 रुपये से मल्टीप्लाई करें तो सात हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ इसको एक साल डिले करने की वजह से। आप कहेंगे कि 4.50 रुपये तो वो हमारा प्रोडक्शन कोस्ट है लेकिन इसका जो मेन पाइंट, मैं पाइंट आउट करना चाहता हूं कि हम बिजली दस रुपये में खरीद रहे थे और अगर ये पावर प्रोजेक्ट एक साल पहले आता तो कहां 4.50 रुपये और कहां 10 रुपये तो ये सात हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है एक केवल 554 करोड़ रुपये बचाने के लिए और ये 554 करोड़ रुपये बचाये हैं इसके अन्दर मैं एक बहुत इंपोर्टेंट डाक्यूमेंट आपको पढ़कर बताना चाहूंगा। अंग्रेजी में है। ये चिट्ठी है श्री प्रफुल्ल पटेल, मिनिस्टर आफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज। 18 मई, 2012 को प्रफुल्लजी ने ये पत्र लिखा हमारे सी.एम. साहब को।

"Dear Shri Gehlotji,

I write this in connection with the sudden cancellation of tenders by

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

Rajasthan Rajya Vidyut Utpadan Nigam Limited for their 2x660 MW Suratgarh and 2x660 MW Chhabra through their letters dated 25th April, 2012. I have been informed that RRVUNL had invited International Competitive Bids in November, 2009 for execution of the above projects on a total turnkey basis. As per the tenders opened in the presence of the bidders in January, 2011, BHEL emerged the lowest bidder for both the tenders, with a difference of about 7% in each project from their nearest competitor BGR Energy."

अब आप सुनिये सभापति महोदय, ''After a gap of one year from the date of opening of the price bid RRVUNL invited BHEL in January, 2012 for discussions on the price and terms and conditions for both Suratgarh and Chhabra projects.

इनको बुलाया गया उसके अन्दर भेल ने फिर अपनी कीमत कम कर ली I am informed that during the discussions, BHEL agreed to all the terms and conditions requested by RRVUNL Board." मतलब जो भी टर्म्स एंड कंडीशन जो अपने उत्पादन निगम ने बोला उन्होंने कहा कि हमने उनको भी एक्सेप्ट कर लिया। हमने डिस्काउंट भी दिया फर्दर डिस्काउंट किया टेण्डर से और हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया।

"...BHEL agreed to offer further discounts on the quoted prices. BHEL's approach in the entire process was to facilitate placement of orders for the above projects on BHEL." सभापति महोदय, अब आप सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट आ रहा है "However, it was surprising to note that just five days after the discussions for Chhabra, RRVUNL communicated to BHEL its decision to cancel both the tenders. The compulsions of RRVUNL to take such a decision is not known." Further more; "BHEL, as you may be aware, has technology collaboration with Alstom, France for the Boilers and Siemens, Germany for Turbine Generators for supercritical thermal sets, BHEL has already received orders for 18 Boilers and 16 Turbine Generators of 660 MW, 700 MW and 800 MW ratings of the above technology from various utilities and IPPs like NGTPC, APGENCO, KPCL, Jaypee, Bajaj Hindustan, DB Power etc., which are in various stages of execution. BHEL is well established in engineering, manufacturing and installation of supercritical sets in comparison to other competitors who are setting up their establishments in India." मतलब बीएचईएल कह रहा है कि आप तो 660 मेगावाट की कर रहे हो, हमें 800 मेगावाट तक के आर्डर मिले हैं, इतने आर्डर मिले हुए हैं और हम फुली काम्पेंटेंट हैं इसको एग्जीक्यूट करने के लिये दो प्रोजेक्ट आपके। "With this decision of RRVUNL Board, BHEL has been deprived of orders of about Rs. 12000 Crores, despite it being the lowest bidder by substantial margin in both the International competitive bids and having also subsequently agreed in totality to all the requirements put forward by RRVUNL for the tenders. I therefore,

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

seek your kind intervention in the matter to suitably advise RRVUNL to place the orders for the above projects on BHEL. With best regards, Praful Patel." यह पत्र प्रफुल्ल पटेल ने सीएम साहब को भेजा था। सभापति महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि इसके ऊपर केबिनेट मीटिंग क्यों नहीं हुई? इसको स्क्रेप करने का क्या कारण था? बीएचईएल जिसके पास एक्सपर्टीज थी और वह अंडर टेकिंग लेने वाला था कि हम दोनों प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करेंगे, उनको यह क्यों नहीं दिया गया? यह कौनसी कंडीशन थी कि हम एक प्रोजेक्ट एक को देंगे और एक जने को हम दो पावर प्रोजेक्ट नहीं देंगे? यह हिन्दुस्तान के पूरे पावर सैक्टर में कभी सुनने को नहीं आया और स्पेशियली जबकि उन्होंने सबसे सस्ता दिया था और उन्होंने कहा था कि हम टाइम पर कम्प्लीट करेंगे। मैं सोचता हूं कि इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए और मेरा सोचना है कि इसमें जरूर एक बहुत भारी स्केम हैं involving about 11 thousand crores.

सभापति महोदय, इसके अलावा, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पैरा 34 में बोला था, उन्होंने डिस्कसन किया था आरआरजीवाई स्कीम के बारे में। सभापति महोदय, उन्होंने अपने बजट भाषण में बोला कि इस योजना के अन्तर्गत 100 से 300 तक की आबादी वाली 15150 ढाणियों के विद्युतीकरण हेतु 1356 करोड़ की 32 योजनाएं बनाकर केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई हैं। इसका क्या अर्थ है? स्वीकृति के लिये तो हमने भी पांच साल तक भेजी थी। यह खाली जनता को गुमराह करने वाला है, यह स्वीकृत होगी, नहीं होगी, आयेगी, कब आयेगी।

इसके अलावा पैरा 27 में इन्होंने लिखा है, मुख्य मंत्रीजी ने भाषण दिया था 6 तारीख को इसमें लिखा है कि अब तक 436 मेगावाट क्षमता की 65 सोलर एनर्जी परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं। 6 मार्च का लोड डिस्पेच सेंटर यह बता रहा है कि उस दिन खाली 276 मेगावाट का लोड था। मुख्य मंत्रीजी ने फिर जनता को गुमराह किया है कि सोलर पावर की जो यह स्कीम हैं, यह जो 65 परियोजनाएं 436 मेगावाट दे रही हैं वह एक्च्युअली 276 मेगावाट ही है।

सभापति महोदय, इसके अलावा, जो ढाणियों की स्कीम थी, 2 साल तक 100 से कम आबादी की जो स्कीम थी, ''मुख्यमंत्री सबके लिये योजना'' जो हमने शुरू की थी उसको रोक दिया गया और अब पिछले बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की कि हम इस स्कीम को वापस चालू

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

करते हैं और डेढ़ सौ करोड़ रुपया हम देंगे। डेढ़ सौ करोड़ रुपये का मतलब हुआ कि लगभग एक विधान सभा क्षेत्र को 75 लाख से ज्यादा ढाणियों के कनेक्शन के लिये पैसा उपलब्ध कराया जाएगा जो कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। अब यह आगे घोषणा कर रहे हैं कि अगले वर्ष में हम इतना-इतना और करेंगे, अगले वर्ष का मतलब है चार महीने आपको जो करना है वह कर लो उसके बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे।

सभापति महोदय, हमारी जब सरकार थी डिमांड नोटिस में रेड में लिखा होता था कि डिमांड नोटिस भरने के तीने महीने की अवधि के बाद में आपको कनेक्शन मिल जाएगा। कभी-कभी हमारे स्लीप होकर तीन महीने के चार महीने हो जाया करते थे लेकिन इस सरकार के कार्यकाल में डेढ़ साल तो कम से कम एवरेज स्लीपेज हुआ है और स्लीपेज इसलिए हुआ है क्योंकि जो मिसमैनेजमेंट आफ फंड्स हुआ है उस मिसमैनेजमेंट आफ फंड्स की वजह से मैटेरियल अवेलेबल नहीं है। किसान एईएन के पास जाता है तो उसको कहते हैं कि पोल नहीं है। तीन-चार महीने के बाद उसको पोल मिलते हैं, पोल मिलने के बाद वह जाता है तो कहते हैं कि हमारे पास लाइन नहीं है। लाइन के लिये वह फिर जाता है तो दो-तीन महीने उसमें निकल जाते हैं। फिर वह कहते हैं कि ट्रांसफारमर नहीं है। फिर वह ट्रांसफारमर के लिए चक्कर काटता रहता है। ऐसे करते-करते...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सात बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का समय 7 बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय सात बजे तक के लिये बढ़ाया गया।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट): सभापति महोदय, डिमांड नोटिस भरने के डेढ़ दो साल तक तो कनेक्शन लम्बित रह गए। अब जरूर इलेक्शन ईयर को देखते हुए एक साल तक यह ले आए हैं। आप देखिए, 1.4.2011 के

(श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर)

बाद एक स्टेज यह आ गई थी कि एससी के कनेक्शन इन्होंने एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। फिर नवम्बर, 2012 में उनको वापस शुरू किया। हमारे टाइम में इतिहास में एससी के कनेक्शन कभी नहीं रुके। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तो मैंने बीएचईएल के एक स्केम के बारे में चर्चा की है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी इसके बारे में सदन को बताएं कि यह बीएचईएल जिसकी सबसे सस्ती दरें थीं और जो कि टाइम पर करने वाला था, बीएचईएल जो हमारे इतने पावर प्रोजेक्ट कर चुका है, हमारी इतनी टरबाइन लगा चुका है, हमारे इतने पावर प्लांट लगा चुका है तो उसको यह प्रोजेक्ट क्यों नहीं दिया गया। केबिनेट में इसका डिस्कसन क्यों नहीं हुआ? इसका मैं सोचूंगा कि मंत्रीजी it involves 11 thousand crores Rupees. और यह एक बहुत भारी अमाउंट है। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि यहां बोलने वाले हमारे मित्र बहुत हैं। इतना ही कहूंगा कि अगली बार जब मुझे मौका मिलेगा मैं एक और भारी कान्ट्रावर्सी को खोलूंगा, सौर ऊर्जा में हुए घोटाले, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। बोलने के लिये समय देने के लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सीएम साहब के बजट भाषण की मैं घोर निंदा करता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी श्री अशोकजी गहलोत ने 8 जुलाई, 2009 को परिवर्तित बजट इस सदन में पेश किया था। 9 मार्च ,2010 को दूसरा बजट पेश किया, 9 मार्च, 2011 को तीसरा बजट पेश किया, 26 मार्च, 2012 को चौथा बजट और 6 मार्च, 2013 को पंचम बजट इस विधान सभा के समक्ष पेश किया।

बजट पेश करने के बाद में कल यह वाद विवाद होना था लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के साथियों की मेहरबानी की वजह से यह सदन कल चल नहीं पाया था। जब बोलने के लिए मेरा नम्बर आया था उस वक्त कल तक के लिए विधान सभा स्थगित हो गई थी।

आज अभी मेरे पूर्व लोहावट से आने वाले माननीय सदस्य बजट के लिए बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बिजली की डिमांड हो रही हो। हालांकि यह पहले बिजली मंत्री रहे हैं, इनका ज्यादातर ध्यान बिजली के ऊपर रहा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि ऐसा

(श्री महेन्द्र चौधरी)

जोरदार बजट और ऐसा शानदार बजट राजस्थान के लोकप्रिय अशोक जी गहलोत ने जो बजट पेश किया वह बजट महिलाओ, युवाओं, वृद्धजनों, अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी, एसबीसी, अल्पसंख्यक, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समर्पित बजट है। इस बजट के पेश करने के बाद राजस्थान के अन्दर, हर वर्ग के अन्दर बजट की तारीफ हो रही है। हमारे विपक्ष के सदस्य भी अन्दर के मन से यह कह रहे हैं कि हमें सदन के अन्दर, हमारा फर्ज है कि हम इसकी आलोचना करें क्योंकि जनता ने उनको विपक्ष में बिठाया है। जब से यह बजट की बुक सभी साथियों को मिली है, 6 मार्च को बजट के बाद जब इन्होंने 111 पेज की इस बुक को खोलकर पढ़ा तो प्रूफ रीडर की तरह इन्होंने जरूर इस बुक में यह देखा होगा कि इसमें कहां मात्रा की गलती है, कहां इसकी लाइन दूसरी बार लिखी गई है, कहां ऐसी कोई लाइन है जो पहले बजट में आ गई थी और इस बजट में भी आ रही है, यह इस प्रकार की बातें सदन के अन्दर, यह माननीय सदस्य बोलेंगे। उसके अलावा, इस बजट की आलोचना करने के लिए इनके पास किसी प्रकार का कुछ नहीं है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत ने बतौर वित्त मंत्री यह बजट पेश किया। उसके अन्दर समाज के उस कमजोर वर्ग को, समाज के उस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को फायदा देने की कोशिश की है। वह चाहे आदिवासी हो, मजदूर हो, चाहे खेत में काम कर रहा किसान हो, उन सभी को समर्पित यह बजट उस कमजोर आदमी को ताकत देने की दिशा में एक सार्थक कोशिश इस बजट के अन्दर है। माननीय सभापति महोदय, बजट पहले भी आया करते थे, उसमें किसानों के हित की बात की जाती थी, लेकिन वह बजट महलों में बनते थे, यह बजट एक किसान के बेटे ने पेश किया है इसलिए इसके अन्दर किसान के हित की बात है। पिछली बार भी किसान के हित की बात बजट में लिखी जाती थी, घोषणा पत्र के अन्दर लिखी जाती थी लेकिन उसकी पूर्ति नहीं होती थी। अभी कई सदस्य यह बात करेंगे कि चार साल का जो बजट हुआ इतने परसेंट हुआ, इस कार्य की पालना नहीं हुई, यह चुनावी बजट है, या और भी प्रकार की बात करेंगे। अब चुनावी वर्ष तो जो है, वो है। बजट पेश हुआ है, उसमें मुख्य मंत्रीजी द्वारा घोषणाओं के ऊपर टाइम फ्रेम किया गया है। जिस प्रकार की घोषणाएं की गई हैं उन घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहले से एक रूपरेखा तैयार कर रखी है और उसी रूपरेखा के तौर पर बजट की आगे जाकर क्रियान्विति होगी। राजस्थान के अन्दर, आज 70 प्रतिशत लोग गांव में रहते हैं। जो गांव में रहता

(श्री महेन्द्र चौधरी)

है, वह खेती करता है और जो खेती करता है, उसको बिजली की आवश्यकता पड़ती है। चार साल पहले जब सरकार बनी थी, तब ही मुख्य मंत्रीजी ने, जयपुर में एक बहुत बड़ी सभा हुई थी माननीय सोनिया गांधीजी की, उसमें दस लाख लोग इकट्ठा हुए थे और उसमें यह घोषणा की थी कि चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, किसान का बिजली का बिल किसी भी हालत में नहीं बढ़ाया जाएगा। आज सवा चार साल के इस कार्यकाल के अन्दर किसान को फायदा दिया गया है, बिजली का बिल नहीं बढ़ाया गया है। चार साल के अन्दर जितना बिजली का मेगावाट, उत्पादन की क्षमता, 1998 में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी कांग्रेस ने 1750 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी ने भी बिजली का उत्पादन किया लेकिन 1750 के मुकाबले 950 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। इस सवा चार साल के अन्दर कांग्रेस सरकार ने, अशोक जी गहलोत की सरकार ने 4628 मेगावाट बिजली का उत्पादन, यह सरकार इस शासन काल में कर चुकी है जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, किसानों के लिए। बजट के अन्दर पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। 400 केवी के दो जीएसएस, 220, 132 के 25 केवीएस और 33 केवी के 400 सब-स्टेशन का निर्माण किसानों के हित के अन्दर, पूरे प्रदेश के अन्दर होगा। किसान को बिजली मिल रही है। पहले लोग बिजली के लिए चिल्लाते थे लेकिन अब किसान कह रहा है कि जितना हमारे जमीन में पानी है उस हिसाब से चाहे 6 घण्टे मिले या 7 घण्टे मिले, किसान को पूरे प्रदेश के अन्दर बिजली मिल रही है। ट्रान्सफारमर जल जाता है तो समय पर किसान को ट्रान्सफारमर मिल जाता है। काश्तकार को आज इस समय किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। चार वर्ष के अन्दर 2 लाख 46 हजार 657 कृषि कनेक्शन इस कांग्रेस, अशोकजी गहलोत की सरकार ने दिए हैं । इस बजट के अन्दर 75 हजार नये कनेक्शन की घोषणा की है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकृत योजना के अन्तर्गत इसके अन्दर 300 से अधिक आबादी की ढ़ाणियों का कार्य प्रगति पर है और 100 से 300 तक की आबादी की 15149 ढाणियों का प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा गया है। 100 से कम आबादी की ढाणियों के कृषि कनेक्शन के लिए पिछले बजट में 60 हजार की घोषणा की गई और इस बजट में 40 हजार की, यानी एक लाख लोगों को, 100 से कम आबादी की ढाणियों के लोगों को इस बार कनेक्शन मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा चिकित्सा के अन्दर एक उल्लेखनीय कार्य। अशोकजी गहलोत के

(श्री महेन्द्र चौधरी)

दिमाग के अन्दर पहले से भी गरीब के प्रति बहुत बड़ी भावना रही है। उस गरीब परिवार के, बीपीएल परिवार के व्यक्ति को जिसके कैंसर हो जाता था, किडनी खराब हो जाती थी, हार्ट की परेशानी रहती थी, वह अपना इलाज नहीं करा पाता था। नरेगा के अन्दर काम करने वाला वह मजदूर जो 100 रुपये लेकर जब शाम को घर आता था तो उसके परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता था। उसके भंयकर बीमारी हो जाती तो डाक्टर के पास जाता था, डाक्टर कहता था कि दो लाख रुपये लगेंगे, तीन लाख लगेंगे, पांच लाख रुपये लगेंगे और वह अपना इलाज नहीं करा पाता था, उसका जीवन खतम हो जाता था लेकिन अशोकजी गहलोत ने उस गरीब की भावना को समझा। मुख्यमंत्री बीपीएल सुरक्षा योजना के अन्दर उसका मुफ्त इलाज, मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट के अन्दर देकर, इस चार साल के अन्दर करवाया। उसके अलावा, मुख्य मंत्रीजी ने इसमें और सुधार कर दिया है, जिस व्यक्ति की एक लाख की वार्षिक आय होगी, एपीएल परिवार का व्यक्ति, उसको एक लाख रुपये की राशि मिलेगी। बीपीएल परिवार का है तो उसको सम्पूर्ण राशि सरकार देगी। मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना शुरू हुई। लोगों ने कहा यह दवा सस्ती है, यह नि:शुल्क है, इसका फायदा नहीं होता है, कई प्रकार के विपक्ष के साथियों ने प्रचार प्रसार किया। हम जानते हैं गांव के अन्दर, एक सर्वे हुआ पूरे राजस्थान के अन्दर कि कितने लोग ऐसे हैं जो दवा के बिना खतम हो जाते हैं। जब डाक्टर पर्ची के ऊपर दवा लिख देता है, 500 रुपये लगेंगे, उसकी जेब में 500 रुपये नहीं होते हैं, नहीं होते हैं तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इन मुख्य मंत्रीजी ने नि:शुल्क दवा योजना प्रारम्भ की। नि:शुल्क दवा योजना प्रारम्भ करने के बाद में माह अक्टूबर 2011 के अन्दर जननी शिशु सुरक्षा योजना हो या अन्य कई प्रकार की मेडिकल से सम्बन्धित योजनाएं, इस राजस्थान की सरकार में प्रारम्भ हुई। इस बजट के अन्दर 400 प्रकार की दवाइयों को बढ़ाकर 600 प्रकार की कर दीं। हमने मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया कि आपने आदमियों की दवाई फ्री कर दी, राजस्थान के अन्दर जो किसान खेत में रहता है उसका जानवर जब बीमार हो जाता है तो उसको साधन से दूसरी जगह ले जाना पड़ता है। मुख्य मंत्रीजी ने आदमियों की दवाई के साथ पशुओं की दवाई फ्री कर दी। अभी हमने मांग की कि जांचें फ्री कर दी जाएं। एक बीमार व्यक्ति जब इलाज कराने के लिए जाता है, सोनोग्राफी, एक्सरे या और भी किसी प्रकार की जांच कराता है, जांचें बहुत महंगी होती हैं। मुख्य मंत्रीजी ने इसी बजट के अन्दर घोषणा कर दी है कि 7 अप्रैल, 2013 से जिला हैडक्वार्टर पर, 1 जुलाई,

(श्री महेन्द्र चौधरी)

2013 से सीएचसी पर और 15 अगस्त, 2013 से पीएचसी पर दवाइयों के साथ-साथ जांचें भी फ्री हो जाएंगी। यह एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला राजस्थान की जनता के हित के अन्दर है। और फायदा भी दिया है, गांव का वह गरीब आदमी, गांव का वह ढाणी में रहने वाला व्यक्ति जब सीएचसी, पीएचसी पर इलाज कराने आता है। रात को उसके पास रहने के लिये स्थान नहीं होता है। धर्मशालाएं बनाने की मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा कर दी। प्रत्येक जिले में एक करोड़ की धर्मशाला बनेगी और हर सी.एच.सी. के ऊपर 50 लाख की धर्मशाला बन जाएगी। यह भी एक बहुत बड़ा फैसला जनता के हित मेंहै।

(17.00 बजे)

मां-शिशु जननी सुरक्षा योजना, एक ऐसी योजना है, शहर का व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। शहर के धनाढ्‌य व्यक्ति को इस योजना का पता नहीं है। क्योंकि जो डिलिवरी का टाइम होता है, वह बड़े अस्पताल में, मंहगे अस्पतालों में कराते हैं। लेकिन गांव और ढाणी की रहने वाली वह औरत, जिसका खर्चा नहीं चल पाता, प्रसव के टाइम के अन्दर उसके पास जीप का किराया नहीं होता, हास्पिटल में, जांच का पैसा नहीं होता, इलाज का पैसा नहीं होता, दवा का पैसा नहीं होता, ऐसी औरत का या तो बच्चा पेट में दम तोड़ देता था या वह औरत खतम हो जाती थी। उस तकलीफ को समझा, पहले हिन्दुस्तान के अन्दर सोनिया गांधीजी ने, फिर प्रदेश के अन्दर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने। आपको बताना चाहता हूं कि इस योजना के अन्दर, जो अक्टूबर, 2011 को, यह योजना प्रारम्भ हुई, उसमें 10 लाख 47 हजार प्रसव हुए। इसमें 16 लाख 40 हजार महिलाओं और 3 लाख 16 हजार शिशुओं को नि:शुल्क दवा अब तक सरकार दे चुकी है, 98 लाख महिलाएं और 75 हजार शिशुओं की नि:शुल्क जांच कर चुकी है। यह ऐसी योजना है कि पुन: केवल प्रदेश बल्कि हिन्दुस्तान के दूसरे स्टेट भी इस योजना को लागू करने की अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं। इस बजट के अन्दर 600 पी.एच.सी. खुलेंगी। हर एम.एल.ए. के यहां, हर विधान सभा क्षेत्र में 3-3, 4-4 पी.एच.सी. खुलेंगी, सौ सी.एच.सी. खुलेंगी। इससे जनता को और लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। उप स्वास्थ्य केन्द्र दुनिया भर के पहले से खोल दिये हैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी ने। और भी खोल रहे हैं। इस प्रकार से निजी चिकित्सालयों को भी प्रोत्साहन दिया है। निजी चिकित्सालयों के अन्दर भी काफी फायदा मिलेगा। 20 हजार पद सृजित कर दिये, 108 एम्बुलेंस हो,

(श्री महेन्द्र चौधरी)

जननी-शिशु की एम्बुलेंस हो। जयपुर में मेडिकल कालेज, भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र के अन्दर भी हर जिले के अन्दर मेडिकल कालेज की घोषणा की गई थी पहले। लेकिन एक भी जिले में, इस प्रकार, कुछ जिलों में खोल दिया हो तो मुझे पता नहीं है। लेकिन प्रदेश के अन्दर इनकी यह घोषणा केवल मात्र घोषणा रही, मेडिकल कालेज नहीं खुल पाये थे। लेकिन कांग्रेस सरकार ने यह घोषणा कर दी है। पेयजल के मामले में प्रदेश में 20 हजार हैण्ड-पम्प लगेंगे। आज धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे माननीय जलदाय मंत्री डा. जितेन्द्रसिंहजी को कि तीन हजार करोड़ की इन्दिरा गांधी लिफ्ट परियोजना का सैकण्ड फेज में हमारे नागौर जिले का भी इस बजट के अन्दर प्रावधान कर दिया है, उसमें पैसा सैंक्शन करवा दिया है। उसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी के साथ-साथ हमारे जलदाय मंत्रीजी का भी बहुत-बहुत आभारी हूं। इससे तीन हजार गांव और ढाणियों को पेयजल उपलब्ध होगा। जल संरक्षण हेतु एनिकट्स का निर्माण होगा। नागौर जिले के साथ-साथ अन्य जगहों पर भी पानी की सुविधा की गई है।

शिक्षा के मामले में कितना फायदा इस बजट के अन्दर होगा? पिछली बार भी अच्छा बजट आया था। उस बजट के अन्दर भी स्कूल क्रमोन्नत हुए थे। पिछली बार, उससे पहले की सरकार ने भी बजट के अन्दर घोषणाएं की थीं कि हम प्रत्येक पंचायत हैड-क्वार्टर माध्यमिक स्कूल खोलेंगे। लेकिन जहां पर कांग्रेस के लोग थे, वहां पर इन्होंने नहीं खोले थे, अपनी इच्छा के लोग थे, वहां पर खोले थे। जहां नहीं खोले थे, उनमें मेरे स्वयं का गांव रघुनाथपुरा गांव छोड़ा था। इसके साथ-साथ, इन्होंने और भी गांव छोड़े थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन स्कूलों को भी माध्यमिक स्कूल में क्रमोन्नत किया गया। इस बजट के अन्दर एक हजार नये प्राथमिक स्कूल खुलेंगे, एक हजार मिडिल स्कूल क्रमोन्नत होंगे। एक हजार माध्यमिक स्कूल क्रमोन्नत होंगे और 600 उच्च माध्यमिक स्कूल क्रमोन्नत होंगे। इसके अलावा, जिस तहसील के अन्दर सब्जैक्ट विज्ञान, वाणिज्य या कला नहीं है, वहां पर वह खोले जाएंगे। एक विधान सभा क्षेत्र में एक वाणिज्य संकाय खुलेगा। एक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक विज्ञान संकाय खुलेगा। 30 हजार थर्ड ग्रेड के टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 20 हजार थर्ड ग्रेड के टीचर्स की और भर्ती होगी। 10 हजार सैकण्ड ग्रेड टीचर्स की भर्ती होगी और 5 हजार शारीरिक शिक्षकों की भर्ती होगी। व्याख्याता, कनिष्ठ लिपिकों और वरिष्ठ लिपिकों की भी भर्ती

(श्री महेन्द्र चौधरी)

होगी। उसके अलावा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास इस सरकार का पहले भी रहा है। पहले भी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये आठवीं उत्तीर्ण जो बच्ची है, वह गांव से आती थी, 2-2, 3-3 किलोमीटर तक, उसको स्कूल तक पहुंचने के लिये सरकार ने साइकिल वितरण का प्रावधान किया था। अब उसको नवीं क्लास के अन्दर जो भी बच्ची आ रही है, हर बच्ची को साइकिल वितरित कर रहे हैं। यह भगवा कलर करके नहीं दे रहे हैं, यह साइकिल जैसी कम्पनी से आ रही है, वैसे दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी साइकिलें दी जाती थीं लेकिन उसके ऊपर भगवा कलर करके दिया जाता था। स्कूल के बस्ते दिये जाते थे। उसके ऊपर भगवा कलर करके दिया जाता था। एक तरफ मुख्य मंत्री की तस्वीर होती थी, एक तरफ शिक्षा मंत्री की तस्वीर होती थी। लेकिन इस सरकार के अन्दर ऐसा नहीं है। इस सरकार के अन्दर, जैसी कम्पनी साइकिल दे रही है, उसी प्रकार की साइकिल दे रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, जिस बच्ची को पांच रुपये पहले प्रत्येक उपस्थिति के दिये जाते थे, उसको 20 रुपये उपस्थिति के इस बजट भाषण के अन्दर कर दिये गये हैं। राजीव गांधी डिजिटल विद्यार्थी योजना, इसके अन्दर 10वीं और 12वीं परीक्षा में मैरिट में जो प्रथम आने वाली, उनको 10-10 हजार और 8वीं परीक्षा में विद्यालय में प्रथम आने वाले को लैपटाप और उसके साथ में 8वीं में दूसरे से लेकर 11वें स्थान तक जो भी छात्राएं आएंगी उनको टैबलेट-पीसी, जिसकी कीमत 6 हजार होगी, वह राजस्थान की सरकार ने देने का फैसला किया है। 15 राजकीय महाविद्यालय खोलने का प्रावधान रखा गया है। बी.जे.पी. के टाइम में भी कन्या महाविद्यालय हर जिले में खुलेंगे, कटारिया साहब अच्छी तरह से जानते हैं, हर जिले में कन्या महाविद्यालय खुलेंगे, ऐसी घोषणाएं हुई थीं। लेकिन उनकी क्रियान्विति नहीं हुई। यह पहली बार एक साथ 15-15 राजकीय महाविद्यालय खोलने का फैसला राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने लिया है। हमारे विद्यार्थी मित्र हों, चाहे पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश के अधीन कार्य कर रहे जो शिक्षा कर्मी हैं, उनको 10 प्रतिशत पैसा बढ़ाने का फैसला भी सरकार ने लिया है। इसके अलावा पेंशन, प्रशासन शहरों के संग कैम्प लगे, प्रशासन गांवों के संग कैम्प लगे, हम जन-प्रतिनिधि, जब आप लोग भी गांव के अन्दर जाते थे तो बुजुर्ग महिला जिसका बेटा 25 साल की उम्र का हो जाता था, वह महिला अपने पास में आकर कहती थी, आप लोगों के पास में भी आकर कहती थी कि मेरा बेटा मेरे को निहाल नहीं कर रहा है। मेरा बेटा शाम को खाने का पैसा

(श्री महेन्द्र चौधरी)

नहीं देता है, खाने का भोजन नहीं देता है। मेरी पेन्शन नहीं हो रही है। यह बेटा जब 24 साल का था तब मुझे पेंशन मिलती थी। लेकिन 25 साल का होने के बाद में पेंशन नहीं मिल रही है। हम उसको जवाब नहीं दे पाते थे। आप लोग भी जवाब नहीं दे पाते थे। हमने यह प्रस्ताव रखा माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने और मुख्य मंत्रीजी ने वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के लिये 25 वर्ष की जो शर्त है, वह समाप्त कर दी। उसकी आप सबने ध्वनिमत से तारीफ की थी, मुख्य मंत्रीजी का यह बहुत बड़ा काबिल-ए-तारीफ काम है।

उसके अलावा बी.पी.एल. हो, चाहे स्टेट बी.पी.एल., जब हमारी सरकार आई थी, जब पहले आपकी सरकार, बी.जे.पी. की सरकार थी, उस वक्त राजस्थान के अन्दर 21 लाख बी.पी.एल. थे। आपने पता नहीं 5 साल में उन बी.पी.एल. का क्या कर दिया, घटाकर उनको 17 लाख कर दिया। अशोकजी गहलोत ने उस 21 से 17 के बीच में जो 4 लाख घटाये थे, उनको स्टेट बी.पी.एल. का दर्जा दिया। स्टेट बी.पी.एल. का दर्जा देने के बाद में इस बजट में महिलाओं को दो-दो साड़ियां और पुरुषों को एक-एक कम्बल, गरीबों को इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से एस.सी; एस.टी. की युवतियों को जो शादी करने पर 50 हजार रुपये मिलते थे, यह एक असमानता दूर करने के लिये सरकार ने उस राशि को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है।

राजस्थान वृद्धाश्रम योजना, इस सरकार ने यह एक बहुत अच्छी योजना दी है। इस बजट के अन्दर हर जिले में वृद्धाश्रम बनाने के लिये एक करोड़ रुपये और तहसील हैड-क्वार्टर पर बनाने के लिये 50 लाख की जो योजना है, उससे वृद्धजनों को बहुत सहारा मिलेगा। आंगनबाड़ी बच्चों को दो यूनिफार्म देने का फैसला भी सरकार ने किया है।

पी.डबल्यू.डी. द्वारा सड़कें पहले भी बनी हैं। 30-30, 40-40 किलोमीटर सड़कें हर एम.एल.ए. को मिली हैं। इस बार भी पी.डब्ल्यू.डी. के द्वारा 650 करोड़ रुपये की लागत से 6000 किलोमीटर का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण का कार्य होगा। सौ से अधिक और ढाई सौ से कम आबादी के गांवों में 585 करोड़ का कार्य होगा। 21 बड़ी सड़कें बनेंगी जिनमें 2743 करोड़ का खर्चा आयेगा। 50 करोड़ विशेष सड़क निर्माण निधि, जिसमें ग्रामीण सड़कें, मिसिंग लिंक, क्षतिग्रस्त सड़कें और धार्मिक स्थल भी आएंगे। यह भी कार्य होगा।

अल्पसंख्यक कल्याण के लिये सरकार ने हमेशा से अपने बजट के

(श्री महेन्द्र चौधरी)

अन्दर अच्छे से अच्छा करने का प्रयास किया है। इस बार भी सरकार ने 20 उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय खोलने का प्रावधान रखा है। छात्रावास खोले जाएंगे। मुख्य मंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना का इसके अन्दर विस्तार किया जाएगा। उसके अलावा मदरसों के लिये 1500 कम्प्यूटर पैराटीचर्स, 1500 शिक्षाकर्मी सहयोगी और इनका मानदेय भी 600 से बढ़ाकर 800 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक समुदाय की वह बच्ची जो पहले राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाली अल्पसंख्यक बालिका, जो 12वीं में न्यूनतम 60 प्रतिशत लेकर कालेज के लिये एडमिशन लेने जाएगी, तो उसको स्कूटी देने का प्रावधान सरकार ने रखा है। वह भी बालिका और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं को आगे बढ़ाने का बहुत अच्छा प्रयास है। 20 और आई.टी.आई. खोले जाएंगे। अल्पसंख्यक विकास कोष किया जाएगा। कई प्रकार के कार्य अल्पसंख्यकों के हित के अन्दर भी किये हैं। सहकारिता के अन्दर किसानों को कितना फायदा दिया गया है। डेढ़ लाख तक के फसली ऋणों का चुकारा समय पर करने पर ब्याज मुक्त करने का फैसला, आज तारीफ हो रही है परसादीलालजी मीणा की। आज तारीफ हो रही है राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय की गांवों के अन्दर कि इन योजनाओं के अन्दर जो किसान मजबूरी में ऋण लेता है, जब उसको जरूरत होती है, अपनी बेटी की शादी करने की, उसको जंचती है तो ऋण लेता है। अपनी फसल के टाइम बीज के लिए वह ऋण लेता है। अपना पक्का मकान बनाने के लिए वह ऋण लेता है। उसका चुकारा नहीं होता और ब्याज पर ब्याज बढ़ता जाता है लेकिन सरकार ने उसके फायदे की बात को समझकर एक ऐसा बहुत बड़ा फैसला किया है। भूमि विकास बैंक हो या चाहे सहकारी बैंक, दीर्घकालीन ऋण चुकाने में किसान डिफाल्टर की श्रेणी में आ जाता था। उसको भी 31 दिसम्बर, 2013 तक समस्त ब्याज ऋण चुका देगा तो उसका 50 परसेंट ब्याज सरकार देगी और 50 परसेंट उसका माफ कर दिया जाएगा।

पशुपालन। पशुपालन के अन्दर पहले बहुत उप केन्द्र खोले गए। कई उप केन्द्रों को औषधालयों में क्रमोन्नत किया गया। कइयों को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया गया। इस बजट के अन्दर भी 400 नए उप केन्द्र खुलेंगे। 200 पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत किया जाएगा। 500 पशु चिकित्सालयों को प्रथम श्रेणी में क्रमोन्नत किया जाएगा।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

(17.11 बजे)

(मेजर ओ.पी. यादव, सभापति, पदासीन)

प्रत्येक तहसील में एक मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिट की संचालन की स्वीकृति भी इस बजट के अन्दर की गई।

खाद्य। गेहूं की खरीद पर किसान, इसलिए मैं यह बार-बार निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट गरीब के साथ-साथ ही किसान को समर्पित है। इसलिए जो किसान जब गेहूं की खरीद पर जाता था। गेहूं की खरीद पर समर्थन मूल्य के अलावा पिछले बजट में मुख्य मंत्रीजी ने 100 रुपये बोनस देने की घोषणा की थी उसको बढ़ाकर इस बजट में 150 रुपये कर दिया है। यह भी किसान के हित में एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं कहना चाहूंगा कि गरीबों का कितना ध्यान रखा है, आप देखिए कि मुख्य मंत्रीजी कहते थे अपने समय के अन्दर, लोग कहते थे कि अशोक गहलोत की सरकार में लोग भूखे मरेंगे। मुख्य मंत्रीजी ने एक बात कही कि भूखे मरना तो दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को मैं भूखे सोने नहीं दूंगा और उसी के तहत आज एक रुपये किलो गेहूं, उस बी.पी.एल. परिवार के व्यक्ति को, केवल एक रुपये किलो गेहूं, एक रुपये में तो एक किलो हवा भी नहीं आती है लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने गरीब को एक रुपये किलो गेहूं देने का फैसला किया है। जो बी.पी.एल. परिवार के और स्टेट बी.पी.एल. के हैं, उनको एक रुपये किलो गेहूं के साथ-साथ ही चीनी जो पहले साढ़े तेरह रुपये प्रति किलो दी जाती थी, उसको दस रुपये किलो किया। ए.पी.एल. को जो 8 रुपये 60 पैसे किलो आटा मिलता था उसको 5 रुपये किलो किया।

युवाओं को रोजगार। तीन लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। रोजगार किट दिए जाएंगे। 2 लाख युवक-युवतियों को रोजगार किट देने का फैसला और इस बजट के अनुसार 25 नए आई.टी.आई. और खोले जाएंगे। जयपुर में मैट्रो रेल हो, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा हो, कई जो है, ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा और इसके अलावा एक योजना-तीर्थ-यात्रा। तीर्थ-यात्रा में शायद मेरे हिसाब से, इस तीर्थ-यात्रा, जिसमें सरकार ने 25 हजार वृद्ध लोगों को तीर्थ-यात्रा पर जाने का जो फैसला लिया है, उससे आप लोगों को निश्चित रूप से तकलीफ होगी। क्योंकि यह फैसला आप लोगों को छूने लायक फैसला है। पहले आप लोगों ने ठेकेदारी ले रखी थी मंदिरों और इन सबकी। कांग्रेस ने इस बजट

(श्री महेन्द्र चौधरी)

के अन्दर यह जो फैसला लिया है, इसकी सभी जगह पर और समाचार-पत्रों में भी हमने कई कालम पढ़े हैं, उसके अन्दर भी इस तीर्थ-यात्रा की बहुत बड़ी तारीफ हो रही है। गांवों के अन्दर 9177, जो ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, वहां पर ग्राम रक्षक रखे जाएंगे। हमारे पत्रकार साथियों को, जो अधि-स्वीकृत पत्रकार हैं, उनको एक-एक लैपटाप दिया जाएगा और कर्मचारियों को छठा वेतन का केन्द्र सरकार के समान जो फैसला हुआ है, उसकी पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने अशोक गहलोतजी और पूरी कांग्रेस की तारीफ की है।

नरेगा। नरेगा के अन्दर 100 रुपये से बढ़ा कर 150 रुपये प्रति दिन, यह गरीब को छूने वाला पाइंट है। जब एक गांव का आदमी, यह नरेगा जब नहीं चलती थी, जब गांव के लोगों को बाहर जाना पड़ता था। अपने रोजगार के लिए दिल्ली जाते थे या दूसरी जगह पर जाते थे। ईंट के भट्टों पर जाते थे या कई जगह पर बाहर जाते थे। गांव से गांव के लोगों का पलायन होने लग गया था लेकिन जब से नरेगा चलने लगी तो गांव का आदमी गांव में ही रुक गया। उसको चाहे नाड़ी खुदाई के माध्यम से हो या चाहे ग्रेवल सड़क के माध्यम से, जब वह जाता है अपने खेत के अन्दर काम करने जाता था और शाम को वापस आता था गर्मी के टाइम के अन्दर, तो विशेष रूप से मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान रखा कि सुबह 6.00 बजे मजदूर जाते हैं और 10.00 बजे वापस आ जाते हैं। आज उनके दिनों को बढ़ा कर 100 रुपये के बजाए 150 रुपये कर दिया। यह भी एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है। जहां पर 40 परसेंट सामग्री मद की कुछ थोड़ी बहुत प्राब्लम आ रही थी, पक्के कार्यों में उसको भी इस बजट के अन्दर, न केवल उस गांव बल्कि गांव पंचायतवार पूरे विवरण के आधार पर उस राशि को बांट दिया गया है। दस हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को विलेज मास्टर प्लान में शामिल किया गया है। उसमें एक-एक करोड़ का अतिरिक्त कार्य भी होगा।

इसके अलावा, कृषि के अन्दर भी कई विश्वविद्यालय खोलने की बजट के अन्दर घोषणाएं हुई हैं। कोटा, जोबनेर, जोधपुर के अन्दर कृषि विश्वविद्यालय हो, भीलवाड़ा, भरतपुर के अन्दर कृषि महाविद्यालय हो और हमारे मंत्रीजी नागौर जिले के लाड़नूं के अन्दर, वहां पर भी कृषि डिप्लोमा का फैसला लिया है।

दो मेगा फूड-पार्क बीकानेर और जोधपुर में खोले जाएंगे। इसके

(श्री महेन्द्र चौधरी)

अलावा, फल और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाउस, पाली हाउस एवं नेट हाउस का निर्माण किया जाएगा।

इसके अलावा, मैं कहना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, यह जो सरकार ने बजट पेश किया है, उसके अन्दर कई साथी बात करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि अशोकजी गहलोत ने जब से सत्ता सम्भाली और सत्ता सम्भालने के साथ ही जब भी बजट पेश किया हो या रिप्लाई दिया जो या कोई भी बात आई हो, विपक्ष के साथियों ने हमेशा हंगामा मचाने की कोशिश की। चाहे गवर्नर का अभिभाषण हो, उस वक्त भी हंगामा करने की कोशिश की और आज हमारे यहां पर 102 एम.एल.ए. नए जीतकर आए हैं, चाहे पक्ष से हो या विपक्ष के। उनको इस बात की तकलीफ होती है कि जब विधान सभा चलती है तो यह लोग विधान सभा चलने नहीं देते। नए आदमी की परफोरमेंस को पब्लिक को देखने नहीं देते और उसी के कारण से पिछले तीन दिन से विघ्न डाला जा रहा था और हम तो आज भी सोच रहे थे कि शायद इस प्रकार से होगा।

अब प्रदेश के अन्दर इन सारे लोगों को वापस चुनाव के अन्दर जाना पड़ेगा नवम्बर के अन्दर। यह अशोकजी गहलोत की सरकार, ये लोग गलतफहमी में होंगे कि जो हमने पिछली बार भी यह कर दिया था, वह कर दिया था, तीन-तीन धर्म के नाम पर वोट मांग लिए थे। अब इस बार जनता ठगने वाली नहीं है। इनका इतिहास, 66 वर्ष का काला इतिहास, उन काले पन्नों में जो लिखा हुआ है, वह प्रदेश की जनता को पहले भी अच्छी तरह से ध्यान था और आज भी अच्छी तरह से ध्यान है। सदन के अन्दर विपक्ष के नेता का फर्ज बनता है कि जब जनता ने उनको विपक्ष में बैठा दिया तो सदन में बैठकर सुनना चाहिए और अपने सुझाव देने चाहिए। उन्होंने चार साल के कार्यकाल के अन्दर कितनी बार वो सदन में रहीं? अब कटारियाजी अभी बने हैं, नए-नए, ये जरूर, दो-तीन दिन से मैं देख रहा हूं कि यह बैठे हैं और ये बैठेंगे भी क्योंकि ये वरिष्ठ हैं। लेकिन इनकी भी तकलीफ है कि दूसरे कई लोगों को भी ये पसंद नहीं हैं। यह एक इनकी अलग बात है। मैं तो कहना चाहता हूं कि पिछली बार जब चुनाव हुए तो तन सिंहजी की जयंती मनाई गई। तलवारें लहराई गईं। सूरजमल की जयंती गई, सी.एम. हाउस में इनके मुख्य मंत्रीजी द्वारा अलग-अलग समाज के लोगों को बुलाकर उनको खाना खिलाया जाता था। अब जनता ठगने वाली नहीं है। वही प्रयास एक बार फिर से किया जा रहा है।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

अल्पसंख्यकों को भाजपा ज्वाइन करवाने का निमंत्रण दिया जाता है। कभी ब्राह्मण समाज के लोगों की मीटिंग करवाई जाती है। लोग कहते हैं एक नारी अगर एक बिंदी भी लगाती है और एक धावा-भरकर सिंदूर भी लगाती है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यह प्रदेश के अन्दर क्या स्थिति बनने जा रही है? इसलिए जनता अब कभी भी ठगने वाली नहीं है। आज फिर शुरू कर दिया यह काम लेकिन जनता इस सरकार के 66 साल के, इस आजादी के 66 साल के बाद में इतिहास में जो कार्य हुए हैं, 21 बार का गोली कांड जिसके अन्दर सैकड़ों लोग मारे गए हैं, वह सबको याद है।

अब यह कहेंगे कि यह बजट भाषण का अध्याय नहीं है। इस बजट से इसका क्या ताल्लुक़ात है? लेकिन जब यह पढ़ेंगे कि यह चीज क्रियान्वित नहीं हुई, यह नहीं हुई तो मैं इनको यह कहना चाहता हूं कि शराब की संस्कृति को आप लोगों ने बढ़ावा दिया। युवाओं की शक्ति को आपने कमजोर किया। आप लोगों के जब बजट आते थे तो आप मनोरंजन को कर मुक्त करते थे। हेमामालिनी को बुलाकर 25-25 लाख रुपया दिया करते थे यह आप लोगों की संस्कृति रही है उस टाइम की।

अब मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने वादा किया, आप लोग सुन लें इस बात को क्योंकि इस बजट के अन्दर भी हो सकता है कि कई चीजें अभी, आप पुराने बजटों के बारे में पढ़ेंगे कि 40 परसेंट की ही क्रियान्विति हुई है, 60 परसेंट की हुई है। यह अशोक गहलोत हैं इनका नाम मुख्य मंत्री का। ये खुद सारे बजट को देखकर काम करते हैं। जो क्रियान्विति नहीं हुई है उसको क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी समय है, इस कांग्रेस के कार्यकाल के अन्दर, आप लोगों के कार्यकाल के अन्दर तो आप लोगों ने कहा था कि एक लाख लोगों को प्रति वर्ष रोजगार देंगे। कितने लोगों को रोजगार दिया? आप लोग उठाकर देख लो। आप लोगों ने अपने घोषणा-पत्र में लिखा था कि किसानों के लिए 250 करोड़ रुपये का किसान सहायता कोष बनाएंगे, क्या बनाया किसान सहायता कोष? 175 करोड़ रुपये का किसान कल्याण कोष बनाएंगे, क्या आप लोगों ने बनाया? बिजली के दाम आपने दो बार बढ़ाये अपने पांच साल के कार्यकाल के अन्दर। किसान को आप लोगों ने ठगा। 1100 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का बोझ आपने किसान के ऊपर लाद दिया। किसान को आप लोग कनेक्शन देने की बात कहते थे। आपकी सरकार आई और चली गई और आप लोगों की घोषणा के अनुसार वे पौने दो लाख किसान बिजली के

(श्री महेन्द्र चौधरी)

कनेक्शन का इंतजार करते रहे लेकिन आप लोग उन पौने दो लाख किसानों को बिजली का कनेक्शन नहीं दे पाए।

मेडिकल के अन्दर आप लोगों ने घोषणा में लिख दी कि हर जिले में मेडिकल कालेज होगा। शिक्षा में हर जिले में कन्या महाविद्यालय होगा। कई प्रकार के काम, जो आपके राज को आज भी लोग अंग्रेजों के शासन की तरह याद करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह वह अशोक गहलोत, किसी भी प्रकार की गलतफहमी में आप लोग मत रहना, वह प्रवीण तोगड़िया आप लोगों का, जो त्रिशूल बांटने आया था, उस त्रिशूल बांटने वाले प्रवीण तोगड़िया को इसी अशोक गहलोत ने जेल में डाला था, यह आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखना।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): जो व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हो, वह वहां न्यायालय से छूटे हैं, आपको यह भी जरा पता होना चाहिये।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): आपकी पूर्व मुख्य मंत्री सभा के अन्दर यह कहती थी, आपकी पूर्व मुख्य मंत्री कलक्टर के लिये कहती थी, कलक्टर आपका घायल हो जाता था। अशोक गहलोतजी को कलक्टर को कहने की जरूरत नहीं है। अगर अशोक गहलोतजी का पी.ए;, कलक्टर के पी.ए. को यह बात कह दे कि मुख्य मंत्रीजी आपसे नाराज हैं तो वह अपने आप लाइन पर आ जाता है। उसको मुख्य मंत्रीजी द्वारा धमकाने की जरूरत नहीं है। यह अशोकजी गहलोत का नाम है राजस्थान के अन्दर। आप लोग क्या कहते थे? आप लोग कहते थे कांग्रेस के शासन के अन्दर ईमानदारी से आप लोग कह दो अगर कोई किसान की बात जानता है, मावठ की परिभाषा जानता है। दो बार कैसी बरसात हुई। किसान आज खुश है। प्रदेश में बहुत अच्छी किसानों की फसलें हुईं। आज फसलें लहरा रही हैं। आज राजस्थान प्रदेश का किसान बहुत खुश है। आज मैं यह कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि आज यह बजट बहुत अच्छा बजट है। आज आलोचना के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आज जब यह नीचे से बजट लेकर जा रहे थे, लाइन में लग रहे थे। अगला कह रहा था काली अटैची लोगे या लाल अटैची लोगे, तब तो यह आराम से उस अटैची को ले गये। उसकी पांच चैन खोलकर देख ली। देखकर एक-एक किताब निकाली और सारी रात इनको पढ़-पढ़कर देखा कि कहां पर गलती है। वह पढ़ेंगे, इसके अलावा इनके पास बोलने को कुछ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कई लोग मुझे यह कहते थे कि अशोक

(श्री महेन्द्र चौधरी)

गहलोतजी ने बी पी एल परिवार की महिलाओं को दो-दो साड़ी दे दी और एक-एक कम्बल दे दिया। भाई लोग कहते थे, अभी आप भी कहोगे। (व्यवधान) सुनो, एक मिनट बैठ जाओ। एक मिनट बैठ जाओ और मेरी बात सुन लो। मैं इस बजट के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से मांग करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी आपने बहुत-बहुत अच्छा कर दिया। आपने खादी भण्डार से इनको सबको दे दिया और इस बजट के अन्दर इन बीजेपी वालों को एक-एक नेकर दे दो। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, 6 मार्च को हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 2013-14 का बजट रखा है। इसमें जिस तरह से हर महीने डीजल की रेटें बढ़ रही हैं और किसान की खेती जिस तरह से घाटे का सौदा हुआ है, राजस्थान का तमाम आम-अवाम इस बात की उम्मीद करता था कि राजस्थान में तेल निकल रहा है और देश में जितना तेल निकल रहा है, उसका 20 से 25 प्रतिशत हमारे राजस्थान में निकलता है। हमारे पड़ोसी पंजाब और दिल्ली में पैट्रोल और डीजल पर जो वैट है, तय रूप से राजस्थान का तेल, राजस्थान के सीने से, राजस्थान की धरती से निकलेगा और राजस्थान के किसान और आम जनता को ही उससे मंहगा मिलेगा। राजस्थान का आम-अवाम इस बात की आशा और विश्वास करते थे कि उस वैट को, जो इनका चुनाव घोषणा पत्र भी था, और आखिरी बजट में यह उम्मीद करते थे कि राजस्थान के आम-अवाम को तेल, जो उसकी जमीन से निकल रहा है, कम से कम उस वैट को कम करके उसको सस्ता करने का काम करेंगे। क्योंकि इसका अगर वैट कम करते हैं तो राजस्थान दिल्ली और बोम्बे के बीच में और गुजरात और अन्य दूसरे प्रान्तों में जाने वाले राजस्थान में से 10 हजार वह मालवाहक ट्रक निकलते हैं जो निश्चित रूप से दिल्ली और पंजाब में क्रोस करने तक हो सकता है, वह लें, बाकी और कोई भी डीजल हमारे यहां से नहीं लेता तो यह जो वैट हम कम करेंगे, आज वह डीजल हमारे राज्य से नहीं खरीद रहा है, निश्चित रूप से वह तो खरीद सकता है, लेकिन आम-अवाम और किसान, जो यहां से खरीदने के लिये मजबूर हैं, उसमें मैं समझता हूं कि अगर वैट कम किया जाता तो तय रूप से राजस्थान के खजाने में इनकम होती। इससे राजस्थान के खजाने को भी फायदा होता और राजस्थान के किसान और आम जनता को भी फायदा होता। लेकिन वह काम सरकार ने

(श्री अमराराम)

नहीं करने का काम किया। तय रूप से आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि आज किसान के साथ जो हो रहा है, सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांति बनाये रखें, व्यवधान ना करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): खाद, बीज की बात की जा रही है। सरकार जिन नीतियों पर चल रही है, यह सब कुछ मार्केट के हवाले किया जा रहा है। सभापति महोदय, उस किसान की देखिये 484 रुपये का एक बैग डी ए पी का है, वह आज 1260 रुपये का हो गया। खाद, बीज और डीजल, जिस तरह से 70 प्रतिशत राजस्थान की आबादी खेती पर निर्भर है, उस किसान की कमर उस मंहगाई से जिस तरह से तोड़ी जा रही है, उस खेती को घाटे का सौदा बनाया जा रहा है। उन कम्पनियों के लिये निश्चित रूप से इस सरकार ने इस पिछली खरीफ की फसल में बाजरे का बीज जे के 676, सभापति महोदय, दिया। शायद 100 साल के किसान से भी आप पूछेंगे तो ऐसा बीज राजस्थान में, जो राजस्थान इस देश में सबसे ज्यादा बाजरा पैदा करता है, जिसके बाजरे के बीज की बढ़ोतरी, जौ और गेहूं से ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई, उसका जितना तना होता है, उससे ज्यादा और ढाई से तीन इंच से बड़ा उसका सिट्टा नहीं आया। वह चारे से भी मारा गया, बाजरे से भी मारा गया। लगातार किसानों के आन्दोलन के बाद में भी 6 महीने के बाद जाकर, अब जाकर थाने में उस कम्पनी के खिलाफ, जिसने 17 करोड़ का बाजरे का बीज खरीदकर राजस्थान के किसानों को तबाह करने का काम इस सरकार ने किया। अब 6 महीने के बाद केवल एक एफ आई आर दर्ज कराने से उस किसान की जो फसल तबाह हुई है, सरकार ने 17 करोड़ रुपये का बीज खरीदने का काम किया। हजारों करोड़ों का उस किसान को नुकसान करने का काम सरकार ने किया। सभापति महोदय, उसका नतीजा है कि आज इस मार्च महीने में भी 12 से 13 रुपये किलो पशुओं का चारा है। इस तरह से, इस सरकार ने उस किसान को नये फायदा देने का क्या काम किया? उस किसान का जो नुकसान हुआ है, आप वोट के वक्त तो कहते हैं कि किसान के लिये सब कुछ है। लेकिन जब किसान को सरकार के द्वारा दिया हुआ, कोई बाजार से नहीं खरीदा, सरकार ने प्रोवाइड कराया और पिछले 30 साल में जाकर जो उन्नत बीज देते थे, सरकार पर एक विश्वास हुआ और उस विश्वास को विश्वासघात में बदलने का काम किया। मेरा निवेदन है कि अगर सरकार

(श्री अमराराम)

किसान की पीड़ा समझती तो उस किसान, जिसको जेके 676 बाजरे का बीज दिया गया, उसका जो नुकसान हुआ है, उसका 50 प्रतिशत भी अगर यह भरपाई करते तो मैं समझता कि राजस्थान के किसान की पीड़ा को इस बजट में हमारे मुख्य मंत्रीजी ने समझने का काम किया है।

सभापति महोदय, बाजरा खरीदने का वक्त आता है, 18 टन रिकार्ड बाजरा, राजस्थान में देश में पूरे में सबसे ज्यादा होगा और जब किसान से खरीदने की बात आये तो 18 टन खरीदकर किन किसानों की भलाई करना चाहती है? मैं धन्यवाद दूंगा कि सपोर्ट प्राइस तो उन्होंने 100 रुपये के बजाय 150 रुपये गेहूं के समर्थन मूल्य में किया है। लेकिन सभापति महोदय, कब खरीदा जायेगा? जब खरीदने की बात आयेगी सरकार बहाना करेगी कि उसके लिये बारदाना नहीं है। किसान मजबूरी में 1385 की जगह 1000 और 1100 रुपये में बेचेगा और वह प्रोक्योरमेंट एजेन्सी राजस्थान के उन व्यापारियों से खरीदकर 20 लाख टन खरीदेगी और 200 करोड़ रुपये का नुकसान खजाने को भी लगेगा और उस किसान को नहीं मिलेगा। क्या पहले बारदाना नहीं आ सकता? पहले बारदाने की व्यवस्था नहीं हो सकती? क्या स्टोरेज की व्यवस्था पहले नहीं हो सकती? लेकिन सरकार जो खजाने से पैसा देती है, उसका फायदा उस किसान तक पहुंचे। इसके लिये व्यवस्था नहीं की जायेगी कि जो खजाने से गेहूं के समर्थन मूल्य पर 150 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से जो बोनस दिया गया है, उसका फायदा भी राजस्थान के व्यापारी को मिले? इसलिये तमाम खरीद का सवाल हो, स्टोरेज का सवाल हो।

सभापति महोदय, आज हालत जो हो रही है खरीद में, चाहे वह बीज में, चाहे वह समर्थन मूल्य पर खरीदने का सवाल है। आज सभापति महोदय, मैं इस बात के लिये तो धन्यवाद दूंगा कि पहली बार सरकार ने कुछ सोचा है। आज किसान खेती के साथ-साथ पशु पालकर जो दूध पैदा करता है, सभापति महोदय, आप अन्दाजा लगाइए कि उस किसान की गाय का दूध 14 रुपये किलो, आम उपभोक्ता को 28 रुपये किलो मिलेगा और उस दूध से मक्खन निकालने के बाद छाछ 24 रुपये किलो मिलेगी। मैं नहीं समझता कि 14 रुपये के बाद उसको लैण्ड ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग के लिये 5 से 6 रुपये किलो का लग सकता है। बात समझ में आती है जब 14 रुपये किलो का दूध उपभोक्ता को 19 रुपये किलो में मिल जाये। लेकिन सरस डेयरी, जो सरकार के नेतृत्व में चलती है 14 रुपये में किसान से लेकर आम उपभोक्ता को 28 रुपये में देती है

(श्री अमराराम)

और फिर भी कहती है, घाटा है। मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इस बात के लिये सोचा कि हर किसान को लीटर पर दो रुपये देने का कहा। लेकिन इसके साथ-साथ, मैं यह बात कहना चाहूंगा कि यह को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन हमने उस किसान की मदद के लिये बनाया है। को-आपरेटिव सैक्टर बनाया है, उन लोगों को, मंत्री और मुख्य मंत्री का प्रचार करने के लिये नहीं, उसका फायदा जो भी है निश्चित रूप से उस किसान को मिले। आज किसान को उसका फायदा नहीं मिल रहा है। जितना दूध है सरस डेयरी इकट्ठा कर रही है, उससे ज्यादा वह प्राइवेट कर रहे हैं।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि आज क्या हालात हैं? 65 साल की आजादी के बाद भी किसानों का दूध 14 रुपये और कम्पनी का पानी 15 रुपये का बोतल में मिलेगा। मैं समझता हूं कि 65 साल के बाद भी यह न्याय हम नहीं दिला पाये।

निश्चित रूप से बजट में घोषणाएं की गई हैं शिक्षा और चिकित्सा में। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप केवल स्कूल्स खोल देंगे। उच्च प्राथमिक विद्यालय के आगे माध्यमिक लिख देंगे। आज भी डेढ़ से दो लाख अध्यापकों की रिक्तता है। आज जितने भी ग्रामीण और विशेष तौर से आज भी ऐसे जिले हैं जो कि प्रतिबन्धित हैं, आज सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में हम कितने ही स्कूल्स खोल दें लेकिन उनमें अध्यापक नहीं देंगे तब तक सुधार नहीं हो सकता। उसका नतीजा है कि निजी शिक्षण संस्थाएं लगातार बढ़ रही हैं। राजस्थान में निजी शिक्षण संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए आज हमने कह दिया कि एक हजार प्राथमिक विद्यालय खोलेंगे। सैकेण्डरी विद्यालय खोलेंगे, छह सौ सीनियर विद्यालय खोलेंगे। आज तकनीक का इतना विकास हो गया कि कौनसा अध्यापक किस तारीख को रिटायर होगा। आज भी डेढ लाख अध्यापकों की रिक्तता है। पहले चार साल में उन अध्यापकों की भर्ती करके, उस पढ़ने वाले गरीब का, मैं कहना चाहूंगा, आज गरीब का बच्चा और बच्ची उस स्कूल में जाते हैं। कोई भी खाता पीता किसान का बच्चा वहां नहीं जाता।

आज उस गरीब के साथ, चिकित्सा की हम बात कर लें, हम चिकित्सालय को रेज करेंगे। डाक्टर्स हमारे पास आते नहीं। डाक्टर्स हमारे पास हैं नहीं। आज सबसे रिमोट इलाका जो है, उसमें डाक्टर नहीं होगा तो आपकी फ्री दवाई कौन लिखेगा? आज जिस तरह से दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं। आज

(श्री अमराराम)

दवा उद्योग जिस तरह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कब्जे में आया हुआ है, जिस तरह से उनकी कीमतें बढ़ाने का काम किया है, आज मैं समझता हूं उस गरीब को लिखने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में 1952 से लेकर 2013 तक जो बजट रखे गये हैं, चाहे कोई सरकार रही हो, बजट रखते रहे हैं। लेकिन 65 साल की आजादी के बाद भी आज 22 हजार गांव ऐसे हैं जिनको हम शुद्ध पीने का पानी नहीं दे पाये हैं। हम जितना खर्च करते हैं, जिस तरह से जमीन का पानी खतम होता जा रहा है, हम करोड़ों रुपये खर्च करते हैं और अगली साल देखते हैं कि वह ट्यूबवैल ड्राई हो गया। वह हैण्ड पम्प ड्राई हो गया। हम केवल तात्कालिक उपाय कर रहे हैं। हमारे पास जितना भी सरफेस वाटर है, क्यों नहीं, राजस्थान के उन 22 हजार गांवों को हम पानी उपलब्ध करवायें। यह सबसे पहली आवश्यकता है। जिस दूषित पानी और फ्लोराइड के कारण बीमारियां फैलती हैं। 65 साल की आजादी के बाद भी उन 22 हजार गांवों में हम शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए हम लोंग टर्म योजना नहीं बनायेंगे। योजना बनायेंगे तो घोषणा तो हो जाएगी लेकिन लागू नहीं होगी। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

सभापति महोदय, आज हम निश्चित रूप से गरीब की बात कर रहे हैं। इस सदन ने सीलिंग कानून बनाया। हम उस दलित, आदिवासी की बात कर रहे हैं और हम गरीब के लिए आसूं बहा रहे हैं लेकिन आज की तारीख में भी, जो सीलिंग कानून राजस्थान की विधान सभा ने पास किया है, आज भी सीलिंग सरप्लस 6 लाख एकड़ जमीन सरकार बता रही है। जो आदमी राजस्थान का भूमिहीन था, मैं समझता हूं कि उस गरीब का, जो 60 के दशक में हक था, उस समय उसके हक में यदि एक एकड़ जमीन भी चली जाती तो आज जातिगत और आर्थिक रूप से सबल करने के लिए नहीं, हम कुछ पैसा देकर बहुत कुछ हासिल करने की बात कर रहे हैं। उसको आर्थिक रूप से सबल बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। उसका हक कानून पास करके राजस्थान की विधान सभा ने जो दिया 6 लाख एकड़ अगर 1960 में वह एक-एक, दो-दो एकड़ ले लेता तो राजस्थान में एक भी परिवार ऐसा नहीं बचता जिसके पास जमीन नहीं होती। निश्चित रूप से शिक्षा में भी उसका बच्चा होता।

आज यदि अनुसूचित जाति की लड़की सामान्य कास्ट से शादी करेगी तो हम उसको 50 हजार से 5 लाख रुपये दे देंगे लेकिन 65 साल के बाद में आज भी दलितों के घर जलाये जा रहे हैं। आज राजस्थान में किसी तालाब में

(श्री अमराराम)

पशु नहा सकता है, भैंस नहा सकती है लेकिन इसी राजधानी में चकवाड़ा में यदि दलित की बेटी उस तालाब में नहा ले तो उसके लिए पचास हजार रुपये का जुर्माना होगा। आज भी मन्दिर में नहीं जा सकता। हमने 65 साल तक वोट में उसका उपयोग करने का काम किया है। उनको आर्थिक रूप से सबल करने का काम करते तो आज वह बराबरी में होता। बजट का जो आर्थिक तंत्र है, 65 सालों में निश्चित रूप से उसको हम उसका हक देने का काम करते। अगर ऐसा करते तो मैं समझता हूं कि ऐसी हालत नहीं होती।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा किसान के बाद जो गरीब है, जो मजदूर है, जो मजदूरी करता है, हमारी सरकार का श्रम विभाग है, श्रमिकों के हक और कानून को लागू करवाने के लिए श्रम विभाग है। उसकी आज क्या हालत है? कैसे लागू होगा? सभापति महोदय, यह मुझे प्रश्न का उत्तर मिला है। जो श्रम विभाग में पद खाली हैं, आज आप देखिए कल्याण श्रम आयुक्त के 33 पद हैं राजस्थान में। उनमें से 19 खाली हैं। 23 पद अलग-अलग विभागों में जन स्वास्थ्य विभाग में स्वीकृत हैं जिनमें से 17 खाली हैं। जन स्वास्थ्य विभाग में फिर 23 हैं उनमें से 17 खाली हैं। इसके साथ श्रम निरीक्षक के 93 पद स्वीकृत हैं राजस्थान में। उनमें से आधे से ज्यादा खाली हैं। आज हालत यह है। श्रम विभाग श्रमिकों का हित करने की बजाय उनको परेशानी हो रही है। हर विभाग में यह हालत है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो हालत आज हो रही है, सड़कों की बात की जा रही है। आज सड़कें किसान की जमीन पर बनीं लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिला लेकिन किसान ने दिल थामा। राजस्थान की जनता के पैसे से सड़कें बनीं। आज उनको हम बीओटी के नाम से देश और विदेश की कम्पनियों के हवाले कर रहे हैं। आज शायद हमने इसमें भी 28 सड़कों की घोषणा की है। हम उन सड़कों को कम्पनियों के हवाले करके जो कि राजस्थान की जनता के खून-पसीने के टैक्स से जो सड़कें बनी थीं, उनको आज हम उन कम्पनियों के हवाले कर रहे हैं और वह कम्पनियां टोल बूथ के नाम पर लूट बूथ लगाकर जनता को लूट रही हैं। अगर उस बूथ से एक बस भी रोड़वेज की जायेगी तो हर पैसेंजर से आने और जाने के तीन-तीन रुपये के हिसाब से छह रुपये लिये जाएंगे। हम किसका भला कर रहे हैं? हम सड़क के नाम पर कम्पनी का भला कर रहे हैं।

मेडिकल कालेज और विश्वविद्यालय के नाम से उनका भला कर रहे हैं

(श्री अमराराम)

जो कि शिक्षा के माफिया हैं। आज सब कुछ हम राजस्थान के बजट से गरीब को आर्थिक और कानूनी रूप से सशक्त करने की बजाय उसका शोषण कर रहे हैं। कल हमारे माननीय मंत्रीजी घोषणा कर रहे थे कि किसान को ओलावृष्टि और शीतलहर से जो नुकसान हुआ है जो साझीदार है, जो हिस्सेदार है, उसको भी हम देंगे लेकिन वह जमींदार और जागीरदार की मर्सी पर है। उसके लिए हमने कोई कानून नहीं बनाया। आज गांव का गरीब किसान मर्जी और मर्सी पर है। वह भूमिहीन किसान बड़े जमींदार के यहां पांचवें और चौथे हिस्से पर काम करता है लेकिन 65 सालों में हमने उसका भी हक दिलाने के लिए कानून नहीं बनाया।

सभापति महोदय, राजस्थान के गांवों में रहने वाले उस कृषि श्रमिक के लिए आज कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। 65 सालों में उसके लिए कोई कानून नहीं बना पाये, जो अपना खून-पसीना बहाकर खेत में पैदावार करता है। उस जमींदार के खेत में पांचवे हिस्से में करता है। अगर उसका कोई नुकसान होता है तो उसको कोई फायदा नहीं मिला। हम आर्थिक रूप से काम करने वाले चाहे वह खेत में मजदूरी करता है चाहे कारखाने में करता है, उसको सशक्त करने की बजाय कुछ घोषणाएं करके उसका वोट हासिल कर के शोषण करते हैं। राजस्थान का आम अवाम और आखिरी लाइन पर खड़ा हुआ जहां भी हो, पसीना बहा रहा है, निश्चित रूप से उसको सबल नहीं करेंगे जबकि जन कल्याणकारी सरकार का पहला कर्त्तव्य है कि शिक्षा और चिकित्सा के लिए हमने इतनी योजनाएं बनायीं, इतनी घोषणाएं कीं उसके बावजूद भी राजस्थान सम्पूर्ण शिक्षित राजस्थान नहीं है। जब केरल सम्पूर्ण शिक्षित हो सकता है तो राजस्थान क्यों नहीं हो सकता। घोषणाओं से नहीं होगा जब तक हमारे पीछे चलने वाले लोगों को हम नहीं लगायेंगे।

हमारी दृढ़ राजनीति इच्छा शक्ति नहीं होगी जब तक हम कितनी ही योजनाएं बना लें, उन योजनाओं का कितना लाभ उस आखिरी पंक्ति में खड़े हुए राजस्थान के गरीब तक पहुंचता है, यह मेरे को कहने की जरूरत नहीं है।

यहां से पैसा जाता है उसमें से कितना पैसा खर्च होता है? आज एक-एक विभाग में जिस तरह का भ्रष्टाचार का राजस्थान में सरकार ने रिकार्ड बना दिया, कभी एस.पी. पकड़ा जा रहा है, कभी डीवाई.एस.पी. पकड़ा जा रहा है, कभी कार्यवाहक कलक्टर पकड़ा जा रहा है। बहुत से विभागों में जितना पैसा होता है, चाहे वो सिंचाई विभाग है, चाहे जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, चाहे वो सार्वजनिक निर्माण विभाग है, उसमें जितना पैसा जाता है उसका 25

(श्री अमराराम)

परसेंट आज भी कमीशन अधिकारियों के पास जाता है। जब अधिकारियों के पास 25 परसेंट जायेगा, 20 परसेंट ठेकेदार बचाने का काम करेगा तो 50 परसेंट पैसा ही सड़क पर लगेगा, बांध में लगेगा तो हालत वो ही होगी, बूंदी में बांध बन कर तैयार होता है और पहली बरसात में बांध बहकर चला जाता है, सड़क बनती है एक साल में बहकर चली जाती है और निजी कम्पनी बनाती है 14 साल तक उसको पैच रिपेयर करने की जरूरत नहीं है।

तो, सभापति महोदय, पैसा जरूर इस सदन के माध्यम से, बजट के माध्यम से हम पास करते हैं लेकिन असल में कितना पैसा लगता है? मैं समझता हूं कि अगर इस 65 साल में वो पैसा सही सलामत जमीन पर उतरता तो एक भी गांव प्यासा नहीं रहता, एक भी अनपढ़ नहीं रहता, एक भी बीमार होने की जरूरत नहीं होती और बीमार हो जाता तो सब का इलाज होता, जब हमारा सब का इलाज हो रहा है, राजस्थान के सात लाख कर्मचारी बीमार होंगे, विधायक और मंत्री बीमार होगा, अगर दस लाख रुपया भी लगेगा तो सरकार के खजाने से लगेगा और जो किसान अन्न पैदा करता है, जो सब कुछ गरीब, मजदूर बनाता है उसके लिए हमने बड़ी वाहवाही कर दी, एक लाख रुपये की इनकम वाला पांच लाख रुपये कहां से लायेगा? अभी नावां से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। अभी कह रहे थे कि बाइपास सर्जरी में पांच लाख रुपये लगेंगे तो हमने एक लाख रुपया कर दिया, मैं पूछना चाहता हूं कि चार लाख रुपये कहां से लायेगा? जो 100 रुपये की मजदूरी कर रहा है वो अपने बच्चे को, अपने मां-बाप को बचाने के लिए क्या चार लाख रुपये ला सकता है? आज 40 परसेंट, 35 परसेंट कुछ तो जो सिंचित इलाके हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, 50 प्रतिशत वो लोग हैं जिनके पास खेती की एक बिस्वा जमीन नहीं है, अगर बाइपास कराना पड़ेगा, किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी तो पांच-सात लाख रुपये लगते हैं, एक लाख रुपये तो सरकार दे देगी, पांच और सात लाख रुपये कहां से लायेगा? आज इस सबके लिए भी हमारी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से कर्मचारी और अधिकारी का इलाज हो रहा है, विधायक और मंत्री का हो रहा है, राजस्थान की छह करोड़ जनता की भी चिकित्सा करने की जिम्मेदारी सरकार लेती जब तो बात समझ में आती।

यह केवल घोषणाएं हैं, घोषणाएं इसलिए कह रहा हूं कि पिछले बजट में 6 विश्वविद्यालय ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): समाप्त ही कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय।

6 विश्वविद्यालय, सीकर का शेखावाटी विश्वविद्यालय जमीन पर नहीं है, हवा में है। सब जो घोषणाएं की गयीं, पिछले बजट की पूरी नहीं हुई। इसी सदन में हमारे बिजली मंत्रीजी बैठे हैं, यहां घोषणा की ढाणी में रहने वाले हैं, अभी 100 की आबादी, 300 की आबादी है, यहां खड़े होकर घोषणा की, एक के लिए सीकर में 27 हजार, कहा एक जून से लेकर 30 जून तक फार्म भरवायेंगे, एक-एक को नहीं दे सकते पांच मिलकर कनेक्शन लेंगे। पांच-पांच ने मिल कर फार्म भरा, अकेले सीकर में 27 हजार लोगों ने भरा और अब मंत्रीजी प्रेम पत्र भेज रहे हैं कि तुम्हारी फाइलें निरस्त की जाती हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया अब समाप्त करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसलिए, सभापति महोदय, इस बजट में केवल चुनाव को देखते हुए घोषणाएं हैं इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि असल में जो हकदार हैं इस सरकार के खजाने के हकदार हैं यह बजट उनको कोई लाभ पहुंचाने का काम नहीं कर रहा है इसलिए इस बजट का मैं घोर विरोध करता हूं। असल में जो हकदार हैं किसान और गरीब हकदार हैं उस तक यह बजट का हिस्सा पहुंचना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद देता हुआ मेरी बात समाप्त करूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो वर्ष 2013-14 का बजट रखा गया उसके लिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि 'पहले दिये हजारों जिसने थे घाव गहरे, मरहम लगा रहे हैं वो अब नमक मिला कर।'

आज हम लोग यहां पर चर्चा तो कर रहे हैं बजट की लेकिन सरकार के इस बजट में कुछ भी नवीनता नहीं दिख रही है, जो पूर्व के चार वर्षों के बजट थे उनका रिपिटीशन ही इस बजट के अन्दर लग रहा है क्योंकि मैं पिछले बजटों की कापी भी लेकर आयी हूं, मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि हर इश्यू के ऊपर किस तरीके से सिमिलेरिटी है इस बजट के अन्दर, उन ही बातों को दोहराया गया है। अच्छा यह होता कि माननीय मुख्य मंत्रीजी समीक्षा करते

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

पिछले बजटों की कि उन्होंने जो कुछ घोषणाएं की थीं उन घोषणा को किस तरीके से उन्होंने क्रियान्वित किया, उसके बाद में यह जो नये बजट की घोषणाएं हैं उसके लिए टाइम फ्रेम करते तो बात समझ में आती।

चार बजट की तो कोई बात ही नहीं, क्या-क्या बातें कही थीं, कहां गयी, कुछ भी पता नहीं और आज सरकार ने यह भी बताने की आवश्यकता नहीं समझी कि राज्य की विकास दर कहां पहुंची है। यानी यह इतना चिंता का विषय हो गया है, माननीय सभापति महोदय, अगर हम विकास की दर केवल 2011-12 की देखें तो वो 6.11 परसेंट थी और अभी 2012-13 की देखें तो वो घट कर 5.31 परसेंट पर आ गयी है। विकास की दर इतनी घट रही है। हमारा अगर राजस्व सरप्लस देखें, वर्ष 2011-12 का, तो वो 3357 करोड़ था और अब 2012-13 को देखें तो यह घट कर 1025 करोड़ पर आ गया, जो वन थर्ड से भी और कम हो गया। और दूसरी तरफ अगर राजकोषीय घाटा देखा जाए तो वर्ष 2011-12 में यह 3625 करोड़ का था, अब 2013-14 में यह बढ़ कर 13019 करोड़ का हो जायेगा, जो चार गुना बढ़ जायेगा। राजस्थान की जो अर्थ-व्यवस्था है उसको डुबोने वाला यह बजट है।

राज्य पर जो कर्ज भार हो रहा है, अगर उसको देखें, तो 2011-12 में यह 1 लाख 6560 करोड़ था, 2012-13 में बढ़कर 1 लाख 17,826 करोड़ हुआ और अब 2013-14 का जो बजट पेश हुआ है इसके पूरे होने तक 1 लाख 31,483 करोड़ का अनुमान है। इतना घाटा, इतना कर्ज भार राजस्थान के ऊपर आयेगा वित्तीय वर्ष में।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह सोचती हूं कि यह जो सरकार का आयोजना व्यय है उसमें भी कहीं वृद्धि नहीं हुई है। इतनी सारी घोषणाएं हुई हैं विकास जो है वो विकास आयोजना व्यय से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि राज्य में कितना विकास हुआ लेकिन आयोजना व्यय के अन्दर देखें तो सरकार ने बताया कि कुल व्यय 903 अरब रुपये हुआ है लेकिन यह 903 अरब में से जो आयोजना व्यय है वो मात्र 281 करोड़ रुपये ही है। अगर देखा जाए तो परसेंटेज में तो यह मात्र 31 परसेंट है।

हमारे पास ही का राज्य गुजरात है, वहां का अगर आयोजना व्यय देखें तो वहां 65 परसेंट से ऊपर जाता है। यह सोचने की बात है कि राजस्थान जैसा प्रदेश है, प्रदेश में हम घोषणाएं बहुत सारी कर रहे हैं लेकिन हम कितना खर्च कर पा रहे हैं, कितना हम लोगों का यह हो रहा है, आयोजना व्यय अगर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

31 परसेंट हो तो कैसे विकास हो रहा है, इसको तो हम अपने आप में सोच सकते हैं कि क्या चल रहा है।

अब मैं अगर विकास में जाऊं तो जिस तरीके से बजट की शुरुआत माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की थी तो उन्होंने बड़े दावे के साथ यह बात कही थी कि हम जनप्रतिनिधि हैं और कांग्रेस पार्टी ने अपना एक घोषणा पत्र बनाया था और उस घोषणा पत्र के अनुरूप जो घोषणा की थी उसी के अनुरूप हमने सरकार में सारे काम भी किये, अगर उनके घोषणा पत्र में देखें और उनका काम देखें, जो जनता ने वोट दिये और जनता को जो गुमराह किया, जो धोखा दिया कांग्रेस ने उसका अगर पूरा एक-एक अगर आपके घोषणा पत्र के पाइंट उठाकर देखें तो बहुत लम्बा होगा लेकिन कुछ स्पेशल घोषणाएं आप लोगों ने कीं, उनके बारे में ही आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी।

पहली घोषणा आपकी थी कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे, आज सरकार में आये हुए 1550 दिन हो गये महंगाई की कोई बात ही नहीं की, ना बजट में की ना आउट आफ बजट की। कहीं पर भी कोई बात नहीं। महंगाई के बारे में तो सोचना बंद कर दो, बस यही सरकार का कहना है। महंगाई तो बढ़ती जायेगी, बढ़ती जायेगी, उसका कोई हिसाब ही नहीं है कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है।

आपने चुनाव में यह कहा था, जब वसुन्धरा जी की सरकार चल रही थी तो 8 घंटे थ्री फेस बिजली मिल रही थी, सिंगल फेस पूरे समय मिल रही थी, 14 घंटे और आपके कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में यह कहा गया था कि हम 8 घंटे से बढ़ाकर और 12 घंटे बिजली देंगे थ्री फेस। यह मैं नहीं कह रही हूं, यह आपका घोषणा पत्र कह रहा है। लेकिन हुआ क्या? फैक्ट यह है कि आप तीन से चार घंटे बिजली दे पा रहे हैं आज।

आपका आज का 2013-14 का बजट जिस पर चर्चा कर रहे हैं उस बजट में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी कह रहे हैं कि छह घण्टे बिजली हम उपलब्ध करायेंगे। वास्तविकता यह है कि तीन से चार घण्टे बिजली मिल रही है । बिजली की स्थिति बहुत बुरी है। आप कहते हैं कि बिजली के अन्दर हमने कोई दाम नहीं बढ़ाए, नहीं बढ़ाए यह आपका घोषणा पत्र कह रहा है लेकिन आप बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं। कृषि के अन्दर यह स्थाई शुल्क जो लगाया है यह पहले पच्चीस रुपया था और अब बढ़ाकर 250 रुपया स्थाई शुल्क हो गया एक महीने का। यह बढ़ा है तो बिजली का आप एक तरफ तो कहते हो नहीं बढ़ा रहे और दूसरी तरफ आप बढ़ाते जा रहे हो।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जो स्थिति आज बिजली की हुई है, आज हम लोग इस बात को कहते हैं कि जो आपने इस बजट के अन्दर कहा है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना। इस योजना से गांव के अन्दर हम बिजली पहुंचायेंगे, ढाणियों में हम बिजली पहुंचाएंगे। लेकिन माननीय सभापति जी, यह कहते हुए बड़ा दुःख होता है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर यह राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना शुरू हुई थी और दसवीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि पांच साल में सबको बिजली ढाणी तक पहुंच जाएगी। मैं राजसमन्द जिले से आती हूं और राजसमन्द जिले में पिछले दो साल से इस योजना को समाप्त कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि वहां पर ढाणियों तक बिजली पहुंच गयी है। वहां ढाणियों तक बिजली नहीं पहुंची है। आज भी गांवों के अन्दर अन्धेरा है और उसके बाद भी इस योजना को बंद किये दो साल हो गये। हमने करीब साढ़े बाइस करोड़ का प्रपोजल बनाकर भेजा है। केन्द्र सरकार में जाएगा, वहां से जब स्वीकृति आएगी तब ही हम इसे लागू कर सकेंगे। इस प्रकार का आपके यहां से पत्र का जवाब आता है।

मैं कहती हूं कि एक तरफ आप घोषणा करते हैं कि राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से हम गांव और ढाणियों तक बिजली पहुंचायेंगे और दूसरी तरफ मेरा यह कहना है कि दो साल हो गये इस योजना को राजसमन्द जिले में बंद हुए। क्या इसकी जानकारी यहां पर बैठे हुए मंत्री और मुख्यमंत्री को नहीं होगी? जब आप पूरा बजट बनाते हैं तो उस बजट के अन्दर इतनी बड़ी-बड़ी बातें कहते हैं कि हम यहां तक बिजली पहुंचायेंगे तो क्या उन्हें पता नहीं कि कहां-कहां यह राजीव गांधी योजना बंद हो चुकी है।

आपने कहा कि बी पी एल परिवारों को हम कनेक्शन देंगे। उनको दो सी एफ एल बल्ब मुफ्त देंगे। जहां बिजली ही नहीं पहुंची है वहां यह दो सी एफ एल बल्ब का करेंगे क्या? क्योंकि आज भी मैं बता सकती हूं कि ऐसे कितने ही गांव हैं जहां पर बिजली अभी तक नहीं पहुंची। बिजली की अगर डिमांड्स को देखें, कनेक्शन्स को देखें तो आप यह दावा कर रहे हैं, कनेक्शन देने के बारे में जो आप कहते हैं, मैं यह कह सकती हूं कि वसुन्धरा जी के समय में 1993 से लेकर वर्ष 2007 तक के जितने पैण्डिंग कृषि कनेक्शंस थे वह सारे कनेक्शन दे दिए गए। इनके समय में 2008 से लेकर जितनी और एप्लीकेशंस आई हैं एक का भी कनेक्शन यह अपनी सरकार में दे सके हों तो बताएं कि एक भी कनेक्शन इन्होंने विद्युत का दिया हो। 2008 से इनकी सरकार चल रही है और कृषि का एक भी कनेक्शन, एक भी आवेदन पर इन्होंने दिया हो।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

यहां तक कि यह स्थिति है 2007 की जो डिमांड निकली थी वसुन्धरा जी के समय में वह डिमांड भरने के बाद भी आप कनेक्शन नहीं दे पाए। नार्म्स यह कहते हैं कि 90 डेज के अन्दर डिमांड भरने के बाद कनेक्शन हो जाने चाहिए लेकिन दो-दो साल हो गये, डिमांड को भरे हुए। वह किसान उधार पैसे लाता है, कर्जा उठाकर यह डिमांड भर रहा है। डिमांड आती है 15 हजार, 20 हजार, 25 हजार और डिमांड भरने के बाद कनेक्शन नहीं हो उसके दो-दो साल तक, कौन इसको देखेगा। केवल यहां आकर घोषणा करने मात्र से नहीं होगा। क्या 90 डेज का रूल बना हुआ है इससे अगर आप सहमत नहीं हो तो आप बता दें कि यह रूल नहीं बने हुए। जब रूल्स बने हुए हैं तो उनको क्यों नहीं लागू किया जाता? उस गरीब किसान को कनेक्शन देने में सरकार इतनी शिथिलता क्यों बरत रही है?

खाली घोषणाएं करने से कुछ नहीं होगा। यह भी मैं कहती हूं कि ऊर्जा का उत्पादन जो है उसके भी आंकड़ों के अन्दर विसंगति आई है। वर्ष 2012 का बजट यह कहता है कि इन्होंने ऊर्जा उत्पादन की जो क्षमता है वह 9480 मेगावाट बताई और 2013 का जो भाषण है इनका इसमें यह बता रहे हैं ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 11,168 मेगावाट है। इस हिसाब से अगर 2012 और 2013 का हिसाब लगाया जाए तो यह आएगा 1688 मेगावाट की वृद्धि हुई पिछले वर्ष से इस वर्ष। लेकिन इसी बजट में आपका जो दूसरा पैराग्राफ है वह यह कहता है कि विगत तीन वर्षों में हमने क्षमता बढ़ाई है 3,380 मेगावाट और चार वर्षों में हमने बढ़ाई है क्षमता 4,628 मेगावाट। इसको अगर इससे माइनस किया जाए तो इसमें वृद्धि आती है 1248 मेगावाट। तो किसको सत्य माना जाए कि आपने जो ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है वह 1248 मेगावाट बढ़ाई या 1688 मेगावाट बढ़ाई।

आपके ही आंकड़ों के अन्दर जिस तरीके से दिख रहा है, उसमें मुझे लग रहा है कि जो बजट बनाते हैं उस समय शायद कुछ देखा नहीं जाता। सिर्फ दिमाग में यही है कि कैसे वोट खींचे जाएं, चुनावी वर्ष है। ज्यादा से ज्यादा कैसे बड़े से बड़े आंकड़े दिखाए जाएं। लेकिन उन आंकड़ों की सत्यता क्या है, उसके अन्दर कोई नहीं जा रहा।

आज मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि सड़क के बारे में इन्होंने कहा कि हमने वर्ष 2012-13 में 250 से 500 की जनसंख्या के 1500 गांवों को सड़कों से जोड़ेंगे। यह घोषणा इनकी पिछले बजट की है। यह 2012-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

13 का मैं बजट लेकर आयी हूं। इसमें इन्होंने लिखा है कि 250 से 500 की आबादी के 1500 गांव हम सड़कों से जोड़ेंगे। शेष रहे 1400 गांवों को भी आने वाले समय में जोड़ेंगे। अभी जो यह बजट 2013-14 का है उसमें यह कह रहे हैं कि 1500 गांवों में से हम मात्र 663 गांवों को ही जोड़ पाए। शेष जो 1337 गांव बचे हैं उनका कार्य प्रगति पर है और फिर से रिपीटीशन की कि 1400 शेष रहे गांवों को आगामी वर्ष में जोड़ेंगे। आप देखिए कि पिछले साल घोषणा करते हैं कि 1500 गांवों को 250 से 500 की आबादी के को हम जोड़ देंगे। रिजल्ट यह है कि 663 गांवों को ही जोड़ पाए, 1400 गांवों को और जोड़ देंगे। जब आप पिछले बजट के 1500 में से मात्र तीस परसेंट गांवों को जोड़ पाए। अब आप कह रहे हो कि हम आने वाले समय में और 1400 जोड़ पायेंगे।

यानी कैसे मूर्ख बनाने का काम आप कर रहे हैं जनता को। यह जनता को गुमराह करना छोड़ दीजिए। आप यह कहते हैं कि रेगिस्तानी और जनजाति क्षेत्र में जो 250 की जनसंख्या है उनके नीचे के जो गांव हैं, 100 से 250 के, उनको हम जोड़ देंगे। मैं आपसे कहती हूं कि यह जो रेगिस्तानी और जनजाति क्षेत्र के गांव हैं 250 की जनसंख्या से नीचे वाले, वह तो माननीय वसुन्धरा जी जब मुख्यमंत्री थीं तब ही जुड़ गये थे और आगे की प्रक्रिया भी शुरू हो गयी थी। घोषणा हो गयी थी, काम की प्रगति शुरू हो गयी थी। लेकिन पिछले साढ़े चार साल की कांग्रेस की गवर्नमेंट में इस पर कोई सुपरविजन नहीं हुआ। कोई काम की प्रगति नहीं हुई और बारम्बार बजट में यही आ रहा है कि हम इन गांवों को जोड़ेंगे, गांवों को जोड़ेंगे, पता नहीं कब जोड़ेंगे। इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट कहीं पर भी नहीं है।

जितनी इनकी महत्वपूर्ण सड़कें बनाई गयीं सब में टोल टैक्स, टोल टैक्स के अलावा कोई ऐसी कहीं पर भी नहीं है कि जहां बिना पथ कर के आवागमन सम्भव हो सके। सारी जो रोड्स बनाई हैं, टोल टैक्स लेकर, जनता के ऊपर भार डालकर तभी सड़कें बनेंगी।

खनन क्षेत्र से मैं आती हूं और खनन क्षेत्र के लिए जो हमारी माइनिंग की रोड्स थीं, उन रोड्स के लिए पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुन्धरा जी ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई थी। उन्होंने कहा था कि खनन क्षेत्र की जितनी सड़कें हैं क्योंकि बार-बार टूट जाती हैं, उनकी रिपेयर करनी है। उसके लिए अगर पच्चीस परसेंट उस क्षेत्र के लोग देते हैं तो पिचहत्तर परसेंट सरकार इसमें सहयोग करेगी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आयी, उस योजना

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

को समाप्त कर दिया। हमने सोचा योजना समाप्त कर दी तो शायद यह स्वयं सड़कें बनायेंगे। लेकिन पांच साल में खनन क्षेत्र की कोई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। हालत इतनी खराब है कि पूरे खनन क्षेत्र में सड़क नाम की कोई चीज दिखती ही नहीं है। खड्डे ही खड्डे पड़े हैं। जितने लोग वहां से गुजरते हैं वह अशोक गहलोत जी के लिए कुछ न कुछ तो कमेंट करते हैं। इस बात को मैं आज इस सदन में आपको कहती हूं।

आपने सड़क निर्माण के लिए जब वसुन्धरा जी की सरकार थी तो सभी एम एल एज को उन्होंने दस-दस किलोमीटर, एम एल ए अपनी अनुशंसा पर अपने विधान सभा क्षेत्र में दस किलोमीटर की मिसिंग लिंक बना सकते हैं, इसका प्रोवीजन रखा था लेकिन यह सरकार बनने के बाद मात्र 8 किलोमीटर, मात्र 7 किलोमीटर देवस्थान की सड़क। 4 साल में केवल 8 किलोमीटर मिसिंग लिंक और 7 किलोमीटर देवस्थान की सड़क...

अनेक माननीय सदस्य: 16 किलोमीटर।

(18.00 बजे)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 16 किलोमीटर दो बार दी है तो 2 साल में 16 किलोमीटर और 4 साल में 40 किलोमीटर मिलनी चाहिये थी, 40 किलोमीटर की जगह पर यह स्थिति है। जहां पर अनुशंसा नाम की कोई चीज ही नहीं है। विधायक को कोई अनुशंसा करने की जरूरत नहीं है। सरकार चाह रही है। सरकार की यह आंखें कौन हैं? सरकार की यह आंखें वह जन प्रतिनिधि हैं जो उस विधान सभा क्षेत्र से जीतकर आया है और वह जब विधान सभा के अन्दर आता है तो वह अनुशंसा करता है कि मेरे यहां सबसे ज्यादा सड़क कौनसी खराब है जिसके ऊपर रिपेयर करनी है। कौनसी सड़क नयी बनवानी है लेकिन उस विधायक की नहीं सुनी जाती है। निर्माण के अन्दर आप अपनी इच्छा से करते हैं। क्यों नहीं अनुशंसा मांगी जाए विधायकों की और वसुन्धराजी ने जो योजना शुरू की थी 10 किलोमीटर हर विधायक की अनुशंसा पर सड़क बनेगी, तो क्यों नहीं यह सरकार उसे लागू करना चाहती है? इससे साफ दिखता है कि लोकतन्त्र की यहां पर कोई वकत नहीं है और यह लोकतन्त्र में बिलीव ही नहीं करते। यह जैसा चाहे वैसा यह अपनी हठधर्मिता से सारी सड़कें बनायेंगे, इन्हें कोई उससे लेना-देना नहीं।

जल संसाधन की अगर मैं बात करूं तो देवास परियोजना की तृतीय और चतुर्थ चरण की जो सर्वेक्षण की घोषणा इन्होंने की है। मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कि थर्ड और फोर्थ फेस के अन्दर देवास योजना का सर्वे किया जायेगा। यही की यही बात उन्होंने वर्ष 2012-13 के बजट में कही। यही बात जब वह उनके प्रवास पर उदयपुर आये तब भी कही। हम यह उनसे अपेक्षा कर रहे थे कि अब जो बजट पेश किया 2013-14 का उसमें कोई राशि वह रखते देवास योजना की, तब तो समझ में आता। अभी तक उनका सर्वे ही चल रहा है। केवल सर्वे के नाम पर वह लोगों को कहना चाहते हैं मेरी इतनी चिन्ता है देवास योजना की।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जल संग्रहण में अभी उन्होंने बजट में रखा 1 हजार 51 करोड़ रुपये, लेकिन खर्च 2012-13 का यह बताता है कि मात्र 133 करोड़ वह खर्च कर चुके। एक तरफ सरकार नियामक आयोग ला रही है। दूसरी तरफ जल संग्रहण में सरकार का कोई खर्चा ही नहीं हो रहा। योजना नहीं हो रही है। जो हमारी पहले योजना चलती थी वह सारी योजनाएं बन्द हो गयीं।

और तो और सहभागी योजना, जिसमें गांव के लोग टैन परसेंट पैसा इकट्ठा करते थे, नाइंटी परसेंट सरकार देती थी और पेयजल की योजना होती थी कितने गांवों के अन्दर पानी की पाइप लाइन डली है, टंकियां बनी हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का भी उसके अन्दर साथ में सहयोग होता था। लेकिन उस योजना को बन्द कर दिया इस सरकार ने।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

पेयजल की यह स्थिति है कि एक तरफ कहते हैं हम पेयजल की इतनी योजना ला रहे हैं। राजसमन्द के अन्दर मैं यह कह सकती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आर यू आई डी पी के द्वारा जो योजना इन्होंने स्वीकृत की थी, 2 साल डिले हो गया उस योजना को। अभी तक भी कम्पलीट नहीं हुई। सरकार उसमें कहीं चिन्ता नहीं करती। कितने ही पत्र लिख दो, कितना ही विधान सभा में उठा लो, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बजट के अन्दर बड़ी घोषणा करेंगे कि इतनी जल योजना, इतने जल संसाधन के, लेकिन बजट में घोषणा करने से क्या होगा? वहां पर फील्ड में देखना पड़ेगा कि कितनी योजना की क्रियान्विति हुई?

पेन्शन की योजना, अभी मेरे भाई जो मुझसे पूर्व कह रहे थे कांग्रेस के, वह कह रहे थे कि बी जे पी के लोगों का काम है विरोध करना, इसलिये विरोध करेंगे। विरोध नहीं, कुछ योजना अच्छी है तो उसकी हम तारीफ भी करेंगे। आपने वृद्धा पेन्शन और विधवा पेन्शन में 25 साल के बेटे वाली जो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

शर्त रखी थी वह हटा दी वह बहुत अच्छा किया। लेकिन मेरी और एक रिकमंडेशन है माननीय मुख्य मंत्रीजी को, सरकार को, आपके माध्यम से कि विकलांग पेन्शन जो सरकार देती है, उस विकलांग पेन्शन में यह क्लाज है कि 14 हजार पूरे परिवार का, पूरे परिवार की जो इन्कम है वह 14 हजार से कम होनी चाहिये तो ही उस विकलांग को विकलांग पेन्शन मिलेगी। अब आप मुझे बताइये कि जो मिनिमम वेजेज है उस मिनिमम वेजेज को भी अगर लें, अगर हंडरेड रुपीज भी मानें तो वह हंडरेड रुपीज से 3 हजार रुपया एक महीने का हुआ और 12 महीने का 36 हजार हुआ। आप कहते हो कि 14 हजार में ही, पूरे फैमिली की इन्कम होगी 14 हजार से कम, तो ही उस विकलांग को पेन्शन मिलेगी। यह कैसे उस विकलांग को पेन्शन मिल सकेगी इस सरकार के अन्दर? जब आप संशोधन ही करने जा रहे हो तो विकलांग पेन्शन में भी विकलांग को पेन्शन मिले इसका संशोधन करिये। और वह जो 14 हजार की शर्त आपने लगा रखी है कि 14 हजार से कम उसकी आय होनी चाहिये उस आय को भी बढ़ाना चाहिये। कम से कम 40 से 50 हजार रखिये तब जाकर विकलांग को विकलांग पेन्शन मिल सकेगी...

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आपने कहा कि आपने एक शुभ लक्ष्मी योजना शुरू की है। एक तरफ कह रहे हैं कि हमने बच्चियों के लिये यह शुभ लक्ष्मी योजना, यह कापी की है वैसे तो मध्य प्रदेश की। जो लाड़ली लक्ष्मी योजना चलती है उसी योजना की कापी करने की कोशिश की लेकिन कापी भी प्रोपर नहीं की है माननीय सभापति जी। इस शुभ लक्ष्मी योजना में एक हजार रुपया जब वह जन्मेगी, अगर बच्ची, तो उसकी मां को मिलेगा। एक हजार रुपया जब टीकाकरण हो जायेगा तब मिलेगा। दो हजार रुपया जब वह स्कूल में एडमिशन लेगी तब मिलेगा। लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। वह एक-एक हजार और दो हजार से नहीं होगा, उसकी एफ डी कराना जरूरी है। मध्य प्रदेश की जो लाडली लक्ष्मी योजना है बच्ची के जन्म होते ही पांच हजार रुपये की एफ डी सरकार करा देती है जो 20 साल की होने पर सीधा एक लाख रुपया मिलता है। लेकिन यहां पर आप एक-एक हजार और दो-दो हजार देकर केवल एक छोटे लाभ के लिये कि वह आपकी तरफ आए, आपसे ले और आप उससे वोट मांगो। अगर दूरदृष्टि रखें तो इस योजना को थोड़ी ऐसी योजना बनाओ जो वास्तव में उस बच्ची के लिये लाभदायक हो।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

आपने जनजाति के लिये पिछली बार यहां पर पिछली बार बहुत बैंचेज बजायीं। बहुतों ने खूब तारीफ करी कि यह जो हमारी सरकार है उसने राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब कृपया समाप्त करें आप।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं सिर्फ दो इश्यु और लूंगी बस। राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बड़ी वाहवाही हुई थी और बहुत बैंचेज बजी थीं यहां पर। जो बैंचेज बजाने वाले हैं हमारे माननीय सदस्य, मैं आज उनसे पूछती हूं कि यह पिछले बजट की घोषणा है। इस बजट की घोषणा में, पिछले वर्ष कहा कि हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे। इस बजट में कह रहे हैं हम 50 करोड़ रखेंगे। स्थिति यह है कि जैसे अभी माननीय अमराराम जी बता रहे थे सीकर यूनिवर्सिटी की घोषणा, जमीन पर सीकर यूनिवर्सिटी कुछ नहीं, हवा में लटक रही है। ऐसा ही हाल इस राजीव गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी का है। हवा में लटक रही है। जमीन उसके लिये अभी तक निर्धारित नहीं की गयी है। पैसे आप 50 करोड़ रख रहे हो, कोई जमीन नहीं वहां, कोई उसके बारे में चर्चा नहीं वहां पर, सिर्फ यूनिवर्सिटी की घोषणा करके जनता को गुमराह करने का जो काम है वह बन्द कर दीजिये..

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अंतिम बात यह कहूंगी क्योंकि आज महिला दिवस है और बड़ी वाहवाही ले रहे हैं कि महिला को दो साड़ी दे रहे हैं। महिला को दो साड़ी तो आप दे रहे हैं लेकिन महिला सुरक्षा के नाम पर आप क्या कर रहे हैं ? यह साड़ी, महिला दिवस पर आज मैं भी गयी थी। माननीय सभापति जी, महिलाएं आज यह नारा लगा रही थीं कि हमें साड़ी नहीं सम्मान चाहिये, सुरक्षा का विश्वास चाहिये। और इसलिये मैं कहूंगी कि उन्हें साड़ी मत दो लेकिन उनको सुरक्षा तो दो। हालत यह है कि आपने कहा हैल्प लाइन की योजना बनायेंगे। यह 2012 का बजट है, यह 2012 में भी आपने कहा था पाइन्ट नम्बर 74 में महिला एवं बाल विकास में कि महिला हैल्प लाइन स्थापित की जायेगी। 2013 -14 के बजट में भी यह कहते हैं कि हैल्प लाइन बनायेंगे। अब यह हैल्प लाइन की घोषणा ही करते रहेंगे कि वास्तव में हैल्प लाइन आयेगी। मैं तो और माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि हैल्प लाइन बनाने से क्या होगा?

ऋषभदेव थाने के अन्दर थाने में पुलिसकर्मी के द्वारा दुष्कर्म होता है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

वह दुष्कर्म थाने के अन्दर होता है। वह हैल्प लाइन क्या करेगी जब थाने के अन्दर रक्षक जो हैं वही भक्षक बनकर बैठे हैं?

राजसमन्द में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है लेकिन किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं। सरकार को जरा भी संवेदनशीलता नहीं है कि वहां तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये, सज़ा मिलनी चाहिये...(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) वह खुद कलप्रिट एक्सैप्ट कर रहा है कि हां, मैंने किया है यह दुष्कर्म। उसके बाद में भी उसको सज़ा नहीं दिला पा रहे, ऐसी स्थिति है। यह हैल्प लाइन आपकी क्या करेगी ?

मैं कहूंगी कि जितने यहां फास्ट ट्रैक कोर्टस चल रहे थे, जो 83 फास्ट ट्रैक कोर्टस वसुन्धरा जी के समय में चल रहे थे जब वह मुख्यमंत्री थीं, आज की तारीख में अगर देखें तो राजस्थान में एक भी फास्ट ट्रैक नहीं चल रहा है। कैसे हम उन दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को सज़ा देंगे? त्वरित न्याय मिलना चाहिये। वह त्वरित न्याय तब मिलेगा जब फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी। लेकिन आज की इस सरकार के अन्दर महिला सुरक्षित नहीं है। वह जो अपराधी है वह अपराधी और ज्यादा बढ़ रहे हैं। वह इसलिये बढ़ रहे हैं कि उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं है। कानून में इतना लचीलापन है कि अपराध करने के बाद वह आराम से घूमता रहता है। आई पी सी 375 और 376 जो है वह यह कहती है कि अपराध अगर पाया गया, अगर कहीं रेप हुआ है तो वह रेपीज को 7 साल, मैक्सिमम 7 साल की सज़ा होगी। क्या होगा उस 7 साल की सज़ा से ? वह फिर आयेगा, फिर ऐसे दुष्कर्म करेगा। लेकिन सरकार अगर वास्तव में इच्छा शक्ति रखती है और महिला की सुरक्षा की बात करती है, महिला के सम्मान की बात करती है तो माननीय सभापति जी...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, कृपया समाप्त करें अब आप। मैं नाम बोलने जा रहा हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): बिलकुल मैं समाप्त कर रही हूं।

लेकिन यह चिंता सरकार को करनी होगी कि अगर महिला को सुरक्षा देनी है तो यह जो महिला थाने हैं, उन महिला थानों में महिला आफिसर को लगाया जाये। आज भी अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो राजस्थान के अधिकतर महिला थानों में पुरुष आफिसर लगे हुए हैं। वह महिला, जो उत्पीड़ित महिला है, वह अगर थाने में जाती है तो वह अपनी रिपोर्ट भी वहां दर्ज नहीं करा सकती है, क्योंकि उससे इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

जिसका वह जवाब नहीं दे पाती। आज भी फास्ट ट्रेक नहीं हैं हमारे यहां पर। फास्ट ट्रेक खोलने के बारे में सोचे सरकार। केवल यह कह दिया कि सम्भाग लेवल पर फास्ट ट्रेक होंगे, वह सम्भाग लेवल पर होंगे, वह भी हवा में लटक रहे हैं। पता नहीं कब फास्ट ट्रेक होंगे?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें। मैं दूसरा नाम बोलने जा रहा हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापति महोदय, आज महिला दिवस है और महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हूं, इसलिए 1 मिनट और मुझे दीजिये। मात्र 1 मिनट। यह जो एफआईआर लाज होती है पीड़ित महिला के द्वारा, उसको आप आनलाइन दर्ज कराने की व्यवस्था बनायें राजस्थान में। मैं कहती हूं कि राजस्थान में महिलाओं के लिए अगर वास्तव में सरकार की कोई इच्छा शक्ति है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, सशक्त करना है तो इस तरीके के सुझाव लेकर उसे अमल करें। यही बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैंने पाइंट आफ इन्फार्मेशन में 3 बार पर्ची दी है लिखकर। आप मुझे 2 मिनट का समय दे दें बोलने के लिए।

श्री सभापति: आपको इजाजत नहीं है माननीय सदस्य। बैठें आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): मेरे को ही नहीं है या किसी और को भी नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति: पाइंट आफ इन्फार्मेशन में आप आ ही नहीं रहे हैं यहां पर।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह तो गलत बात है माननीय सभापति।

श्री सभापति: पाइंट आफ इन्फार्मेशन में नहीं है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय अशोक जी गहलोत ने राजस्थान सरकार का पांचवां शानदार बजट पेश किया और योजनाओं का आकार 40139 करोड़ रुपये किया। यह बजट लगभग 3 घंटे लगातार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सभी

(श्री मदन प्रजापत)

बिन्दुओं का समावेश करके राजस्थान की 7 करोड़ जनता को जो सौगात दी है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, आज राजस्थान की जनता अपने आपको भाग्यशाली महसूस करती है। राजस्थान की जनता भाग्यशाली है कि एक ईमानदार, सेवाभावी मुख्य मंत्री राजस्थान को मिला। जब केन्द्र का बजट आया और दूसरे दिन अखबारों में उसकी प्रतिक्रिया आयी तो उसमें माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी का एक स्टेटमेंट आया कि माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को निराशा हाथ लगी। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जो कि राजस्थान के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, उनको ना तो आज दिन तक निराशा हाथ लगी और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में भी निराशा हाथ नहीं लग सकती है। आप देख सकते हैं कि तीसरे दिन अखबारों में आया 'रिफाइनरी राजस्थान में', 'रिफाइनरी राजस्थान में'। आज हिम्मत माननीय मुख्य मंत्रीजी रखते हैं कि चाहे एम्स हो, चाहे 7-7 विश्वविद्यालय हों, चाहे मेट्रो और सुरंग हो, चाहे रिफाइनरी हो, यह फैसला लेने की क्षमता अगर किसी में है तो माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत में है।

सभापति महोदय, आज गरीब की पीड़ा को समझते हुए, आम जन की भावना को देखते हुए उन्होंने फैसला लिया और उस फैसले को पूरे सदन को स्वीकार करना पडा। इन 5 वर्षों में प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने पहली बार ताली बजाकर के उस फैसले का स्वागत किया कि पेंशन आम आदमी को मिले। वह शर्त हटाने की कोई हिम्मत रखता है तो वह माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत रखते हैं। उनके मन में गरीबों के प्रति पीड़ा है। उनके मन में दर्द है कि गरीब को सहायता मिले। गरीब को मदद मिले।

सभापति महोदय, इसके अलावा, आज जिसके मां नहीं है, जिनके बाप नहीं है, उन गरीब, बेसहारा बालकों के लिए पालनहार योजना में 675 रुपये से बढ़ाकर के 1 हजार रुपये करने का फैसला इस बजट में किया है। इसके अलावा जो तमाम योजनाएं हैं, जिनके बारे में भाई महेन्द्रजी ने विस्तार से कहा है। बजट में चाहे 300 करोड़ रुपये का कम्बल और साड़ी का मामला हो, इसके अलावा समाज कल्याण छात्रावासों में जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहां रहते हैं, उनके लिए मैस भत्ता गत बजट में भी साढ़े 1200 किया और इस बजट में भी साढ़े 1200 से साढ़े 1700 अगर किसी ने किया है तो लोकप्रिय मुख्य मंत्री

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय अशोक जी गहलोत ने किया है। इन 5 सालों में 2-2 बार उन गरीब छात्रों के लिए मैस भत्ता बढ़ाना यह साफ दर्शाता है कि गरीब का दर्द माननीय मुख्य मंत्रीजी के दिल में है। चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, इन सब बातों का इस बजट में समावेश किया गया है।

सभापति महोदय, आज सामने से भी अल्पसंख्यक समुदाय की बात याद आती है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जयपुर में हज हाउस की आपने क्या हालत की? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो सौगात दी है, आप देख सकते हैं कि पूरे बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए चाहे 56 करोड़ के छात्रावासों के मामले हों, चाहे अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों के लिए कि जो 60 प्रतिशत अंक लायेगी उनकी लड़की पैदल या साइकिल पर नहीं, स्कूटी पर कालेज जायेगी। यह फैसला अगर किसी ने लिया है तो माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने लिया है।

सभापति महोदय, मदरसों में भर्ती के मामले में चाहे 1500 शिक्षा सहयोगी हों, चाहे कम्प्यूटर पैराटीचर्स हों, जो अनेकानेक फैसले लिए हैं, उनके पूरे विस्तार और पूरे बिन्दुओं पर नहीं जा सकता। लेकिन गत बजट में भी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को यह स्वीकार करना पड़ा कि यह चुनावी बजट है, यह तो सिर्फ घोषणाएं हैं। लेकिन अब यह शब्द सुनने को नहीं मिलता कि यह चुनावी बजट है। इस बार तो एक नयी बात सुनने को मिलती है कि यह सिर्फ घोषणाएं हैं, यह सिर्फ कागजी घोषणाएं हैं। यह घोषणाएं पूरी नहीं होंगी। 2014 किसका होगा?

सभापति महोदय, इनके मन में यह तय हो गया है, कोई कह रहा है 3 महीने हैं, कोई कह रहा है 6 महीने हैं और उसके बाद में इधर से उधर आ जाओगे। यह भूल गये हैं कि यह अधिकार जनता को है, यह लोकतंत्र है। चुनावों में जाना पड़ेगा। परीक्षा की घड़ी होगी। केवल बातें करने से आप इधर आने वाले नहीं हैं। अगर आपके मन में कोई सपना है तो यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। राजस्थान में चाहे 2014 हो, चाहे आने वाले कई साल हों, कांग्रेस की सरकार रहेगी।

सभापति महोदय, जो आप बार-बार यह भी सुनते हैं कि इतने सालों तक राज किया। हमने तो कम किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं कि यह जनता ने फैसला किया है, कांग्रेस चाहे 60 साल राज करे, चाहे 50 साल करे। आपको किसी ने मना नहीं किया। अगर

(श्री मदन प्रजापत)

राज करने का आप में माद्दा था, आपमें हिम्मत थी तो आप आज जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, उस समय आप कोई नींद में नहीं थे। 60 साल नहीं, 125 साल पुरानी पार्टी में कई 125 सालों तक राज करने की शक्ति है। गरीब की सेवा करने की शक्ति पार्टी में है। आप हल्ला करने में माहिर हैं। आप बड़े भाषण देने में माहिर हैं। बात को बनाने में आप माहिर हैं। लेकिन जनता इन बातों में नहीं आने वाली है।

सभापति महोदय, मानदेय पर लगे छोटे कर्मचारियों के लिए जो फैसला लिया है, ईश्वर नहीं करे लेकिन उनकी दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये तक की सहायता देने का फैसला माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने लिया है। आज ईश्वर से आग्रह करते हैं कि किसी के बीमारी नहीं हो, लेकिन उन छोटे कर्मचारियों के अगर बीमारी भी हो जाये तो 1 लाख रुपये की सहायता का फैसला माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में किया है। उनको कोई तकलीफ नहीं हो। इन तमाम छोटे-छोटे व्यक्तियों के लिए बजट में काम किया है।

सभापति महोदय, चाहे शिक्षा का मामला हो, आज किस तरह से तारीफ करें शब्द भी कम पड़ते हैं। एक साथ हजार-हजार स्कूल खोलने का फैसला माननीय शिक्षा मंत्रीजी और लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोतजी ने लिया है। चाहे पांचवीं की 1 हजार हो, चाहे आठवीं की हो, चाहे दसवीं की हो और 600 सीनियर हायर सैकण्डरी खोलने का जो फैसला लिया है, उससे यह साबित कर दिया कि राजस्थान को 100 प्रतिशत करने की अगर किसी में हिम्मत है और प्रयास कर रहे हैं तो वह माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत में है।

राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इस शब्द पर भी माननीय सदस्य आये कि 'डिजिटल' क्या शब्द होता है। राजीव गांधी डिजिटल योजना के अन्तर्गत आठवीं कक्षा में पढ़ने वाले, मिडल कक्षा में पढ़ने वाले चाहे उनके लिए टेबलेट पीसी, दूसरी से ग्यारहवीं तक एक स्कूल में 12 लड़कों को यह सौगात मिलती है यह अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। यह जो क्रांतिकारी फैसला लिया है, माननीय सभापति महोदय, चाहे आरयूबी हो, ओवरब्रिज हो, चाहे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जो 30 प्रतिशत केन्द्र सरकार का था और उसके बाद 20 प्रतिशत और बढ़ाते हुए 50 प्रतिशत सब्सिडी कांग्रेस और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी है, इससे इसको बढ़ावा

(श्री मदन प्रजापत)

मिलेगा। हमें इस बात की खुशी है, गर्व महसूस होता है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में राजस्थान अग्रणी नम्बर पर है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्रीजी विराजमान हैं और यह बात आती है कि पैसे बढ़ा दिये गये। यह पहले मुख्य मंत्री हैं जो मुख्य मंत्री बनते ही तुरन्त फैसला लिया किसान हित को देखते हुए, गरीब हित को देखते हुए कि किसानों का एक रुपया बिजली का नहीं बढ़ाया जायेगा। यह फैसला, यह क्रांतिकारी कदम कोई ले सकता है तो वह माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ही ले सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज चार सालों की जो यह बात आ रही थी कि एक भी कनेक्शन नहीं हुआ, यह राजस्थान की 7 करोड़ जनता जानती है, अगर कनेक्शन हुए हैं या नहीं हुए हैं वह फैसला नवम्बर और दिसम्बर में जनता करेगी। 280651 कनेक्शन और दो लाख, ढ़ाई लाख के लगभग में भी जिनको एक भी नहीं दिखता है तो उनको मैं मानता हूं कि इन्सान भी नजर नहीं आयेगा। माननीय सभापति महोदय, इस वर्ष माननीय सीएम साहब ने फैसला लिया कि 75 हजार नए कृषि कनेक्शन इसके बाद में चाहे ढाणियों को जोड़ने का फैसला हो, 2 साल में 1 लाख कनेक्शन और इसके अलावा 400 जीएसएस 33 केवी के और इसके बाद में गरीब आदमी को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत जो घर में अपने सपने में भी नहीं सोचता था कि मैं डिमाण्ड भर कर बिजली का कनेक्शन ले सकता हूं, उनको घर बैठे फ्री में कनेक्शन दिए हैं। आज मुझे कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है कि आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में 9050 कनेक्शन उन घर बैठे गरीब लोगों के घर में जोड़े गए हैं और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस बजट में और सौगातें दी हैं और गरीब के हित में फैसला लेते हुए दो-दो सीएफएल-बल्ब जो दिये जायेंगे ताकि ऊर्जा की बचत हो। माननीय मंत्रीजी भी विराजमान है, मैं मंत्रीजी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि चाहे बिजली का मामला हो चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, आम आदमी के हित में जो क्रांतिकारी फैसले लिए हैं वह फैसले हर सरकार नहीं ले सकती। यह कांग्रेस का राज करने का तरीका है, पुराना अनुभव है। कांग्रेस विकास में विश्वास करती है, बकवास में नहीं करती है। यहां बात करना अलग बात है लेकिन उस बात को प्रेक्टिकल खरा उतरना अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। माननीय सभापति महोदय, आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है

(श्री मदन प्रजापत)

कि राजस्थान में विभिन्न पेयजल योजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। यह 20 हजार करोड़ रुपये जो राजस्थान का बजट भी नहीं था, यह 20 हजार, 17 हजार करोड़ से लाकर मुख्य मंत्रीजी 40 हजार करोड़ के ऊपर बजट लाये हैं और उसमें 5 साल में जो 20 हजार करोड़ रुपये शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मिले। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं कि गत 6 तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिन जल योजनाओं का उद्घाटन किया, हिमालय का पानी इस राजस्थान के बालोतरा और पचपदरा की जनता को मिला यह अपने आप में बहुत क्रांतिकारी फैसला है।

माननीय सभापति महोदय, इसके बाद में हमारे मन में था हैण्डपम्पों के बारे में बोलने का लेकिन बोलने और मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपने आप ही माननीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी ने 20 हजार हैण्डपम्प देने का फैसला लेना, यह अपने आप में कोई मामूली बात नहीं है। इसके अलावा पोकरण और फलसूण्ड में और भी आपने जो बजट दिया है 485 करोड़ रुपये का और कलस्टर कार्यों में देकर यह साबित कर दिया कि आपकी राजस्थान के विकास के प्रति भावना शुरू से ही नहीं है और आगे भी रहेगी।

यहां बार-बार प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से आता है कि गुजरात में यह हो रहा है, एमपी में यह हो रहा है। राजस्थान जहां हम जन्में हैं, राजस्थान जैसे प्रदेश में जन्म पर हमें गर्व महसूस होता है, यहां उन सारे शूरवीरों की धरती की जय बोली जायेगी, राजस्थान की बोली जायेगी और इसके अलावा जय बोली जायेगी हिन्दुस्तान की लेकिन उदाहरण देते हैं वहां के, हमारे मारवाड़ में कहावत है, 'भाई से साला रे दो टाबर आपारे कांई काम नीं आवणे वाला है'। जो राजस्थान में होगा वह राजस्थान की जनता को मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आज याद दिलाना चाहता हूं, कल वाली घटना जो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वकीलों के खिलाफ कोई नहीं है, चाहे पक्ष के सदस्य हों, चाहे प्रतिपक्ष के सदस्य हों। न पुलिस वालों के खिलाफ हैं, लेकिन इस तरह से जो सुना वह अपने आप में दर्शाता है कि एक मुंह से यह बात आती है कि पुलिस 250 बार पिट गई, पुलिस नाकाम हो गई, इसके लिए हम सबका दायित्व बनता है संविधान की रक्षा करने वाले, कानून की किताब लेने वाला, राजस्थान की आजादी के बाद इतना बड़ा आंदोलन शायद हमने नहीं देखा, इतना उग्र आंदोलन किसी को नहीं करना चाहिए ताकि

(श्री मदन प्रजापत)

प्रदेश में शांति व्यवस्था हो लेकिन एक मुंह से बात आती है कि रबर की गोलियां चल गई। लाठी चल गई। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि सौ-सौ लोगों को मारने वाले गोलियों से वह आज रबर की गोलियों की बात करते हैं। यह मजबूरी में होता है, राज का फैसला है। कटारिया जी ने जो बात कही, उसका मैं स्वागत करता हूं, उन्होंने भावुक होकर कहा कि मैंने फैसला पीड़ा में लिया है और आज वही व्यक्ति, वही विचारधारा, इस तरह आकर दो तरफा बात करता है, यह जनता बेवकूफ नहीं है। जनता जानती है।

माननीय सभापति महोदय, आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि किसानों की बात करते हैं, किसानों के साथ यह हो गया, किसान की परिभाषा क्या है, जिसने जिन्दगी में 7 पीढ़ी में खेत ही नहीं देखा, जिस घर में 7 पीढ़ी से गाय नहीं और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी है कि आज हम पशुपालक हैं, हम काश्तकार के बेटे हैं और बिरलाजी, गुप्ताजी, सराफ साहब कह रहे थे कि किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और किसान किसको कहते हैं, आपके न तो खेत है और गाय तो बहुत बड़ी बात है और आपके तो बकरी ही नहीं, बकरी की पूंछ भी आपने नहीं देखी। इसलिए किसान की परिभाषा आप नहीं जान सकते।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार घोषणा पत्र को कैबिनेट में पास करवाया और उन्होंने स्वीकार किया कि यह घोषणा पत्र है वह सरकार लागू करेगी, घोषणा पत्र का जिक्र किया गया। घोषणा पत्र आगे भी बने हैं, मैं अब याद दिलाना चाहता हूं कि उन तमाम आपके घोषणा पत्रों को बाहर लाया जाए, आपने कौन से हण्डरेड पर्सेण्ट काम पूरे कर दिये? आज मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस होता है कि माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत ने इनको पूरा करने का प्रयास किया है। हमें विश्वास है और पूरा भरोसा है कि राजस्थान के विकास पुरुष माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत हण्डरेड परसेंट इस घोषणा पत्र को पूरा करेंगे।

एक माननीय सदस्य की पीड़ा थी कि समय कम रह गया, क्या होगा, यह घोषणाएं कब पूरी होंगी, इतनी चिंता बढ़ गई है कि यह 40 हजार करोड़ रुपये कब खर्च करेंगे। आप चिंता मत कीजिये, जो घोषणा करने की हिम्मत रखता है, वह बजट समय पर काम पूरा करने की हिम्मत रखता है, हौंसला रखता है, उनका बुलन्द है और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में

(श्री मदन प्रजापत)

आप देखते रह जायेंगे और चंद महीने में यह बजट राजस्थान की जनता के बीच में जायेगा।

मानननीय सभापति महोदय, आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के मामले में सब काम पूरे हुए हैं। आज मुझे एक बात का बहुत दर्द होता है कि वह व्यक्ति जो वरिष्ठ सदस्य है, आज वह इस सदन में नहीं है, आज उनकी क्या पीड़ा है, आज सदन में नहीं है, उनका भी थोड़ा सोचना अपना सबका दायित्व बनता है, जांच की बात आती है लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विश्वास करना अपन सबका दायित्व है लेकिन लोकतंत्र में आज सुबह भी बात आई कि 4 साल में विपक्ष नहीं रहा और उसके बाद में यह गरिमा की बात करते हैं, विपक्ष का दायित्व होता है कि मुकाबला करे, कमियां निकाले, विरोध करे लेकिन हम भी जब नये-नये जीत कर आये थे, हमें भी गर्व होता था जो पुराने अनुभवी हैं, चाहे पक्ष के हैं, चाहे प्रतिपक्ष के हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लेकिन कल जो बहस शुरू होनी थी, उसकी बजाय आज शाम दूसरे दिन होने वाली है। जनता इन्तजार कर रही है, मीडिया अख़बार और टीवी के माध्यम से लेकिन बहस की जगह विवाद हो रहा है। यह राजस्थान की जनता देख रही है और इतने हल्केपन को महसूस कर रहे हैं, राजनीति में इतनी गिरावट, यह मन में हमने नहीं सोचा था, हम स्वीकार करते हैं कि हम में आपस में सामंजस्य हो, इस तरह से बजट में कोई कमी है, कोई सुझाव है आपका वह स्वागत योग्य है लेकिन इस तरह का प्रचार करने के बाद आज चाहे खान आबंटन वाला मामला आया और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हमें गर्व है कि हम उनके नेतृत्व में जो हम विधायक हैं, हमारे सदन के नेता एक ईमानदार मुख्य मंत्री हैं और उन्होंने माननीय प्रतिपक्ष के नेता पर विश्वास किया कि आप जांच कर लें, आपके ऊपर भरोसा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं और नाम नहीं लेता हूं लेकिन वह सब जानते हैं कि जो सम्पत्ति उजागर करने की हिम्मत नहीं रखता है, उसको अधिकार नहीं है। अगर इतना भी एतराज है तो आप अपनी सम्पत्ति उजागर करो, कौन क्या है, कौन कितना पानी में है, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, आज जब कटारिया जी बने, तीन दिनों से लगातार कुर्सी पर हैं, आज हमें खुशी महसूस होती है, पक्ष और विपक्ष सदन में हाजिर हैं लेकिन इस बात का मुझे दुःख होता है कि आज कटारिया जी नेता हैं, भले आदमी हैं लेकिन चाबी अगर किसी दूसरे के हाथ में हो तो यह ठेस

(श्री मदन प्रजापत)

पहुंचती है कि चाबी कौन चलाता है, नेता कौन है और साथ ही, माननीय सभापति महोदय, अखबारों में प्रतिक्रिया आती है, माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास में फोटो कहीं दूसरे का लगा होता है, प्रतिपक्ष का दायित्व बनता है माननीय मुख्य मंत्रीजी के बाद में सामने की प्रतिक्रिया कोई देने का अधिकार है तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी का है, उसके बाद में दिखावे के लिए कौन है, चाबी किसके पास में है, और यह सपने देख रहे हैं कि राज आने वाला है। आप इस सपने को भूल जाएं, राज हमारा है, हमारा बनेगा और माननीय सभापति महोदय, आज यह बात और भी आई और एक बात का दुःख मुझे भी होता है कि आज कटारिया जी एक भले आदमी हैं लेकिन उनके इतने जोश में होश खो जाते हैं कि उनके मुंह से अगर सरस्वती जी के मंदिर को बूचड़खाना कहा जाए, यह माननीय सभापति महोदय, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि उस कार्यवाही को निकाला जाए। ताकि आने वाली भावी पीढ़ी सरस्वती जी के मंदिर को अगर बूचड़खाना सब जगह इन्द्राज हो गया तो यह अपने सब के लिए शर्मनाक बात है। यह सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है। माननीय सभापति महोदय, हर बार आती है कि प्रवासी सम्मेलन में कितना खर्चा हुआ, कितने तामझाम हुए, कांग्रेस के अधिवेशन में कितना खर्चा हुआ, मैं, माननीय सभापति महोदय, इनको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके राज में आपकी पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने कितने विदेशों में खर्च किये, कितने मर्सीडीज गाड़ी के ऊपर खर्च किये, कितने कालीन के ऊपर खर्च किये और मैं आज बताना चाहता हूं वह कालीन कहां गई? कोई गायब हो गई? माननीय सभापति महोदय, आज उनके अलावा किसान हित की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, आज हमें दुःख होता है कि बाड़मेर के रेगिस्तान के किसानों से मात्र 32 हजार में जमीन हड़पी गई और हमें खुशी है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने 3 लाख रुपये किसानों को मुआवजा दिया। यह रिकार्ड गवाह है, यह दर्शाता है कि किसान के हित में कौन सी सरकार फैसला लेती है, 32 हजार मुआवजा देने वाले लेते हैं या 3 लाख मुआवजा देने वाले लेते हैं। आज, माननीय सभापति महोदय, सम्मेलन और मीटिंग की बात आई, तिवाड़ी जी के मुंह से आई, सम्मेलन हुए, चाहे ब्राह्मण सम्मेलन हुए, चाहे राजपूत सम्मेलन हुए चाहे अन्य सम्मेलन हुए, चाहे समता आंदोलन हुए और सरकार ने पूछा तक नहीं। ये सम्मेलन, माननीय सभापति महोदय, पहली बार नहीं हुए हैं। जब लोकतंत्र में अधिकार है, और समाज हो, चाहे हर वर्ग हो, उनको अधिकार है बात रखने का लेकिन बुलाकर पूछा नहीं, हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारी सरकार भी साथ में थी,

(श्री मदन प्रजापत)

बुलाने की जरूरत भी नहीं थी लेकिन और भी कई आंदोलन हुए हैं, आप भी सरकार में थे, आप किन-किन आंदोलन करने वालों को बुलाकर पूछा कि बोल, तेरी पीड़ा क्या है, बोल समाजसेवी, तुम्हारी पीड़ा क्या है। उस समाज के दर्द को आपने यह परम्परा शुरू नहीं की और हमारे तो माननीय सरकार के बड़े-बड़े साथी साथ में थे इसलिए बुलाने की ही जरूरत नहीं, सरकार खुद साथ में थी इसलिए बुलाने की जरूरत ही कहां पड़ी?

माननीय सभापति महोदय, और भी कई तेज तर्रार और बड़े क्रांतिकारी किसानों के माननीय राठौड़ साहब ने उस दिन एक किताब का जिक्र किया कि खून किससे बढ़ता है, एक अल्पसंख्यक किताब में, गौ-मांस खाने से खून बढ़ता है, ये इस किताब में जिक्र है, अगर आपमें सच्चाई है तो आज नहीं, कल भी किताब सदन की टेबल पर रखें कि वास्तव में यह लिखा है या नहीं लिखा है लेकिन इनमें इतनी होशियारी है, इतनी कलाकारी है, इस तरह से पेश करते हैं कि हमारे जैसे नये सदस्यों को 24 घंटे बाद में मालूम पड़ता है, हकीकत क्या है और इस तरह कि गौ-मांस लिखा हुआ है, यह केन्द्र सरकार की किताब में अगर गौ-मांस का जिक्र है तो उस किताब को यहां रखा जाए।

माननीय सभापति महोदय, आज गौशालाओं के ऊपर मैं सुझाव देता हूं और मैं निवेदन करता हूं कि हर व्यक्ति की, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, सब की भावना है, गौ माता की सेवा की जाए, गऊ जिंदा रहे, लेकिन यह सोचने का विचारणीय बिन्दु है कि गौशाला के भरोसे गायें जिंदा नहीं रह सकतीं और सभी हिन्दुस्तान के प्राणी संकल्प लें कि मैं घर में एक गाय की सेवा करूंगा और किसी परिस्थितिवश, कोई फैशन में, किसी के जगह नहीं है, कोई शहर में रहता है और मन में यह तय कर ले कि मैं सेवा नहीं कर सकता हूं, जो काश्तकार हैं, जो मजदूर हैं, उनको घर में उन गायों को दे दें और कह दें कि मेरा नाम उस गाय के ऊपर लिख दें और एक दाने की बोरी मेरी तरफ से मैं दे दूंगा तो अपन बीड़ी सिगरेट में ही खर्च करते हैं, फालतू भी खर्च करते हैं। माननीय सभापति महोदय, अगर घर में जो सेवा करता है, वह करे और नहीं कर सकता है तो पड़ोसी काश्तकार से सेवा कराये, तब गऊ जिंदा रह सकती है, भाषण देने से, जब चुनाव आए, गऊ माता, चुनाव गये, आवारा पशु, ऐसे गाय जिंदा रहने वाली नहीं हैं।

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(श्री मदन प्रजापत)

एक बात फ्लेगशिप की आई, फ्लेगशिप, अंग्रेजों के जमाने का शिप और उसके ऊपर झण्डा फ्लेग, माननीय तिवाड़ी जी, जो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं, और वह व्यक्ति अगर अंग्रेजों का उदाहरण दे, शायद शोभा नहीं देता है और फ्लेगशिप हिन्दू संस्कृति, भारतीय संस्कृति और हिन्दुस्तान की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज हिन्दुस्तान में मंदिर के ऊपर फ्लेग, मस्जिद के ऊपर फ्लेग, गिरजाघर के ऊपर फ्लेग, गुरूद्वारे के ऊपर फ्लेग और भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन और कृष्ण महाभारत का युद्ध था और इस युद्ध में रथ में ऊपर फ्लेग लगा हुआ था, यह संकल्प था कि यह फ्लेग जीत दिलाने का संकल्प है, जीत दिलाने वाला झण्डा है और आप उदाहरण महाभारत का भी दे सकते थे, आज उदाहरण घरों में अपने ध्वजा लगती है, घरों में हर घर में फ्लेग लगता है, चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलिम हो, अपने हिन्दुस्तान में हर परिवार में, मंदिर, मस्जिदों में लगता है, आप अंग्रेजों और जहाज और शिप का उदाहरण नहीं दे सकते। अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस हिसाब से नाम लिया है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य कृपया समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): यह बात पूरी करता हूं। उन्होंने जो योजनाएं लागू की हैं। उनके फ्लेगशिप पूरा करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने, पूरी सरकार ने संकल्प लिया है कि ये फ्लेगशिप के मार्फत पूरे समय पर पूरा काम करेंगे। इनका यह अर्थ है, अगर अर्थ अंग्रेजों का निकालें, कुछ भी निकालें, बात तो संस्कृति की करते हैं, लेकिन उदाहरण किसी दूसरे का देते हैं, आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी ने ...(व्यवधान)... एक बात कहता हूं, निवेदन करता हूं, जो सौगात दी, आज मुझे गर्व महसूस होता है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): बारह सौ करोड़ रुपये, ओवर ब्रिज के ऊपर 40 करोड़ रुपये और सीवरेज के ऊपर 57 करोड़ रुपये, डीटीओ आफिस, सड़क, आवास, एडिश्नल एसपी कार्यालय, नगर परिषद्, दो दो उप तहसीलें, रिफाइनरी और घर बैठे पूर्व राज्य मंत्री जिला नहीं बना। 20 साल तक आप राजस्थान की विधान सभा में रहें और रिकार्ड उठा कर देखें, आपने एक बार भी जिले की मांग नहीं उठाई, मैं धन्यवाद देता हूं पूर्व विधायक चम्पालाल जी बांठिया को, उन्होंने हमेशा सात साल तक बालोतरा जिले की मांग उठाई,

(श्री मदन प्रजापत)

हकीकत यह है और घर बैठे जिला नहीं बना, चिंता करने की जरूरत नहीं, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जितनी सौगात दे सकते हैं तो जिला कोई बड़ी बात नहीं और राजस्थान में अगर गठन होगा, हमें माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर पूरा भरोसा है, अगर राजस्थान में जब भी जिलों का गठन होगा, उसमें बालोतरा का भी जिले में नाम होगा, इतना हमें माननीय मुख्य मंत्रीजी के ऊपर भरोसा है। माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं इस बजट की कितनी तारीफ करूं, कितनी वाहवाही करूं और मुझे करने की जरूरत नहीं, राजस्थान की सात करोड़ जनता कर रही है, आज सड़कों के ऊपर अखबारों के माध्यम से जनता बहुत खुश है और प्रतिपक्ष के पास में कोई शब्द ही नहीं हैं इसलिए समय को खराब करते हुए जवाब नहीं है, बजट का तोड़ नहीं है और अगर हिम्मत है तो अपन विस्तार से, आमने सामने हाई क्वालिटी की बहस करें, गोष्ठी रखें, वाद विवाद रखें तो मैं आपका स्वागत करता हूं। यों इस तरह हल्ला करने से जनता समझती है और मैं इस बजट की तारीफ करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं, तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने गरीब हित में, किसान हित में, मजदूर हित में, 36 कौम और सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए चाहे तमाम पत्रकार हों, चाहे तमाम कर्मचारी हों, सबको शामिल करते हुए चाहे लैपटाप हो, चाहे छठा वेतन आयोग हो, सब कह रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने पूरा समय दिया। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैंने तीन बार पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से आपसे बोलने के लिए निवेदन किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैंने आपसे निवेदन किया है कि पाइंट आफ इन्फार्मेशन में आपको बोलने के लिए इजाजत नहीं है, कृपया विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): तो फिर मैं ऐसे ही बोलूंगा बिना आपकी इजाजत के। ये वकीलों पर जो पिछले दो दिन से लाठी चार्ज हो रहा है....

श्री सभापति: यह आपका बिल्कुल भी अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, कृपया विराजिये आप। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये, आसन पैरों पर है। आप कृपया विराजिये। आसन से आपको कोई इजाजत नहीं मिली है। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: आपकी बात दो मिनट के इस भाषण से पूरी भी हो गई हालांकि मैंने समय नहीं दिया। कृपया विराजिये। अमरारामजी, आप भी प्लीज विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। आपको भी इजाजत नहीं दी है बोलने के लिए। आपको इजाजत नहीं दी है बोलने की। (व्यवधान) आप वरिष्ठ हैं, बैठिये आप।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: श्री हनुमान बेनीवाल जी, मैं आपको फिर एक बार कह रहा हूं कि आप कृपया विराजिये। आपको इजाजत नहीं दी फिर भी बोल गये। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया....

श्री सभापति: इस किस्म का मैटेरियल आपको यहां रखने की इजाजत नहीं है। हटा दीजिये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, इसको यहां से हटवाइये। मान लो कोई विस्फोटक हो। यह सदन में अलाउ कैसे किया, किसने किया?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, हनुमान जी बेनीवाल, आपको आसन की तरफ से इजाजत नहीं थी फिर भी आप बोले। उसके बाद में आपने यह

(श्री सभापति)

एक्सप्लोजिव आइटम जो है वो यहां मेज पर रखा जो बिल्कुल गलत बात है और आपने यह गलत काम किया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इस बात को आगे के लिए कृपया नोट करें। सदन के अन्दर इस किस्म के आइटम लाने की परमिशन नहीं है। आप कृपया विराजिये। आप कृपया विराजिये। आसन पैरों पर है कृपया विराजिये आप। कृपया विराजिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, इनको तो हटाओ पता नहीं इसमें क्या हो। इनका रुख भी देख लें, इनको हटवाइये और इनकी जांच भी करवाइये।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचन्द पारख।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही का समय साढ़े सात बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि क्या सदन का वक्त साढ़े सात बजे तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का वक्त साढ़े सात बजे तक बढ़ाया गया।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, थोड़ा-थोड़ा टाइम सबको दें ताकि इधर के भी वक्ता बोल लें, उधर के भी बोल लें।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): कैसे बोल जाएंगे? या तो आप दस बजे तक बढ़ाओ। आप दस बजे तक बढ़ाओ। आप दो घंटे-तीन घंटे बढ़ाओ। कौन मना करता है आपको?

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सदन में बजट पेश किया वह हो सकता है कि सुनने में बहुत अच्छा लगे, बहुत सुखद लगे, पढ़ने में भी अच्छा और सुखद लगे और शायद यह बजट कुछ समय के लिए जनता को भ्रमित भी कर दे लेकिन ज्यादा लम्बे समय तक यह जनता भ्रम में रहने वाली नहीं है क्योंकि जनता आपकी फितरत को जानती है।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

जनता ने आपके शासन को पहले भी देखा है, आपकी घोषणाओं को पहले भी देखा है और जनता को पता है कि यह बजट मात्र चुनाव में वोट बटोरने की राजनीति है। माननीय सभापति महोदय, आपने इस बजट में जनता को जो कुछ दिया है न, उसमें आपकी नीयत यह नहीं थी कि आपको कुछ जनता को राहत देनी है, कुछ मदद करनी है, आपकी स्पष्ट नीयत है कि ऐसा बजट पेश करके जनता से वोट लेने हैं। नीयत आपकी लेने की है, देने की बहुत कम है। माननीय सभापति महोदय, जब जनता आपकी फितरत को जानती है और जनता यह भी जानती है कि पहले के जो तीन साल थे न, उसमें आपने जनता को मात्र अंगूठा दिखाया, चौथे साल आपने कुछ दिया और पांचवें साल चूंकि चुनाव है तो कहां-कहां से कितने-कितने वोट लेने हैं उसका फोकस करके आपने यह बजट पेश किया। यह बजट बिलकुल वैसा ही है जैसे हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती है उसी तरह यह बजट भी हीरा नहीं है, कुछ दिनों बाद में कांच का टुकड़ा साबित होगा। जनता आपको क्या देगी यह तो आपको 9 महीने बाद पता लग जाएगा। अगर वाकई में मुख्य मंत्रीजी की नीयत होती कि जनता को महंगाई से राहत मिले, मुख्य मंत्रीजी चाहते कि महंगाई से आम आदमी के ऊपर बहुत बोझ पड़ा है तो मुख्य मंत्री के हाथ में था कि वे कुछ महंगाई कम कर सकते थे पैट्रोल और डीजल पर वैट घटाकर। उनको यह पता था कि इससे महंगाई कुछ कम हो जाएगी, कुछ अंकुश लगेगा पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मात्र यह किया कि गरीब जनता है कुछ टुकड़े इनको दे दो, ये दुम हिलायेंगे, यह जो आपका भ्रम है यह लम्बा चलने वाला नहीं है। यह बजट नहीं है आपने एक फेविकोल बनाया है कुर्सी से चिपके रहने के लिए कि मैं कुर्सी से चिपक जाऊंगा और पांच वर्ष के लिए मुझे वापस सत्ता से चिपका देगी। यह फेविकोल आपको चिपकाने वाला नहीं है और यह भ्रम आप पालना ही मत। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पहले भी घोषणाएं की हैं, आप पहले भी योजनाएं लाये हैं पर वास्तविक में उनका कितना लाभ किस वर्ग को कब-कब पहुंचा, ईमानदारी से एक बार आंकलन करवा देंगे ना आप, तो आपको सच्चाई नजर आ जायेगी कि कई लोग जो उस घोषणा या योजना से लाभान्वित होने थे, उनको कोई लाभ नहीं हुआ, यह आपको स्पष्ट नजर आ जायेगा।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले बजट में घोषणा की थी मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना और इसी सदन में उन्होंने कहा था कि ऐसी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

ढाणियां, जहां कोई पांच के समूह में, पांच के ग्रुप में विद्युत कनेक्शन लेना चाहेगा, सरकार अपने खर्चे से वहां लाइन की व्यवस्था करके उसको कनेक्शन देगी। यह आपकी अपनी ही घोषणा है पिछले साल की और आपने इसकी पब्लिसिटी भी की परन्तु आपने लक्ष्य क्या रखा? एक सब डिवीजन आफिस पर आपका एक एईएन आफिस है ना, वहां मात्र तीन के ग्रुप कनेक्शन। मेरे रोहट तहसील में 65 आवेदन ग्रुप स्कीम के तहत आये और आपने मात्र तीन मंजूर किये। मिल गया सबको कनेक्शन? सब ढाणियां विद्युतीकृत हो गईं? और कह दिया कि बाकी तीन आगामी साल में और देंगे। मान लो, तीन आप इस साल में और दे भी दोगे तो उसके बाद भी 59 आवेदन जो आपके यहां लम्बित पड़े हैं, उनका क्या होगा? अगर वाकई में मुख्य मंत्रीजी चाहते हैं कि सबको कनेक्शन मिले तो फिर आपने जो घोषणा की है ना कि मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना, सबको छूट दे दो आप। हम आपकी वाहवाही कर लेंगे, हम आपको धन्यवाद दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको परन्तु कहते कुछ हो, करते कुछ हो। हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। दिखाते बहुत कुछ और देते नाममात्र का, यह आपको इसी योजना से पता लग जायेगा। माननीय सभापति महोदय, आजकल ढाणियों में हालत यह हो गई कि पहले तो ढाणी में कोई काश्तकार अपने खर्चे से कनेक्शन लेना चाहता था ना तो पैसा खर्च करने के बाद में उसको कनेक्शन मिल जाता था, आपने तो उस पर भी रोक लगा दी। आज कोई भी काश्तकार गांव में, अपने खेत की ढाणी में निवास करता है और वह अपने खेत में रहवासी मकान का कनेक्शन लेना चाहे, तो आप उसके घर में उजाला करने वाले नहीं हो। इतना ही नहीं, शहर में यदि किसी गरीब ने कृषि भूमि पर मकान बना लिया तो यह पहली सरकार है इन 65 सालों में जिसने इस पर रोक लगाई है। कनेक्शन देने बंद कर दिये।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी की बहुत महती योजना, फ्लैगशिप योजना, मुख्य मंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना है। बसों पर आपने पोस्टर चिपका दिये। विज्ञापनों में कोई कमी नहीं रखी, पब्लिसिटी में कोई कमी नहीं रखी, खूब आपने पैसा खर्च किया। जितना मकानों में खर्च नहीं किया, उतना ज्यादा विज्ञापनों में आपने पैसा खर्च कर दिया। आपने नोट किया यह कि अनेकों गांवों में अनेकों ऐसे परिवार हैं जो बीपीएल की श्रेणी में आज हैं लेकिन उनके पास आबादी क्षेत्र में कोई भी

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

भूखण्ड या कच्चा मकान नहीं है। जिस बीपीएल परिवार के पास आबादी क्षेत्र में भूखण्ड या कच्चा मकान नहीं है और चाहे उसके नम्बर जीरो हैं, उसके लिए मकान के लिए आप क्या करोगे, यह भी सोचा है आपने? जिनके भूखण्ड या कच्चा मकान नहीं है, मेरा आग्रह रहेगा, वाकई में मुख्य मंत्रीजी की नीयत गरीब के प्रति अच्छी है तो पहले तो वे उसको आबादी क्षेत्र में भूखण्ड दें और यदि भूखण्ड नहीं दे सकते तो गैर आबादी क्षेत्र में यदि वह बसा हुआ है तो उसको आबादी क्षेत्र में परिवर्तित करके उसको भूखण्ड का पट्टा दें, यह मेरा उनसे आग्रह है।

साथ में, माननीय सभापति महोदय, मेरे रोहट में क्या हुआ? कुछ परिवारों को पहले मुख्य मंत्री बीपीएल आवास योजना की स्वीकृति जारी कर दी, उसको एक किश्त की राशि भी दे दी। आधा मकान उसने बना दिया। दूसरी किश्त की मांग करने गया तो कह दिया कि तुम्हारे घर में तो पक्का कमरा बना हुआ है, इसलिए तू पात्र नहीं है। ऐसा मेरे क्षेत्र में कुछ परिवारों के साथ हुआ है। जब आपने पहले स्वीकृति जारी की, आपने किश्त दे दी और स्वीकृति जारी की तो आपके ग्राम सेवक या बीडीओ ने कोई न कोई सत्यापन किया होगा, तब आपने स्वीकृति जारी की। अगर पहले उसने अपने पैसे से बिना सरकारी राशि के कोई एक कमरा बना भी दिया तो आप उसको दूसरा कमरा नहीं दे रहे हैं और आप दिये हुए पैसे की उससे जबरन वसूली कर रहे हैं। यह गरीब के साथ न्याय नहीं, अन्याय मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं, यह मैं आपको बता दूं सभापतिजी। कई परिवार ऐसे भी हैं, क्योंकि 2002 में बीपीएल सर्वे हुआ था और आज 2013 चल रहा है, 11 साल में परिवार बढ़ गया। बच्चे छोटे थे, बड़े हो गये, शादी हो गई। एक में चार परिवार हो गये। एक कमरा बन भी गया तो क्या फर्क पड़ गया। मेरा मुख्य मंत्रीजी से यह भी आग्रह रहेगा, उन्होंने जिनको एक बार राशि दे दी और आधा निर्माण हो गया। आप गरीबों के प्रति दयालु होने की बात बार-बार कहते हो तो उनको आप पूरा पैसा देकर, पूरा दयालुपन दिखा दें, यह मेरा उनसे आग्रह रहेगा।

माननीय सभापतिजी, मैंने कई बार इस सदन के मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी को अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया कि समाज में अब भी ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिनको सरकारी सहयोग या सरकारी मदद की आवश्यकता है। उनके लिए कुछ न कुछ योजना बनाकर उनको भी दूसरे समाज के समकक्ष खड़ा करना चाहिए। मैंने मुख्य मंत्रीजी से व्यक्तिगत निवेदन

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

भी किया था। मैं वापस सदन के माध्यम से उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र में ऐसी जातियां बहुत हैं। एक बावरी जाति है जो आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं, बहुत पिछड़ी हुई हैं। आर्थिक क्षेत्र में बहुत पीछे है और आज की तारीख में अधिकांश बावरी जाति के परिवार अंग्रेजी बबूल की लकड़ी काटकर, उससे कोयला बनाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। उस बबूल की कटाई पर भी आपने रोक लगा दी और उनके पेट पर आपने लात मार दी। मेरा आग्रह रहेगा, आप बबूल की कटाई पर रोक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पेड़ नहीं कटने चाहिए, हम मानते हैं पर जो परिवार इनसे प्रभावित हुए हैं, उनके रोजगार की कोई न कोई व्यवस्था भी सरकार के जिम्मे है। नवजीवन योजना है आपकी, उसमें आपने पहले सात जाति जोड़ी, एक जाति और जोड़ दो। उनको लाभ मिल जायेगा। इसी प्रकार हमारे क्षेत्र में साठिया जाति बहुत है जो देह व्यापार में लिप्त है। उसके जरिये अपने परिवार की आमदनी वह करते हैं। इस युग में यह व्यापार अभिशाप है। एक तरफ हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ एक जाति देह व्यापार में पूरी की पूरी लगी हुई है। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि साठिया जाति के लिए भी कोई न कोई योजना लाकर, उस जाति को ऐसे गंदे व्यापार से दूर करे।

मेरे शहर क्षेत्र में भील जाति के बहुत सारे परिवार हैं जो बहुत गरीब हैं और कचरा बीनकर या लोहे के टुकड़े चुगकर या प्लास्टिक चुगकर वे अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं। 90 प्रतिशत बच्चे शहर में रहने के बाद भी अब तक अशिक्षित हैं। मेरा यह भी उनसे आग्रह रहेगा क्योंकि आपने अपनी छवि तो ऐसी बना दी कि बहुत दयालु हैं, सबके ऊपर उनकी नजर पड़ती है, सबका वह हित करते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। पता नहीं, आपका ध्यान इनकी ओर क्यों नहीं गया? क्योंकि आपके क्षेत्र में भी ये बहुत बड़े परिवार हैं। तो यह जो भील जाति शहर में रहने वाली हैं, जो कचरा बीनने का काम करती है, उनका सर्वे कराकर मेहरबानी करके, उनकी शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था भी नवजीवन योजना के माध्यम से कर दें ना तो शायद उनका कल्याण हो जाये।

माननीय सभापति महोदय, जो नवजीवन योजना है। सरकार ने घोषणा की थी आबकारी की आय की एक प्रतिशत राशि होगी, वह अवैध दारू के व्यापार में लिप्त जातियों के उत्थान और कल्याण में खर्च की जायेगी। चार साल हो गये इस योजना को लागू किये हुए, पूरे प्रदेश में एक भी जिला आप

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

बता दो, जहां 25 प्रतिशत से ज्यादा राशि खर्च हुई हो, 75 प्रतिशत राशि आपके पास पड़ी है। अगर वाकई में आपके मन में ईमानदारी है कि जो लोग अवैध दारू के व्यापार में लिप्त हैं या इसके कारोबार में लिप्त हैं, वह यह काम छोड़ दें तो आप यह पूरी की पूरी राशि उनके कल्याण में खर्च कर दो तो बहुत अच्छे परिणाम आप खुद देख लेंगे क्योंकि मैंने खुद ने देखा है। पाली में जो सांसी जाति के बच्चे हैं, भाट जाति के बच्चे हैं, जो पहले बिलकुल नासमझ थे, आज शिक्षा के माध्यम से बहुत कुछ वे सीख गये हैं। उनके जीवन का स्तर भी बहुत परिवर्तित हो गया पर बहुत सारे बच्चे अब भी शिक्षा और रोजगार दोनों से वंचित हैं और वह राशि आपके पास पड़ी है तो यह 75 प्रतिशत राशि खर्च हो, इस बात के लिए मुख्य मंत्रीजी अपने अधिकारियों को पाबंद करें।

(19.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, वैसे बहुत दयालु हैं। मैं बार-बार कहूंगा, बहुत दयालु अपने आपको कहते हैं इसलिए एक नियम आया था कि दुर्घटना से किसी की मृत्यु हो जाये तो अब पोस्टमार्टम अनिवार्य नहीं है। परिवार वाले यदि संतुष्ट हैं कि इसकी मृत्यु दुर्घटना में हुई है, लिखकर दे दें, पोस्टमार्टम नहीं होगा। पोस्टमार्टम की बाध्यता खत्म कर दी। पर मुख्य मंत्रीजी अपने खुद के मुख्य मंत्री सहायता कोष में यदि दुर्घटना में कोई व्यक्ति मर जाता है तो बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पैसे नहीं देते, इससे बड़ा यह दोहरी बात क्या हो सकती है कि मुख्य मंत्री सहायता कोष में तो यदि उसको राशि देनी है, लेनी है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आवश्यकता होगी। यह जो दिखाने की बात है न, मुख्य मंत्रीजी, आप बिलकुल दिखायें इस मैटर को, यह आपके चरित्र के विपरीत की बात है और इसी प्रकार जो आपने दुर्घटना में मृतक को सहायता राशि होती है वह आपने दुगनी कर दी। आपने दस से बीस कर दी, आपके राज में कर दी, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, जिसने पोस्टमार्टम कराया, आपके यहां आवेदन किया, आपने दस से राशि बढ़ाकर बीस कर दी लेकिन जो अज्ञात वाहन से मरता है उसको पहले भी तोषण निधि से पच्चीस हजार रुपये मिलते थे और उसको आज भी तोषण निधि से पच्चीस हजार मिलते हैं, आपने दस की बीस की, उसको तो कोर्ट से क्लेम अलग मिलेगा जो लाखों में होगा, अज्ञात वाहन से कोई व्यक्ति मृत हो जाये तो मेरा मुख्य मंत्री से आग्रह रहेगा, आपने बजट में इतनी सारी चीजें की हैं ना, दस पन्ने और जोड़ दो मेहरबानी करके,

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

क्या फर्क पड़ जायेगा। इतना खजाना लुटाया है, कुछ खजाना आप और लुटा दो। अज्ञात वाहन से जो भी मृतक हो उसके परिजनों को कम से कम एक लाख की राशि दें क्योंकि उसको कोर्ट से क्लेम नहीं मिलेगा, यह मेरा मुख्य मंत्रीजी से आग्रह है। एक माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में पच्चीस, पच्चीस, पच्चीस बहुत जोश से, जैसे यह तो इस सरकार के लिए संजीवनी होगी, कि हमने वृद्धावस्था में, विकलांग पेंशन में 25 वर्ष की जो आयु सीमा की शर्त थी वह अब हम समाप्त कर रहे हैं, एक बार नहीं, कई बार दोहराया है इसको। बहुत अच्छा किया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन आप वापिस उसको पढ़ो कि इनके लिए अब एसडीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जायेगी जिसमें जन प्रतिनिधि भी होंगे जो उसकी आय का निर्धारण करेंगे। यह एक शर्त नई जोड़ दी आपने, एक कम करी, एक नई जोड़ दी। कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, जब लाखों रुपये लोग खा जाते हैं, यह गरीब बेचारा पांच सौ खा जायेगा कोई गलत होगा तो। महीने का पांच सौ ही खायेगा न वह गरीब। तो यह जो आपने एसडीएम वाली शर्त जोड़ी है न, यह फिर कई लोगों के लिए दुखदायी साबित होगी, कई बूढ़े, विकलांग और विधवा इससे वंचित रह जायेंगे, इसलिए मेहरबानी करके मुख्य मंत्रीजी इस शर्त को भी हटा दें, वाकई में कइयों का भला और कल्याण हो जायेगा, यह मेरा आपसे आग्रह है। माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा यह भी आग्रह रहेगा कि आपने कहा कि अंत्योदय परिवार को भी बीपीएल के समान सारी सुविधा दी जायेगी, अब आपका यह चुनावी वर्ष, और आपने इतनी घोषणाएं कीं, दस-बीस और हो जायेंगी, क्या फर्क पड़ेगा आपको, पैसा आपके पास बहुत है, आपकी बहुत कमाई है आज, यह भी कहा कि अंत्योदय परिवारों को बीपीएल के समान सारी सुविधाएं देंगे, माननीय, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अंत्योदय भी दो तरह के हैं आपके, अंत्योदय बीपीएल और अंत्योदय अन्न योजना। इसको आप क्लियर करवा दें कि अंत्योदय अन्न योजना में जो परिवार सम्मिलित हैं उनको भी बीपीएल के समान सारी सुविधा दी जायेगी वरना यह आपके अधिकारी हैं ना, वह वहां उसमें कमी निकालकर उसको एक तरफ कर देते हैं, उसको लाभ मिलता नहीं। तो अंत्योदय जिसके भी पास पीला राशनकार्ड है उसको हर प्रकार की वह सहायता जो बीपीएल लेने का हकदार है वह दी जाय यह मेरा आग्रह है। और माननीय सभापति महादेय, मैं गाड़िला लुहारों का भी ध्यान सरकार को कराना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में गाड़िला लुहार बहुत बड़ी संख्या में हैं। वैसे एक

(श्री ज्ञानचन्द पारख)
सरकार का नियम है गाड़िया लुहारों को नि:शुल्क भूखण्ड दो, मकान बनाने के लिए अनुदान दो और रोजगार के लिए औजार खरीदने के लिए अनुदान दो। पांच सौ से ज्यादा परिवार पाली में निवास कर रहे हैं, मैंने कई बार कह दिया, इस सदन में उठा दिया, आज तक मात्र 23 परिवारों को भूखण्ड मिला है, बाकी सारे परिवार अब भी झोंपड़ी लगाकर सरकारी जमीन पर कब्जा किये बैठे हैं। मेरा आग्रह रहेगा एक बार राजस्थान पूरे में सर्वे करवायें और जितने भी गाड़िया लुहार या ऐसी घुमंतू जातियां हैं उनके लिए भूखण्ड, मकान और रोजगार की व्यवस्था करें। और माननीय सभापति महोदय, बहुत सारी स्कूलें क्रमोन्नत करने की घोषणा कर दी, वाहवाही लूट ली आपने, शिक्षा का स्तर भी क्रमोन्नत किया आपने, उसका प्रयास किया आपने? क्या हालत हो गई सरकार के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की शिक्षा के स्तर की, वह तो पूरे का पूरा घट गया। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आपस में बातचीत इतनी जोर से ना करें आप।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): इतनी स्कूलें क्रमोन्नत कर रहे हो आप, आपके शिक्षा का स्तर सरकारी स्कूलों में किस प्रकार से बेहतर हो जाय, इस ओर भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ध्यान दें, यह मेरा आग्रह उनसे रहेगा। और सबसे बड़ी जो बात है, यह सारे खूब सारे अस्पताल आपने खोल दिये। यह जो अस्पताल, छह सौ पीएचसी नई आप खोलोगे, यह जो है ना, उनको आप ढंग से चला दो मेहरबानी करके, वहां भी डाक्टर नहीं है और एक जिला अस्पताल में एक करोड़ की लागत से एक धर्मशाला, यह आपके अस्पताल हैं ना, प्रदेश के सेवंटी फाइव परसेंट अस्पताल आज की तारीख में धर्मशाला बने हुए हैं, अस्पताल नहीं हैं वह। डाक्टरों की बहुत कमी है, डाक्टरों का बहुत अभाव है। धर्मशाला से ज्यादा बेहतर स्थिति उनकी नहीं है। यह धर्मशालाएं तो आपने वैसे ही पहले बना दी अस्पतालों को, आप मेहरबानी करके अस्पताल को सुदृढ़ करने के लिए जितने डाक्टरों के पद खाली हैं उनको भरने का प्रयास करो तो जनता को कुछ राहत मिलेगी, यह धर्मशालाएं खोलने से जनता को राहत मिलने वाली नहीं है, यह मेरा मुख्य मंत्रीजी से यह भी आग्रह रहेगा कि हर विधायक इस बात को लेकर त्रस्त है कि उसके क्षेत्र में अधिकांश पद खाली हैं डाक्टरों के, तो यह आप पद भरवायें, मेहरबानी करके इस बजट में कोई प्रावधान करें कि यह पद भर जायें। मेरे खुद के जिला अस्पताल की हालत यह है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें अब आप। कृपया समाप्त करें अब।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पांच मिनट और।

श्री सभापति: पांच मिनट नहीं, कृपया समाप्त करें, आपको बाइस मिनट पहले ही मिल चुके हैं, और लोग भी बोलेंगे। आपके दूसरे साथी नहीं बोल पायेंगे।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पांच मिनट। बाइस मिनट नहीं हुए। मात्र पांच मिनट। अब आपने पाली में, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा कर दी पाली में मेडिकल कालेज, वाहवाही लूट ली कि पाली में मेडिकल कालेज खोलेंगे। पाली का जो जिला अस्पताल है न, उसकी हालत देख लो, ऐसी की तैसी हो रखी है उसकी। मरीज आता है ना वहां पर, तो निराश लौटता है वह और मेडिकल कालेज की बात कर रहे हो। आधे पद वहां भरे हुए नहीं हैं, मेडिकल कालेज में आप डाक्टर लाओगे कहां से?

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): ऐसी की तैसी शब्द को डिलीट करायें आप। पाली का हमारा हास्पिटल है, आप भी एमएलए हो वहां के, अपना डिवीजन है।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): नहीं, शब्द क्या है यह, ऐसी की तैसी कर रखी है, मतलब क्या कर रखा है, इसमें क्या हो गया, तो वापिस ले लो, उनके तो कोई दिक्कत नहीं है। और वाकई में आप जैसा कह रहे हो...(व्यवधान)

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, इतना अच्छा बोलते हो, हम सुनना पसंद करते हैं आपको। और आप तो सेवा भी बढ़िया करते हैं। ऐसी कम तैसी क्यों कह रहे हो?

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): पर वाकई में वहां ऐसी की तैसी है, वाकई में मैं कह रहा हूं आपको, आप जाकर देख लो न एक बार। सरकार के भरोसे अस्पताल नहीं, भगवान के भरोसे अस्पताल चल रहे हैं वहां पर। यह हालत है वहां। तो मेरा आग्रह रहेगा आप धर्मशाला खोला, कोई मना नहीं है लेकिन जो धर्मशाला अस्पताल बन गये ना, उनको वापिस आप अस्पताल बना दो मेहरबानी करके, यह मेरा आपसे आग्रह रहेगा। और माननीय मुख्य मंत्रीजी पाली आये, ट्रोमा सेंटर का उद्घाटन किया, उद्घाटन करने से पहले नियम है कि डाक्टर होने जरूरी हैं क्योंकि मुख्य मंत्रीजी उद्घाटन करने आये हैं। इधर उद्घाटन किया उसके दूसरे दिन डाक्टर गायब वही सारे के सारे। यह क्या तरीका है आपका, उद्घाटन करना है दो दिन पहले डाक्टर लगा दिये, इधर

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मुख्य मंत्री गये, उधर डाक्टरों ने बोरिया-बिस्तर बांधा अपना, और रवाना, आज तक उसके बाद डाक्टर नहीं आया, आज तक ट्रोमा सेंटर में, इससे ज्यादा शर्मनाक बात इस सरकार के लिए और क्या हो सकती है। आपने एसएमएस के लिए बहुत पैसा दिया, सरकार को पता है, इस सदन में कई बार यह एक मुद्दा उठा है कि जो हृदय रोगी हैं उनके आपरेशन की वेटिंग पांच-पांच, छह-छह महीने है, सरकार ने यहां विधान सभा में कई बार आश्वासन भी दिया कि हम वेटिंग को कम करने के लिए कुछ नई योजनाएं बनायेंगे, नये वार्ड देंगे, नये थियेटर देंगे, नये आईसीयू देंगे, पांच साल पूरे हो गये1 अभी एक भी नया बैड या थियेटर में एक भी नई टेबिल नहीं लगी है, माननीय सभापति महोदय, सरकार से आग्रह रहेगा कि आप इतना पैसा लुटा रहे हो न, तो हृदयरोगियों को आप इतनी राशि दे रहे हो सहायता के लिए, तो कम से कम उसका आपरेशन समय पर हो जाय वरना तो यह आधे तो मरीज हैं ना, वेटिंग में मर जाते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): एक मिनट और। और माननीय मुख्य मंत्रीजी, यह जो आपने ए पी एल को पांच किलो आटा, धन्यवाद देता हूं मैं, बहुत अच्छी बात है, बी पी एल को आपने एक किलो आटा दिया, यह भी धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन यह बात सरकार की जानकारी में है कि नहीं है कि जितने यूनिट हैं उससे फिफ्टी परसेंट यूनिट को ही आटा दिया जाता है यह आप पूरा क्यों नहीं देते हो समझ में नहीं आता। जब वाकई में आप चाहते हो कि हर ए पी एल परिवार को पहले आठ-साठ में ही, अब पांच में, तो जितने राशनकार्ड हैं, उसके अनुसार आप आबंटन करो। अब आबंटन करते हो आप फिफ्टी परसेंट, वह बेचारा दुकानदार पिटता है। लोग उसको गाली देते हैं कि तू खा गया हमारा आटा। तो माननीय मंत्री महोदय, आग्रह रहेगा आपसे कि जितना आपके राशनकार्ड हैं ए पी एल के, उतना आप आबंटन करो, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और अंत में, आपने सबको दिया, पशु कल्याण की बहुत सारी बातें, पशु चिकित्सा सुविधा नि:शुल्क, पशुओं के लिए अस्पताल बहुत सारे खोल दिये, यह गौशाला है ना, यह आपके गौवंश को जीवित रख रही है। एक बार इनकी ओर भी आप ध्यान दें, मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि जो गौशालाएं इस प्रदेश के पशुधन को और गौवंश को बचा रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, बड़ी मुश्किल से कहीं जाकर यह पैसा इकट्ठा

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

करके हमारे यहां के गौवंश को बचा रहे हैं, सरकार को गौवंश को बचाने के लिए प्रति पशु कोई न कोई अनुदान गौशाला को देना चाहिए, यह मेरा आग्रह है, माननीय सभापतिजी, आपने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पानाचन्द मेघवाल।

श्री पानाचन्द (बारां-अटरू): सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इस सदन में लिखा हुआ है कि सभा में या तो प्रवेश न किया जाए। यदि प्रवेश किया जाए तो यहां स्पष्ट और सत्य बोला जाए। न बोलना और गलत बोलना भी मनुष्य के लिए पाप का भागी होता है। लेकिन देखने को यह आ रहा है कि पिछले लगातार यह पांचवां बजट हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा पेश किया गया है और हर बजट पर विपक्ष के द्वारा पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा राजे ने यह किया, आपने यह नहीं किया। मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि मैं वहां से विधायक हूं जहां से 1989 से वसुंधराजी लोक सभा का पहला चुनाव लड़कर के आई। पांच बार हमारे क्षेत्र से लोक सभा का प्रतिनिधित्व किया और लगातार दूसरी बार उनका बेटा लोक सभा में प्रतिनिधित्व कर रहा है और वह हाड़ौती से मुख्य मंत्री रही हैं। आप लोग बाद में परिचित हुए हैं, उनकी कथनी और करनी का व्याख्यान मैं यहां से बताना चाहूंगा। एक किसान का बेटा जो राजस्थान का मुख्य मंत्री है और जिस प्रकार से उन्होंने पिछले लगातार पांच साल का जो बजट पेश किया है। हर बजट में चाहे वह मजदूर हो, गरीब हो, किसान हो, व्यापारी हो, सरकारी कर्मचारी हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, युवा हो, महिला हो हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। चाहे चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा की बात करें, खाद्य पदार्थों की बात करें हर क्षेत्र में ध्यान दिया गया है।

हमारे क्षेत्र में बारां ज़िले को बैकवर्ड क्षेत्र माना जाता है। हमारा एक विधान सभा क्षेत्र ऐसा है जहां पर सहरियों का बाहुल्य है। वसुंधराजी ने वहां से वोट लिए लेकिन उन्होंने उनके बारे में कभी नहीं सोचा। राजस्थान में जब गहलोतजी मुख्य मंत्री बने और हमने उनसे हमारी व्यथा बताई कि हमारे सहरियाओं के पास जमीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुपोषण के नाम पर राजनीति करते हैं और उन्होंने हमारी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे बारां ज़िले के सहरियाओं को निःशुल्क 53 किलो गेहूं देने की घोषणा की, जो आज मिल रहा है। एक किलो गेहूं उस परिवार को दिया जा रहा है निःशुल्क,

(श्री पानाचन्द)

दो किलो तेल उन परिवारों को दिया जा रहा है नि:शुल्क, दो किलो दाल उन परिवारों को दी जा रही है नि:शुल्क और नरेगा में पहले तो सौ दिन और उसके बाद उसको 200 दिन नरेगा में काम देने का काम देकर उन परिवारों को सम्बल दिया जा रहा है यह हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी की देन है। इस बजट में जो कल्याणकारी योजनाएं लागू की गईं कि पहले 400 दवाइयां नि:शुल्क देने की व्यवस्था की गई, उनको बढ़ाकर 600 किया गया है। पशुओं के लिए जो निशुल्क दवायें थी, उनको बढ़ाकर के दुगुना किया गया है। जहां पर पशु चिकित्सालय नहीं थे वहां पर पशु चिकित्सालय खोले गए। जहां पर सीएचसी नहीं वहां पर सीएचसी को क्रमोन्नत किया गया। जहां पर पीएचसी नहीं वहां पर पीएचसी खोलने का प्रयास किया गया। दवाइयों के साथ-साथ जांचों को भी फ्री करने का प्रयास हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग के माध्यम से जिस प्रकार से उन्होंने जो पूरे राजस्थान की जनता की मांग थी, पूरे विधायकों की मांग थी कि जो पेंशन में पात्रता रखते हैं। हमारे सामने कई केस ऐसे आते हैं कि वास्तव में वह पेंशन पात्र हैं लेकिन नियमों की बाध्यता के कारण हम उनको पेंशन नहीं दे पाते हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा राजस्थान की सात करोड़ जनता की तरफ से उनको कि उन्होंने इस प्रतिबंधता को हटाया है। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आपने इस नियम की घोषणा करने के पहले प्रशासन गांवों के संग कैंप लगाए गए हैं। उनमें यह फार्म भरवाये गए हैं उनको रिजेक्ट करवाया गया है। आप इस विधान सभा का सत्र समाप्ति के बाद स्पेशल ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही पेंशन का कैंप लगाये ताकि उन पात्र लोगों को हम पेंशन देने का प्रयास कर सकें। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी का कि उन्होंने चाहे सड़कों के क्षेत्र की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी जाति की बात करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं, कभी सम्प्रदाय की बात करते हैं। जो यात्राएं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करवानी चाहिए थी वह हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने चाहे वह मानसरोवर की यात्रा हो, जिसको बीस हजार से बढ़ाकर के एक लाख किया है। राजस्थान में पच्चीस हजार लोगों को तीर्थ यात्रा के माध्यम से जो भी इसमें शिड्यूल होगा उसमें नि:शुल्क यात्रा करवाने का जो बीड़ा उठाया है वह हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा उठाया गया है। वृद्धावस्था आश्रम जो राजस्थान वृद्धावस्था आश्रम योजना के नाम से जाना जाएगा। जिला मुख्यालय पर एक करोड़ रुपया और तहसील हैडक्वार्टर पर

(श्री पानाचन्द)

पचास लाख रुपए की बिल्डिंग बनकर वहां पर उन दीन हीन जिनको पालने वाला कोई नहीं है, जिसको निवाला देने वाला कोई नहीं है, उसका सम्बल और उसका संरक्षण और उसकी सहायता करने का बीड़ा हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने उठाया है। सामूहिक विवाहों पर पहले साढ़े चार हजार रुपए मिलते थे उसको बढ़ाकर के दस हजार रुपए उस बालिका की समृद्धि और उसके विकास के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने देने की योजना बनाई है। जो भी समिति सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करती है उसको जो पहले ढाई हजार रुपए मिलते थे उसको पांच हजार रुपए और उसकी सीमा पहले सौ थी, उसको बढ़ाकर के पांच सौ हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने की है। देवनारायण योजना में जो 200 करोड़ रुपए का बजट था उसको बढ़ाकर के 300 करोड़ रुपए किए गए। अल्पसंख्यकों के लिए मुख्य मंत्रीजी ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना लागू की। महिलाओं के लिए जो गांव में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता होती हैं, सहायिकाएं होती हैं, साथिन होती हैं, आशा सहयोगिनी होती हैं जो घर-घर जाकर बालकों को, गर्भवती महिलाओं को केन्द्र के लिए प्रेरित करके उनकी देखरेख करती है उनके लिए भी हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने ध्यान रखा है। चाहे उनको ड्रेस देने की बात हो, शुभ लक्ष्मी योजना की बात हो या उनको उच्च क्वालिटी का पोषाहार देने की बात हो। सहकारी समितियों के माध्यम से वह किसानों की बात कर रहे हैं, मैं परसादीलालजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि पहले बजट से लेकर पांचवें बजट तक लगातार किसानों की बात को और उनकी सोच को इन लोगों ने देखा। पहले ब्याज में प्रतिशतता कम की गई, एक लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण देने की बात की गई और इस बजट में एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण देने की बात की गई है यह गहलोतजी की सरकार में और कांग्रेस की रीति और नीति में है।

पंचायतीराज में इंदिरा आवास में जो पचास हजार रुपए थे उसको बढ़ाकर सत्तर हजार रुपए किए गए। नरेगा के काम में सौ दिन से बढ़ाकर के डेढ़ सौ दिन किए गए और इसके निर्माण में जो 60:40 का जो डिफरेंस आता था, उसमें दौ सौ करोड़ रुपए डालकर उस डिफरेंस को खतम करने का प्रयास किया गया है। मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि पंचायती राज व्यवस्था में एक जो परेशानी आती है वह यह है कि शहरी क्षेत्र में सफाई कर्मचारी सरकार के द्वारा लगाये जाते हैं। लेकिन ग्राम पंचायतों में डेढ़ सौ और दौ सौ रुपए में सफाई कर्मचारी होते हैं जिससे सफाई व्यवस्था नहीं होती है।

(श्री पानाचन्द)

ग्राम पंचायत की पापुलेशन कहीं पांच हजार होती हैं, कहीं दस हजार होती हैं, वहां पर दस, पन्द्रह, बीस कर्मचारी होते हैं लेकिन उनको डेढ़ सौ और दौ सौ रुपए मिलने के कारण वह सफाई व्यवस्था नहीं करते हैं। इनका भी स्थायी मानदेय तय किया जाए, चाहे वह एक हजार रुपए किया जाए या दो हजार रुपए किया जाए ताकि ग्राम पंचायतों में सफाई की व्यवस्था स्थायी हो सके। साथ ही मेरा निवेदन है कि हम पशुओं की बात करते हैं, पशुओं को पीने के लिए पानी की आवश्यकता चार महीने पड़ती है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल और 15 जून के बाद बारिश आ जाती है। विधायक कोष से, सांसद कोष से हम ट्यूबवैल लगाते हैं। उसमें कनेक्शन करवा देते हैं लेकिन पंचायतों की आय सीमित होने के कारण वह उन बिलों का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। और देखने में यह आता है कि वह ट्यूबवैल जब तक उसका बिल होता है वह चालू रहता है उसके बाद उसमें लाखों रुपए खर्च करते हैं वह खतम हो जाता है। इसलिए मेरा इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी को निवेदन है कि पशुओं के पेयजल के लिए जितने ट्यूबवैल लगाये गये हैं बिजली विभाग के द्वारा उनका नि:शुल्क कनेक्शन दिया जाए और उनका संरक्षण और भरण पोषण राज्य सरकार के द्वारा किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र डार्क जोन के अन्तर्गत आता है। वहां पर 500-500, 600-600 फिट तक पानी नहीं है, सिंचाई की बात तो दूर की बात है। पेयजल के लिए भी लोगों को जन आंदोलन करना पड़ता है। अटरू कस्बा जहां से पिछले बीस साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की शासन व्यवस्था रही, मंत्री भी रहे, सब कुछ रहे हैं। लेकिन वहां की जनता हमेशा आंदोलन करती रही है और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने पिछले समय वहां अस्थायी विकल्प व्यवस्था लागू की गई है। लेकिन फिर भी अस्थायी व्यवस्था लम्बे समय तक नहीं चलती है इस साल पुन: समस्या आने लगी है। इसलिए यहां पर जल संसाधन मंत्रीजी बैठे हुए हैं और मेरी बात को हमारे मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचायें और वहां की जो लम्बित परियोजनाएं हैं, 35 करोड़ की, उनको पास करवाने का प्रयास करें। साथ ही, मेरा एक ओर निवेदन है। राजस्थान में सड़कों का जाल हम बिछा रहे हैं लेकिन कई सड़कें मापदण्डों के अन्तर्गत नहीं आती हैं। गांव का किसान अपनी फसल को मण्डी तक बेचने के लिए बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस किलोमीटर तक चक्कर काटकर आना पड़ता है। अगर कृषि उपज मण्डी में 'ए' क्लास की और

(श्री पानाचन्द)

'ए' क्लास की मण्डी में करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं उनको मिसिंग लिंक या जो सम्पर्क सड़कें होती हैं उनसे अगर सीधा जोड़ दिया जाए तो किसान को बहुत बड़ी राहत होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने पांच साल में कितने स्कूल खोले, चाहे प्राथमिक विद्यालय की बात करें, मिडिल स्कूल की बात करें, सैकण्डरी स्कूल की बात करें, कालेजों की बात करें, मेडिकल कालेज की बात करें, हर क्षेत्र में हमने प्रोग्रेस की है लेकिन मेरा एक निवेदन है कि हमारे बारां जिले में एक ही सरकारी कालेज है जो जिला मुख्यालय पर है जिसकी स्थापना 1965 में हुई है। हमारे बारां जिले माइनोरिटी की संख्या बहुत अधिक है और लम्बे समय से मैं कालेज का प्रेसीडेंट 1996 में था तब से हम मांग करते आ रहे हैं कि वहां महाविद्यालय में उर्दू सब्जैक्ट नहीं है। लम्बे समय से जो मांग चलती आ रही है, हर साल छात्र आंदोलन करते हैं और कई बार आंदोलन के कारण छात्रों का भविष्य खराब हो जाता है उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाते हैं इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री महोदय से और मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर उर्दू सब्जैक्ट खोलने का आप आदेश प्रदान करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने हर क्षेत्र में चाहे वो तहसील खोलने की बात हो, उप तहसील खोलने की बात हो, उपखंड मुख्यालय खोलने की बात हो हरेक विधायक के क्षेत्र की जो समस्या आई, जो सुझाव आये उनको मानने का प्रयास किया गया लेकिन फिर भी कई चीजें छूट गई हैं। चूंकि हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है, हमारे बारां जिले में 615 किलोमीटर नदियों में बरसात के समय इतना पानी बहकर निकलता है कि बाढ़ आ जाती है लेकिन गर्मी के समय वहां पर पीने के पानी के लिए एक-एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है लोगों को। मेरा इस सदन के माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है, जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन है कि उन 615 किलोमीटर बहती नदियों का पानी रोकने के लिए और क्योंकि सरकार की योजना है कि जलस्तर जो नीचे चला गया है उसको ऊपर लाने का प्रयास करें। उन 615 किलोमीटर नदियों में आपने बजट में 12 एनिकट हमें लगभग 30 करोड़ रुपये के दिये हैं लेकिन फिर भी निवेदन है कि बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जहां पर आज दिन तक एक भी एनिकट नहीं हैं। इसलिए आप विभाग के माध्यम से सर्वे

(श्री पानाचन्द)

करवाकर उन पर एनिकट बनवाने का प्रयास करें। पुन: मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आदरणीय सभापति महोदय, धन्यवाद आपने मुझे बोलने का समय दिया। राजस्थान के लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्य मंत्रीजी ने जो अपना पांचवां बजट यहां पेश किया। इस बजट में जो उन्होंने विशेष तौर से राजस्थान की जनता के हर तबके को समान रूप से देकर के जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, उसके लिए मैं उन्हें आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। आज से चार वर्ष पूर्व जो उन्होंने जनता से अपना वादा किया था जब जनता के बीच गये थे, उन्होंने जनता को विश्वास दिया था कि आप यदि हमें विश्वास दोगे तो हम आपके विश्वास पर खरे उतरेंगे और मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने, जो जनता ने विश्वास दिया उस विश्वास पर वे खरे उतरे हैं। पिछले दो दिनों से मैं विपक्ष के साथियों की बातें सुन रहा हूं और अभी भी कुछ विपक्ष के साथियों ने अपनी-अपनी बात रखी। उन्होंने विशेष तौर से यह कहा है कि ये जो बजट पेश हुआ है, यह चुनावी साल का बजट है और मैं कहना चाहूंगा कि यह पांचवां बजट था लेकिन जब उन्होंने पहला बजट पेश किया था तब भी इन्होंने यह बात कहीं थी, दूसरे बजट पर भी ये बात कहीं थी, तीसरे पर भी कही थी और चौथे पर भी कहा था कि ये जो बजट पेश हो रहे हैं, ये चुनावी बजट हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने, हमारी सरकार ने जो घोषणाएं की हैं क्या वो घोषणाएं पूरी नहीं हुईं और आज इस बजट में जो घोषणाएं की हैं जिनको आप बार-बार एक ही बात कहते हैं कि ये घोषणा ही रह जाएगी ये तो आपने चुनाव की वजह से घोषणाएं की हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री रतन देसाई ऊर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय जब तक माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं तब तक बढ़ाया जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय जब तक ये माननीय सदस्य लास्ट वक्ता बोल रहे हैं तब तक बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय जब तक ये माननीय सदस्य बोल रहे हैं तब तक बढ़ाया गया।

आय व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): आदरणीय सभापति महोदय, मैं यह बात कह रहा था कि विपक्ष के साथी जो बार-बार एक ही बात, चाहे मीडिया में, चाहे कहीं भी देखें, जो एक बार-बार ये बात कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जो अभी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं चाहे स्टेट बी पी एल को एक रुपये किलो गेहूं हो, पांच रुपये किलो आटा हो, चाहे चीनी हो, चाहे वृद्धावस्था की पेंशन हो क्या ये घोषणाएं पूरी नहीं होंगी? क्या लोगों को पहले भी दो रुपये किलो गेहूं नहीं मिलता था क्या वापस एक रुपये किलो गेहूं नहीं मिलेगा? क्या ए पी एल परिवारों को आटा नहीं मिलेगा? क्या उनको चीनी नहीं मिलेगी? जो भी विधवा हैं चाहे वृद्धावस्था पेंशन हैं क्या उनको पेंशन नहीं मिलेगी? सिर्फ विपक्ष का अपना धर्म निभाने के लिए यह बात कहनी हो तो आप कह सकते हो। वास्तविक जो चीज है उस चीज को आप लोगों को मानना पड़ेगा। आपको मानना चाहिए कि हमारे सदन के नेता जो अपनी बात कहते हैं उस बात पर वो हमेशा खरे उतरे हैं और हमेशा उस बात को उन्होंने पूरा किया है।

आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं खास तौर से सदन के नेता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज जो राजस्थान को रिफाइनरी मिली है यह अपने आप में मैं समझता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान की तकदीर बदलेगी। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज तक ये रिफाइनरी यदि लग जाती तो मैं समझता हूं कि आज राजस्थान की एक अलग तस्वीर होती पर मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर कि पूर्व सरकार की गलती की वजह से नहीं लगी। यदि वो इस प्रकार का अच्छा कदम उठाते, यदि दो कदम आगे बढ़ते तो मैं समझता हूं कि आज तक रिफाइनरी स्थापित हो जाती और उसका लाभ राजस्थान के लोगों को मिलना शुरू हो जाता। पर मैं समझता हूं कि चाहे देर आयी पर दुरुस्त आयी और रिफाइनरी की घोषणा हुई है तो आने वाले समय में मुख्य मंत्रीजी को राजस्थान की सात करोड़ जनता दुआएं देगी कि आज राजस्थान के अन्दर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा, मैं

(श्री शाले मोहम्मद)

विपक्ष के साथियों को जो यहां पर सुन रहा था, विशेष तौर से लोहावट से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही थी। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को छोड़ करके देखें तो इस सरकार ने एक मेगावाट भी बिजली उत्पादन नहीं की। मैं उनको बताना चाहता हूं कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में जैसलमेर में बिजली उत्पादन हुआ है पर इसके अलावा भी गैस आधारित तापीय बिजली जो है उसमें भी 250 मेगावाट बिजली आज, जो मुख्य मंत्रीजी ने शिलान्यास किया था उस बिजली की शुरूआत भी हो गई है। उसके अतिरिक्त सौ मेगावाट का काम और आगे चल रहा है। कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं यदि आप कहें कि एक मेगावाट पैदा नहीं हुई तो रामगढ़ के अन्दर जो आपके ढाई सौ मेगावाट जो अभी-अभी पैदा हुई है वो बिजली कहां से आ रही है? इसके अलावा उन्होंने बिजली के लिए काफी बातें कहीं थीं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी विद्युतीकरण के लिए बात कही। जब मैं पूर्व में जिला प्रमुख था तो मैंने खुद ने देखा था कि जब पिछली केन्द्र सरकार के द्वारा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना की शुरूआत की गई थी उस योजना में जो पूर्व सरकार राजस्थान की थी उस सरकार ने उसमें भाई-भतीजावाद किया। उन्होंने ऐसी कम्पनियों को काम दिया कि जहां-जहां इनकी पार्टी के लोग हैं वहां के जो चुने हुए जन प्रतिनिधि थे जो-जो जगह उन्होंने बताई उस जगह पर ही वास्तविक रूप से इन्होंने काम किया। वास्तव में जो एससी, एसटी, अल्प संख्यक, जहां लोग रहते थे उन लोगों की ढाणियों को जानबूझकर विद्युतीकरण से वंचित किया गया। जब जिला परिषद में हमने यह बात कही, हमने पूछा कि यह जो एटीसी कम्पनी है, यह कम्पनी कौन है, इसकी जांच की जाए लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। आज भी यदि विधान सभा की कमेटी बनाकर देखा जाए तो उस कम्पनी के खिलाफ जांच होनी चाहिए। कलक्टर को भी हमने कहा, आज भी काफी ऐसे गांव और ढाणियां हैं जिनके अन्दर उन्होंने पोल खड़े कर दिये, इसके अलावा न तो लाइन बिछाई, न लोगों को कनेक्शन दिया, न वहां पर ट्रांसफारमर दिए। बिरलाजी, मैं आपकी पूर्व सरकार की बात कर रहा हूं और मैं आज कह रहा हूं हमने वहां जब यह जांच बैठाई तब जाकर वहां पर उस कम्पनी के लोगों ने काम शुरू किया है। अब आप फील्ड़ में देख सकते हो कि वहां पर काम शुरू भी हुआ है। जो वंचित ढाणियां थीं उन ढाणियों को कनेक्शन भी मिल रहे हैं।

लोहावट से आने वाले माननीय सदस्य ने हमारी पार्टी पर इस प्रकार के आरोप भी लगाए, 2 जी का भी उन्होंने नाम लिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप वाड्रा तक पहुंच गए थे कि जैसलमेर में उनकी कम्पनी की जमीनें

(श्री शाले मोहम्मद)

हैं। जब पूर्व में आपकी सरकार थी, जब बार्डर बिक रहा था तो वह खींवसर का आदमी कौन था जो दलाल के रूप में काम कर रहा था, जब आपकी पार्टी जांच कर रही थी, उसका भी जवाब दो। आप वाड्रा पर आरोप लगा रहे थे ... (व्यवधान) मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके ही वरिष्ठ साथी आरोप लगा रहे थे, वही बात कह रहे थे कि जैसलमेर में जो जमीन ली है वह उनकी कम्पनी ने ली है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि खींवसर का वह दलाल कौन था जिन्होंने वहां पर जमीन बिकवाई थी, बार्डर बिकवाया था? उस समय आपकी पार्टी ने क्यों कार्यवाही नहीं की? इसका मतलब आप मिले हुए थे क्या? मैं आरोप लगाता हूं क्योंकि वास्तविक रूप से आपने सही जांच नहीं की। उन्होंने 2 जी का भी नाम लिया, तो बंगारूजी कौन थे? पूर्व महामहिम भैरोंसिंहजी ने जो बात कही थी, कैलाश मेघवाल ने जो बात कही थी, वह लोग कौन थे? वह किस पर आरोप लगा रहे थे। खुद को भी तो देखो, खुद को तो देखते नहीं हो दूसरों की बात कह देते हो। जो भी बात कहो उससे पहले कुछ समझो। खुद भी आइने में झांको कि हम क्या बात कह रहे हैं।

खास तौर से, मैं ऊर्जा मंत्रीजी को और जलदाय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज हमारे पोकरण और जैसलमेर में जो जवाहर लाल सोलर मिशन इन्होंने चालू किया है। राजस्थान सरकार ने मरू स्थल पोकरण में सौर ऊर्जा का जो काम किया है, फलौदी भी साथ में है। फलौदी, जैसलमेर में भगवान की कृपा से विशेष रूप से सूर्य की किरणें पड़ती हैं इसकी वजह से सौर ऊर्जा का पूरा प्लांट पोकरण और फलौदी में लगा है। मैं समझता हूं इससे आने वाले समय में और ज्यादा बिजली का उत्पादन वहां होगा और पूरे राजस्थान के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। पवन ऊर्जा में आज पूरे जैसलमेर जिले में आप कहीं भी आंख उठाकर देखोगे तो चारों तरफ आपको विंड पावर का उत्पादन मिलेगा, इससे भी पूरे राजस्थान की जनता को लाभ मिल रहा है। इसके लिए खास तौर से, मैं मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि आगे भी आप पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में काम करें, आगे और भी प्लांट लगाएं ताकि जैसलमेर को तो फायदा मिले ही साथ ही पूरे राजस्थान को भी इसका फायदा मिले।

पेयजल के मामले में मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और मुख्य मंत्रीजी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहले बजट में इन्होंने खास तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र में पोकरण, बाड़मेर और जैसलमेर की जनता की नहर के पानी की विशेष मांग थी कि हिमालय का पानी हम तक पहुंचे और पूर्व में जब अशोक गहलोतजी की सरकार थी, जब उन्होंने घोषणा की थी उसके बाद

(श्री शाले मोहम्मद)

जब सरकार चेंज हो गई, जब आपकी सरकार वहां आई तो आपके द्वारा जो बहुत बड़ी मीटिंगें वहां की गई थीं और सिर्फ 35 लाख का बजट दिया गया था। वह 35 लाख इसलिए दिया गया था कि आपकी वहां कोई शानदार मीटिंग हो जाए, वहां पर हम बात कह दें, इसके अलावा, कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने उनसे पूछा पिछली सरकार ने कितना पैसा दिया है तो उनका जवाब यही था कि 35 लाख रुपए थे और वह भी हमने उन मीटिंगों में खर्च कर दिए। जब हमारी सरकार बनी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक हजार करोड़ की योजना का फर्स्ट फेज का पोकरण, फलसूंड, बालोतरा में काम हुआ है वह काम लगभग आज पूरा भी हो गया और मैं समझता हूं कि अप्रैल, मई तक लोगों को नहर का मीठा पीने का पानी मिलना शुरू भी हो जाएगा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बालोतरा, बायतू के लिए भी अभी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है। उनके गांवों के लिए भी कलस्टर बन रहे हैं। मैं समझता हूं कि सभी गांवों में नहर का पानी मिल जाएगा, यह अपने आप में बहुत अच्छी बात है। काफी वर्षों से जिन लोगों को नहर का पानी नहीं मिल रहा था आज अगर वहां पर नहर का पानी मिलेगा तो उस क्षेत्र की प्यास बुझ जाएगी।

इस बजट में खास तौर से मुख्य मंत्रीजी ने सडकों का पूरे राजस्थान में जाल बिछाने का जो काम किया है। इस बजट में विशेष सड़क निर्माण नीति में 500 करोड़ रुपये उन्होंने दिए हैं। 2001 की जनगणना के बाद में जो नये गांव बने हैं, उन गांवों के लिए आप और हम सोच ही रहे थे कि इन गांवों को कैसे सड़क से जोडा जाए, मुख्य मंत्रीजी ने फर्स्ट फेज में इन गांवों को सड़क से जोड़ने की जो बात कही है मैं समझता हूं कि आने वाले समय में उन लोगों की जो बहुत बड़ी जरूरत है, उनके आने-जाने के साधन नहीं थे, हमारा इलाका मरूस्थली, रेगिस्तानी इलाका है, जो नये गांव बने हैं तो जो विशेष सड़क नीति बनाई है इसके तहत और नये राजस्व गांवों के तहत जो सड़क निर्माण होगा तो वहां के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पूरे राजस्थान में जो नये गांव बने हैं, उन लोगों को भी इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। राजसमंद से आने वाली माननीय सदस्या अभी अपनी बात कह रही थी उन्होने यह कहा कि हमारी पूर्व सरकार ने 10 किलोमीटर हर विधान सभा क्षेत्र में दिया, हमको तो 16 किलोमीटर मिला, आपके पांच साल में आपको 10 किलोमीटर ही मिला। हमें 16 किलोमीटर तो लिंक रोड मिले, इसके अलावा जो धार्मिक सडकें हैं, काफी लम्बे समय से जो लोगों की मांग थी, जो पर्यटन स्थल

(श्री शाले मोहम्मद)

थे, जहां मंदिर थे या धार्मिक स्थल थे वह सड़कों से जुडे हुए नहीं थे। मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार जो घोषणा की उसमें हर विधान सभा क्षेत्र में जो बड़े-बड़े धार्मिक स्थल हैं, उन सभी को सड़कों से जोड़ा है। मैं समझता हूं कि यह अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है और आगे भी उनको सड़क से जोड़ने की बात इस बजट में कही है, उसके लिये भी मैं मुख्य मंत्रीजी को मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जो यह कदम आप उठा रहे हो, वह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है।

मेडिकल में आपने देखा है कि मुख्य मंत्रीजी ने आम आदमी के लिये चाहे वह ए पी एल हो, चाहे बी पी एल हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो सबके लिये जो मुफ्त दवा योजना लाए हैं उसके लिए राजस्थान की जनता मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोतजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दे रही है, दुआएं दे रही हैं। जो एक गरीब परिवार का आदमी इलाज नहीं होने की वजह से अपना दम तोड़ देता था, आज आप देख सकते हो कि 70 प्रतिशत लोग गवर्नमेंट हास्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। इस बजट में मुख्य मंत्री सहायता कोष में गरीब आदमी के लिये चाहे हार्ट का हो, चाहे गुर्दे का हो, चाहे कैंसर का इलाज हो, इस प्रकार का जो इलाज हो रहा है मैं समझता हूं यह बहुत बड़ी चीज है। आज गरीब पैसा नहीं होने की वजह से इलाज नहीं करवा पाए, ऐसी बात नहीं है। मुख्य मंत्री सहायता कोष होने की वजह से गरीब आदमी आज खुले दिल से हास्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा रहा है, बड़े-बड़े आपरेशन करवा रहा है, यह बड़ी चीज है। अभी अप्रैल में जांच फ्री करवाने की जो बात कह रहे हैं, जांचों में बहुत बड़ा पैसा खर्च होता था, चाहे वह सोनोग्राफी हो, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे एक्स-रे हो, उसमें गरीब आदमी के सैंकड़ों रुपये खर्च हो जाते थे। यदि जांच फ्री होती है तो इसका भी बहुत बड़ा लाभ गरीब आदमी को मिलेगा। आज चाहे 108 एम्बुलेंस हो, चाहे जननी सुरक्षा योजना हो, जिस प्रकार से बेटियों के लिए, माताओं के लिए विशेष तौर से इस योजना में राजस्थान की मां-बेटियों को लाभ मिला है, यह बड़ी चीज है। आज कहीं पर जरूरत पड़ती है तो एक काल करने पर उनके पास जननी एक्सप्रेस की हर पी एच सी, हर सी एच सी हर अस्पताल के अन्दर उन्होंने इस प्रकार की गाड़ी कर दी है कि आज उनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक काल के अन्दर गाड़ी पहुंचती है, तो आज जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, उसके लिए भी मुख्य मंत्रीजी को मैं मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा। इस बजट के अन्दर खास तौर से अल्पसंख्यकों के लिए जो नया विभाग बनाया था

(श्री शाले मोहम्मद)

और इस बजट के अन्दर चाहे मदरसा आधुनिकीकरण हो, चाहे उच्च माध्यमिक के लिए छात्रावासों की घोषणा हो और 150 करोड़ रुपये अलग से जो उन्होंने दिए हैं, मैं समझता हूं मदरसा पैराटीचर 1500 लगाने की बात हो, चाहे अल्पसंख्यक बच्चियों को, अभी भी काफी बच्चियां शिक्षा के मामले में कम शिक्षित हैं, मुख्य मंत्रीजी ने आगे होकर जिस प्रकार की योजना मदरसों के अन्दर शुरू की है, पैराटीचर देकर और स्कूटी की योजना बच्चियों के लिए शुरू की है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बच्चियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया है। आने वाले समय में बच्चियां शिक्षा से और जुड़ेंगी। इस विभाग में खासतौर से बजट की जो कमी थी, इस बार मुख्य मंत्री ने अल्पसंख्यक कल्याण के लिए बहुत अच्छा बजट दिया है। विशेष तौर से जो अल्पसंख्यक क्षेत्र हैं, विशेष तौर से केन्द्र सरकार द्वारा जिले लेवल पर काफी जिले थे, जो अल्पसंख्यक आबादी होने के बावजूद भी उनकी परसेंटेज कम होने की वजह से उन लोगों को, अल्पसंख्यक जिले घोषित नहीं हो पाते थे पर मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ा कदम उठाया और केन्द्र सरकार द्वारा पंचायत समिति लेवल की इकाई बनाकर, आज उन्होंने 10-10 करोड़ हर पंचायत समिति लेवल पर दिया है मैं समझता हूं यह बहुत ही अच्छी चीज है। आने वाले समय में, मैं अल्पसंख्यक हूं, के लिए चाहे विकास के लिए, चाहे पानी की व्यवस्था हो, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, अन्य जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को पूरा करने के लिए जरूरतमंदों की जरूरतों को यह पूरा करेगी। आदरणीय सभापति महोदय, विशेष तौर से मैं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित कहना चाहूंगा कि जो ग्राम पंचायत, पंचायती राज, जिस प्रकार से पूर्व सरकार ने उनको खोखला बना दिया था एक तरीके से, आज मुख्य मंत्रीजी ने, पूर्व सरकार में भी उनको मजबूत करने के लिए उन्होंने कदम उठाए थे। काफी विभाग उनको दिए थे। अभी वापिस जो विभाग दिए हैं, हैंडओवर किए हैं उन विभागों को पंचायती राज जो ग्राम स्वराज है उसको मजबूत करने के लिए उन्होंने पंचायती राज को बहुत बड़ा अपने कार्यकाल में मजबूत किया है। आज हर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर जिस प्रकार से राजीव गांधी आईटीआई केन्द्र स्थापित किए हैं, मैंने खुद ने देखा है कि उन आईटीआई केन्द्रों के अन्दर लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आज उनका जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे मूल निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे

(श्री शाले मोहम्मद)

उनके बिजली के बिल हों, उन सभी कार्यों को निस्तारण करने के लिए विशेष तौर से जो कार्य वहां हो रहा है, मैंने खुद ने वहां देखा है कि मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र लोगों को हाथो-हाथ, जो काफी उन्होंने चेंज किया था, हाथो-हाथ उसी जगह पंचायत के अन्दर मिल रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज लोगों को, विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं की जानकारी और सीधा केन्द्र और प्रदेश के विभिन्न विभागों से जोड़ने की जो बात कही है, अपने आप में बहुत ही बड़ी चीज है और उसका फायदा आज राजस्थान की जनता ले रही है। नरेगा के अन्दर बहुत बड़ी चीज उन्होंने घोषणा की है कि 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिये। नरेगा में जो आज लोग काम करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी चीज है। आज राजस्थान की जनता यह मांग कर रही थी कि 100 से बढ़ाया जाए, मुख्य मंत्रीजी ने दो कदम आगे बढ़कर 150 दिन किए हैं, उसके लिए भी मैं मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस प्रकार से काफी क्षेत्रों में हम देखें, चाहे किसानों के लिए, माननीय सहकारिता मंत्रीजी बैठे हैं, उन्होंने पिछली बार मुख्यमंत्री फसली, बिना ब्याज की योजना शुरू की थी, आज उनकी राशि एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख की है। किसानों की बात यहां पर हर समय विपक्षी साथी करते हैं, उन्होंने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। मुख्य मंत्रीजी ने किसानों के हित को देखा। चाहे गेहूं के लिए बोनस की बात हो, चाहे ड्रिप सिस्टम की बात करें। आज फव्वारा पद्धति लागू करने के लिए जिस प्रकार से पूरा सदन, पूरा राजस्थान चिंतित रहता है कि दिनों दिन पानी नीचे जा रहा है, डार्क जोन घोषित हो रहे हैं, उसकी वजह से लोग परेशान हो रहे थे। यदि फव्वारा पद्धति पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाएगा तो उसमें आने वाले समय में डार्क जोन कम घोषित होंगे और पानी की स्थिति सही बनी रहेगी। विशेष तौर से फव्वारा पद्धति जो उन्होंने लागू की है, जिस प्रकार से उसमें फार्म पोण्ड का निर्माण हो रहा है, डिग्गियों का निर्माण हो रहा है, उसके साथ-साथ सब्सिडी फार्म के अन्दर 90 परसेंट मिल रही है, वह किसानों के लिए बहुत ही फायेदेमंद है। मैं समझता हूं कि किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। जो घोषणा हुई थी, जैसलमेर के अन्दर उन्होंने तीन हजार डिग्गियां बनाने की घोषणा की आज काफी नहरी क्षेत्र के अन्दर, बहुत बड़े क्षेत्र में डिग्गियां बनी है और उसका फायदा वहां के किसान ले रहे हैं, मैं खासतौर से मेरी ओर से मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में जो उन्होंने जो भनियाना तहसील थी उस

(श्री शाले मोहम्मद)

तहसील को उपखण्ड बनाया है उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि फलसूंड को उपतहसील बनाई जाती है तो मैं समझता हूं कि हमारे इलाके की जो बहुत बड़ी मांग है उस मांग को पूरा किया जाता है तो वहां के लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसके अलावा क्षेत्र में, अभी इस बजट में भी काफी चीजें मिली हैं चाहे पोकरण का अस्पताल, बाबा रामदेव का स्थल है, वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, वहां की सी एच सी थी उस सी एच सी को उन्होंने क्रमोन्नत करके 100 बैड का अस्पताल कर दिया, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में वहां यात्री आते हैं और वहां की जनता है उसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सीओ सर्किल भी नाचना के अन्दर खोला है। वहां का तनोट माता का जो पुराना मंदिर है, उस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए भी उन्होंने पैसा दिया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए घड़ीसर लेक जो पुरानी है, उस लेक के जीर्णोद्धार के लिए भी पैसा दिया है, उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को मेरी ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने यह बजट पेश किया है ऐतिहासिक बजट पेश किया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान की जनता को इस बजट से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: सदन की बैठक सोमवार, 11 मार्च, 2013 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.47 बजे सोमवार, 11 मार्च, 2013 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

अलवर जिले में राहजनी एवं लूटपाट की घटनाओं पर रोक हेतु कार्य योजना

143. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले में लाल एवं नीली बत्ती लगे हुए वाहनों के द्वारा राहगीरों को एवं वाहन लूटपाट की घटनाओं को तेजी से अंजाम दिया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इन लाल एवं नीली बत्ती लगाकर वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह को पकड़ने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला अलवर में 01 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2012 तक ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं? उक्त घटनाओं में अब तक कितने वाहन एवं अन्य संसाधन चोरी किये गये हैं? चोरी किये गये वाहनों में से अब तक कितने वाहन बरामद किये जा चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है? यदि हां, तो उक्त अवधि में किन-किन प्रकरणों में कितने आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है।

अलवर जिले में लाल और नीली बत्ती लगे वाहनों के द्वारा राहगीरों को एवं वाहन लूटपाट की दो घटनाएं घटित हुई है। इन घटनाओं में दो वाहन एवं तीन पीपे देशी घी के चोरी/लूट किये हैं, जिन्हे बरामद किया जा चुका है। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जिला अलवर में 01 जनवरी, 2011 से 31 दिसम्बर, 2012 तक ऐसी दो घटनाएं घटित हुई हैं।

इस खण्ड का शेष भाग उपरोक्तानुसार।

(3) उक्त अवधि में प्रकरण संख्या 9/12 धारा 457, 380, 411 भा.द.सं. पुलिस थाना किशनगढ़बास, जिला अलवर में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। व प्रकरण सं. 15/12 धारा 365, 395 भा.द.सं. पुलिस थाना

(गृह मंत्री)

किशनगढ़बास, जिला अलवर में एफ. आर. नं. 192/12 दिनांक 30.6.2012 अदम पता मुल्जिमान में दी जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम थाना	मु. नं.	पंजीयन दिनांक	धारा	लाल/नीली बत्ती लगाकर चोरी/लूटे गये वाहन या अन्य संसाधन का विवरण	लाल/नीली बत्ती लगाकर चोरी/लूटे गये वाहन या अन्य संसाधन में से चोरी/लूटे गये वाहन या अन्य संसाधन बरामद किये गये का विवरण
1.	किशनगढ़बास	09/12	6.1.12	457, 380, 411 भा.द.सं.	बोलेरो गाड़ी नं. RJ 32-UA-2767 व तीन पीपे देशी घी	बोलेरो गाड़ी नं. RJ 32-UA-2767 व तीन पीपे देशी घी
2.	किशनगढ़बास	15/12	10.1.12	365, 395 भा.द.सं.	ट्रक नं. HR-55-M-3155	ट्रक नं. HR-55-M-3155

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	नाम थाना	मु. नं.	पंजीयन दिनांक	धारा	गिरफ्तार आरोपियों का विवरण	नतीजा
1	2	3	4	5	6	7
1.	किशनगढ़बास	09/12	6.1.12	457, 380, 411 भा.द.सं.	1. फकरूदीन उर्फ मेनू पुत्र कपूरा मेव 25 साल निवासी	चार्जशीट नं. 73 दिनांक 27.3.12

1	2	3	4	5	6	7
					नगला मुबारिकपुर दोलाबास थाना कामां भरतपुर। 2. सफीक पुत्र सगरू मेव 22 साल निवासी बिछोर थाना पुन्हाणा हरियाणा। 3. इमरान पुत्र दीनू मेव 22 साल निवासी बिछोर थाना पुन्हाणा हरियाणा। 4. मुस्ताक पुत्र हुसेन मेव 23 साल निवासी बिछोर थाना पुन्हाणा हरियाणा। 5. मूसा पुत्र जाकर मेव 20 साल निवासी कांमा जिला भरतपुर	

1	2	3	4	5	6	7
2.	किशनगढ़बास	15/12	10.1.12	365, 395 भा.द.सं.	—	एफ. आर. नं. 192/12 दिनांक 30.6.12 अदम पता मुल्जिमान

सिरोही जिला मुख्यालय पर कृषि मण्डी की स्थापना

144. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सिरोही जिले में कृषि मण्डी की सुविधा कहां-कहां पर उपलब्ध है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सिरोही जिला मुख्यालय पर कृषि मण्डी की सुविधा नहीं होने के कारण जिले के किसानों को अपनी पैदावार की बिक्री हेतु जिले से बाहर सुमेरपुर अथवा गुजरात राज्य में जाना पड़ रहा है?

(3) क्या सिरोही जिला मुख्यालय पर कृषि मण्डी खोलने के सम्बन्ध में कोई मांग अथवा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

(4) क्या सरकार जिला सिरोही मुख्यालय पर कृषि मण्डी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सिरोही जिले में कृषि उपज मण्डी समिति, आबूरोड एवं इसके अन्तर्गत गौणमण्डी सरूपगंज, रेवदर, पिण्डवाड़ा, अनादरा, आबू पर्वत घोषित है तथा कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर के अन्तर्गत गौणमण्डी जावाल, कालन्द्री, कैलाशनगर, शिवगंज, सिरोही घोषित है। गौणमण्डी शिवगंज, जावाल, सरूपगंज में यार्ड निर्मित है। उक्त मुख्य मण्डी/गौणमण्डियों में कृषि जिन्सों के क्रय-विक्रय की सुविधा उपलब्ध है।

(2) सिरोही जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मण्डी समिति, सुमेरपुर के अधीन गौणमण्डी घोषित है, जहां किसानों को अपनी उपज विक्रय हेतु सुविधा उपलब्ध है। किसान अपनी उपज कहीं भी विक्रय हेतु स्वतंत्र है।

(3) सिरोही जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मण्डी समिति सुमेरपुर के

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

अधीन गौणमण्डी घोषित है। हाल ही में सिरोही जिला मुख्यालय पर मण्डी यार्ड का निर्माण करने एवं स्वतंत्र मण्डी बनाने का एक प्रस्ताव जिला कलक्टर से प्राप्त हुआ है जो विचाराधीन है।

(4) बिन्दु संख्या 3 के अनुसार ।

छाबड़िया ग्राम (भीलवाड़ा) में आंगनबाड़ी सहायिका के पद पर चयनित अभ्यर्थी

145. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनी के चयन के लिये क्या नियम बने हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) भीलवाड़ा जिले की जहाजपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रावतखेड़ा के ग्राम छाबड़िया में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र के लिये दिनांक 01 फरवरी, 2013 को आंगनबाड़ी सहायिका के चयन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई गई तथा आवेदन प्रस्तुत करने एवं चयन कार्यवाही पूर्ण करने के लिये क्या समय निर्धारित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 01 फरवरी, 2013 को पंचायत समिति जहाजपुर की ग्राम पंचायत रावतखेड़ा मुख्यालय पर किन-किन महिलाओं द्वारा उक्त पद के लिये आवेदन प्रस्तुत किये गये थे? आवेदकों की योग्यता, निवास स्थान एवं बी.पी.एल. परिवार सम्बन्धी जानकारी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि छाबड़िया केन्द्र के लिये आंगनबाड़ी सहायिका के पद हेतु वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी आवेदक उसी गांव छाबड़िया की बी.पी.एल. चयनित महिला उपलब्ध होने के बावजूद छाबड़िया गांव से 3-4 किलोमीटर दूरी पर रहने वाली महिला का चयन कर राजकीय आदेशों/नियमों का उल्लंघन किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गलत चयन को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में बाल विकास परियोजना अधिकारी जहाजपुर ने अपने पत्र क्रमांक 20-12-2012 द्वारा रिक्त पदों पर प्रशासन गांवों के संग अभियान में चयन कराने हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को निर्देशित कराने हेतु लिखा गया था। इसके अलावा इस बाबत उक्त केन्द्र की कार्यकर्ता द्वारा एक सप्ताह पूर्व से ही सम्बन्धित क्षेत्र में बताया जा रहा था। दिनांक 1 फरवरी, 2013 को शिविर में भी सहायिका चयन हेतु प्रार्थना पत्र देने के बारे में उद् घोषणा की गई थी।

(3) जी हां। दिनांक 01 फरवरी, 2013 को पंचायत समिति जहाजपुर की ग्राम पंचायत रावतखेड़ा मुख्यालय पर निम्न महिलाओं द्वारा उक्त पद के लिए आवेदन किये गये की सूची निम्नानुसार है :-

नाम	योग्यता	निवासी	बी पी एल
श्रीमती आशा देवी पत्नी श्री प्रहलाद मीणा	9वीं	छाबडिया	—
श्रीमती लादी देवी पत्नी श्री अशोक मीणा	8वीं	छाबड़िया	—
श्रीमती कविता पत्नी श्री अशोक कुमार मीणा	6वीं	छाबड़िया	—
श्रीमती ममताज पत्नी श्री सुरेश कुमार मीणा	8वीं	छाबड़िया	—
श्रीमती शिमला पत्नी श्री अशोक कुमार मीणा	8वीं	छाबड़िया	—
श्रीमती कंचन पत्नी श्री सोहनलाल बलाई	10वीं	छाबड़िया	बी पी एल

(4) जी नहीं। आंगनबाड़ी केन्द्र छाबड़िया (जहाजपुर) भीलवाड़ा पर रिक्त सहायिका के पद पर चयन ग्राम पंचायत द्वारा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये नियमानुसार छाबड़िया राजस्व ग्राम की स्थानीय महिला श्रीमती कंचन देवी पत्नी श्री सोदान बलाई एससी को प्राथमिकता देते हुए एवं शैक्षणिक योग्यता भी सबसे अधिक 10वीं पास होने एवं बी पी एल होने के कारण चयन सम्बन्धी प्रस्ताव लिया गया है। अत: नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है। उक्त चयन ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार किया गया है।

परिशिष्ट-अ

राजस्थान सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग

क्रमांक : प.11(3)(10) मो/मबावि/99/103670   जयपुर, दिनांक 15 सितम्बर, 2003

परिपत्र

(आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका का चयन एवं हटाने की प्रक्रिया)

विभाग द्वारा समय-समय पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं सहायिकाओं के चयन/हटाने हेतु दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते रहे हैं। पूर्व में प्रसारित सभी दिशा-निर्देशों एवं विभाग के पत्र क्रमांक प.11(3)(33) मो/मबावि/35667 दिनांक 22.06.2000 द्वारा प्रसारित आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/ सहायिका चयन के आदेशों के अतिक्रमण में अब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं सहायिका के चयन तथा हटाने की प्रक्रिया निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :—

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका के लिए चयन की जाने वाली महिला ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय ग्राम की एवं शहरी क्षेत्रों में उसी मोहल्ले/कालोनी की निवासी एवं विवाहित होनी चाहिए ताकि प्रशिक्षित महिलाओं का ग्राम आऊट नहीं हो। आंगनबाड़ी केन्द्र के क्षेत्र से उनके घर की दूरी 1 किमी से अधिक नहीं हो। उक्त व्यवस्था आगामी चयन पर लागू होगी।
2. शहरी क्षेत्रों में कार्यकर्त्ता की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास एवं सहायिका की 8वीं पास तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की योग्यता यथा सम्भव सैकण्डरी एवं उपलब्ध नहीं होने पर 8वीं पास होनी चाहिए। सहायिका भी यथासम्भव 5वीं पास रखी जावे एवं 5वीं पास उपलब्ध नहीं होने पर साक्षर महिला भी रखी जा सकती है। ग्राम सभा द्वारा चयनित महिला के अतिरिक्त उच्च शैक्षणिक योग्यता की अन्य महिला उपलब्ध नहीं होने की पूर्ण सन्तुष्टि उपरान्त ही शिथिलता पर विचार किया जावे।
3. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के चयन के लिए महिला की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।
4. ग्राम में अतिरिक्त न्यूनतम आयु सीमा की महिला नहीं मिलने पर

शैक्षणिक एवं अन्य योग्यता पूर्ण करने वाली महिला को न्यूनतम आयु में दो वर्ष तक ग्राम सभा द्वारा शिथिलता दी जा सकेगी।

5. महिला के स्थानीय एवं विवाहित होने की शर्त में किसी भी प्रकार की शिथिलता देय नहीं होगी। निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला उपलब्ध नहीं होने पर ग्राम में उपलब्ध अधिकतम शैक्षणिक योग्यता की महिला का चयन किया जा सकता है। ऐसी महिला के चयन आदेश में यह स्पष्ट उल्लेखित किया जावे कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की महिला उपलब्ध होने पर उसकी मानदेय सेवा से पृथक कर दिया जावेगा। इसके प्रथम चयन आदेश एक वर्ष का होगा एवं समय-समय पर अधिकतम एक वर्ष के लिए अभिवृद्धि की जा सकेगी।

6. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के चयन बाबत ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव के आधार पर ही बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा मानदेय सेवाओं पर चयन के आदेश प्रसारित किये जावेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखने वाली महिलाओं में से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका चयन हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर ग्राम सभा द्वारा विचार किया जाकर निम्नांकित प्राथमिकता के आधार पर उनका चयन किया जायेगा।

(अ) विधवा

(ब) परित्यक्ता/तलाकशुदा

(स) अनु. जाति/जनजाति

(द) अन्य

वरियता क्रम में एक ही प्राथमिकता रखने वाली महिलाओं में से उच्च शैक्षणिक योग्यता वाली महिला को चयन में प्राथमिकता प्रदान की जावे।

7. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का चयन ग्राम सभा के प्रस्ताव के माध्यम से होगा। किसी भी प्रकार की शिकायत/अनियमितता प्राप्त होने पर जांच के उपरान्त बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्तर से ही कार्यकर्ता/सहायिका को हटाया जा सकेगा।

8. अनियमितताओं के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा मानदेय सेवा से पृथक की गयी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं का दुबारा चयन नहीं किया जावे। साथ ही एक ही परिवार की एक से अधिक महिला का चयन कार्यकर्ता/सहायिका के

पद पर नहीं किया जावे ताकि कार्यक्रम से अधिकाधिक महिलाओं का जुड़ाव हो सके।

9. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका को विभाग द्वारा दिये जा रहे कार्यविधि प्रशिक्षण को प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह प्रशिक्षण उसे कार्यग्रहण के प्रथम दो वर्ष के दौरान ही प्राप्त करना होगा अन्यथा प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने पर कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को आगे का मानदेय नहीं दिया जाए।

10. यह भी देखने में आया है कि बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा बार-बार ग्राम सभा में प्रस्ताव भिजवाने के उपरान्त भी ग्रामसभा द्वारा कार्यकर्ता/सहायिका का चयन नहीं किया जाता है अथवा एक ही महिला का प्रस्ताव भिजवाया जाता है, जो कि पूर्व में अनियमितता के कारण हटायी गयी थी, ऐसी स्थिति में यदि किसी ग्राम में ग्रामसभा द्वारा नियमित 3 ग्रामसभाओं अथवा 8 माह की अवधि में (जो भी कम हो) बाल विकास परियोजना द्वारा कार्यकर्ता/सहायिका के चयन हेतु प्रस्ताव दिये जाने के उपरान्त भी ग्राम सभा द्वारा इनका चयन नहीं किया जाता है तो बाल विकास परियोजना अधिकारी सीधे आवेदन पत्र मंगाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पंचायत समिति एवं जिला परिषद की अनुमति उपरान्त कार्यकर्ता/सहायिका का चयन कर सकते हैं।

अभी भी बहुत सी कार्यकर्ताएं काफी दूरी से अप-डाउन कर केन्द्र का संचालन कर रही हैं एवं बड़ी संख्या में अनपढ़ कार्यकर्ताएं भी कार्य कर रही हैं। इससे कार्यक्रम की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। अत: ग्रामसभा द्वारा सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के कार्य का आंकलन किया जावे एवं कार्य उपयुक्त नहीं पाये जाने पर उनके स्थान पर नियमानुसार कार्यकर्ताओं एवं चयन किया जाये।

कार्यक्रम संचालन के हित में 58 वर्ष से अधिक आयु की कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं को मानदेय सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया जा सकता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लगनशील एवं उत्साही होने की स्थिति में कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के कार्य की समीक्षा कर गुणदोष के आधार पर उन्हें 62 वर्ष की आयु तक निरन्तर रखे जाने पर निर्णय निम्नानुसार गठित समिति द्वारा लिया जावे :—

1-	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्	-अध्यक्ष
2-	उप निदेशक (आईसीडीएस)	-सदस्य सचिव

3- सम्बन्धित पंचायत समिति के विकास अधिकारी -सदस्य

4- सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी -सदस्य

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका की ग्राम सभा/विभागीय अधिकारियों द्वारा दोषी पाया जाता है अथवा ग्राम सभा इन्हें हटाने का प्रस्ताव पारित करती है तो बाल विकास परियोजना अधिकारी/पर्यवेक्षक द्वारा उस केन्द्र की विशेष रूप से जांच एवं निगरानी की जावे एवं कार्यकर्ता को 1-1 माह के अन्तराल पर कार्य में सुधार हेतु 2 नोटिस दिये जावें। जिसकी प्रति ग्राम सभा को भी पृष्ठांकित की जावे। सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के कार्य में फिर भी सुधार नहीं होने की स्थिति में कार्यकर्ता को मानदेय सेवा से पृथक किया जा सकेगा। मानदेय सेवा से हटायी गई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका 15 दिवस के अन्दर सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी को हटाये जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकती है। बाल विकास परियोजना अधिकारी प्राप्त अभ्यावेदन का विकास अधिकारी के स्तर से 15 दिवस में निस्तारण कराने के लिए जिम्मेदार होंगे। विकास अधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद का निर्णय अंतिम होगा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्राप्त अभ्यावेदन का आगामी 15 दिवस में निस्तारण करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इस एक माह की अवधि के दौरान अन्य कार्यकर्ता/ सहायिका का चयन नहीं किया जा सकेगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं राज्य कर्मचारी नहीं होकर मानदेय पर हैं। इनके द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जा रही सेवाओं के पारिश्रमिक स्वरूप भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार मानदेय का भुगतान किया जाता है। ये पूर्णत: अस्थाई एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने वाली कार्यकर्ता हैं। अत: इनके चयन हेतु जारी किये जाने वाले आदेशों में नियुक्ति, राज्य कर्मचारी, वेतन आदि शब्द प्रयुक्त नहीं किये जाये।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे।

ह./-

निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव

साइकिलिंग/पोलो साइकिल को विद्यालय खेलों का दर्जा

146. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार साइक्लिंग, पोलो साइकिल को स्कूली गेम में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) प्रदेश में कितने खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर साइक्लिंग खेल में पदक जीते एवं भाग लिया है? खिलाड़ी का नाम, खेल का नाम, जिला सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान में स्कूली शिक्षा के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं के खेलकूद पंचाग में साइक्लिंग, पोलो साइकिल खेल को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद फेडरेशन की विषय सूची में सम्मिलित नहीं है।

(2) विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

परिशिष्ट "क"

साइक्लिंग के अन्तरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सूची

साइक्लिंग के अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	प्रतियोगिता का नाम	जिला
1	**2**	**3**	**4**
1.	श्री राजेन्द्र विश्नोई	वर्ष 2010 में आयोजित 11वें दक्षिण-एशियाई खेल, ढाका में स्वर्ण पदक व वर्ष 2010 में दिल्ली के राष्ट्रमण्डल व ग्वांग्झू (चीन) के एशियाई खेलों में भारतीय टीम में चयन	बीकानेर
2.	पाना चौधरी	वर्ष 2010 में दिल्ली के राष्ट्रमण्डल व ग्वांग्झू (चीन) एशियाई खेलों में भारतीय टीम में चयन	बीकानेर
3.	श्री दयालाराम सहारण	वर्ष 2010 में दिल्ली के राष्ट्रमण्डल खेलों में भारतीय टीम में चयन	बीकानेर

1	2	3	4
4.	श्री गणेश लाल सुथार	वर्ष 1978 में बैंकॉक में आयोजित एशियन गेम्स में भारतीय टीम में चयन	बीकानेर
5.	श्री धेनुपाल सिंह	कोलंबो (श्रीलंका) में आयोजित इंडो-शिलॉन मीट में स्वर्ण पदक	बीकानेर
6.	श्री नरेन्द्र सिंह ओझा	पटियाला में आयोजित इंडो-बांग्ला मीट में स्वर्ण पदक	बीकानेर
7.	श्री गिरिराज रंगा	दिल्ली में आयोजित एशियाड, रोम में आयोजित वर्ल्ड स्टेज रोड-रेस व मनीला में आयोजित अंतरराष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता में भारतीय टीम में चयन	बीकानेर
8.	श्री अमरसिंह	रोम में आयोजित वर्ल्ड स्टेज रोड-रेस व मनीला में आयोजित अंतरराष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता में भारतीय टीम में चयन	अजमेर
9.	श्रीमती चंद्रिका गोयल	मनीला में आयोजित अंतरराष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता में भारतीय टीम में चयन	जयपुर
10.	जयश्री भाटी	मनीला में आयोजित अंतरराष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता में भारतीय टीम में चयन	बीकानेर
11.	श्री गंगाधर	रोम में आयोजित अंतरराष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता में भारतीय टीम में चयन	बीकानेर
12.	श्री भवानी सिंह	1985-86 में मिश्र में आयोजित अंतरराष्ट्रीय साइक्लिंग मीट में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व	जयपुर
13.	श्री फतेह सिंह	1985-86 में मिश्र में आयोजित अंतरराष्ट्रीय साइक्लिंग मीट में भारतीय टीम के कप्तान रहे व 1986 में जर्मनी में वर्ल्ड रेलवे साइक्लिंग प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व	जयपुर

साइक्लिंग के राष्ट्रीय खिलाड़ी

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	प्रतियोगिता का नाम	जिला
1	2	3	4
1.	श्री माणक चन्द	वर्ष 1967-68 में आयोजित राष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण एवं पटियाला में इसी वर्ष आयोजित राष्ट्रीय जूनियर साइक्लिंग प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण, 2 रजत व 2 कांस्य	बीकानेर
2.	श्री पुरुषोत्तम हर्ष	वर्ष 1967-68 में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर साइक्लिंग प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण, 1 रजत	बीकानेर
3.	श्री रामकुमार जोशी	वर्ष 1968-69 में दिल्ली में आयोजित 160 कि.मी. रोड रेस में स्वर्ण पदक एवं इसी वर्ष कलकत्ता में वी.सी. राय चैलेंज कप प्रतियोगिता में रजत पदक	बीकानेर
4.	श्री राजेन्द्र विश्नोई	पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता 2005-06 में 1 स्वर्ण, 1 रजत पदक गुवाहाटी में 33वें राष्ट्रीय खेल 2006-07 में 2 कांस्य पदक अमृतसर में आयोजित सीनियर नेशनल ट्रैक साइक्लिंग प्रतियोगिता 2011-12 में 2 स्वर्ण, 1 कांस्य पदक मुजफ्फरपुर (बिहार) में वर्ष 2012 में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण	बीकानेर
5.	श्री दयालाराम जाट	पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता 2005-06 में 1 रजत, 1 कांस्य पदक	बीकानेर
		गुवाहटी में 33वें राष्ट्रीय खेल 2006-07 में कांस्य पदक	

1	2	3	4
6.	श्री पतराम जाट	गुवाहाटी में 33वें राष्ट्रीय खेल 2006-07 में 1 रजत, 1 कांस्य पदक	बीकानेर
7.	श्री शिवराम चौधरी	गुवाहाटी में 33वें राष्ट्रीय खेल 2006-07 में कांस्य पदक	बीकानेर
8.	श्री राकेश कुमार	गुवाहाटी में 33वें राष्ट्रीय खेल 2006-07 में 1 रजत, 1 कांस्य पदक	हनुमानगढ़
9.	श्री श्रवण कुमार	गुवाहाटी में 33वें राष्ट्रीय खेल 2006-07 में कांस्य पदक	बीकानेर
10.	श्री सागरमल विश्नोई	गुवाहाटी में 33वें राष्ट्रीय खेल 2006-07 में 2 कांस्य पदक	बीकानेर
11.	श्री दयाराम	गुवाहाटी में 33वें राष्ट्रीय खेल 2006-07 में कांस्य पदक	बीकानेर
12.	पाना चौधरी	मुजफ्फरपुर (बिहार) में वर्ष 2012 में आयोजित 1 7वीं राष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता में 1 रजत	बीकानेर
13.	श्री सुरेश विश्नोई	मुजफ्फरपुर (बिहार) में वर्ष 2012 में आयोजित 17वीं राष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता में 1 कांस्य	बीकानेर
14.	श्री ललित छंगाणी	वर्ष 1974-75 में त्रिवेन्द्रम में आयोजित राष्ट्रीय साइक्लिंग प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण 1 रजत	बीकानेर
15.	श्री राधाकिशन छंगाणी	वर्ष 2001 में बीकानेर में आयोजित जूनियर साइक्लिंग प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 1 रजत व 1 कांस्य	बीकानेर
16.	श्री लक्ष्मण व्यास	वर्ष 2001 में बीकानेर में जूनियर साइक्लिंग प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण व 1 रजत	बीकानेर

1	2	3	4
17.	श्री पदम सिंह	वर्ष 1993-94 में लुधियाना (पंजाब) में आयोजित 1000 मी. मॉस स्टार्ट प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण	जयपुर
18.	कु. गांधारी गिताई	वर्ष 1983 में पटियाला में आयोजित 3000 मी. टीम परस्यूट प्रतियोगिता में 1 स्वर्ण	जयपुर
19.	विजयलक्ष्मी शर्मा	वर्ष 1985 में बेंगलुरू में आयोजित 3000 मी. व्यक्तिगत परस्यूट प्रतियोगिता में 1 रजत	जयपुर

बामनवास के निगम सेवा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालय

147. श्री नवलकिशोर (बामनवास) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार की सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालन की योजना प्रस्तावित है?

(2) विधान सभा क्षेत्र बामनवास की किन-किन ग्राम पंचायतों में राज्य पथ परिवहन निगम बसें वर्तमान में संचालित हैं एवं किन-किन ग्राम पंचायत मुख्यालयों हेतु उक्त सुविधा नहीं है? तहसीलवार एवं ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में सुविधा से वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों में निगम बस सेवा संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विधान सभा क्षेत्र एवं तहसील बामनवास में वर्तमान में निगम द्वारा जिन-2 ग्राम पंचायतों के लिए बस सेवा संचालित की जा रही है तथा जो ग्राम पंचायतें बस सेवा से वंचित हैं उनकी सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(3) जी हां। राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा संचालन की दृष्टि से दिनांक 17.11.2012 को निविदाऐं आमंत्रित की गई थीं। परन्तु निविदादाता नहीं आने के कारण पुन: निविदाऐं दिनांक 14.02.2013 को आमंत्रित की गई हैं। जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 30.4.2013 है।

परिशिष्ट-1

बामनवास जिला सवाई माधोपुर में स्थित कुल ग्राम पंचायतों, निगम सेवा से जुडी एवं बस सेवा से नहीं जुडी हुई ग्राम पंचायतों की सूची

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	निगम सेवा से जुडी ग्राम पंचायतें	बस सेवा से वंचित ग्राम पंचायतें
1	**2**	**3**	**4**
1.	बामनवासकला	बामनवासकला	चांदनहोली
2.	बामनवास खुर्द	बामनवास खुर्द	बिछोछ
3.	पिपलाई	पिपलाई	फूलवाडा
4.	खेडी	खेडी	सूंदरी
5.	डाबर	डाबर	बरनाला
6.	सीतोड	सीतोड	सांचोली
7.	कायेला	कायेला	बाटोदा
8.	जाहरा	जाहरा	जीवद
9.	गुजरबडोदा	गुजरबडोदा	ककराला
10.	डूंगरवाडा	डूंगरवाडा	लिवाली
11.	बिछपुरी	बिछपुरी	नारोलीचोड
12.	रिवाली	रिवाली	सुमेल
13.	सुकार	सुकार	शफीपुरा
14.	भावॅरा	भावॅरा	गण्डाल
15.	अमावरा	अमावरा	रानीला
16.	चांदनहोली	**जुडी हुई-15**	मीणा कोलेता
17.	बिछोछ		कोहली प्रेमपुरा
18.	फूलवाडा		मोरपा
19.	सूंदरी		गोठ

1	2	3	4
20.	बरनाला		बेराड
21.	सांचोली		बिनजारी
22.	बाटोदा		**नहीं जुडी हुई-21**
23.	जीवद		
24.	ककराला		
25.	लिवाली		
26.	नारोलीचोड		
27.	सुमेल		
28.	शफीपुरा		
29.	गण्डाल		
30.	रानीला		
31.	मीणा कोलेता		
32.	कोहली प्रेमपुरा		
33.	मोरपा		
34.	गोठ		
35.	बेराड		
36.	बिनजारी		
	कुल-36		

जैसलमेर शहर का अपूर्ण सीवर लाइन कार्य

148. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जैसलमेर शहर में सीवरेज लाइन का कार्य कब से चल रहा है? उक्त कार्य की स्वीकृति कब व कितनी राशि की हुई व किस फर्म को उसका

(श्री छोटू सिंह भाटी)

कार्य दिया गया है? क्या यह सही है कि जैसलमेर में आज तक उक्त सीवरेज लाइन के कारण जगह-जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो उक्त कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा कब तक है? सरकार द्वारा समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त सीवरेज लाइन से जैसलमेर का बरसाती पानी भी बाहर निकलेगा? यदि हां, तो उक्त सीवरेज लाइन की मुख्य लाइन में कितने इंच का पाइप लगाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना (आर यू आई डी पी) के अन्तर्गत जैसलमेर शहर में सीवरेज लाइन का कार्य दिनांक 11.08.2008 से चल रहा है। उक्त कार्य की स्वीकृति दिनांक 18.07.2008 को राशि रु. 2508.47 लाख की हुई। यह कार्य मैसर्स एस.एम.एस. पर्यावरण लि. को दिया गया है। सीवर लाइन को डाले जाने के लिये सड़क क्षतिग्रस्त होती है। 28 कि.मी. सीवर लाइन डालने के लिये लगभग 20.96 कि.मी. सड़क काटी गई थी। इसमें से 18.76 कि.मी. सडक की मरम्मत की जा जा चुकी है लगभग 2200 मीटर सड़को का मरम्मत कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में मुख्य सड़क नगरपालिका के सामने व जयनारायण व्यास कालोनी में डामर कर सड़क मरम्मत कर दी गई है। शहर के भीतरी भाग में मेघवाल पाडा, दर्जी पाडा, पटवा हवेली के पास का क्षेत्र जगानी पाडा में पत्थर के फर्श रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है। उक्त कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा 10.02.2011 तक थी। कार्य में देरी के लिये सम्बन्धित फर्म के विरुद्ध 10 प्रतिशत शास्ती (राशि रु. 250.84 लाख) लगाई गई है।

(2) जी नहीं।

शराब/डोडा पोस्त बिक्री लाइसेन्स हेतु निर्धारित अवधि

149. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वर्तमान में अंग्रेजी व देशी मदिरा के कितने-कितने विक्रय केन्द्र संचालित हो रहे हैं? नान कम्पोजिट देशी मदिरा दुकानें, कम्पोजिट दुकानें,

(श्री ओम बिरला)

भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर दुकानें, रेस्टोरेन्ट व बीयर बार का पृथक-पृथक जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक देशी मदिरा व भारत निर्मित विदेशी मदिरा के उठाव/खपत में कितनी वृद्धि हुई तथा इससे कितना-कितना राजस्व प्राप्ति हुआ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में शराब की दुकानें आबंटित करने के लिए अन्तिम बार लाटरी एवं डोडा पोस्त की निविदाएं किस वर्ष निकाली गई तथा उक्त लाटरी, निविदा में कितने वर्ष तक अनुज्ञप्ति दिए जाने का उल्लेख किया गया था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त लाइसेंसधारियों को शराब बेचने/डोडा पोस्त बेचने की अनुमति निरन्तर बढाई जा रही है? यदि हां, तो बढ़ाए जाने के कारण व शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की 1000 व देशी मदिरा (कम्पोजिट एवं नान कम्पोजिट दुकानों सहित) की 6632 दुकानें संचालित हैं जिनका जिलेवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-1 व 2 पर उपलब्ध है। वर्तमान में राज्य में राजस्थान आबकारी (ग्रान्टम आफ रेस्टोरेन्ट बार लाइसेंसेज) नियम, 2004 के तहत कुल 95 रेस्टोरेंट बार संचालित हैं, जिनका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। राजस्थान आबकारी नियमों में केवल 'बीयर बार' की श्रेणी में पृथक से अनुज्ञा जारी करने का प्रावधान नहीं है।

(2) प्रदेश में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक देशी मदिरा व भारत निर्मित विदेशी मदिरा के उठाव/खपत में वृद्धि एवं राजस्व का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(3) प्रदेश में शराब की दुकानें आबंटित करने के लिये लाटरी एवं डोडा पोस्त के विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र स्वीकृत करने हेतु अंतिम बार आवेदन पत्र माह फरवरी, 2011 में आमंत्रित किये गये थे तथा उक्त आवेदन आमंत्रण में एक वर्ष (2011-12) हेतु अनुज्ञप्ति दिये जाने का उल्लेख किया गया था। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिये घोषित आबकारी एवं मद्यसंयम नीति के अनुसार देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर एवं डोडा पोस्त अनुज्ञाधारियों को निर्धारित शर्तों पर नवीनीकरण का विकल्प प्रदान किया गया है।

(आबकारी मंत्री)

(4) राज्य सरकार द्वारा घोषित आबकारी एवं मद्यसंयम नीति वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के बिन्दु संख्या 1.1 के अनुसार देशी मदिरा, बिन्दु संख्या 2.1 के अनुसार भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर तथा बिन्दु संख्या 5.1 के अनुसार डोडा पोस्त अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के लिये नवीनीकरण का विकल्प निर्धारित शर्तों पर प्रदान किया गया।

नवीनीकरण से शेष रही देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर एवं डोडापोस्त समूहों के लिये नवीन आवेदन आमंत्रित कर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाटरी प्रणाली से आबंटन का प्रावधान किया गया।

यह निर्णय आबकारी राजस्व में निश्चित बढ़ोतरी के साथ समुचित वृद्धि हो, को ध्यान में रखते हुये किया गया है। आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की प्रति परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शिक्षा का हक योजनान्तर्गत संग्रहित सूचनाएं

150. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा का हक कार्यक्रम नाम से एक योजना का क्रियान्वयन किया गया है? यदि हां, तो उक्त योजना का क्रियान्वयन किस-किस जिले में कब-कब किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत सरकार को किस-किस प्रकार की सूचनाएं अपेक्षित थीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो अब कब तक पूर्ण हो जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना के तहत सरकार द्वारा जो भी सूचनाएं एकत्रित करवाई गई हैं वही सूचनाएं प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान आदि योजनाओं के तहत भी एकत्रित की जाती हैं? यदि हां, तो, फिर उक्त योजना से क्या लाभ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(5) उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार द्वारा कितनी राशि व्याय की गई? जिलेवार, मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के सभी 33 जिलों में 4 दिसम्बर, 2012 से "शिक्षा का हक" अभियान प्रारम्भ किया गया है। जिलेवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त अभियान के तहत संलग्न प्रपत्र परिशिष्ट "ख" के अनुसार नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 से सम्बन्धित सूचनाओं पर चर्चा एवं संवाद अपेक्षित हैं।

(3) जी नहीं। एक चरण हो गया है। वर्तमान में उक्त अभियान स्थगित है। पुन: शुरू होने पर अग्रिम कार्यवाही हेतु स्टेट वर्किंग ग्रुप की बैठक के पश्चात निर्णय लिया जा सकेगा।

(4) इस अभियान में मात्र सूचनाएं एकत्रित न की जाकर नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का प्रचार-प्रसार तथा जन जागरण किया जा रहा है। सूचना प्रपत्र के प्रत्येक बिन्दु पर अध्यापकों, संस्था प्रधानों, बच्चों एवं एस.एम.सी. सदस्यों द्वारा जन साधारण से चर्चा/संवाद किया जाना अपेक्षित है।

(5) उक्त अभियान अभी पूर्ण नहीं हुआ है। अत: व्यय की गई राशि की जिलेवार एवं मदवार विवरण अभियान के पूर्ण होने पर भुगतान किये जाने के उपरान्त प्राप्ति हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बकानी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (झालावाड़) का मुख्यालय

151. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बकानी का संचालन बकानी उप तहसील में न होकर जिला मुख्यालय झालावाड़ स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन में हो रहा है? यदि हां, तो स्थानान्तरण के कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त संस्थान में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं? गत दो वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अनिल जैन)

(3) क्या सरकार उक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को बकानी में स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक कितने निजी व सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अनुदान/सहायता/भूमि उपलब्ध कराई गई? संस्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आईटीआई बकानी का संचालन बकानी उप तहसील में न होकर जिला मुख्यालय झालावाड़ स्थित आईटीआई में किया जा रहा है।

आईटीआई बकानी के भवन का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था। संस्थान के भवन में निर्माण समय से ही जगह-जगह दरारें आ गई। निर्माण कार्य त्रुटिपूर्ण होने के कारण चार-पांच वर्ष की अल्प अवधि में ही भवन का एक भाग असमय दिनांक 7.8.06 को ध्वस्त हो गया। तत्समय प्रशिक्षण की वैकल्पिक व्यवस्था के लिये भवन की तलाश की गई परन्तु एनसीवीटी के मापदण्ड अनुसार भवन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण छात्र हित में आईटीआई, बकानी में संचालित तीन व्यवसायों में प्रशिक्षण 44 किलोमीटर दूर आईटीआई झालावाड़ के भवन में संचालित किया जा रहा है।

(2) वर्तमान में उक्त संस्थान में वैल्डर व्यवसाय में 13, फिटर में 21 एवं इलेक्ट्रीशियन में 21 कुल 55 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। गत दो वर्षों का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। उक्त संस्थान के क्षतिग्रस्त भवन की राजस्थान टैक्नीकल यूनीवर्सिटी द्वारा गठित कमेटी द्वारा स्टक्चरल जांच की गई। कमेटी की रिपोर्ट अनुसार पूर्व निर्मित भवन, संस्थान संचालन योग्य नहीं पाया गया, प्रति परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

अत: निर्णय लिया गया कि उक्त भवन को अन्य किसी विभाग को हस्तान्तरित किया जावे तथा नवीन भवन निर्मित किया जावे। इस हेतु जिला कलक्टर झालावाड़ को क्षतिग्रस्त भवन को किसी अन्य विभाग को हस्तावन्तारण एवं नवीन भूमि आबंटन हेतु दिनांक 14.09.2012 को निर्देशित किया किया। प्रति परिशिष्ट-3 व 4 पर उपलब्ध है।

(4) सरकार द्वारा जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक निजी आई टी

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

आई को भूमि उपलब्ध कराई गई। संस्थानवार विवरण परिशिष्ट-5 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितताओं के दर्ज प्रकरण

152. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में आई.ए.एस. और आर.ए.एस. अधिकारियों के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें से वर्तमान में कितने-कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में प्रदेश में कार्यरत किन-किन आई.ए.एस. और आर.ए.एस. अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अथवा अन्य एजेंसीज में किस प्रकार के मामले दर्ज हैं और अनुसंधान जारी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न प्रकरणों की जांच लम्बित होते हुए भी कतिपय अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दी हुई है? यदि हां, तो किन-किन को और क्यों? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आई.ए.एस. और आर.ए.एस. अधिकारियों के स्वीकृत पदों एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "ए" के रूप में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) राज्य में वर्तमान में कार्यरत आई.ए.एस. और आर.ए.एस. अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अथवा अन्य एजेंसीज में दर्ज मामलों का विवरण निम्नानुसार है:-

1. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रकरण (आई.ए.एस. एवं आर.ए.एस.) क्रमश: परिशिष्ट "बी-1" एवं "बी-2"
2. सीबीआई के प्रकरण (आई.ए.एस.) परिशिष्ट "सी"
3. विभागीय जांच एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रकरण (आई.ए.एस. एवं आर.ए.एस.) परिशिष्ट "डी" जो निम्नानुसार है: -

(कार्मिक मंत्री)

आईएएस अधिकारी

प्रस्ताव स्तर पर परिशिष्ट "डी-1"

नियम-10 के तहत परिशिष्ट "डी-2"

नियम-8 के तहत परिशिष्ट "डी-3"

आर.ए.एस. अधिकारी

प्रस्ताव स्तर पर परिशिष्ट "डी-4"

सीसीए नियम-17 के तहत परिशिष्ट "डी-5"

सीसीए नियम-16 के तहत परिशिष्ट "डी-6"

4. विभिन्न थानों में दर्ज विभिन्न प्रकरण (आई.ए.एस.) परिशिष्ट "ई"

5. विभिन्न थानों में दर्ज विभिन्न प्रकरण (आर.ए.एस.)- परिशिष्ट "एफ"

उक्त सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सरकार का यह प्रयास रहा है कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध 16 सीसीए के तहत जांच में दण्डादेश हो चुका है या जांच लम्बित है उन्हें फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाए, किन्तु प्रशासनिक अधिकारियों की कमी के कारण कतिपय प्रकरणों में कुछ अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दी गई है ताकि जनहित में विभागीय कार्य/प्रोजेक्ट सुचारु रूप से संचालित हो सके। जांच लम्बित रहते हुए जिन आई.ए.एस. एवं आर.ए.एस. अधिकारियों को फील्ड पोस्टिंग दी हुई है उनकी सूची क्रमश: परिशिष्ट "जी" एवं परिशिष्ट "एच" के रूप में सदन की मेज पर रख दी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजगढ़ (अलवर) में कृषि उपज मण्डी हेतु निर्मित भवन

153. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि राजगढ़ (अलवर) में कृषि उपज मण्डी का भवन बना हुआ है? यदि हां, तो सरकार उक्त भवन को कब तक प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, अलवर के गौणमण्डी यार्ड राजगढ़ के प्रांगण में कार्यालय भवन, आन्तरिक सड़क, चैकपोस्ट,, क्योस्क, प्याऊ, शौचालय,

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

स्ट्रीट लाइट एवं चारदीवारी निर्मित है। गौणमण्डी प्रांगण राजगढ में चिन्हित 36 भूखण्डों में से 22 भूखण्ड 99 वर्षीय लीज पर आबंटित कर दिनांक 13.10.2005 को व्यापारियों को कब्जा दिया गया है तथा निर्माण पश्चात् दिनांक 11.11.2012 को व्यापार स्थानान्तरित होकर नियमित रूप से विज्ञप्ति कृषि जिन्सों का क्रय-विक्रय हो रहा है।

जन प्रतिनिधियों के पत्रों के उत्तर देने हेतु जारी दिशा-निर्देश

154. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री/मुख्य सचिव ने समय-समय पर निर्देश जारी किये हैं कि जन प्रतिनिधियों के पत्रों का उत्तर उन्हें दिया जावे? यदि हां, तो परिपत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में जिला बीकानेर के किन-किन पर्यावरण अधिकारियों को क्षेत्रीय विधायक कोलायत द्वारा कब-कब पत्र लिखा गया और उस पर कब, क्या कार्यवाही की गई तथा उत्तर पत्र कब भेजा गया? प्राप्त पत्र की प्रति, उत्तर की प्रति एवं उस पर कब क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा पत्र का उत्तर नहीं देने के क्या कारण रहे और क्या सरकार द्वारा उत्तर नहीं देने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर आरोप पत्र दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। मुख्य सचिव स्तर से माननीय जन प्रतिनिधियों के पत्रों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 19.07.2001, 10.06.2009, 31.08.2009, 20.10.2010 एवं 18.05.2012 की प्रतियां परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) गत दो वर्षों में पर्यावरण विभाग के नियंत्रणाधीन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी को नेवली लिग्नाइट पावर परियोजना की हाडला स्थित खनन परियोजना के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु आयोजित जन सुनवाई दिनांक 27.01.2011 एवं 04.05.2011 में माननीय विधायक कोलायत द्वारा जन सुनवाई अधिकारी (जो कि जिला कलक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि जो कि अति. जिला कलक्टर के

(पर्यावरण मंत्री)

स्तर से नीचे का नहीं होता) को सम्बोधित पत्र की एक-एक प्रति दी गई। प्राप्त पत्र/ज्ञापनों पर राज्य मण्डल द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) माननीय विधायक द्वारा जन सुनवाई अधिकारी को प्रेषित पत्रों का उत्तर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के पत्र दिनांक 07.07.2011 के द्वारा माननीय विधायक महोदय को दिया गया है। पत्र की प्रति संलग्नक-2 के पृष्ट 17 पर उपलब्ध है। अत: किसी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रम अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद

155. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) श्रम अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को नई भर्तियों एवं पदोन्नति से भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार सीकर, झुंझुनूं, चूरू तीनों स्थानों पर एक ही अधिकारी के होने से श्रमिकों को हो रही परेशानी का समाधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत/रिक्त पदों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) अधिकारियों के रिक्त पदों को नई भर्तियों से भरने हेतु श्रम कल्याण सेवा नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों की पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन किया जा चुका है। पदोन्नत अधिकारियों/कर्मचारियों को पदस्थापन करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) अधिकारियों की पदोन्नति समिति की बैठक का आयोजन दिनांक

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

2.3.2013 को किया जा चुका है। समिति की सिफारिश के अनुरूप पदोन्नत अधिकारियों को शीघ्र ही रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जाएगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गई)

स्टार लाइन/सुपर फास्ट बसों में वरिष्ठ नागरिकों को रियायत

156. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित सामान्य बसों में जिस प्रकार वरिष्ठ नागरिकों को 30 प्रतिशत की रियायत दी जाती है क्या उसी प्रकार स्टार लाइन एवं अन्य सुपर फास्ट बसों में भी सरकार रियायत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों में वरिष्ठ नागरिकों (उम्र 60 वर्ष एवं अधिक) को वर्तमान में यात्री किराया राशि में 30 प्रतिशत रियायत दी जा रही है। स्टार लाइन एवं इससे उच्च श्रेणी की बसों यथा: सेमी डीलक्स, डीलक्स, वातानुकूलित बसों में वर्तमान में निगम की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत रियायती यात्रा सुविधा देने का विचार नहीं है।

बारां जिले में निर्मित/निर्माणाधीन सुलभ शौचालय

157. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) व **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (अन्ता) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 की अवधि में किस-किस नगरपालिका एवं नगर परिषद की किस-किस बस्ती में सुलभ शौचालय कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नगरपालिका व परिषद क्षेत्रों की किन-किन बस्तियों में कितनी-कितनी लागत के सुलभ शौचालय निर्माणाधीन हैं एवं इन्हें कब तक पूर्ण कराया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नगरपालिका व परिषद् क्षेत्रों में किन-किन बस्तियों में कितनी-कितनी लागत से सुलभ शौचालय के निर्माण कितनी-कितनी राशि से पूर्ण हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री पानाचन्द)

(4) उक्त नगरपालिका व परिषद क्षेत्रों की किन-किन बस्तियों में कितनी-कितनी लागत के सुलभ शौचालय के स्वीकृत कार्य अब तक किन-किन कारणों से प्रारम्भ नहीं हुए हैं एवं किस स्तर पर लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से जनवरी 2013 की अवधि में नगर परिषद, बारां एवं नगरपालिका छबड़ा में स्वीकृत हुए सुलभ शौचालयों का विवरण परिशिष्ट "ए-1" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है। नगरपालिका अन्ता व मांगरोल में उक्त समयावधि में सुलभ शौचालय हेतु कोई राशि स्वीकृत नहीं हुई है।

(2) बारां जिले में उक्त अवधि में नगर परिषद, बारां में निर्माणाधीन सुलभ शौचालयों की लागत व पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का विवरण परिशिष्ट "ए-2" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है। शेष नगर पालिकाओं में सुलभ शौचालय निर्माणाधीन नहीं है।

(3) बारां जिले में नगर परिषद, बारां व नगरपालिका छबड़ा में उक्त अवधि में पूर्ण हो चुके सुलभ शौचालय मय लागत के विवरण परिशिष्ट "ए-3" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) बारां जिले की नगरपालिकाओं में से मात्र नगर परिषद, बारां के स्वीकृत सुलभ शौचालयों का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है का राशिवार एवं कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण सहित विवरण परिशिष्ट "ए-4" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर जिले में खनन रायल्टी से प्राप्त राशि से विकास कार्य

158. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के बाड़मेर जिले में विभिन्न स्थानों पर पैट्रोलियम पदार्थ निकला है? यदि हां, तो अब तक कितना पैट्रोलियम निकाला गया है व उससे प्रदेश को कितनी रायल्टी प्राप्त हुई है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(कर्नल सोनाराम चौधरी)

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्राप्त रायल्टी की 3 प्रतिशत राशि स्थानीय विकास में लगाने का प्रावधान किया है? यदि हां, तो जिला बाड़मेर में अब तक कितनी राशि कहां व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रायल्टी से प्राप्त आय में से हिस्सा बढ़ाकर अन्तरराष्ट्रीय मानदण्डों अनुसार 10 से 15 प्रतिशत तक कर बाड़मेर जिले की पेयजल समस्या के समाधान एवं पर्यावरण नियंत्रण कार्य पर व्यय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना और कब तक?

उत्तर

(1) जी हां । खनिज तेल के उत्पादन आरम्भ दिनांक 29.08.2009 से माह जनवरी, 2013 तक वर्षवार उत्पादन एवं प्राप्त रायल्टी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	वर्ष	उत्पादन लाख टन में	रायल्टी करोड़ रुपये में
1	2009-10	4.39	100.37
2	2010-11	50.65	1603.47
3	2011-12	69.35	3410.29
4	2012-13 (माह जनवरी, 2013 तक)	67.59	4208.20

(2) पैट्रोलियम पदार्थों के दोहन से प्राप्त रायल्टी का 3% अंश स्थानीय विकास हेतु व्यय करने का प्रस्ताव चतुर्थ वित्त आयोग के अंतिम प्रतिवेदन हेतु विचाराधीन है और वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) पैट्रोलियम पदार्थों के दोहन से प्राप्त रायल्टी का 3 प्रतिशत अंश स्थानीय विकास हेतु व्यय करने के विचाराधीन प्रस्ताव पर चतुर्थ वित्त आयोग के अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर तद्अनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी।

शिक्षा के अधिकार के तहत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु व्यय राशि

159. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के तहत वर्ष 2011-12 से 2012-13 में निजी विद्यालयों में कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया? जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) शिक्षा के अधिकार कानून लागू होने के उपरान्त राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधायें (खेल, मैदान, शौचालय, कक्षा-कक्ष) उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये तथा कितने-कितने भौतिक संसाधनों का निर्माण किया गया? जिलेवार व वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भौतिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने विगत तीन वर्षों में कितनी राशि आबंटित की तथा कितनी राशि व्यय की? जिलेवार एवं वर्षवार आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के तहत वर्ष 2011-12 से 2012-13 में निजी विद्यालयों में कितने बच्चों को प्रवेश देने हेतु आदेश जारी किये गये एवं कितने निजी विद्यालयों ने आदेश की पालना की और पालना नहीं करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर प्रवेश नहीं दिये जाने के कारण शिक्षा सत्र 2011-12 में प्रवेश शून्य ठहराये गये। शिक्षा सत्र 2012-13 में प्रवेशित बालकों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के उपरान्त राज्य के राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निम्नानुसार भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं:-

(शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	**गतिविधि**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**
1	शौचालय	8182	2504	823
2	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	3713	6253	4059
3	पेयजल सुविधा	2086	756	221
4	चारदिवारी	12	6529	3486
5	प्रधानाध्यापक कक्ष	5081	4797	690
	योग	**19074**	**20839**	**9279**

जिलेवार, वर्षवार व गतिविधिवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत मदवार राशि का हस्तान्तरण नहीं किया जाता है। राशि का हस्तान्तरण सम्बन्धित जिले की बजट की अधिकतम सीमा के अध्यधीन 2-3 किश्तों में किया जाता है। भौतिक सुविधाओं यथा-शौचालय, कक्षा-कक्ष इत्यादि कार्य सिविल गतिविधि के अन्तर्गत करवाये जाते हैं। जिलेवार व वर्षवार आबंटित राशि एवं व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट ब व स पर संलग्न है।

(4) शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 12(1)(ग) के तहत गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक में कुल प्रविष्ट बालकों की संख्या का न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश दिये जाने का प्रावधान है इसके लिये विद्यालयवार पृथक से कोई आदेश विभाग द्वारा जारी नहीं किये गये।

शिक्षा सत्र 2011-12 में संस्थाओं द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून तथा निर्धारित प्रक्रिया की पालना किये बिना प्रवेश दिये जाने के कारण प्रवेश शून्य ठहराये गये।

शिक्षा सत्र 2012-13 में नियमों की पालना में प्रवेश देने वाले तथा प्रवेश नहीं देने वाले विद्यालयों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

जिन गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा नियमों की पालना नहीं की गई है उन्हें सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किये गये हैं, संस्था से प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर उसका परीक्षण कर नियमान्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलपुर में उप अधीक्षक ग्रामीण कार्यालय हेतु भवन

160. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा धौलपुर विधान सभा क्षेत्र में उप अधीक्षक, पुलिस ग्रामीण का कार्यालय एवं महिला थाने का भवन निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो उक्त भवन निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ करवा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन निर्माण हेतु भूमि चिह्नित हो चुकी है? यदि हां, तो कहां?

उत्तर

(1) जी हां। जिला धौलपुर में नव सृजित पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण के कार्यालय भवन निर्माण हेतु कस्बा सैपउ में 0.10 बीघा भूमि आबंटित की जा चुकी है तथा महिला पुलिस थाना धौलपुर के लिये भूमि आबंटित कराये जाने हेतु जिला कलक्टर व नगर परिषद धौलपुर कार्यालय में कार्यवाही विचाराधीन है। पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण धौलपुर के भवन निर्माण हेतु बजट उपलब्धता के आधार पर राशि आबंटित की जावेगी।

(2) पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण धौलपुर के भवन निर्माण हेतु 0.10 बीघा भूमि कस्बा सैपउ में आबंटित की जा चुकी है तथा महिला पुलिस थाना धौलपुर के लिये भूमि आबंटित कराये जाने हेतु जिला कलक्टर व नगर परिषद धौलपुर कार्यालय में कार्यवाही विचाराधीन है।

जयपुर की मुहाना मण्डी के प्लेटफार्म निर्माण पर व्यय राशि

161. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर की मुहाना मण्डी में प्लेटफार्म बनाने पर पिछले तीन वर्ष में कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्लेटफार्म बनाने में घटिया निर्माण सामग्री काम में लिये जाने की शिकायत पर जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट तथा जांच में कौन-कौन दोषी पाये गये और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर की मुहाना मण्डी में प्लेटफार्म निर्माण के कार्यों पर पिछले तीन वर्षों में कोई राशि व्यय नहीं की गई है।

(2) जी हां। प्लेटफार्म बनाने में घटिया निर्माण सामग्री लिये जाने की शिकायत पर जांच करवाई गई थी। टर्मिनल मार्केट मुहाना के विभिन्न कार्यों की जांच अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जोन-द्वितीय के द्वारा की गई है, इस जांच की रिपोर्ट के पृष्ठ 6,7 व 8 पर ढके हुये नीलामी चबूतरे के निर्माण के सम्बन्ध में रिपोर्ट परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है। जांच रिपोर्ट पर निर्णय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(जांच रिपोर्ट पुस्तकालय में रखी गई)

बहरोड़ (अलवर) में औद्योगिक प्रदूषण से प्रभावित फसलों का मुआवजा

162. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अम्बे लेबोरेट्री तथा श्रीनाथ लाइफ लाइन कैमिकल फैक्ट्री, औद्योगिक क्षेत्र सोतानाला, बहरोड़ (अलवर) में संचालित है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कैमिकल फैक्ट्री से जहरीली गैसों का उत्सर्जन होने से आस-पास की फसलों का नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा जिन किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा दिया गया? यदि हां, तो किन-किन को कब-कब व कितना-कितना, यदि नहीं, तो क्यों तथा अब सरकार कब तक मुआवजा देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। औद्योगिक क्षेत्र सोतानाला में मैसर्स अम्बे लेबोरेट्रीज प्रा. लि. दिनांक 22.01.2006 से संचालित है तथा मैसर्स श्रीनाथ लाइफ साइन्सेज प्रा. लि. औद्योगिक क्षेत्र सोतानाला में माह अक्टूबर 2012 से संचालित है।

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उक्त उद्योगों के परिसर एवं समीप के क्षेत्रों की परिवेशी वायु (Ambient Air) की मानिटरिंग की गई है,

(उद्योग मंत्री)

जिसमें वायु गुणवत्ता केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानको के अन्दर रही है।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अजमेर-टोंक-सवाई माधोपुर रेल लाइन हेतु निःशुल्क भूमि

163. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर-टोंक-सवाई माधोपुर रेल लाइन को योजना आयोग द्वारा सैद्धान्तिक मंजूरी दे दी है? क्या यह भी सही है कि परियोजना की पचास फीसदी लागत राशि एवं लाइन के लिए नि:शुल्क भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी है?

(2) क्या राज्य के हिस्से की राशि केन्द्र सरकार के कोष में जमा करवा दी गई है? यदि हां, तो कब एवं कितनी व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त परियोजना हेतु राशि एवं नि:शुल्क भूमि उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अजमेर से सवाई माधोपुर वाया टोंक नई रेल लाइन का सर्वे कार्य वर्ष 2009-10 में स्वीकृत हुआ है। सर्वे रिपोर्ट दिनांक 23 फरवरी, 2011 को रेलवे विभाग द्वारा रेल्वे बोर्ड को भेजी गई है तथा कार्य की अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

जी नहीं। रेलवे बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को उक्त प्रोजेक्ट के लिए नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने तथा लागत का 50 प्रतिशत वहन करने का प्रस्ताव भेजा गया था। परन्तु राज्य सरकार द्वारा उक्त वित्तीय भार वहन करना व्यवहारिक नहीं पाये जाने के कारण रेलवे बोर्ड को पत्र लिखते हुए रेलवे बजट वर्ष 2009-10 में की गई घोषणा के अनुसरण में रेलवे द्वारा उक्त परियोजना को विशेष प्राथमिकता देते हुए अपने संसाधनों में से स्वीकृत एवं पूर्ण कराने का आग्रह किया था।

(2) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में समाहित है।

(3) बिन्दु संख्या 1 के उत्तर में समाहित है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कृष्णा भटनागर समिति की रिपोर्ट का परीक्षण एवं क्रियान्वयन

154. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों के निराकरण के लिये गठित श्रीमती कृष्णा भटनागर समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो चुका है तथा क्या सरकार ने इसका परीक्षण कर लिया है? यदि हां, तो सरकार इस प्रतिवेदन को कब तक प्रकाशित करने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि अधीनस्थ कर्मचारियों को केन्द्र के समान वेतनमान देने के क्रम में राज्य सरकार ने वर्ष 1998 में राजकीय मुद्रणालय के अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, मुख्य कार्यदेशक, बाइडिंग फोरमैन, मुख्य बाइण्डर, बाइण्डर, चिकित्सां एवं स्वास्थ्य विभाग के आप्टेलेमिक असिस्टेंट (नेत्र सहायक) एवं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के सूचना सहायक, सहायक प्रोग्रामर व कम्प्यूटर प्रोग्रामर के वेतनमानों में संशोधन करने के निर्णय वित्त विभाग की सम्बन्धित पत्रावलियों पर लिये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त वेतन संशोधन के निर्णय का आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। श्रीमती कृष्णा भटनागर समिति का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त हो चुका है।

श्रीमती कृष्णा भटनागर समिति का प्रतिवेदन लागू किये जाने की घोषणा दिनांक 6 मार्च, 2013 को सदन में की जा चुकी है। इस प्रतिवेदन को प्रकाशित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) राज्य सरकार ने राजकीय मुद्रणालय के अधीनस्थ सेवा के पदों, चिकित्सा विभाग के नेत्र सहायक एवं कम्प्यूटर सेवा के पदों के वेतनमान संशोधन करने का निर्णय दिनांक 09-11-98 को लिया था।

चुनाव आचार संहिता लग जाने के कारण इन तीनों प्रकरणों को श्री वाई. सिंह सेवानिवृत आई.ए.एस. की अध्यक्षता में गठित वेतन विसंगति निराकरण समिति को भिजवाने का निर्णय लिया गया। समिति का प्रतिवेदन दिनांक 31-12-99 को राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात मंत्रिमण्डल ज्ञापन 19.12.2006 को प्रस्तुत किया गया। जिसे मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या

(वित्त मंत्री)

76/2007 दिनांक 11.08.2007 द्वारा वापस ले लिया गया। इसके पश्चात पुन: मंत्रिमण्डल ज्ञापन दिनांक 29.03.2007 प्रस्तुत किया गया, जिसमें मंत्रिमण्डल की आज्ञा संख्या 77/2007 दिनांक 11.08.2007 द्वारा यह निर्णय लिया गया कि "चूंकि अब छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें शीघ्र ही अपेक्षित हैं। अत: वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में अभी निर्णय लिया जाना उपयुक्त नहीं होगा।"

राज्य कर्मचारियों की वेतन विसंगति के सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा भटनागर समिति की रिपोर्ट लागू किये जाने की घोषणा की जा चुकी है, के अनुसार इन प्रकरणों पर रिपोर्ट के अनुसार विचार किया जायेगा।

चतुर्थ एवं पंचम श्रेणी के राजकीय आवास आबंटन में सचिवालयवार प्राथमिकता

155. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) दिनांक 01 जनवरी, 2010 से जनवरी, 2013 चतुर्थ श्रेणी राजकीय आवासों हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा गांधीनगर स्थित राजकीय आवासों में अब तक पंजीकृत हुए राज्य कर्मियों में से वर्षवार कितनों को आवासों का आबंटन हुआ है? वर्तमान में कितने शेष हैं एवं क्यों? उक्त अवधि में पंजीकृत आवेदकों की वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजकीय आवास आबंटन की क्या प्रक्रिया निर्धारित है तथा उक्त श्रेणी के आशार्थियों में से वरियता लांघकर विशेष कोटे से कितने कार्मिकों को राजकीय आवास आबंटित किये गये और उक्त पंजीकृत आवेदकों में से शासन सचिवालय, विधान सभा सचिवालय एवं न्यायालयों में कार्यरत कार्मिकों में से कितनों को वर्ष 2010 से जनवरी, 2013 तक कब-कब आवास आबंटित किये गये तथा कितने शेष हैं? पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रश्न के भाग (1) व (2) के अनुक्रम में वंचित रहे आवेदकों को वांछित आवास कब तक आबंटित कर दिये जायेंगे?

(4) क्या शासन सचिवालय के कार्मिकों का पृथक से कोटा निर्धारित है? यदि हां, तो तत्संदर्भित आदेश/निर्देश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार शासन सचिवालय के समकक्ष विधान सभा सचिवालय,

(श्री अनिल जैन)

राज्यपाल सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय तथा लोकायुक्त सचिवालय के कार्मिकों को भी वरीयता देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 01 जनवरी, 2010 से आज दिनांक तक कुल आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है-

आवेदन वर्ष	आवेदकों की संख्या
2010	215
2011	175
2012	198
2013	40

उपरोक्तों में वर्षवार आबंटन का विवरण निम्नानुसार है-

आवेदन वर्ष	आबंटियों की संख्या
2010	5
2011	1
2012	3
2013	-

शेष आवेदकों का विवरण निम्नानुसार है-

आवेदन वर्ष	शेष आवेदकों की संख्या
2010	210
2011	174
2012	195
2013	40

क्योंकि आवास रिक्त उपलब्ध नहीं हैं। सूची संलग्न है।

(2) आवेदक द्वारा आवास आबंटन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में सूचना प्रेषित करने पर विभाग के द्वारा संधारित वरियता सूची में नाम दर्ज किया

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

जाता है। तदुपरान्त आवास रिक्त उपलब्ध होने पर वरीयतानुसार आबंटित किये जाते हैं।

उपरोक्त में वरीयता लांघकर निम्न को विशेष कोटे से आवास आबंटन किये गये हैं :-

आवेदन वर्ष	आवेदकों की संख्या
2010	3
2011	1
2012	3
2013	-

विशेष कोटे में आबंटियों की सूची संलग्न है।

(3) वरीयतानुसार आवास रिक्त उपलब्ध होने पर आवास आबंटित किए जा सकेंगे।

(4) जी हां। सचिवालय कर्मियों व विभागाध्यक्ष कर्मियों के मध्य 1:3 को कोटा है। सम्बन्धित नोट शीटों की प्रति संलग्न है।

(5) जी नहीं। उच्च न्यायालय के कर्मियों हेतु अलग से पूल बना हुआ है जिनका आबंटन माननीय न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है।

राज्यपाल सचिवालय के स्वयं के आवास हैं।

वर्तमान नियमों में लोकायुक्त सचिवालय कर्मियों के लिए आबंटन वरीयता का प्रावधान नहीं है लेकिन उन्हें परीक्षण उपरान्त वरीयतानुसार ही आवास आबंटित किये जाते हैं।

अन्य को कोटा निर्धारित करने बाबत प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर शहर में राजकीय एकल बंगलों के स्थान पर बहुमंजिला इमारतों के निर्माण हेतु कार्य योजना

156. श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन कुल कितनी सम्पत्तियां हैं? जिलेवार सम्पत्तियों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक पींचा)

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में कई स्थानों पर रिक्त भूमि एवं एकल बंगले भी हैं? यदि हां, तो क्या सरकार एकल बंगलों के स्थान पर बहुमंजिला इमारतें बनाकर आबंटन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में सामान्य प्रशासन विभाग की सम्पत्तियों का विवरण परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) जी हां। जयपुर शहर में एकल बंगले भी हैं। एकल बंगलों के स्थान पर बहुमंजिला इमारतें बनाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "क"

बिन्दु संख्या 1
(3223)

क्र. सं.	विभाग का नाम	कुल आवास संख्या	कुल ट्रांजिट हास्टल	कुल विश्राम भवन	कुल अन्य सम्पत्ति	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	प्रमुख निवासीय आयुक्त, नई दिल्ली पृष्ठ 51-55/सी	—	—	—	4	4
2.	सामान्य प्रशासन विभाग	1896	—	—	—	1896
3.	सम्भागीय आयुक्त, जयपुर पृष्ठ 95-96/सी	16	—	—	—	16
4.	सम्भागीय आयुक्त, अजमेर पृष्ठ 7-10/सी	413	30	1	—	444
5.	सम्भागीय आयुक्त, बीकानेर पृष्ठ 26-27/सी पृष्ठ 75/सी	254	20	1	2	277
6.	सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर पृष्ठ 44-46/सी	373	—	1	—	374

1	2	3	4	5	6	7
7.	सम्भागीय आयुक्त, कोटा पृष्ठ 93-94/सी	434	20	1	—	455
8.	सम्भागीय आयुक्त, भरतपुर पृष्ठ 104-105/सी	149	—	1	3	153
9.	सम्भागीय आयुक्त/जिला कलक्टर उदयपुर पृष्ठ 83-84/सी	387	—	2	—	389
10.	जिला कलक्टर, अलवर पृष्ठ 89/90/सी	151	15	1	—	167
11.	जिला कलक्टर, बांसवाड़ा पृष्ठ 5/सी	152	6	1	1	160
12.	जिला कलक्टर, बाडमेर पृष्ठ 44-46/सी	218	20	1	—	239
13.	जिला कलक्टर, बारां पृष्ठ 69-70/सी पृष्ठ 93-94/सी	113	2	1	1	117
14.	जिला कलक्टर, भीलवाड़ा पृष्ठ 102-103/सी	197	10	3	14	224
15.	जिला कलक्टर, बून्दी पृष्ठ 71-74/सी पृष्ठ 93-94/सी	97	—	1	1	99
16.	जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ पृष्ठ 28-29/सी	156	—	1	30	187
17.	जिला कलक्टर, चूरू पृष्ठ 18-23/सी	127	—	1	1	129
18.	जिला कलक्टर, दौसा पृष्ठ 85-86/सी	60	10	1	—	71
19.	जिला कलक्टर, धौलपुर पृष्ठ 79-82/सी, पृष्ठ 104-105/सी	56	10	1	9	76

1	2	3	4	5	6	7
20.	जिला कलक्टर, डूंगरपुर पृष्ठ 68/सी	116	—	1	—	117
21.	जिला कलक्टर, हनुमानगढ़ पृष्ठ 12-15/सी	163	—	1	6	170
22.	जिला कलक्टर, जैसलमेर पृष्ठ 44-46/सी	296	15	1	4	316
23.	जिला कलक्टर, जालौर पृष्ठ 16-17/सी, पृष्ठ 44-46/सी	273	10	1	—	284
24.	जिला कलक्टर, झालावाड़ पृष्ठ 57-63/सी, पृष्ठ 93-94/सी	126	4	1	—	131
25.	जिला कलक्टर, झुंझुनूं पृष्ठ 67/सी	186	—	1	1	188
26.	जिला कलक्टर, करौली पृष्ठ 97-99/सी पृष्ठ 104-105/सी	26	—	1	12	39
27.	जिला कलक्टर, नागौर पृष्ठ 11/सी, 39/सी	100	—	7	10	117
28.	जिला कलक्टर, पाली पृष्ठ 37-38/सी, पृष्ठ 44-46/सी	163	20	2	—	185
29.	जिला कलक्टर, राजसमन्द पृष्ठ 7/सी	137	10	1	—	148
30.	जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर पृष्ठ 64-66/सी पृष्ठ 104-105/सी	210	—	1	—	211
31.	जिला कलक्टर, सीकर पृष्ठ 78/सी	143	—	1	1	145
32.	जिला कलक्टर, सिरोही पृष्ठ 30-36/सी पृष्ठ 44-46/सी	181	20	2	—	203

1	2	3	4	5	6	7
33.	जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर पृष्ठ 47-50/सी	458	1	1	18	478
34.	जिला कलक्टर, टोंक पृष्ठ 76-77/सी	98	1	1	—	100
35.	जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ पृष्ठ 4/सी	68	शून्य	1	शून्य	69
36.	निदेशक, सम्पदा विभाग पृष्ठ 24/सी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
37.	सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग के अधीन पृष्ठ 25/सी	-	64	1	—	65
	योग	**7993**	**288**	**44**	**118**	**8443**

अन्य सम्पत्तियों में ऐसे भवन हैं जिनमें कुछ तहसील, उप खण्ड आदि कार्यरत हैं।

राजकीय आवासों के मूल स्वरूप में परिवर्तन

157. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि गांधीनगर स्थित राजकीय आवासों में नवनिर्माण की स्वीकृति के नाम पर मूल ढाचे में ही परिवर्तन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या इसकी स्वीकृति सरकार द्वारा दी जाती रही है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत और नहीं, तो इस प्रकार का निर्माण/परिवर्तन किस आधार पर किसकी स्वीकृति/अनुशंसा पर किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गांधी नगर स्थित जी टाइप के कितने आवासों के मूल ढांचे में अब तक परिवर्तन किया जा चुका है ? क्या यह भी सही है कि कई आवासों में मूल आवास के कक्षों की संख्या से अधिक कक्षों का निर्माण हो गया है तथा कुछ आवासों में मकानों की सीढ़ीयों को आवास से बाहर की ओर निकाल दिया गया है? जिससे आसपास के आवासियों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया है? यदि हां, तो इसकी स्वीकृति किसके द्वारा एवं किन नियमों के अन्तर्गत दी गई एवं नहीं, तो इस प्रकार के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार है? अब सरकार

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

इस विषय में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राजकीय आवासों में नवनिर्माण की स्वीकृति एवं निर्माण पश्चात स्वीकृतिनुसार निर्माण हुआ या नहीं की जांच के विषय में कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो इस विषय में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राजकीय आवासों की समय-समय पर जांच के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो क्या एवं नहीं तो क्यों? विगत पांच वर्षों में किस-किस स्तर के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा जांच की गई? जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि राजकीय आवासों में अवैध निर्माण/अन्य अनियमितताओं की केवल शिकायत होने पर ही जांच की जाती है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में राजकीय आवासों में गलत निर्माण, दुरुपयोग आदि के सम्बन्ध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें एवं नहीं, तो बिना शिकायत जांच नहीं करने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी नहीं। गांधीनगर स्थित राजकीय आवासों के मूल ढांचे में परिवर्तन की स्वीकृतियां नहीं दी जाती हैं। परिवर्धन/परिवर्तन सम्बन्ध में वही कार्य अनुमत किये जाते हैं जिनका उल्लेख परिपत्र में दिया है।

(2) जी टाइप के राजकीय आवासों के मूल ढांचे में परिवर्तन की स्वीकृतियां नहीं दी गई हैं। राजकीय आवासों में अतिआवश्यक होने पर दिनांक 7.6.2011 से लागत की 10 प्रतिशत सहभागिता राशि जमा कराने के उपरान्त मूल ढांचे के अतिरिक्त आवास परिसर में तकनीकी रूप से सम्भव होने पर ही खाली जगह में सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त अतिरिक्त कमरा, अतिरिक्त टॉयलेट/बाथरूम, पोर्च एवं अतिरिक्त स्टोर के निर्माण की स्वीकृतियां दी जाने का प्रावधान है। आवास से बाहर सीढ़ियां बनाने बाबत ना तो कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है तथा ना ही कोई अनुमति दी गई है।

(3) दिनांक 30.12.2011 से आवासी से बजट उपयोगिता प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से लिये जाने का प्रावधान रखा गया।

(4) जी नहीं। वैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग को अपने नियमित कार्यों में ही इस प्रकार का निरीक्षण/जांच अन्तर्निहित है।

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

(5) विभाग को शिकायत प्राप्त होने पर जांच की जाती है। गलत निर्माण करने के सम्बन्ध में कोई परिवाद विभाग को प्राप्त नहीं हुआ है। आवास दुरुपयोग के सम्बन्ध में कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है। गांधीनगर में एक गैराज के सम्बन्ध में परिवाद प्राप्त होने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को जांच सही पाई जाने पर रिक्त कराने हेतु लिखा गया है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में व्याप्त अनियमितताएं

158. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2012-13 एवं पूर्ववर्ती 3 वर्षों में कितनी भर्ती परीक्षायें आयोजित की गईं? इनमें से कितनी परीक्षाओं के परिणामों को न्यायालय में चुनौती दी गई?

(2) उक्त अवधि में किन परीक्षाओं के परिणामों को न्यायालय के आदेश से पुन: घोषित किया गया एवं कितनी बार ये परिणाम पुन: घोषित किये गए?

(3) परिणाम पुन: घोषित करने के कारण कितने अभ्यर्थियों के अंकों में अधिकतम कितना अन्तर आया?

(4) परिणामों की पुन: घोषणा के कारण कितने पूर्व में चयनित अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गए?

उत्तर

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जनवरी, 2009 से फरवरी, 2013 तक 59 प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई तथा वर्ष 2009-10 में 20, वर्ष 2010-11 में 07, वर्ष 2011-12 में 46 एवं वर्ष 2012-13 में 29 संवीक्षा परीक्षाएं आयोजित की गईं। जिनमें से 24 परीक्षाओं के परिणामों को न्यायालय में चुनौती दी गई।

(2) परीक्षाओं का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है। इनमें से तीन परीक्षाओं के परिणाम दो बार परिवर्तित हुए तथा शेष के एक बार ही परिवर्तित हुये हैं।

(3) परिणाम पुन: घोषित करने के कारण अधिकांश अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में अन्तर आ जाता है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि

(कार्मिक मंत्री)

अभ्यर्थी द्वारा कौन-कौन से प्रश्न हल किए गए हैं एवं परिणाम संशोधन के पश्चात् वे प्रश्न सही है अथवा गलत है। चयन सूची/परिणाम तैयार करते समय संशोधित प्राप्तांक ही विचारित किए जाते है। कितने अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में अन्तर है एवं अधिकतम प्राप्तांकों में अन्तर सम्बन्धी आंकड़े परिणाम/चयन सूची के लिए अलग से तैयार नहीं किए गए हैं।

(4) परिणामों की पुन: घोषणा के कारण पूर्व में चयनित 1216 अभ्यर्थी चयन सूची से बाहर हो गये।

परिशिष्ट-क

माननीय न्यायालय के आदेशानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नांकित परीक्षाओं के परिणाम पुन: घोषित किये गये :—

1. III ग्रेड अध्यापक परीक्षा 2008 संस्कृत शि. वि.
2. III ग्रेड अध्यापक परीक्षा 2006 प्राथ. शि. वि.
3. III ग्रेड अध्यापक परीक्षा 2004-प्रक्रियाधीन
4. उप निरीक्षक पुलिस परीक्षा-2007
5. मोटर वाहन पु. नि. परीक्षा-2008
6. पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा-2010
7. विधि रचनाकार परीक्षा-2008
8. विधि सहायक परीक्षा-2010
9. सहायक लोक अभियोजक संवीक्षा परीक्षा-2011
10. राज. न्यायिक सेवा परीक्षा (प्रा.)-2011
11. व्याख्याता अर्थशास्त्र, कालेज शि. वि. संवीक्षा परीक्षा-2011-12
12. व्याख्याता लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी शि. वि. परीक्षा-2011-12
13. सहायक आचार्य स्त्री एवं प्रसूति रोग संवीक्षा परीक्षा-2012
14. प्रधानाध्यापक, मा. शि. वि. परीक्षा-2012-न्यायालय के समक्ष विचाराधीन
15. व. अ. ग्रेड II मा. शि. वि. परीक्षा, 2011-हिन्दी प्रक्रियाधीन
16. व. अ. ग्रेड II मा. शि. वि. परीक्षा, 2011-अंग्रेजी प्रक्रियाधीन
17. व. अ. ग्रेड II मा. शि. वि. परीक्षा, 2011-विज्ञान प्रक्रियाधीन
18. व. अ. ग्रेड II मा. शि. वि. परीक्षा, 2011-सामाजिक विज्ञान
19. व. अ. ग्रेड II मा. शि. वि. परीक्षा, 2011-गणित

20. व. अ. ग्रेड II मा. शि. वि. परीक्षा, 2008-सामाजिक विज्ञान-प्रक्रियाधीन

21. व. अ. ग्रेड II मा. शि. वि. परीक्षा, 2008-गणित प्रक्रियाधीन

22. व. अ. ग्रेड II मा. शि. वि. परीक्षा, 2008-संस्कृत प्रक्रियाधीन

23. प्रोग्रामर परीक्षा, 2011

24. लेखाकार/क. लेखाकार परीक्षा, 2011

प्रश्न संख्या-159

(स्थगित)

सीमेन्ट कम्पनियों को लाइम स्टोन ब्लाक आबंटन प्रकरण

160. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा सीमेंट कम्पनियों को बिना नीलामी के लाइम स्टोन ब्लाक आबंटित करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है? यदि हां, तो निर्णय किस स्तर पर व कब हुआ तथा इन कम्पनियों के आवेदन पत्र कब से लम्बित हैं?

(2) क्या यह सही है कि सीमेंट कम्पनियों को 3 जिलों में 12 लाइम स्टोन ब्लाक आबंटित करने के लिये उनकी वित्तीय और तकनीकी दक्षता का आंकलन किया गया था? यदि हां, तो किस स्तर पर व कब? उनके आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि तथा वित्तीय व तकनीकी दक्षता का आंकलन करने की तिथि में कितना अन्तर रहा?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में दिनांक 15.2.2013 की अधिसूचना से सीमेंट ग्रेड लाइम स्टोन के 8 ब्लाक आबंटन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने की कार्यवाही नियमानुसार खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 11(3) व 11(4) के तहत की गई है जिसमें नीलामी के प्रावधान ही नहीं है। इससे पूर्व जिला चित्तौड़गढ़, नागौर एवं जैसलमेर में दिनांक 10.8.2010 से 20.12.2011 के मध्य में 12 लाइम स्टोन ब्लाक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे जो अभी लम्बित है।

(2) जी नहीं। तीन जिलों चित्तौडगढ़, नागौर एवं जैसलमेर में सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन के रिक्त घोषित 12 ब्लाकों के आबंटन हेतु, प्राप्ति आवेदन पत्रों में बाद सुनवायी वित्तीय एवं तकनीकी दक्षता का आंकलन कर

(खनिज मंत्री)

नियमानुसार प्राथमिकता निर्धारण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 11(3) सपठित 11(4) के तहत किया जा रहा है। इस हेतु निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, उदयपुर द्वारा आवेदकों की व्यक्तिगत सुनवाई बाबत दिनांक 20.3.2013 नियत की गई है। सुनवाई किए जाने के पश्चात वित्तीय एवं तकनीकी दक्षता का आंकलन कर नियमानुसार प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी।

ताल कटोरा ग्राम जयपुर में हिजहाइनेस जयपुर द्वारा प्रदत्त जमीन का अधिग्रहण

161. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम तालकटोरा, जयपुर के पुराने खसरा नं. सं. 285 एवं 104 तथा वर्तमान खसरा नं. 92/125 में श्री मुरलीधर शर्मा द्वारा बनाई गई बगीची में शिव मंदिर एवं कुआं बनवाया हुआ है? यदि हां, तो उक्त 17 बिस्वा जमीन में से कितनी भूमि कब एवं किसके द्वारा दिनांक 23 जून, 1971 को दी राजहंस को-आपरेटिव सोसायटी को बेची गई? उक्त भूखण्ड (पुराने खसरा नं. 285 एवं 104 तथा वर्तमान खसरा नं. 92/125) श्री मुरलीधर शर्मा को कब एवं किसके द्वारा दी गई? वर्तमान में उक्त खसरा नं. की स्थिति क्या है? उसके चारों दिशाओं में क्या-क्या निर्माण कार्य सार्वजनिक सुविधाएं आदि हैं, के विवरण सहित मालिकाना हक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त खसरा नम्बरान को दोनों सिटी सर्वे में शामिल किया गया था? यदि हां, तो सिटी सर्वे की प्रति एवं शिव मंदिर की स्थिति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है? यदि हां, तो कब एवं किस सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से किस नियम के तहत अधिग्रहण किया गया? क्या हिजहाइनेस जयपुर द्वारा प्रदत्त पट्टे की जमीन जिस पर मंदिर निर्माण एवं कुआं तथा पक्की तामीरात मौजूद है, को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? नियमों की प्रति सहित उक्त भूखण्ड एवं मंदिर सहित वर्तमान स्थिति का नक्शा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्व ग्राम तालकटोरा तहसील जयपुर के वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 92/125 में शिव मंदिर एवं कुआ वर्तमान में बना हुआ है। राजस्व ग्राम तालकटोरा तहसील जयपुर के वर्तमान आराजी खसरा नम्बर 92/125 में रकबा 13 बिस्वा में से 11 बिस्वा भूमि जरिये विक्रय पत्र दिनांक 26.07.71 को देवी नारायण पुत्र श्री दुर्गा बक्सी जाति ब्राह्मण द्वारा दी राजंहस को-आपरेटिव हा.सो.लि. गणगौरी बाजार, जयपुर रजिस्टर नम्बर 1617 एल के मंत्री श्री कन्हैयालाल खत्री को बेचान किया। विक्रय पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर सलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है। उक्त भूखण्ड किसके द्वारा कब बेचा गया की जानकारी अभिलेख से की जा रही है। खसरा नं. 92/125 में स्थित मंदिर परिसर के मुख्य द्वार के सामने सार्वजनिक सड़क तथा तीनों दिशाओं में घनी आबादी बसी हुई है। मौके का नजरी नक्शा परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

वर्तमान जमाबंदी सम्वत 2069-2072 के मुताबिक खसरा नम्बर 92/125 रकबा 13 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड होकर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम है जमाबंदी की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जयपुर में सन् 1947 में सिटी सर्वे कार्य किया गया था। वर्ष 1947 से पूर्व पैमाइश आबादी शहर सवाई जयपुर संवत् 1925 के नाम से सर्वेक्षण कार्य हुआ था जिसका उर्दू में अभिलेख व नक्शे तैयार किये गये थे। उक्त रिकार्ड पर कहीं भी सिटी सर्वे का उल्लेख नहीं है। उक्त पैमाइश में ग्राम तालकटोरा से सम्बन्धित कोई सर्वेक्षण कार्य नहीं किया गया है। सन् 1947 के सिटी सर्वे में उक्त खसरा नम्बरान की प्रमाणित प्रति एवं शिव मंदिर की स्थिति सहित विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं। किन्तु न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी (कृषि भूमि रूपान्तरण) एवं उपायुक्त जोन ए-2, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 (ख) के तहत राजस्व ग्राम तालकटोरा के खसरा नम्बर 92/125 की खातेदारी भूमि रकबा 0.13 में से 0.11 से खातेदारी अधिकारों का पर्यवसान कर उक्त भूमि का राज्यहित में पुनर्ग्रहित किया गया है, निर्णय की प्रति परिशिष्ट "य" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़ बास (खैरथल) में पोप योजना में लाभान्वित व्यक्ति

162. श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़बास में नगरपालिका खैरथल में पोप योजना के तहत कितने व्यक्तियों को गत चार वर्षों में ऋण स्वीकृत किया गया? उक्त व्यक्तियों को कब-कब व कितनी-कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बैंकों द्वारा उक्त स्वीकृत ऋणों में से एफ.डी.आर. कराई जाती है? यदि हां, तो कब-कब व कितनी-कितनी राशि की? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास की नगरपालिका, खैरथल में पोप योजना के तहत् विगत 4 वर्षों में स्वीकृत ऋण का व्यक्तिवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चम्पा नगर, जयपुर आवासीय कालोनी का नियमन

163. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जयपुर शहर में शिविर लगाकर कालोनियों का नियमन किया जा रहा है? यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में किन-किन कालोनियों का नियमन किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जयपुर शहर में जोन संख्या 5 में गुर्जर की थड़ी के पास चम्पा नगर कालोनी को नियमित करने के लिए शिविर लगाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। चालू वित्तीय वर्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण जोन संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एवं 14 में नियमन कैम्प लगाये हैं। सूची को परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

(2) माणिक्यपुरी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना चम्पा नगर राजस्व ग्राम देवरी में है जिसके गत खसरा नं. 165 एवं 192/1 की भूमि के सम्बन्ध में एस.एल.पी. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण का विधिक परीक्षण कर अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में निर्मित सब्जी मण्डी का उपयोग

164. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में सब्जी मण्डी का निर्माण करवाया गया है? यदि हां, तो कब कितनी दुकानें/ढांचों का निर्माण कराया गया व किन-किन को आबंटन किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विभागीय उदासीनता के कारण उक्त मण्डी सब्जी विक्रय केन्द्र स्थापित नहीं होकर असामाजिक तत्वों का डेरा व कचरे के ढेर में तब्दील हो चुकी है? यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन उत्तरदायी है तथा उत्तरदायियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त सब्जी मण्डी विक्रय केन्द्र को संचालित करने अथवा करोड़ों की जमीन पर कामर्शियल माल का निर्माण कर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आवासीय योजना जोधपुर की आवश्यकताओं को देखते हुये योजना के सैक्टर 21 में सब्जी मण्डी एवं दुग्ध मण्डी के निर्माण की योजना वर्ष 2000 में तीन चरणों में बनायी गयी है। प्रथम चरण में सब्जी मण्डी के लिये 2.0X2.0 मीटर के 84 प्लेटफार्म, जिनमें नीचे सब्जी के भण्डारण के लिये कवर्ड स्थान का निर्माण एवं दूसरे चरण में उन पर टीन शेड लगाकर प्लेटफार्म पर छाया की व्यवस्था की गई है। तीसरे चरण में 3.00X4.50 मीटर की चार निर्मित दुकानें, दूध बेचने के लिये 1.5X1.0 मीटर के 30 पक्के चबूतरे तथा 2.0X2.0 मीटर के 4 कियोस्क का निर्माण करवाया गया है। सम्पूर्ण सब्जी

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

मण्डी परिसर को चारदीवारी बनाकर सुरक्षित किया गया है। सब्जी मण्डी के लिये निर्मित उक्त 84 प्लेटफार्म को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा लाटरी पद्धति से आबंटियों को वर्ष 2000 में आबंटित कर चुका है। आबंटन सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है, जिसमें से 68 आबंटियों द्वारा आबंटन पत्र की राशि जमा करवाकर भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। इसके साथ ही दुग्ध बेचने के लिये निर्मित 30 चबूतरों का आबंटन वर्ष 2001 में किया जा चुका है, जिसमें से 8 आबंटियों द्वारा आबंटन पत्र की राशि जमा करवाकर भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। 22 आवंटियों द्वारा आबंटन पत्र की राशि जमा नहीं करवाने के कारण आबंटन निरस्त किया जा चुका है, जिन्हें नीलामी द्वारा निस्तारित किया जावेगा, साथ ही सब्जी मण्डी परिसर में निर्मित 4 दुकानों में से 2 नीलामी द्वारा विक्रय की जा चुकी है। शेष 2 दुकानों एवं 4 कियोस्क को नीलामी द्वारा निस्तारित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। यह परिसर सब्जी मण्डी दुग्ध विक्रय हेतु तैयार किया गया था, जिनमें से अधिकांश प्लेटफार्म/चबूतरों का आबंटन किया जा चुका है। निस्तारण से शेष रहे प्लेटफार्म/चबूतरों का नीलामी से निस्तारण किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

जयपुर-सीकर रोड जयपुर स्थित विजयबाड़ी में अतिक्रमण प्रकरण

165. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर शहर स्थित विजयबाड़ी पथ नं. 7 के मुख्य मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमियों को नोटिस जारी किये गये थे और अतिक्रमियों द्वारा प्रकरण को न्यायालय में ले जाने के उपरान्त माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण ने जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देशित कर आदेश पारित किये हैं? यदि हां, तो उक्त आदेशों की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई? आदेश की प्रति एवं की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मार्च, 2012 से अब तक खेतान हास्पिटल से भवानी निकेतन विवाह स्थल मोड़ तक क्या-क्या नया निर्माण किया गया/किया जा रहा है

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

और उन निर्माणों में सड़क सीमा में कितना-कितना अतिक्रमण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा उक्त मुख्य मार्ग में सड़क सीमा में हो रहे अतिक्रमणों को नहीं हटाने के क्या कारण हैं और क्या सरकार उक्त अतिक्रमणों को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त मुख्य मार्ग की सड़क एवं इसी मार्ग पर स्थित साकेत कालोनी की सड़कों का नवीनीकरण/मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और वर्तमान में इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर स्थित विजयबाड़ी पथ नं. 7 के मुख्य मार्ग पर हो रहे अतिक्रमण के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमियों को नोटिस जारी किये गये थे और अतिक्रमियों द्वारा प्रकरण को न्यायालय में ले जाने के उपरान्त माननीय न्यायालय अपीलीय अधिकरण ने जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रकरण में मौका निरीक्षण किया जाकर निर्णय लिये जाने बाबत निर्देशित किया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेशों की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण (उपायुक्त जोन-6) द्वारा दिनांक 04.02.2013 को मौका निरीक्षण करवाया जाकर रिपोर्ट अतिक्रमण निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध करवाई गयी। जिसके आधार पर दिनांक 11.02.2003 एवं 19.02.2013 को नोटिस जारी किये गये थे। उक्त कार्यवाही के तहत जारी नोटशीट, रिपोर्ट अतिक्रमण एवं नोटिसों की छाया प्रतियां परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) विजयबाड़ी पथ नं. 7 पर खेतान हास्पीटल से भवानी निकेतन विवाह स्थल मोड़ तक मार्च, 2012 से अब तक 4 नव-निर्माण (1) भूखण्ड संख्या-3 कानाराम नगर, (2) भूखण्ड संख्या-36 कानाराम नगर, (3) भूखण्ड संख्या-10 करणी कालोनी एवं (4) भूखण्ड संख्या-50 करणी नगर में किये पाये गये हैं। उपायुक्त जोन-6 कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार उक्तर चारों नव-निर्माणों में से भूखण्ड संख्या-3 कानाराम नगर एवं भूखण्ड संख्या-10 करणी कॉलोनी के सामने 40 फीट सड़क उपलब्ध है। भूखण्ड संख्या-36 कानाराम नगर के सामने 39 फीट 9 इंच (लगभग 40 फीट) सड़क उपलब्ध है। भूखण्ड

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

संख्या-50 करणी कालोनी के सामने 29 से 36 फीट सड़क उपलब्ध है। भूखण्ड संख्या-10 करणी कालोनी ने सड़क सीमा में बालकनी निकालने के कारण दिनांक 22.02.2013 को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 32-33 के नोटिस जारी किये गये, प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। भूखण्ड संख्या-50 करणी नगर द्वारा सड़क पर बालकनी निकालने के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 32-33 के अन्तर्गत दिनांक 22.02.2013 को नोटिस जारी किये गये। प्रति परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। भूखण्ड संख्या-50 करणी नगर के सामने भूखण्ड संख्या-135बी विजयबाड़ी स्थित है। जिसके भूखण्डधारी श्री ब्रजबिहारी शर्मा को दिनांक 30.3.2012 को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 72 का नोटिस जारी करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण अपीलीय अधिकरण में उनके द्वारा दायर अपील संख्या 21/13 में अपीलीय अधिकरण द्वारा दिनांक 20.02.2013 को पारित आदेशानुसार आगामी पेशी तक अपीलार्थी की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कर जयपुर विकास प्राधिकरण को मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं एवं जयपुर विकास प्राधिकरण को तब तक तोड़-फोड़ नहीं करने हेतु पाबन्द किया है। जारी नोटिस की प्रति परिशिष्ट "य" पर संलग्न है व आदेश की प्रति परिशिष्ट "र" पर संलग्न है। इस प्रकार भूखण्ड संख्या-50 करणी नगर भी भूखण्ड संख्या-135बी विजयबाड़ी से सम्बन्धित उक्त वाद से प्रभावित होने के कारण उक्त प्रकरण में माननीय अपीलीय अधिकरण के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। बिन्दु संख्या-2 के अनुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी हां। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से अनुमोदित योजनाओं में प्राथमिकता से विकास कार्य करवाये जाते हैं। साकेत कालोनी गैर अनुमोदित योजना है। गैर अनुमोदित योजनाओं में सड़कों का नवीनीकरण/मरम्म्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी जयपुर की आवासीय भूमि का अनुमोदन/नियमन

166. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री प्रभुलाल सैनी)

(1) क्या यह सही है कि जे.डी.ए. के उच्च अधिकारियों की दिनांक 24 अप्रैल, 2001 की संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार जोन 5 की एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी की ''आवासीय भूमि" को पृथ्वीराज नगर योजना की सीमाओं से बाहर माना है, जिसे जे.डी.ए. की दिनांक 3 जुलाई, 1984 की अधिसूचना द्वारा राजस्थान सरकार के राज-पत्र दिनांक 12 जुलाई, 1984 के पृष्ठ सं. 211 पर प्रकाशित किया गया है? यदि हां, तो इस कालोनी की आवासीय भूमि की अवाप्ति की कार्यवाही किन नियमों के तहत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जे.डी.ए. के उच्च अधिकारियों की दिनांक 24 अप्रैल, 2001 को संयुक्त मौका निरीक्षण रिपोर्ट में एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी के शीघ्र नियमन की सलाह दी गयी थी? यदि हां, तो अब तक नियमन नहीं करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी की भूमि के खसरा नं. 29/203 व 29/219, ग्राम मान्यावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर को गलती से कृषि भूमि मानते हुए, भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा (4) व (6) के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के राज-पत्र में प्रकाशित क्रमशः दिनांक 7 अगस्त, 1988 व 31 जुलाई, 1989 को की गयी अवाप्ति की कार्यवाही के उपरांत इन खसरों के अवार्ड को सरकार द्वारा अब तक "अनुमोदित" नहीं किया गया है? यदि नहीं, तो उक्तर दोनों खसरों के अनुमोदन पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अवार्ड का अनुमोदन न किया जाने पर, भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 6 की अधिसूचना प्रकाशन के 2 वर्षों बाद, भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 11 A के अन्तर्गत, अवाप्ति की जो कार्यवाही धारा (4) व (6) के अन्तर्गत की गयी है, स्वतः ही समाप्त (Lapse) हो जाती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों की दिनांक 24.04.2001 की संयुक्त मौका रिपोर्ट के अनुसार जोन-5 की एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी की आवासीय भूमि को पृथ्वीराज नगर योजना की सीमाओं से बाहर माना है, किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि अरविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी तहसील सांगानेर के राजस्व ग्राम मान्यावास (नन्दकिशोरपुरा) के

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

खसरा नं. 29/203 रकबा 10 बीघा एवं खसरा नं. 29/219 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल आराजी 13 बीघा 7 बिस्वा पर स्थित है। इन दोनों खसरा नम्बरों की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही पृथ्वीराज नगर हेतु धारा 4 की अधिसूचना दिनांक 06.01.1988 को जारी हुई एवं धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 28.07.1989 को जारी की गई एवं इन दोनों खसरा नम्बरान के अवार्ड की घोषणा दिनांक 18.05.1996 को राज्य सरकार की स्वीकृति के पश्चात की गई। अत: एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी में स्थित उक्तर दोनों खसरा नम्बरान पृथ्वीराज नगर योजना के भाग है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 03.07.1984 को जारी अधिसूचना जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 39(1) के अनुसार पृथ्वीराज नगर योजना की (Project) परियोजना तैयार करने के आशय की घोषणा मात्र है। इस घोषणा के पश्चात उक्त दोनों खसरा नम्बरों की अवाप्ति की कार्यवाही केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत की गई है।

(2) जी हां। यह सही है कि जे.डी.ए. के उच्च अधिकारियों की दिनांक 24.4.2001 को संयुक्त मौका रिपोर्ट में एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी के शीघ्र नियमन की सलाह दी गयी थी, किन्तु एस.बी.बी.जे. आफिसर्स कालोनी पूर्णतया पृथ्वीराज नगर योजना का भाग होने के कारण पूर्व में नियमन नहीं किया गया है।

(3) ग्राम मान्यावास, तहसील सांगानेर के खसरा नं. 29/203 व 29/219 की धारा 4 एवं 6 की कार्यवाही क्रमश: 06.01.1988 एवं 28.07.1989 को की गई है एवं उक्त भूमि के अवार्ड का अनुमोदन राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.06.1991 को किया गया है, किन्तु माननीय उच्च/न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण अवार्ड की घोषणा नहीं की गई थी तथा स्थगन आदेश समाप्त होने पर दिनांक 18.05.1996 को अवार्ड की घोषणा की गई है। उक्त दोनों खसरों के अनुमोदन पत्र की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) जी हां। प्रश्नगत खसरा नम्बरों की धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 28.07.1989 को की गई तथा अवार्ड का अनुमोदन 2 वर्षो के भीतर ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29.06.1991 को किया गया। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के प्रभावी होने के कारण अवार्ड की घोषणा स्थगन आदेश के समाप्त (वेकेट) होने के पश्चात दिनांक 18.05.1996 को की गई। अत: सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्णतया विधि सम्म्त है।

परिशिष्ट "अ"

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक :-एफ.6(15)प्रक्रिया/07 जयपुर, दिनांक 29.6.91

भूमि अवाप्ति अधिकारी

जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर।

विषय :- पृथ्वीराज नगर योजना हेतु अवाप्त भूमि का अवार्ड अनुमोदन बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्रांक भू.अ/नवि/91/3129 दिनांक 14.6.91 भू.अ./नवि/91/3132 दिनांक 14.6.91, भू.अ./नवि/91/3135 दिनांक 14.6.91, भू.अ./नवि/91/3139 दिनांक 17.6.91 एवं भू.अ./नवि/91/3142 दिनांक 17.6.

महोदय,

उपरोक्त विषयक मामले में संदर्भित पत्रों द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना हेतु ग्राम बदरवास, गजसिंहपुरा, बीड़, खातीपुरा, मान्यावास एवं चकगणपतपुरा नं.-1 की अवाप्त भूमि के आपसे प्राप्त अवार्ड राज्य सरकार द्वारा रुपये 24,000 प्रति बीघा की दर से अनुमोदित किये जाते हैं। अनुमोदित अवार्डों की अतिरिक्त प्रतियां संलग्न कर लौटायी जा रही हैं।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

ह./-

शासन उप सचिव

मालवीय नगर सांस्थानिक क्षेत्र में विजय नर्सरी शिक्षा समिति का प्रोविजनल आबंटन/प्रकरण

167. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मालवीय नगर सांस्थानिक क्षेत्र में विजय नर्सरी शिक्षा समिति को कब एवं कितनी भूमि का प्रोविजनल आबंटन पत्र किस दर से जारी किया गया था? उक्त संस्था को दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 को तत्कालीन आयुक्त ने कितनी भूमि आबंटित किये जाने की सहमति प्रदान की थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त सांस्थानिक क्षेत्र में विजय नर्सरी शिक्षा समिति को प्राधिकरण की ओर से समझौते के आधार पर जब 7000 वर्ग गज भूमि आबंटन की सहमति दी गई थी, तो मौके पर कितनी भूमि उपलब्ध है, का पीटी सर्वे करवाया गया था? यदि नहीं, तो संस्था को कितनी भूमि आबंटित की गई और मौके पर वास्तविक कितनी भूमि की उपलब्धता रही? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि संस्था ने प्राधिकरण द्वारा जारी डिमाण्ड नोटिस दिनांक 20 जनवरी, 2007 के आधार पर कुल 6474.53 वर्गगज की राशि (एलपीसी एवं राज्य सरकार के आदेशों के अनुक्रम में प्रोविजनल आबंटन पत्र दिनांक 5 अक्टूबर, 1995 को प्रचलित आरक्षित दर के हिसाब से) व शेष भूमि 75.34 वर्गगज की राशि दिनांक 24 अप्रैल, 2007 को जमा कराई है? यदि हां, तो दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 को प्राधिकरण और संस्था के मध्य हुए समझौते के आधार पर संस्था को उक्त भूमि का आबंटन नहीं किये जाने के क्या कारण हैं एवं संस्था के प्रकरण में स्ट्रीप आफ लैण्ड निर्धारित करने के क्या आधार हैं?

(4) मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र में ही आर्च नामित संस्था को एलपीसी की 15वीं बैठक दिनांक 10 मार्च, 2005 में कितनी भूमि आबंटित किये जाने का निर्णय लिया गया था एवं दिनांक 21 अप्रैल, 2005 को कितनी भूमि का डिमांड नोटिस जारी किया गया? क्या डिमाण्ड नोटिस एलपीसी की बैठक में आबंटित भूमि से अधिक भूमि का जारी किया गया था? यदि हां, तो आबंटन से अधिक भूमि का डिमाण्ड नोटिस किस नियमों के अन्तर्गत जारी किया गया?

(श्री विजय बंसल)

(5) विजय नर्सरी शिक्षा समिति ने अपने पत्र दिनांक 11 सितम्बर, 2008 (प्राधिकरण के पत्रांक जविप्रा/सा/यो/3049 दिनांक 08 सितम्बर, 2008 के संदर्भ में) के माध्यम से आर्च नामित संस्था का उदाहरण देते हुए तत्कालीन आयुक्त महोदय के मध्य समझौते के आधार पर बढ़े हुए क्षेत्रफल को 5 अक्टूबर, 1995 को आरक्षित दर से आबंटित करने का निवेदन किया था? यदि हां, तो प्राधिकरण ने क्या निर्णय लिया?

(6) जब संस्था को सम्पूर्ण भूमि सरकार के आदेशों की अनुपालना में 05 अक्टूबर, 1995 को प्रचलित आरक्षित दर के हिसाब से आबंटित की गई थी एवं दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 को 7000 वर्गगज भूमि के आबंटन की सहमति बनी थी, तो संस्था से 6400 वर्गगज से अधिक भूमि के लिए वर्तमान प्रचलित दर से मांग किस आधार पर की जा रही है? क्या प्राधिकरण ने इस प्रकरण में सरकार से पुन: राय अथवा मार्गदर्शन प्राप्त किया है या विजय नर्सरी शिक्षा समिति नामित संस्था में आर्च इन्सटीट्यूट नामित संस्था के आधार पर निर्णय लिया है? यदि नहीं, तों क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या प्राधिकरण द्वारा आर्च इन्स्टीट्यूट नामित संस्था एवं विजय नर्सरी शिक्षा समिति संस्था के प्रकरण में अलग-अलग मानदंड निर्धारित किये हैं? यदि नहीं, तो प्रकरण के निस्तारण में जानबूझकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किस आधार पर किया जा रहा है?

(8) आबंटी संस्था ने 6400 वर्गगज भूमि पर निर्माण हेतु नक्शे अनुमोदन के लिए प्रार्थना पत्र कब प्रस्तुत किया? उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत सम्बन्धित जोन कार्यालय द्वारा भूमि के स्वामित्व एवं लेखा रिपोर्ट कब भिजवाई गई?

(9) क्या यह सही है कि संस्था द्वारा 6400 वर्गगज भूमि के लिए समस्त राशि (शहरी जमाबंदी/पुनर्ग्रहण राशि) जमा करवा दी है? यदि हां, तो क्या जोन कार्यालय से लेखा रिपोर्ट (नो ड्यूज प्रमाण-पत्र) भिजवा दिया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(10) क्या यह सही है कि प्राधिकरण के सम्बन्धित जोन उपायुक्त द्वारा संस्था को 6400 वर्गगज की लेखा रिपोर्ट भेजे जाने से पूर्व संस्था के कब्जे की आधिक्य की भूमि की जमा राशि वापिस लेने का दबाव बनाया जा रहा है? यदि हां, तो किस आधार पर व नहीं, तो लेखा रिपोर्ट भिजवाने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री विजय बंसल)

(11) क्या सरकार प्रकरण में प्रथमत: 6400 वर्गगज की लेखा रिपोर्ट जोन कार्यालय से भिजवाने एवं साथ ही संस्था को शेष भूमि का आबंटन भी (संस्था द्वारा जिसकी राशि प्रधिकरण के डिमांड नोटिस के आधार पर जमा करवाई जा चुकी है) 05 अक्टूबर, 1995 को प्रचलित आरक्षित दर से ही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मालवीय नगर सांस्थानिक क्षेत्र में विजय नर्सरी शिक्षा समिति को दिनांक 05.10.1995 को 7224.74 व.मी. भूमि 910/- रु. प्रति व.मी. की 25 प्रतिशत अर्थात 227.50/- रु. प्रति व.मी. के आधार पर प्रोविजनल आबंटन पत्र जारी किया गया। विभागीय रिकार्ड के अनुसार जन सुनवाई केन्द्र में विजय नर्सरी शिक्षा समिति की आयुक्त से चर्चा के पश्चात 7000 व.ग. भूमि आबंटन किये जाने बाबत आयुक्त महोदय द्वारा कहा गया।

(2) जी नहीं। जन सुनवाई केन्द्र में प्रार्थी संस्था की सुनवाई पर आयुक्त द्वारा 7000 व.ग. भूमि आबंटन बाबत कहा गया था। मौके पर भूमि उपलब्धता के सम्बन्ध में कोई पी.टी. सर्वे नहीं कराया गया, अपितु भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक दिनांक 07.06.2005 अनुसार शेष बची भूमि हेतु समिति के पदाधिकारियों द्वारा सहमति देने पर भूमि एवं सम्पत्ति समिति द्वारा लगभग 6400 वर्गगज भूमि के भूखण्ड के आबंटन किये जाने का निर्णय लिया गया। भूमि एवं सम्पत्ति समिति के निर्णय उपरान्त जविप्रा द्वारा कराये गये डिमार्केशन सर्वे अनुसार मौके पर 5413.49 व.मी. भूमि पाई गई। भूमि एवं सम्पत्ति समिति के निर्णय दिनांक 07.06.2005 व डिमार्केशन सर्वे दिनांक 29.07.2005 की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संस्था को दिनांक 20.01.2007 को 6474.53 व.ग. का (एलपीसी एवं राज्य सरकार के आदेशों के अनुक्रम में प्रोविजनल आबंटन पत्र दिनांक 05.10.1995 को प्रचलित आरक्षित दर के हिसाब से) मांग पत्र जारी किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 26.03.2007 को चालान नं. 18476 राशि रु. 27,71,395/- जमा कराये गये एवं दिनांक 24.04.2007 को चालान नं. 21700 से राशि रु. 41,248/- चालान में अंकित अन्य मद में जमा कराये हैं। भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक दिनांक 07.06.2005 को शिक्षा समिति के पदाधिकारियों द्वारा शेष बची भूमि 6400 वर्गगज भूमि के आबंटन

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

हेतु सहमति देने पर आबंटन करने का निर्णय लिया गया। अत: दिनांक 22.12.2004 की वार्ता के पश्चात समिति के पदाधिकारियों के साथ पुन: सहमति के आधार पर ही भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति द्वारा आबंटन का निर्णय लिया गया है। संस्था के प्रकरण में स्ट्रीप आफ लैण्ड निर्धारित नहीं की गई है अपितु बढ़ा हुआ क्षेत्रफल पाया गया है।

(4) मालवीय नगर संस्थानिक क्षेत्र में ही आर्च नामित संस्था को एलपीसी की 15वीं बैठक दिनांक 10.03.2005 को 1875 व.मी. भूमि को सैद्धान्तिक रूप से आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था। दिनांक 21.04.2005 को 2088 व.मी. भूमि का डिमाण्ड नोटिस जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 21.04.2005 को जारी किया गया मांग पत्र मौके के साइट प्लान अनुसार जारी किया गया था।

(5) जी हां। विजय नर्सरी शिक्षा समिति ने अपने पत्र दिनांक 11.09.2008 के माध्यम से (जविप्रा के पत्रांक जविप्रा/सा/यो/3409 दिनांक 11.09.2008 के संदर्भ में) आर्च नामित संस्था का उदाहरण देते हुए पत्र प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा पुन: दिनांक 09.01.2009 को पूर्व आबंटित वास्तविक क्षेत्रफल 6400 व.ग. का कब्जा पत्र व भौतिक कब्जा देने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर जविप्रा द्वारा दिनांक 31.12.2009 को तदानुसार कब्जा पत्र व साइट प्लान जारी किये गये। (परिशिष्ट 2 व 3)

(6) दिनांक 05.10.1995 को मात्र प्रोविजनल आबंटन पत्र जारी किया गया था। भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक के निर्णयानुसार निर्णय दिनांक 6 7.06.2005 के अनुसार समिति के पदाधिकारियों की सहमति से संस्था को लगभग 6400 व.ग. भूमि आबंटन करने का निर्णय लिया गया था। डिमार्केशन सर्वे अनुसार मौके पर भूमि का क्षेत्रफल 5476.28 वर्गमीटर हो जाने के फलस्वरूप अतिरिक्त बढ़े हुए क्षेत्रफल 125.28 वर्गमीटर के आबंटन के सम्बनध में भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक द्वारा दिनांक 22.08.2008 को बढ़े हुए क्षेत्रफल 125.28 वर्गमीटर का वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर पर आबंटन का निर्णय लिया गया। प्रकरण में पुर्नग्रहण शुल्क की गणना के सम्बन्ध में तथा निर्माण अवधि बढ़ाने के क्रम में राज्य सरकार से मार्गदर्शन जविप्रा द्वारा दिनांक 19.11.2012 को मांगा गया, जो दिनांक 06.12.2012 को प्राप्त हुआ। संस्था द्वारा दिनांक 12.12.2007 एवं 10.03.2008 को जविप्रा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर 6400 वर्गगज भूमि का कब्जा पत्र व साइट प्लान जारी करने का

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

निवेदन किया गया था तथा शेष भूमि के सम्बन्ध में भूमि एवं सम्पत्ति समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया। अत: विजय नर्सरी शिक्षा समिति के प्रकरण में आर्च संस्था को आबंटित भूमि के अनुरूप निर्णय नहीं लिया गया।

(7) जविप्रा द्वारा आर्च इंस्टिटयूट नामित संस्था को किया गया आबंटन एवं विजय नर्सरी शिक्षा समिति को किये गये आबंटन में अलग-अलग मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये हैं। दोनों प्रकरण की स्थिति यह है कि आर्च नामित संस्था को कभी भी बढ़ा हुआ क्षेत्रफल आबंटन नहीं किया गया, क्योंकि आर्च संस्था को किये गये आबंटन मे सर्वप्रथम एलपीसी की 15वीं बैठक दिनांक 10.03.05 को 1875 व.मी. का सैद्धान्तिक रूप से आरक्षित करने का निर्णय लिया गया था तथा उपायुक्त जोन 1 को निर्देशित किया गया था, कि संस्थाक से निर्धारित प्रपत्र व अन्य दस्तावेज पूर्ण करावें, आबंटन हेतु आगामी बैठक में प्रकरण प्रस्तुत करें। इस प्रकार यह अंतिम निर्णय नहीं था। तत्पश्चात उक्त संस्था को 2088 व.मी. भूमि का डिमांड नोटिस जारी किया गया। अत: इस प्रकरण में पूर्व में लिया गया निर्णय एक मात्र सैद्धान्तिक था, ना की अन्तिम। विजय नर्सरी शिक्षा समिति को दिनांक 22.12.2004 को जन सुनवाई केन्द्रा में हुई वार्ता अनुसार प्रकरण को आगामी भूमि एवं सम्पत्ति समिति की बैठक में प्रस्तुत करने पर भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति, जाविप्रा, जयपुर द्वारा विजय नर्सरी शिक्षा समिति के उपस्थित पदाधिकारियों का पक्ष सुनते हुए 6400 व.ग. भूमि आबंटन का निर्णय लिया गया। अत: प्रकरण में आबंटन से अधिक क्षेत्रफल पाया गया। इस प्रकार दोनों प्रकरण अलग-अलग हैं। इसके अतिरिक्त प्रकरण में स्वयं संस्था द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.12.2007, 10.03.2008 व 09.01.2009 द्वारा यह अनुरोध किया कि उसे पूर्व भूमि एवं सम्पत्ति समिति के निर्णयानुसार 6400 वर्गगज भूमि का कब्जा पत्र व भौतिक कब्जा दिया जाये तथा शेष अतिरिक्त भूमि का भूमि एवं सम्पत्ति समिति के निर्णयानुसार कार्यवाही की जाये।

(8) आबंटी संस्था ने 6400 व.ग. भूमि पर निर्माण हेतु नक्शे अनुमोदन के लिए दिनांक 12.10.2011 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त सम्बन्धित जोन कार्यालय द्वारा भूमि की स्वामित्व की रिपोर्ट दिनांक 22.02.2012 को अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, भवन मानचित्र (बीपी) को भिजवाई गई तथा लेखा रिपोर्ट के सम्बन्ध में तत्समय प्रकरण

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

पुर्नग्रहण शुल्क एवं शहरी जमाबंदी की राशि के सम्बन्ध में विचाराधीन था तथा उक्त राशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को इस कार्यालय से पत्र क्रमांक डी-3164 दिनांक 19.11.2012 जारी किया गया तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06.12.2012 को प्रकरण का निस्तारण करते हुए प्राधिकरण को निर्देश जारी किये गये तदनुसार पुन:संस्था को दिनांक 27.12.2012 के द्वारा संशोधित मांग पत्र जारी किया गया तथा प्रार्थी संस्था द्वारा मांग पत्र अनुसार राशि जमा कराई गई। जोन कार्यालय से लेखा रिपोर्ट क्रमांक डी-424 दिनांक 05.02.2013 से भिजवाई जा चुकी है।

(9) जी हां। संस्था 6400 व.ग. भूमि के लिए समस्त राशि (शहरी जमाबंदी/पुर्नग्रहण राशि) जमा करवा दी है तथा जोन कार्यालय से लेखा रिपोर्ट क्रमांक डी-442 दिनांक 05.02.2013 से भिजवाई जा चुकी है ।

(10) जी नहीं। यह सही नही है कि जविप्रा के सम्बन्धित जोन उपायुक्त द्वारा संस्था को 6400 व.ग. की लेखा रिपोर्ट भेजे जाने से पूर्व संस्था के कब्जे की अधिकृत भूमि की जमा राशि वापिस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। जबकि जोन द्वारा भवन मानचित्र समिति को स्वामित्व की रिपोर्ट भूमि के स्वामित्व दिनांक 22.02.2012 एवं लेखा रिपोर्ट क्रमांक डी 442 दिनांक 05.02.2013 से भिजवाई जा चुकी है।

(11) जोन द्वारा 6400 व.ग. की लेखा रिपोर्ट भवन मानचित्र समिति को भिजवाई जा चुकी है तथा शेष बढ़ा हुआ क्षेत्रफल की राशि प्राधिकरण से प्रार्थी संस्था को चैक संख्या 010196 दिनांक 17.09.2012 राशि 41,798.00 रु. एवं 002044 दिनांक 09.08.2012 राशि 8550.00 रु. ब्याज सहित लौटाई जा चुकी है। लेकिन संस्था द्वारा उक्त चैक जविप्रा को वापिस लौटा दिये हैं। संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2007 एवं 10.03.2008 अनुसार 6400 वर्गगज भूमि का आबंटन संस्था को किया जा चुका था तथा शेष अतिरिक्त भूमि को भूमि एवं सम्पत्ति समिति के निर्णय अनुसार संस्था द्वारा स्वीकार नहीं करने के कारण संस्था को आबंटित नही किया गया है। जविप्रा द्वारा अतरिक्त भूमि का पृथक से भूखण्ड सृजित कर संशोधित प्लानिंग पी.डब्यू..सी. की बैठक में अनुमोदित हो चुकी है। फलस्वरूप इस अतिरिक्त भूमि का आबंटन संस्था को दिनांक 05.10.1995 की प्रचलित आरक्षित दर से करने का जविप्रा का कोई विचार नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत जारी पट्‌टे

168. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में प्रशासन शहरों के संग अभियान में अब तक कितने पट्‌टे जारी किये गये? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) जयपुर नगर निगम एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कच्ची बस्ती क्षेत्रों में कितने पट्‌टे हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये और कितने पट्‌टे जारी किये गये? जोनवार पृथक-पृथक संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत अब तक 1,86,280 पट्‌टे जारी किये गये हैं। जिलेवार जारी किये गये पट्‌टों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जयपुर नगर निगम एवं जयपुर विकास प्राधिकरण में कच्ची बस्ती क्षेत्रों में पट्‌टे हेतु प्राप्त आवेदन पत्र एवं जारी किये गये पट्‌टों का विवरण जोनवार परिशिष्ट "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माचेड़ा ग्राम (आमेर) में कृषि उपज एवं अनाज मण्डी हेतु अवाप्त भूमि

169. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम माचेड़ा तहसील आमेर के साबिक खसरा नं. 405 हाल खसरा नं. 987, 1062 925/1245, 986/1250 रकबा 21 बीघा 17 बिस्वा भूमि कृषि उपज एवं अनाज मण्डी हेतु अवाप्त की गई थी? यदि हां, तो उक्त खसरा की शेष भूमि जो अवाप्ति में नहीं है, उनमें किस आवासीय योजना के कितने भवन निर्मित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि खसरा नं. 405 अवाप्ति में होने से इस पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर बने उसकी 90 बी खाता विभाजन के अभाव में नहीं की गई है? यदि हां, तो यह प्रकरण कब से किस स्तर पर विचाराधीन चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें? यदि नहीं, तो क्यों और इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

(श्री कालीचरण सराफ)

(3) क्या यह सही है कि प्रशासन शहरों के संग अभियान में खसरा नं. 405 की जो भूमि अवाप्ति में नहीं है, उनमें निवास करने वाले प्लाट धारियों ने नियमन की कार्यवाही हेतु आवेदन किया है? यदि हां, तो किन-किन द्वारा आवेदन किया गया है और नियमन की कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी? विवरण मय सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। ग्राम माचेड़ा तहसील आमेर के साबिक खसरा नं. 405 जिसके हाल नम्बर 987, 1062, 925/1245, 986/1250 कुल रकबा 46 बीघा 12 बिस्वा है। उसमें से 21 बीघा 17 बिस्वा भूमि को कृषि मण्डी द्वारा अवाप्ति किया गया है। शेष भूमि जो अवाप्ति में नहीं है, उसमें मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना 4-सी सृजित है, उसमें 34 भूखण्ड निर्मित हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। प्रकरण राजस्व नक्शे में तरमीम के अभाव में पेन्डिंग है। राजस्व विभाग में (अमल दरामद एवं अवार्ड नक्शे के अभाव में) उक्त खसरा नम्बरों की तरमीम नहीं हो पाई है। जिसकी प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्रशासन शहरों के संग अभियान में भूखण्डधारियों द्वारा नियमन हेतु आवेदन किया है। सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। उक्त योजना के नियमन की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा अवाप्त हिस्से की तरमीम के पश्चात् नियमानुसार 90-ए(8) की कार्यवाही करने के पश्चात् ही सम्भव हो सकेगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश में खेल नीति के तहत प्रस्तावित कार्य

170. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खेल नीति की घोषणा की गई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खेल नीति के अनुसार अब सरकार द्वारा प्रदेश में क्या-क्या कार्य किये जाने हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खेलों के उत्थान के लिए खेल नीति बनाई जा रही है जिसे शीघ्र ही जारी कर दिया जाएगा।

(2) खेल नीति प्रक्रियाधीन है। जारी होने के पश्चात तदनुसार कार्य किये जाएंगे।

भीम में उपलब्ध खनन क्षेत्र

171. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में खनिज से सम्बन्धित कौन-कौन सा एरिया अरावली क्षेत्र में आता है? खसरा नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अरावली क्षेत्र होने का क्या मानदण्ड निर्धारित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र भीम में खनिज से सम्बन्धित अरावली का कोई निश्चित क्षेत्र जी.टी. शीट, विभागीय मास्टर मेप या रेवेन्यू अभिलेख में अंकित नहीं किया गया है। खनिज रियायत हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनमें अरावली क्षेत्र की जांच मौका स्थिति एवं जी.टी. शीट पर अंकित कन्टूरों के आधार पर की जाती है।

(2) आवेदित क्षेत्र का अरावली में आने या नहीं आने की जांच करने में रिचर्डमर्फी लेण्ड फार्म क्लासिफिकेशन के अनुसार लोकल रिलीफ से 100 मीटर एवं उससे ऊंची पहाड़ी तथा ऐसी पहाड़ी के ढलान को अरावली हिल्स माना जाता है।

साइबर थानों हेतु आबंटित राशि

172. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने साइबर थाने खोलने की घोषणा की थी? यदि हां, तो कहां-कहां साइबर थाने खोले गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त थानों के लिये कितना-कितना बजट कब-कब आबंटित किया गया? किस-किस थाने में किस-किस स्तर तथा संवर्ग के कितने पद सृजित किये गये और किस-किस अधिकारी/कर्मचारी को पदस्थापित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(श्री अनिल जैन)

(3) उक्त थानों में अब तक कितने प्रकरण दर्ज हुए हैं? थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नवीन साइबर पुलिस थाना जयपुर में पुलिस अधीक्षक के अधीन खोला गया है।

(2) नवीन साइबर पुलिस थाने हेतु रुपये 08.00 लाख का बजट आबंटन किया गया है। इसके लिए पुलिस अधीक्षक, एससीआरबी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा इसके अतिरिक्त निम्नांकित नवीन पद सृजित किये गये हैं:-

क्र. सं.	नाम पद	सृजित पद	पदस्थापित अधिकारी/कर्मचारी
1	उप अधीक्षक पुलिस	1	1
2	पुलिस निरीक्षक	9	1
3	उप निरीक्षक पुलिस	6	-
4	सहायक उप निरीक्षक पुलिस	4	-
5	हैड कांस्टेबल	2	-
6	कांस्टेबल	5	-
7	कांस्टेबल ड्राइवर	1	-
8	सिस्टम एनालिस्ट	2	-
9	एसिस्टेंट कम्प्यूटर प्रोग्रामर	3	-
10	प्रोग्रामर	2	-

(3) उक्त थाने में अब तक कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है ।

धावास (जयपुर) अजमेर रोड की राजकीय भूमि पर अतिक्रमण

173. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 5 नवम्बर, 2012 को करणी विहार थाने से पुलिस जाप्ता, धावास, अजमेर रोड में जयपुर विकास प्राधिकरण के

(श्री विजय बंसल)

स्वामित्व की राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नं. 172, 186, 187 एवं 188 पर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त कर कब्जा प्राप्त करने हेतु जविप्रा के प्रवर्तन दस्ते की मदद के लिए गया था? यदि हां, तो उक्त दिवस को मौके पर थाने से गई नफरी के नाम की सूची मय रोजनामचे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि करणी विहार थाने, जयपुर में दिनांक 10 नवम्बर, 2012 को अतिकर्मियों द्वारा धावास, अजमेर रोड पर उपरोक्त खसरा नम्बरों की प्राधिकरण के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि से जविप्रा के स्वामित्वव के बोर्ड, फैंसिंग को बलपूर्वक हटाकर पुन: अतिक्रमण करने व सड़क पर चल रहे राजकीय कार्य में झगड़ा-फसाद कर बाधा उत्पन्न, करने सम्बन्धी एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी? एफ.आई.आर. किन-किन धाराओं के अन्तर्गत दर्ज की गई? क्या उक्त दर्ज एफ.आई.आर. में त्वरित एवं निष्पक्ष जांच हेतु पुलिस आयुक्त, जयपुर को कोई अभ्यावेदन भी दिया गया था? यदि हां, तो इन सभी पर क्या-क्या कार्यवाही हुई? विवरण मय प्रतियों के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राजकीय सम्पत्ति को हड़पने एवं उस पर बलपूर्वक अतिक्रमण करने जैसे अपराध पर राज्य की पुलिस सख्ती से अनुसंधान करती है? यदि हां, तो उक्त प्रकरण दर्ज होने के उपरान्त अनुसंधान अधिकारी ने कब-कब, किन-किन व्यक्तियों के बयान दर्ज किये गये? क्या अनुसंधान अधिकारी ने प्राधिकरण के जोन-7 के उपायुक्त, प्रवर्तन अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, तहसीलदार, अमीन, प्राधिकरण की लेबर (जो दिनांक 5 नवम्बर, 2012 को कब्जे लेने प्रवर्तन दस्ते के साथ गई थी), दिनांक 5 नवम्बर,2012 को करणी विहार थाने से गई नफरी एवं मौके पर आस-पास के गवाहों से बयान लिये हैं? यदि हां, तो प्रकरण में की गई जांच रिपोर्ट, लिए गये बयानों, फोटो, वीडियोग्राफी, चार्जशीट एवं चालान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि इनमें से किन्हीं के भी बयान नहीं लिये गये तो क्यों?

(4) दिनांक 10 नवम्बर, 2012 को घटित घटना में किन-किन दोषी व्यक्तियों को नामजद किया जाकर अब तक गिरफ्तार किया गया एवं चालान पेश किया जा चुका है एवं कौन-कौन दोषी अभी तक गिरफ्तार नहीं किये गये हैं और क्यों? क्या दोषियों से प्राधिकरण के स्वामित्व के बोर्ड बरामद कर लिये गये हैं।

(5) क्या यह सही है कि 10 नवम्बर, 2012 की एफ.आई.आर. दर्ज होने

(श्री विजय बंसल)

के उपरान्त दोषी अतिक्रमियों द्वारा उक्त भूमि पर लगातार अवैध गतिविधियां की जा रही हैं ? यदि हां, तो स्थानीय पुलिस ने दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या राज्य की पुलिस भूमाफियों द्वारा बेशकीमती सरकारी भूमि पर धड़ल्ले से अतिक्रमण करने के विरुद्ध सख्त कार्यवाही कर उक्त भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा दोषियों को सख्त सजा दिलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

(7) क्या सरकार प्रकरण में जांच किसी वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी से करवाकर पूरक चार्जशीट प्रस्तुत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। लेकिन दिनांक 10.11.2012 को उपरोक्त स्थान पर ज.वि.प्रा. द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान ज.वि.प्रा. दस्ते द्वारा इमदाद मांगने पर थाने से चेतक 33 जाप्ता श्री सुल्तान सिंह हैड कानि. 530 श्रीमती बीनू महिला कानि. 2492 धर्मेन्द्र कानि. 8637 चालक राजवीर 2754 मौके पर इमदाद हेतु गये थे। चेतक रवानगी की रोजनामचा आमद रवानगी नकल रपट परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस सम्बन्ध में करणी विहार थाने में प्रकरण संख्या 2256/12 दिनांक 10.11.2012 धारा 448, 353 आई.पी.सी. व 3 पी.डी.पी.पी. एक्ट में दर्ज किया गया है। प्रकरण अनुसंधानाधीन है। इस सम्बन्ध में पुलिस आयुक्त, जयपुर को प्राप्त परिवाद पर अनुसंधान अधिकारी को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उपरोक्त एफ.आई.आर.एवं परिवाद की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। इस तरह के मामलों का अनुसंधान त्वरित गति से किया जाता है। अनुसंधानाधिकारी द्वारा दिनांक 21-11-2012 को श्री हेमराज मीणा पुत्र श्री रामेश्वर, जेईएन, जोन नं. 7, जेडीए, जयपुर, श्री विजय सिंह पुत्र श्री जयनारायण जाट, ठेकेदार, जेडीए, जयपुर, श्री रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री ताराचन्द जाट, जयपुर, श्री रामकिशन पुत्र श्री गंगासहाय कुलवारिया, लेबर, जेडीए, जयपुर व सुल्तान सिंह पुत्र श्री पूरनाराम जाट, एचसी नं. 530, श्रीकरणी विहार, जयपुर के दर्ज किये गये बयानों व फोटो की प्रति परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। जविप्रा के

(गृह मंत्री)

जोन-7 के उपायुक्त, प्रवर्तन अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, तहसीलदार, अमीन के बयान दर्ज नहीं किये गये हैं। उक्त प्रकरण अनुसंधानाधीन है।

(4) दिनांक 10.11.2012 की घटना के सम्बन्ध में आरोपी (1) बिरधी चन्द पुत्र सोहन लाल उर्फ सोन्या जाति मीणा उम्र 45 साल निवासी राठी स्कूल के पीछे ग्राम धावास थाना करणी विहार जयपुर को दिनांक 20.12.2012 को गिरफ्तार किया जाकर पेश न्यायालय किया गया। शेष के सम्बन्ध में अनुसंधान जारी है। दोषियों से ज.वि.प्रा. के स्वामित्व सम्बन्धी कोई बोर्ड बरामद नही किये गये हैं।

(5) दिनांक 10.11.2012 को एफ.आई.आर. दर्ज होने के उपरान्त दोषी अतिक्रमियों द्वारा उक्त भूमि पर दुबारा कोई अवैध गतिविधि नहीं की गई है, निगरानी जारी है।

(6) जी हां। राज्य की पुलिस भू-माफियाओं द्वारा बेशकीमती सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के विरुद्ध सख्त एवं प्रभावी कार्यवाही कर भूमि को शीघ्र अतिक्रमण से मुक्त करा, दोषियों को सख्त सजा दिलाने का विचार रखती है।

(7) जी नहीं। सक्षम अधिकारी द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रीपेड बूथ के आटो चालकों के आश्रितों को सहायता

174. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कौन-कौन से शहर में आटो रिक्शा प्री-पेड बूथ की व्यवस्था् है तथा इन बूथों के संचालन के नियमन व सुव्यवस्थित किये जाने हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है तथा क्या इस हेतु कोई संचालन कमेटी बनाई गयी है? शहरवार कमेटियों के सदस्यों के नाम एवं संगठन के नाम की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्री-पेड बूथों की आय-व्यय पर नियंत्रण की कोई व्यवस्था की गई है? उक्त कोषों का उपयोग किस-किस मद में किये जाने का नियम बनाया गया है तथा इसके दुरुपयोग रोकने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

(3) बूथ संचालन सम्बन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बूथ कोषों से मृत आटो चालकों के आश्रितों या बीमार चालकों

(श्री अमराराम)

को सहायता का प्रावधान है ? यदि हां, तो अब तक किस-किस शहर में किस-किस आटो चालकों को या उनके आश्रितों को सहायता दी गई?

उत्तर

(1) राजस्थान में केवल जयपुर, जोधपुर, अजमेर एवं उदयपुर शहर में आटो रिक्शा प्री-पेड बूथ की व्यवस्था है। स्थानीय पुलिस द्वारा आमजन की सुरक्षा एवं सुविधा हेतु इनके संचालन/नियमन हेतु जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर में कमेटियां गठित की गई हैं एवं उदयपुर में जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर संचालन हो रहा है। उपरोक्त कमेटियों का विवरण परिशिष्ट-"अ" में अंकित है।

(2) उक्त प्री-पेड बूथों के आय-व्यय पर नियंत्रण एवं उपयोग हेतु सम्बन्धित कमेटियों की कार्यप्रणाली एवं संचालन बाबत जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर मे सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/उपायुक्त द्वारा निर्देश जारी किये हुए हैं। प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट-"ब", "स" तथा "द" पर हैं।

(3) राज्य सरकार स्तर से बूथ संचालन सम्बन्धी नियम नही बनाये गये हैं।

(4) केवल जयपुर शहर के उक्त बूथ कोष से आटो चालकों के कल्याण की व्यवस्था है लेकिन अब तक किसी को भी इसके तहत कोई सहायता नहीं दी गई है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली जिले के भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय में दर्ज प्रकरण

175. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पाली जिले में वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 में भ्रष्टाचार-निरोधक ब्यूरो में कितने मुकदमे दर्ज हुए किन-किन पर क्या कार्यवाही की गई? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पाली जिले की ग्राम पंचायत कानूजा के सरपंच के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में माह नवम्बर, 2012 के द्वारा इस्तगासा दर्ज हुआ है? यदि हां, तो अब तक जांच न कर चालान पेश नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अनीता सिंह)

(3) क्या सरकार पाली जिले के बाहर के उच्च अधिकारियों से जांच करवाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पाली जिले में वर्ष 2011-12 में 14 प्रकरण एवं वर्ष 2012-13 में 15 प्रकरण कुल 29 प्रकरण दर्ज हुए जिनकी सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है। ब्यूरो द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "क" के अन्तिम कालम में अंकित है।

(2) पाली जिले की ग्राम पंचायत कानूजा के तत्कालीन सरपंच श्रीमती पप्पू देवी एवं अन्य के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायाधीश, सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर में परिवादी श्री लक्ष्मणसिंह पुत्र श्री बीदरसिंह जाति रावत निवासी ग्राम कानूजा, पं.स. रायपुर जिला पाली द्वारा दिनांक 25.10.2012 को इस्तगासा अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत किया गया। उक्तव इस्तगासा चौकी भ्र.नि. ब्यूरो, पाली को दिनांक 13.12.2012 को प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा उक्त इस्तगासे में आरोपितगणों के विरुद्ध आपसी मिलीभगत एवं पद का दुरुपयोग कर आपराधिक षड्यंत्र रचकर बेइमानी पूर्वक मूल्यवान भू-खण्डों के पट्टे अपने एवं अपने नातेदारों, रिश्तेदारों के नाम जारी कर सदोष लाभ पहुंचाने के आरोप लगाये गये हैं।

उक्त इस्तगासा ब्यूरो मुख्यालय पर दिनांक 19.12.12 को प्राप्त हुआ जिस पर ब्यूरो स्तर पर परीक्षणोपरांत विस्तृत जांच करवाने हेतु प्राथमिक जांच संख्या 20/2013 दिनांक 05.02.13 दर्ज कर एसीबी चौकी पाली में श्री शैतानसिंह, पुलिस निरीक्षक से जांच करवाई जा रही है। जो जांचाधीन है।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट "क"

वर्ष 2011-12 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पाली जिले से सम्बन्धित दर्ज प्रकरणों की सूची

S. No.	YEAR & CASE NO.	DATE REGIS-TRATION	NAME OF MAIN ACCUSED	DESIG. OF MAIN ACCUSED	DEPART-MENT OF ACCUSED	OFFICE ADDRESS OF ACCUSED	TYPE OF CASE	DATE CHALLAN /FR IN COURT	CASE STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2011R192	30/05/2011	SATNARAYAN DAYAMA	GRAM SEVEK	PANCHAYAT	MADA PS DESOORI PALI	M		PENDING
2.	2011R196	31/05/2011	SHARDUL SINGH	PATWARI	REVENUE	SANDERAO TH SUMERPUR	T	3/30/2013	FR
3.	2011R226	21/06/2011	INDER LAL SHANKHLA	JR ACCT	TREASURY	DY TREASURY MARWAR	M		PENDING
4.	2011R259	14/07/2011	VORI LAL	SUPDT	ITI	ITI PALI	M		PENDING
5.	2011R301	4/08/2011	SHARWAN KR	HC1289	POLICE	OP KHAIRWA PS SADAR	T	1/17/2013	CHALLAN
6.	2011R321	30/08/2011	GOVIND DAS VAISHANV	SARPANCH	PANCHAYAT	GP VANDAR PS RANI	T	1/23/2013	CHALLAN
7.	2011R326	5/09/2011	PARBHU RAM GAHNOLIYA	DIV MANAGR	INSURANCE	ORIENTL INSURNCE PALI	T		PENDING FOR Ps
8.	2011R346	16/09/2011	RAMDIN MEENA	PATWARI	REVENUE	KOSELAV TH SUMERPUR	T		CS TO BE PUT UP
9.	2011R370	5/10/2011	SHANTI LAL	DOCTOR	MEDICAL	GOVT HOSP RAIPUR PALI	T	1/17/2013	CHALLAN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	2011R400	3/11/2011	CHUNNA RAM VISNOI	SDM	REVENUE	ROHAT PALI	T		PS UNDER CORRE-SPONDE
11.	2011R428	2/12/2011	BHAGIRATH PD MEENA	PEO	PANCHAYAT	PS DESURI PALI	T	1/17/2013	CHALLAN
12.	2011R485	27/12/2011	CHANDERAWATI	SARPANCH	PANCHAYAT	GP SUMER PS DESURI	M		PENDING
13.	2012R16	20/01/2012	MAG SINGH	HELPER	ENERGY	JDR DISCOM RANI PALI	T		CS TO BE PUT UP
14.	2012R36	17/02/2012	RAM NARAYAN CHAUDHRY	XEN	PWD	NHA OF INDIA PALI	D		PENDING
वर्ष 2012-13 में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पाली जिले से सम्बन्धित दर्ज प्रकरणों की सूची									
1.	2012R74	5/04/2012	RUGHA RAM	SI	POLICE	PS JAITARAN PALI	T		CS TO BE PUT UP
2.	2012R217	20/06/2012	OM PRAKASH	UDC	JUDISARY	ACJM SOJAT CITY PALI	T		PENDING FOR PS
3.	2012R265	10/07/2012	ANOP SINGH	EO	UDH	MUNICIPAL SUMERPUR	D		PENDING
4.	2012R294	23/07/2012	HARI RAM SONI	SI	POLICE	PS ANNADPUR KALU PALI	T		PENDING FOR PS
5.	2012R301	26/07/2012	PRAKASH CHAND KALA	DOCTOR	MEDICAL	SN MEDICAL COLLE JDR	M		PENDING
6.	2012R304	27/07/2012	LAKHAN SINGH	PATWARI	REVENUE	SARDARSMAND TH SOJAT	T		PENDING
7.	2012R319	8/08/2012	CHUNNI LAL	CHAIRMAN	COOPERATIVE	GSSSL KANTALIYA PALI	M		PENDING

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	2012R368	10/09/2012	ROOP SINGH	ASI	POLICE	PS KOTWALI PALI	T		PENDING
9.	2012R437	16/11/2012	GEPER RAM	SARPANCH	PANCHAYAT	GP NIMAJ PS JAITARAN	M		PENDING
10.	2012R438	16/11/2012	HARPHOOL SINGH YADAV	SDM	PANCHAYAT	SDO JAITARAN	M		PENDING
11.	2012R529	26/12/2013	SURESH CHAND	CONST 896	POLICE	PS RAIPUR PALI	T		PENDING
12.	2013R47	13/02/2013	JORA RAM	CONST 295	POLICE	PS SENDRA PALI	T		PENDING
13.	2013R60	21/02/2013	TARA CHAND KULDEEP	XEN	PHED	SOJAT PALI	M		PENDING
14.	2013R61	21/02/2013	TARA CHAND KULDEEP	XEN	PHED	SOJAT PALI	M		PENDING
15.	2013R62	21/02/2013	TARA CHAND KULDEEP	XEN	PHED	SOJAT PALI	M		PENDING

ग्रामीण क्षेत्रों में वन विकास कार्यों हेतु जापान सरकार से प्राप्त राशि

176. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा वनों के विकास हेतु जापान सरकार से कितनी राशि कब व कितने समय हेतु किस ब्याज दर पर प्राप्त की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राप्त राशि में से अब तक कहां-कहां पर कितनी-कितनी, किस-किस कार्य हेतु राशि की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्राप्त राशि को गांवों में वनों के विकास हेतु की जानी थी? यदि हां, तो अब तक किस-किस गांव में कितनी-कितनी राशि की गई व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार को वनों के विकास हेतु जापान सरकार से राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-2 के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 से 2018-19 तक के लिये राशि रुपये 1152.54 करोड़ स्वीकृत हुई है, जिसमें से राशि रुपये 884.77 करोड लोन राशि है। उक्त राशि में से वर्षवार निम्न प्रकार राशि प्राप्त हुई है :-

वर्ष	**राशि (लाखों में)**
2011-12	39.06
2012-13 (5.2.13 तक)	115.75

उक्त राशि 0.65 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर प्राप्त की गई है।

(2) उक्त प्राप्त राशि में से अब तक व्यय राशि का कार्यवार एवं कार्यालय वार विवरण एनेक्चर-I एवं एनेक्चर-II पर संलग्न है।

(3) जी हां। मण्डल कार्यालयवार खर्च की गई राशि का विवरण मय गांववार बजट आबंटन की सूचना एनेक्चर-III पर संलग्न है।

(सूचना पुस्तकालय में रखी गयी)

सिवाना में वन भूमि की सुरक्षा हेतु कार्य-योजना

177. **श्री कान सिंह कोटड़ी** (सिवाना) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में वन विभाग के अधीन किस-किस प्रकार की भूमि है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में वन विभाग के पास किस-किस प्रकार की कितनी-कितनी भूमि उपलब्ध है? क्षेत्रफल व संख्या के साथ ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा वन भूमि की सुरक्षा की दृष्टि से रक्षा करने के लिये यथा-चारदीवारी, मेड़बन्दी, तारबन्दी इत्यादि का प्रावधान किया गया है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सिवाना में कितनी भूमि पर इस प्रकार की कार्यवाही की गई है व कितनी भूमि पर शेष है? क्या सरकार शेष भूमि पर भी सुरक्षा की दृष्टि से उक्त प्रकार की कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश का कुल वन क्षेत्र 32736.64 वर्ग किलोमीटर है जिसमें भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	वन भूमि का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में		
	आरक्षित वनभूमि	रक्षित वनभूमि	अवर्गीकृत
1	12475.07	18216.86	2044.71

(2) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में विभाग के पास कुल 27017.61 हैक्टेयर वन भूमि है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) जी हां। वन भूमि की सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में चारदीवारी बनाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 2010-11 से अब तक 7.130 किलोमीटर चारदीवारी का निर्माण कराया जा चुका है। यह कार्य निरन्तर है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

178. **श्री बंशीधर खण्डेला** (खण्डेला) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बंशीधर खण्डेला)

(1) जिला सीकर में तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर में तृतीय श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है -

पदनाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
द्वितीय श्रेणी अध्यापक	3560	587
तृतीय श्रेणी अध्यापक	9393	1202

(2) जी हां।

द्वितीय श्रेणी अध्यापक के रिक्ती पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से तथा विभागीय पदौन्नति प्रक्रिया से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे । तृतीय श्रेणी अध्यापक के 39544 पदों पर पंचायतीराज विभाग द्वारा सीधी भर्ती परीक्षा, 2012 आयोजित कर जिला परिषदों के माध्यम से चयनित आशार्थियों में से 34446 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है, शेष पदों पर भी नियुक्ति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जामिया उर्दू विश्वविद्यालय की उपाधियों को मान्यता

179. श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जामिया उर्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की अदीब, अदीब माहिर और अदीब कामिल को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मैट्रिक, इन्टर व बी.ए. के समकक्ष 1958 से मान्यता दी हुई थी?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डिग्रियों की वर्ष 2010 से अचानक मान्यता रद्द कर दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त डिग्रियों को पुन: मान्यता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जामिया उर्दू अलीगढ की अदीब व अदीब माहिर की परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्रथम बार बोर्ड कार्यालय के आदेश क्रमांक-ईक्यू 170 दिनांक 31.07.2002 द्वारा प्रदान की गई है । (परिशिष्ट-''क'')

राजस्थायन विश्वविद्यालय द्वारा जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदीब कामिल परीक्षा को बी.ए. द्विवर्षीय पाठ्यक्रम परीक्षा में केवल अंग्रेजी विषय में प्रविष्ट होने हेतु मान्यता दी गई है। (परिशिष्ट-''ख'')

(2) जामिया उर्दू अलीगढ़ की अदीब व अदीब माहिर की परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान की माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा के समकक्ष प्रदान की गई समकक्षता/मान्यता को स्टेट आफ राजस्थान व अन्य बनाम फिरदोस तरन्नुम डी.बी. सिविल स्पेशल अपील नं. 534/2005 में पारित निर्णय दिनांक 20.01.2006 के सन्दर्भ में बोर्ड कार्यालय के आदेश क्रमांक-ईक्यू 1045 दिनांक 05.07.2011 द्वारा निरस्त किया गया है। (परिशिष्ट-'ग'')

(3) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के सन्दर्भ में मान्यता समाप्त किये जाने के कारण उक्त डिग्रियों को पुन: मान्यता देने के सम्बन्ध में पुनर्विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन के विद्यालयों में रिक्त पद

180. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के किन-किन विद्यालयों में शिक्षकों के कितने एवं किस-किस विषय के पद कब से रिक्त चल रहे हैं? प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयवार पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के शिक्षा विभाग के अधीन संचालित राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का विद्यालवार विवरण परिशिष्ट ''क-1'' तथा ''क-2'' पर संलग्न है ।

(शिक्षा मंत्री)

(2) द्वितीय श्रेणी अध्यापक के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से तथा विभागीय पदौन्नति प्रक्रिया से चयनित अभ्यंर्थी उपलब्ध होने पर भरे जा सकेंगे । तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद पंचायतीराज विभाग द्वारा आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा, 2012 में चयनित आशार्थियों से भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा जिले के निजी विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार के तहत अध्ययनरत छात्र

181. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विगत तीन वर्षो में कोटा जिले में स्थित प्राइवेट स्कूलों में RTE (शिक्षा का अधिकार) के तहत किस-किस स्कूल में कितने-कितने बच्चों को प्रवेश दिया गया? उक्त बच्चे किस जाति धर्म से सम्बन्ध रखते हैं तथा यह संख्या कानून के तहत निर्धारित संख्या से कितनी कम है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिन प्राइवेट स्कूलों ने RTE (शिक्षा का अधिकार) के तहत बच्चों को प्रवेश नहीं दिया उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 01 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। तथा "राजस्थान नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 29 मार्च, 2011 को अधिसूचित किया गया। वर्ष 2010-11 में कोई प्रवेश नहीं हुए। शिक्षा सत्र 2011-12 में किसी भी विद्यालय द्वारा निर्धारित नियम व प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रवेश नहीं दिये जाने के कारण प्रवेश शून्य माने गये। शिक्षा सत्र 2012-13 में कोटा जिले के गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रवेश देने तथा कम प्रवेश देने का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जाति धर्म के स्थान के बजाय "दुर्बल वर्ग" एवं "असुविधाग्रस्त समूह"के बच्चों को प्रवेश दिया जाता है।

(2) जिन गैर-सरकारी विद्यालयों द्वारा आर.टी.ई. नियमों के अन्तर्गत

(शिक्षा मंत्री)

प्रवेश नहीं दिया गया उन्हें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नोटिस जारी कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बस्सी में सर्व शिक्षा अभियान के तहत चिन्हित विकलांग छात्र

182. श्रीमती अंजु खन्गवाल (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनवरी, 2009 से अब तक सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कितने विकलांग छात्र-छात्राओं को चिन्हित किया गया? वर्षवार व विकलांग श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिन्हित विकलांगों की सहायतार्थ कौन-कौन से उपकरण कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अस्थि विकलांग एवं अधिगम विकलांग हेतु मोटर ट्राई साइकिल हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में जनवरी, 2009 से अब तक चिन्हित किये गये विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का वर्षवार श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त बालक-बालिकाओं में से चयनित बालक-बालिकाओं को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गये उपकरणों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) अस्थि विकलांग एवं अधिगम विकलांग हेतु मोटर ट्राई साइकिल हेतु कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत मोटर ट्राई साइकिल का वितरण नहीं किया जाता है।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का विवरण

वर्ष	विकलांगता की श्रेणी										कुल
	L.V.	T.B.	S.I.	H.I.	M.R.	O.H.	M.D.	C.P.	L.D.	A.S.D	
2009-10	102	0	0	131	146	201	58	50	336	0	1024
2010-11	102	3	0	165	118	180	56	28	338	36	1026
2011-12	34	3	83	60	246	81	20	51	211	0	789
2012-13	33	3	80	59	230	77	25	61	228	2	798

परिशिष्ट "ख"

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में चिन्हित विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को उपलब्ध कराये गये उपकरणों का विवरण

वर्ष	ट्राई साइकिल	श्रवण यंत्र	ब्रेलकिट	व्हील चेयर	ब्लाइन्ड स्टिक	योग
2009-10	0	4	0	2	0	6
2010-11	4	1	1	1	0	7
2011-12	5	3	0	4	2	14
2012-13	4	3	0	0	0	7

बारां जिले में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

183. श्री पानाचन्द (बारां-अटरू) व **श्री प्रमोद जैन ''भाया''** (अन्ता) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बारां जिले में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक सर्व शिक्षा कार्यक्रम से किस-किस विद्यालय में क्या-क्या निर्माण किस-किस दिनांक को स्वीकृत किया गया? प्रत्येक स्कूल में स्वीकृत कार्यों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त निर्माण कार्यों के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई एवं जनवरी, 2013 तक कितनी-कितनी राशि व्यय हो चुकी है? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौनसा कार्य किस-किस स्तर पर चल रहा है एवं कौन-कौनसा कार्य किस-किस दिनांक को पूर्ण हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बारां जिले में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नानुसार निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये:-

क्र.सं.	**विधान सभा क्षेत्र**	**स्वीकृत कार्यों की संख्या**
1	अन्ता	588
2	बारां अटरू	402
3	छबड़ा	681
4	किशनगंज शाहबाद	673
	कुल	**2344**

स्वीकृत कार्यों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि व जनवरी, 2013 तक किया गया व्यय निम्नानुसार है :-

(शिक्षा मंत्री)

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	स्वीकृत कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख)	व्यय राशि (लाख)
1	अन्ता	588	847.14	760.55
2	बारां अटरू	402	661.57	587.14
3	छबड़ा	681	1021.54	893.50
4	किशनगंज शाहबाद	673	1030.35	902.70
	कुल	**2344**	**3560.60**	**3143.89**

कार्यवार विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(3) उक्त स्वी्कृत कार्यों की वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर शहर के विद्यालयों में प्रतिनियुक्त अध्यापक

184. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जोधपुर शहर में विभिन्न विद्यालयों में अंग्रेजी विषय के वरिष्ठ अध्यापकों के कितने पद कब-कब से रिक्त हैं तथा प्रतिनियुक्ति पर कितने अध्यापक कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन संचालित विभिन्न विद्यालयों में से एकमात्र विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिवांचीगेट में वरिष्ठ अध्यापक-अंग्रेजी का एक पद वर्तमान में रिक्त है।

जोधपुर शहर के विद्यालयों से कोई भी वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत नहीं है।

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर ही उक्त रिक्त पद को भरा जा सकेगा।

वैर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

185. श्री बहादुर सिंह (वैर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार भरतपुर जिले की वैर तहसील में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। क्षेत्रीय आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर गुणावगुणों के आधार पर भरतपुर जिले की वैर तहसील में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने बाबत निर्णय लिया जा सकेगा।

इटावा (कोटा) में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

186. श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बा इटावा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है ?

(2) क्या सरकार उक्त कस्बे में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के कस्बा इटावा में एक "आदर्श निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान", खातौली रोड, इटावा जिला-कोटा संचालित है।

(2) जी नहीं। कस्बा इटावा में एक आदर्श निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पहले से संचालित है।

पुरातात्विक संग्रहालयों के संचालन/रखरखाव हेतु आबंटित राशि

187. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या पुरातत्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(1) राजस्थान में कहां-कहां पर म्यूजियम, पुरातात्विक महत्व के संग्रहालय संचालित हैं? उक्त संग्रहालय, म्यूजियम कितने-कितने समय से वहां संचालित हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान में जनवरी, 2009 से 31 जनवरी, 2013 तक कितनी आय किस-किस म्यूजियम/संग्रहालय से प्राप्त हुयी है? म्यूजियमवार वर्षवार आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2011-12 में राजस्थान के प्रत्येक म्यूजियम के रख-रखाव हेतु रख-रखाव एवं अन्य सुविधाओं हेतु कितना-कितना बजट आबंटित किया गया एवं उक्त बजट का किस-किस मद में किस प्रकार से उपयोग किया गया? म्यूजियमवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में विभागाधीन पुरातात्विक महत्व के 18 राजकीय संग्रहालय तथा 2 कला दीर्घा संचालित हैं। संग्रहालयों के जिलेवार नाम एवं स्थापना वर्ष परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विभागाधीन संग्रहालयों में वर्ष जनवरी, 2009 से 31.01.2013 तक प्राप्त आय का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2011-12 में विभागाधीन संग्रहालयों हेतु रख-रखाव एवं अन्य सुविधाओं हेतु आबंटित बजट एवं उपयोग में किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जोधपुर में पारिवारिक न्यायालय के नवीन भवन निर्माण हेतु स्वीकृति

188. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में पारिवारिक न्यायालय के लिए नवीन भवन निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कब-कब जारी की गई?

(2) उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति कब जारी की गई? तकनीकी स्वीकृति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(3) उक्त नवीन भवन निर्माण कार्य की निविदाएं कब आमन्त्रित की गई और कार्यादेश कब जारी किये गये?

(4) उक्त कार्य के आरम्भ की तिथि और कार्य समाप्ति तिथि क्या तय की गई? क्या उक्त तय अवधि में कार्य पूर्ण कर लिया गया है? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण रहे?

(5) उक्त कार्य की वर्तमान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति क्या है एवं उक्त कार्य को अब कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर में पारिवारिक न्यायालय के लिए नवीन भवन निर्माण कार्य हेतु विधि विभाग की स्वीकृति क्रमांक प.26(57) न्याय/2009 दिनांक 19.04.2011 के द्वारा 98.82 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई इसके पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय के प्रस्तावानुसार उक्त निर्माण कार्य हेतु स्वीकृति क्रमांक प.26(57)न्याय/2009 दिनांक 11.02.2013 के द्वारा 40.90 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। इस प्रकार उक्त निर्माण कार्य हेतु कुल 139.72 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

(2) उक्त कार्य की तकनीकी स्वीकृति रुपये 98.82 लाख कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के क्रमांक 348 दिनांक 14.06.2011 द्वारा जारी की गई। जारी तकनीकी स्वीकृति की प्रति प्रदर्श 'क' संलग्न है। संशोधित स्वीकृति अनुसार संशोधित तकमीना प्रक्रियाधीन है।

(3) उक्त नवीन भवन निर्माण कार्य की निविदा कार्यालय मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग की निविदा सूचना संख्या 1 वर्ष 2011-12 जरिये क्रमांक 4430-49 दिनांक 20.05.2011 में दरें अधिक प्राप्ति होने के कारण मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के पत्रांक 6638 दिनांक 14.07.2011 के द्वारा निविदा निरस्त की गई। निविदा सूचना संख्या 5 वर्ष 2011-12 जरिये क्रमांक 7026-51 दि. 26.07.2011 में कोई भी निविदा प्राप्त नहीं हुई एवं निविदा सूचना संख्या 7 वर्ष 2011-12 जरिये क्रमांक 8553-72 दि0 21.09.2011 द्वारा जारी की गई, जिसकी निविदा दिनांक 21.10.2011 को प्राप्त की गई जिसका कार्यादेश अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड, जोधपुर के पत्रांक 8378-81 दिनांक 31.10.2011 द्वारा जारी किया गया।

(विधि मंत्री)

संशोधित स्वीकृति अनुसार शेष कार्य की निविदा अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड., जोधपुर को निविदा संख्या 23/2012-13 पत्रांक 1061-70 दिनांक 14.02.2013 द्वारा आमंत्रित की गई है जो दिनांक 08.03.2013 को प्राप्त की जावेगी।

(4) मूल कार्य की प्रारमभिक तिथि 10.11.2011 तथा समाप्ति तिथि 09.09.2012 तय की गई। उक्त अवधि में कार्य पूर्ण कर लिया गया।

संशोधित स्वीकृति अनुसार शेष कार्य की निविदा अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड जोधपुर की निविदा संख्या 23/2012-13 पत्रांक 1061-70 दिनांक 14.02.2013 के द्वारा आमंत्रित की गई है जो दिनांक 08.03.2013 को प्राप्त की जावेगी।

(5) मूल स्वीकृति अनुसार कार्य पूर्ण किया जा चुका है जिस पर माह जनवरी, 2013 तक कुल व्यय रुपये 82.25 लाख किया जा चुका है। शेष कार्य की सफलतम निविदा प्राप्ति एवं कार्यादेश जारी करने के तीन माह पश्चात् कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

प्रदर्श "क"

DETAILED ESTIMATE

Name of work : Construction of Family Court No. 1 & 2 at Rajasthan High Court Campus, Jodhpur

GENERAL-ABSTRACT

S. No.	Particulars	Amount
1	**2**	**3**
1	PART 'A' GROUND FLOOR	3529807.00
2	PART 'B' FIRST FLOOR	1757877.00
3	PART 'C' SECOND FLOOR	1770105.00
4	PART 'D' SANITARY WORK	298258.00
	Total	**7356047.00**
	Add : 12.5% for Electrification Charges	919506.00
	Total	**8275553.00**
	Add : 1.50% Contiguency Charges	124133.00
	Add : 1.00% Q. C. Charges	82756.00
	Total	**8482442.00**

1	2	3
	Add : 13% Prorata Charges	1102717.00
	Total	**9585159.00**
	Add : 35 Celling Fan @1500/- Each	52500.00
	Add : Electric File Connection Charges L.S.	10000.00
	Add : Air Conditioner 2 Nos @ 32000/-	64000.00
	Add : Provision for Road	170000.00
	G. Total	**9881659.00**
		Say Rs.98, 82 Lacs

Assistant Engineer,
P.W.D. City Sub Dn. III
Jodhpur

Executive Engineer,
P.W.D. City Division
Jodhpur

जैसलमेर जिले के पर्यटन स्थल

189. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा जिला जैसलमेर में कौन-कौन से पर्यटन क्षेत्र घोषित हैं तथा वर्ष 2009-10 से दिसम्बर, 2012 तक किस-किस पर्यटन क्षेत्र पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिले में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नये केमल सफारी रूट व पूर्व पालीवालों की बस्तियों को रूट व पर्यटन क्षेत्र में शामिल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पर्यटन विभाग द्वारा किसी स्थल विशेष को पर्यटन क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता है अपितु पर्यटकों की आवाजाही के आधार पर स्थल स्वत: पर्यटन स्थल बन जाता है।

वर्ष 2009-10 से दिसम्बर, 2012 तक जैसलमेर में स्थित पर्यटन स्थलों के विकास/संरक्षण/मरम्मत हेतु किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) पर्यटन विभाग में वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-अ

पर्यटन विभाग द्वारा राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 2009-10 से दिसम्बर, 2012 तक जिला जैसलमेर में कराये गये पर्यटन विकास कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :—

(राशि रु लाख में)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	वर्ष	बजट मद	व्यय राशि
1.	पटवों की हवेली, जैसलमेर में संरक्षण एवं विकास कार्य	2011-12	राज्य योजना	22.70
2.	खाभा, जैसलमेर में ग्रामीण पर्यटन विकास कार्य	2011-12	राज्य योजना	43.45
3.	जैसलमेर किले पर फ्लड लाइटिंग का कार्य	2009-10	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	22.62
4.	पटवों की हवेली पर फ्लड लाइटिंग का कार्य	2009-10	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	9.18
5.	वे-साईड फेसिलिटीज, मिड वे पोकरण (आर.टी.डी.सी.)	2011-12	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	23.92
6.	वे-साईड फेसिलिटीज, होटल मूमल (आर.टी.डी.सी.)	2011-12	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	33.19
			कुल योग	**155.06**

राज्य पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा वर्ष 2009-10 से दिसम्बर, 2012 तक जैसलमेर जिले में कराये गये संरक्षण/जीर्णोद्वार/विकास कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :—

(राशि रु. लाख में)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	वर्ष	बजट मद	व्यय राशि
1.	पटवा हवेली नं. 3126	2009-10	12वां वित्त आयोग	27.31
2.	पालीवाल गांव (परियोजना रिपोर्ट)	2009-10	12वां वित्त आयोग	4.85
3.	संग्रहालय, जैसलमेर	2011-12	आयोजना	4.03
			कुल योग	**36.19**

बहरोड़ मिड-वे के नवीनीकरण पर व्यय राशि

190. डॉ. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मिड-वे, बहरोड़ (अलवर) में जनवरी, 2011 से जनवरी, 2013 तक कुल कितने यात्री ठहरे एवं कुल कितनी आय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) मिड-वे बहरोड़ (अलवर) पर जनवरी, 2011 से जनवरी, 2013 तक पर्दे, फर्नीचर एवं मरम्मत कार्य पर कुल कितनी राशि व्यय की गई? मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मिड-वे बहरोड़ (अलवर) में जनवरी, 2011 से जनवरी, 2013 तक 12576 यात्री ठहरे एवं 257.00 लाख आय हुई।

(2) मिड-वे बहरोड़ (अलवर) पर जनवरी, 2011 से जनवरी, 2013 तक पर्दे एवं फर्नीचर के मद में कोई राशि व्यय नहीं की गई।

मरम्मत कार्य पर कुल राशि रु. 2.87 लाख व्यय हुआ।

बायतू के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

191. कर्नल सोनाराम चौधरी (बायतू) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन हेतु कार्यकर्ता, सहयोगिनी, सहायिकाओं को नियुक्त किया जाता है? यदि हां, तो इनको नियुक्त करने के क्या प्रावधान हैं? तद्सम्बन्धित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) बाड़मेर जिले में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? क्या सभी स्वीकृत केन्द्रों पर कार्यकर्ता, सहयोगिनी एवं सहायिका कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) बायतू विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कितने केन्द्र हैं, जो उक्त कार्मिकों की नियुक्ति के अभाव में बन्द हैं? सूची परियोजनावार सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार विशेष परिस्थितियों में योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक योग्यता में शिथिलता प्रदान कर नियुक्ति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आदेशों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बाड़मेर जिले में वर्तमान में कुल 3514 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं जिनमें से 3137 केन्द्र संचालित हैं। जी, नहीं। स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्ता, सहयोगिनी एवं सहायिका का चयन ग्राम सभा के माध्यम से किया जाता है। योग्य एवं पात्र उम्मीदवार उपलब्ध होने पर ग्राम सभा द्वारा चयन किया जाएगा।

(3) जी हां। बायतू विधान सभा क्षेत्र में कुल 25 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मानदेय कर्मियों के चयन के अभाव में केन्द्र बंद है। विधानसभावार बंद केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है -

विधान सभा	परियोजना	बंद केन्द्र
बायतू	बायतू	1
	बायतू II	9
	बालोतरा (पचपदरा)	2
	कल्याणपुर	13
	योग	**25**

(4) जी हां। सम्बन्धित आदेशों की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

रायसिंहनगर के भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

192. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र के सुचारु संचालन, देखभाल तथा उचित रख-रखाव के लिये नियम निर्धारित कर दिशा-निर्देश/परिपत्र जारी किये गये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति के लिये नियम निर्धारित हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में आने वाले कितने ग्रामों व ढाणियों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हुए हैं तथा किस-किस ग्राम ढाणी के लिये अभी तक स्वीकृति जारी नहीं की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री दौलतराज समेजा)

(3) क्या उक्त क्षेत्र में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्मित करवा दिये गये हैं? यदि हां, तो कितने निर्मित हो चुके हैं तथा कितने स्थानों पर स्वीकृत किये जाने के पश्चात निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया है एवं किस-किस केन्द्र के लिये निर्माण राशि स्वीकृत नहीं की गई है? पृथक्-पृथक् सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा अब भवन विहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु कब तक भवन निर्माण कार्य स्वीकृत करवा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। निर्देश/परिपत्र की प्रति परिशिष्ट-अ पर पर संलग्न है।

(2) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में आने वाले कितने ग्रामों व ढाणियों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी हां। सूची परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राजकीय आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण करवाया जाता है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या-193

(स्थगित)

आशा सहयोगिनियों को प्राथमिक उपचार किट

194. डा. [श्रीमती] परमनवदीप सिंह (संगरिया) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में आशा सहयोगिनी के कितने पद स्वीकृत हैं व इनमें से कितने पद रिक्त हैं एवं कितने पदों पर कार्मिक कार्यरत हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) ग्राम स्तर पर आशा सहयोगिनी की क्या भूमिकायें हैं? इनको मानदेय का भुगतान किस आधार पर किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन आशा सहयोगिनियों को प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो अभी तक कितनी आशा

(डा. [श्रीमती] परमनवदीप सिंह)

सहयोगिनियों को यह किट उपलब्ध कराया गया है तथा इस किट में क्या-क्या सामग्री व उपकरण दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में आशा सहयोगिनियों के 54915 पद हैं व दिसम्बर 2012 की एमपीआर के अनुसार 44952 पदों पर आशा सहयोगिनी कार्यरत हैं। जिलेवार तथा वर्षवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) ग्राम स्तर पर आशा सहयोगिनी की भूमिकायें मुख्य रूप से निम्न प्रकार हैं-

1. परिवार सम्पर्क करना व निम्न स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयों पर परिवार सम्पर्क के दौरान परामर्श देना-
   1. किशोर स्वास्थ्य
   2. गर्भावस्था व प्रसव
   3. टीकाकरण
   4. बाल स्वास्थ्य एवं पोषण
   5. गर्भपात
   6. परिवार कल्याण साधन
   7. यौन जनित रोग/एड्स
   8. टी.बी./मलेरिया/मोतियाबिन्द/कुष्ठ रोग
   9. व्यक्तिगत सफाई व स्वच्छता
2. गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच तथा टीके लगवाना एवं प्रसव पश्चात देखभाल करना।
3. गर्भवती महिलाओं को अस्पताल ले जाना।
4. ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन करना।
5. एमसीएचएन दिवस पर बच्चों को टीकाकरण हेतु टीकाकरण सत्र पर ले जाना।
6. योग्य दम्पत्तियों को महिला व पुरुष नसबन्दी के लिये प्रेरित करना।
7. अन्तराल साधनों का वितरण करना।

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

8. टी.बी./मलेरिया/कुष्ठ रोगों के मरीजों की पहचान करना व उन्हें परामर्श देकर उपचार लेने हेतु प्रेरित करना।

आशा सहयोगिनी एक स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता है। अत: स्वास्थ्य विभाग द्वारा आशा सहयोगिनी को विभिन्न गतिविधियों के सम्पादन हेतु मुख्य रूप से निम्नानुसार प्रेरक राशि दिये जाने का प्रावधान है-

प्रसव का पंजीकरण एवं 3 जांच करवाने पर 100/- प्रति महिला

प्रसव पश्चात प्रसूता की 42 दिन तक देखभाल करने पर 100/- प्रति महिला

संस्थागत प्रसव (केवल ग्रामीण क्षेत्र में) हेतु प्रेरित करने पर 150/- प्रति महिला

मातृ एवं शिशु मृत्यु की सूचना देने पर 50/- प्रति केस

टी.बी. का पूर्ण उपचार करवाने पर 250/- प्रति व्यक्ति

मलेरिया रोगी का पूर्ण उपचार करवाने पर 50/- प्रति व्यक्ति

मोतियाबिन्द के उपचार हेतु प्रेरित कर आपरेशन करवाने पर 175/- प्रति केस

कुष्ठ रोगी का पंजीकरण एवं पूर्ण उपचार करवाने पर	पी.बी. केस का रजिस्ट्रेशन	100/-
	पी.बी. का पूर्ण उपचार	200/-
	एम.बी. केस का रजिस्शन	100/-
	एम.बी. का पूर्ण उपचार	400/-

पुरुष नसबन्दी करवाने पर 200/- प्रति केस

महिला नसबन्दी करवाने पर 150/- प्रति केस

एक या दो बच्चों पर नसबन्दी करवाने पर 1000/- प्रति केस

कुपोषण उपचार केन्द्र से डिस्चार्ज शिशु का 3 माह तक फालोअप करने पर 200/- प्रति केस

नवजात शिशु की घर पर देखभाल योजना के अन्तर्गत

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

निर्धारित दिनों पर प्रसूता के घर पर जाकर 42 दिन तक मां व शिशु की देखभाल करने पर 250/-

बच्चे की एक वर्ष तक आयु पूर्ण होने से पूर्व पूर्ण टीकाकरण करवाने पर 100/- प्रति बच्चा

बच्चे की दो वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व पूर्ण टीकाकरण करवाने पर 50/- प्रति बच्चा

मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दिन आशा द्वारा गर्भवती महिला व बच्चों को टीकाकरण हेतु मोबिलाइज करने पर 150/- प्रति सत्र

प्रा. स्वा. केन्द्रों पर मासिक बैठक में उपस्थित होने पर 100/- प्रति बैठक

ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति की बैठक का आयोजन करवाने हेतु 100/- प्रति बैठक

(3) जी हां। आशा सहयोगिनियों को प्राथमिक उपचार किट उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2010-11 में 41900 आशा सहयोगिनियों को यह किट उपलब्ध करवाया गया था। वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 में क्रमश: 7373 एवं 2677 आशा दवा किट क्रय कर शेष आशा सहयोगिनियों को दवा किट उपलब्ध करवाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। किट में उपलब्ध करवाई जाने वाली सामग्री निम्नानुसार है -

क्र.स.	**किट में उपलब्ध करवाई जाने वाली सामग्री**
1	फालिक एसिड और फेरस सल्फेट (बड़े)
2	आरल रिहाइड्रेशन साल्ट आईपी 20.5 जीएन (डब्ल्यूएचओ फारमूला)
3	परासीटामोल टेबलेट आईपी 500 एमजी
4	डाइक्लोमाइन टेबलेट आईपी 10 एमजी
5	पावीडिन लोडाइन आइटमेन्ट यूएसपी 5 प्रतिशत
6	एबसोरेन्ट काटन आईपी 500 जीएम
7	जन्टाइन वाइलेन्ट टापिकल साल्यूशन यूएसपी 50 एमएल 1 प्रतिशत
8	परासीटामोल सीरप आईपी 125 एमजी/5 एमएल

परिशिष्ट "अ"

कार्यरत आशा-सहयोगिनी की जिलेवार एवं वर्षवार सूचना

S. No.	District	2009-10		2010-11		2011-12		जनवरी, 2013	
		In Position	Sanctioned	Sanctioned	In Position	Sanctioned	In Position	Sanctioned	In Position
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ajmer	1620	1263	1704	1179	1704	1341	1704	1400
2.	Alwar	2575	2191	3207	2092	3207	2116	3203	2179
3.	Banswara	1903	1828	1928	1720	1928	1840	1928	1839
4.	Baran	1179	962	1361	1089	1361	1225	1361	1211
5.	Barmer	2093	1056	3025	1488	3025	1806	3025	1804
6.	Bharatpur	1703	1506	1856	1533	1856	1592	1856	1612
7.	Bhilwara	1785	1516	1942	1485	1942	1636	1945	1638
8.	Bikaner	1219	934	1302	1042	1302	1140	1302	1144
9.	Bundi	940	694	1008	855	1008	889	1008	883
10.	Chittorgarh	1954	1785	1403	1181	1403	1236	1403	1301

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	Churu	1446	1296	1547	1288	1547	1283	1547	1318
12.	Dausa	1249	1032	1309	1161	1309	1268	1313	1266
13.	Dholpur	857	682	939	773	939	807	939	820
14.	Dungarpur	1277	1220	1625	1212	1625	1308	1625	1464
15.	Ganganagar	1102	875	1812	1393	1812	1406	1812	1381
16.	Hanumangarh	3272	2089	1140	984	1140	1071	1140	1064
17.	Jaipur	485	249	4002	2278	4002	2827	4002	3116
18.	Jaisalmer	1183	433	655	294	655	398	655	278
19.	Jalore	1175	1125	1454	442	1454	442	1454	1193
20.	Jhalawar	1854	1427	1301	1050	1301	1113	1301	1132
21.	Jhunjhunu	1856	1237	1543	1432	1543	1486	1543	1481
22.	Jodhpur	1114	799	2222	1198	2222	1136	2222	1391
23.	Karoli	1045	804	1202	914	1202	1189	1202	1025
24.	Kota	2452	2011	1121	937	1121	1021	1121	1035

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	Nagaur	1545	874	2684	2040	2684	2340	2684	2263
26.	Pali	998	792	1684	1178	1684	1207	1684	1305
27.	Pratapgarh			1074	872	1074	870	1074	958
28.	Rajsamand	846	743	1039	836	1039	905	1036	920
29.	S. Madhopur	1944	1830	1011	783	1011	822	1011	843
30.	Sikar	755	329	2031	1871	2031	1917	2031	1891
31.	Sirohi	1650	1358	790	373	790	483	790	498
32.	Tonk	1100	853	1224	865	1224	1035	1224	1075
33.	Udaipur	2546	2101	2270	1889	2770	1990	2770	2224
	Grand Total	**48372**	**37894**	**54915**	**39727**	**54915**	**43145**	**54915**	**44952**

मालपुरा में संचालित निगम बस सेवा

195. श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टोंक जिले में ग्रामीण बस सेवा योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में कुल कितनी निगम बसें नई आबंटित कर भिजवाई गई हैं? इनमें से कितनी बसों को किन-किन मार्गो पर लगाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के टोडारायसिंह कस्बे में निगम की कौन-कौन से आगार की कुल कितनी बसें संचालित हैं? मय समय सारणी के विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह कस्बे से सायं 7.00 बजे पश्चात् किसी भी मार्ग पर आवागमन का साधन नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार इस तहसील मुख्यालय से किसी भी आगार की रात्रिकालीन अथवा सायं 7.00 बजे पश्चात् रोडवेज बस सेवा प्रारम्भ कर आमजन को राहत देने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) टोंक आगार को ग्रामीण परिवहन बस सेवा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में पृथक से कोई नई बस आबंटित नहीं की गई है।

किन्तु टोंक आगार को वर्ष 2012-13 में कुल 24 नई बसें आबंटित की गई हैं। ये बसें जिन मार्गों पर संचालित हैं उनकी सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) मालपुरा विधान सभा क्षेत्र के टोडारायसिंह कस्बे में निगम द्वारा निम्नलिखित आगारों की बसें उनके सामने अंकित संख्या में संचालित की जा रही हैं :—

क्र.सं.	आगार	बसों की संख्या
1	टोंक	16
2	वैशाली नगर	05
3	अजय मेरू	02

इन सेवाओं की आगारवार समय सारिणी दर्शाते हुए विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) जी हां। वर्तमान में टोडारायसिंह से सायंकाल 0700 बजे बाद पर्याप्त' यात्रीभार न मिलने के कारण बस सेवा का संचालन नहीं किया जा रहा

(यातायात राज्य मंत्री)

है। ऐसी स्थिति में टोडारायसिंह से सायंकाल 0700 बजे बाद बस सेवा संचालन का निगम का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सोजत निगम आगार से संचालित बस सेवाएं

196. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य पथ परिवहन निगम की बसों का पाली से जयपुर व जयपुर से पाली संचालन होता है? यदि हां, तो रात्रि को कितनी और दिन में कितनी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सोजत सिटी में राज्य पथ परिवहन निगम की बसों हेतु बस स्टैण्ड हैं?

(3) क्या सोजत सिटी से रात्रि में बसों का संचालन होता है? यदि नहीं, तो क्या सरकार सोजत सिटी से रात्रि में बसों का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि सिरिपारी से वाया सोजत रोड एवं बगड़ी नगर से चण्डावल होते हुए जयपुर के लिए पूर्व में संचालित बस सेवा को बंद किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार पुन: उक्त बस का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि पाली से अलवर बस संचालन वैशालीनगर डिपो द्वारा किया जाता था? यदि हां, तो उक्त बस सेवा को बंद करने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पाली से जयपुर एवं जयपुर से पाली मार्ग पर रात्रि में संचालित बस सेवाओं की सूची परिशिष्ट "1" पर तथा दिन में संचालित बस सेवाओं की सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। वर्तमान में सोजत सिटी से रात्रि में संचालित हो रही बस सेवाओं की मार्गवार सूची परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(4) जी हां। सिरीयारी-जयपुर वाया माण्डा, वौपारी, सवराड, सोजत रोड,

(यातायात राज्य मंत्री)

बगड़ी नगर, साण्डिया, चण्डावल, पीपलिया, रायपुर, बर, ब्यावर सेवा वर्ष 2006 से संचालित की गई थी। इस सेवा का संचालन माह अक्टूबर 2012 से बंद कर दिया गया। संचालन बंद करने की तिथि से पूर्व 6 माह में प्राप्त हुई आय प्रति किमी., लागत प्रति कि.मी. एवं यात्रीभार का विवरण परिशिष्ट "4" पर संलग्न है।

उक्तानुसार प्राप्त हुई आय प्रति कि.मी. एवं यात्रीभार को दृष्टिगत रखते हुए इस बस सेवा का संचालन बंद कर दिया गया। अत: लागत एवं आय प्रति कि.मी. को दृष्टिगत रखते हुए इस मार्ग पर पुन: बस सेवा संचालन का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

(5) पाली से अलवर मार्ग पर बस सेवा का संचालन वैशाली नगर आगार द्वारा नहीं किया गया था अपितु मत्स्य नगर आगार (अलवर) द्वारा किया गया था। इस बस सेवा का संचालन दिनांक 16.10.2012 से बंद कर दिया गया। संचालन बंद करने की तिथि से पूर्व 6 माह में प्राप्त हुई आय प्रति किमी., लागत प्रति कि.मी. एवं यात्रीभार का विवरण परिशिष्ट "5" पर संलग्न हैं।

उक्तानुसार प्राप्त हुई आय प्रति कि.मी. एवं यात्रीभार को दृष्टिगत रखते हुए इस बस सेवा का संचालन बंद कर दिया गया। अत: लागत एवं आय प्रति कि.मी. को दृष्टिगत रखते हुए इस मार्ग पर पुन: बस सेवा संचालन का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजगढ़ (अलवर) आगार से संचालित बस सेवाएं

197. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजगढ़ (अलवर) में उप आगार होते हुए भी वाहनों का संचालन अलवर से किया जा रहा है? यदि हां, तो राजगढ़ उप आगार का क्या औचित्य है?

(2) क्या यह भी सही है कि अलवर-सिकन्दरा व अन्य स्थानों को राजगढ़ (अलवर) से गुजरने वाली बसें बाइपास से होकर जाने से राजगढ़ व आस-पास के यात्रियों को बस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बसों को राजगढ़ (अलवर) कस्बे से संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) अलवर-सिकन्दरा राजमार्ग के यात्री भार को देखते हुए क्या सरकार राजगढ़ (अलवर) को आगार में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है?

(श्री सूरजभान धानका)
यदि नहीं, तो क्या सरकार बसों का संचालन अलवर की बजाय राजगढ़ उप आगार से ही करने का विचार रखती है? हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में राजगढ़ के लिये निर्धारित परिचक्रों का संचालन राजगढ़ यूनिट से यथावत किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। अलवर-सिकन्दरा व अन्य स्थानों से राजगढ़ होकर जाने वाली बसों को राजगढ़ बस स्टैण्ड पर होकर जाने के आदेश जारी किये हुये हैं।

(3) जी नहीं। निगम मण्डल के निर्णय संख्या 44/2009 के अनुसार जिन जिला मुख्यालयों पर आगार स्थापित नहीं है, उन जिला मुख्यालयों पर ही आगार स्थापित किये जाने की नीति निर्धारित की हुई है।

अत: राजगढ़ जिला अलवर में पृथक से आगार स्थापित किये जाने का वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांक :-एफ12/मुख्या/याता./संचा./2013/ दिनांक :

कार्यालय आदेश

प्राय: यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि जयपुर-अलवर वाया बांदीकुई, राजगढ़ मार्ग पर विभिन्न आगारों द्वारा संचालित वाहनें बांदीकुई एवं राजगढ़ बस स्टैण्ड पर अन्दर न जाकर बाइपास होकर संचालित की जा रही हैं।

इस सम्बन्ध में सभी मुख्य प्रबंधकों को निर्देशानुसार, निर्दिष्ट किया जाता है कि जयपुर-अलवर वाया बांदीकुई, राजगढ़ मार्ग पर संचालित समस्त वाहनें बांदीकुई एवं राजगढ़ अन्दर बस स्टैण्ड होकर संचालित की जावें। बांदीकुई एवं राजगढ़ अन्दर बस स्टैण्ड होकर वाहनें संचालित नहीं किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित मुख्य प्रबंधक के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेंगी।

उक्त आदेशों की पालना सख्ती से की जावे।

कार्यकारी निदेशक (यातायात)

निगम वाहनों पर विज्ञापन से प्राप्त राशि

198. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बसों पर विज्ञापन प्रसारित करने के सम्बन्ध में क्या नियम बने हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निगम की बसों में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा सरकार की प्लेगशिप आदि योजनाओं के विज्ञापन प्रसारित किये गये हैं? यदि हां, तो निगम की कितनी बसों में किस-किस आकार के विज्ञापन प्रसारित करने की स्वीकृति दी गई है तथा कितनी-कितनी राशि जमा की गई? विगत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा बसों पर विज्ञापन प्रसारित (प्रदर्शित) करने के सम्बन्ध में जो नियम/शर्तें हैं उसकी सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। निगम की बसों पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा सरकार की फ्लेगशिप आदि योजनाओं के विज्ञापन प्रसारित (प्रदर्शित) किये जा रहे हैं। उक्त विज्ञापन निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन एवं 250 स्टार लाइन बसों पर निम्नानुसार लगाये जा रहे हैं :-

बसों की श्रेणी	विज्ञापन लगाने हेतु पैनल/स्थान	विज्ञापन की साइज
लगभग 4000 ब्लू लाइन बसें	बसों के बैक पैनल पर	4' x 2.6'
	चालक साइड के स्ट्रेच पैनल पर परिचालक साइड के स्ट्रेच पैनल पर	14' x 1.6' 14' x 1.6'
	चालक साइड के पैनल पर	5.9' x 2' 5.2' x 2' 3.6' x 2'
	परिचालक साइड के पैनल पर	7'x 2', 3.6' x 2'
250 स्टार लाइन बसें	बसों के बैक पैनल पर विज्ञापन	4' x 2.6'

(यातायात राज्य मंत्री)

जून 2012 में वर्ष 2012-13 के पेटे उक्त विज्ञापन से निगम को रुपये 8.04 करोड़ की राशि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से लाइसेन्स फीस के रूप में प्राप्त हुई हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

वाहन फिटनेस हेतु स्वीकृत निजी संस्थान

199. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट देने के लिए निजी फर्मों से समझौता किया जाता है? यदि हां, तो निजी क्षेत्र को फिटनेस चैक कर फिटनेस सर्टिफिकेट देने के लिए क्या नियम बनाये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वाहनों की फिटनेस चैकिंग के क्या नियम हैं एवं किन मशीनों की आवश्यकता होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त वाहनों की निजी क्षेत्र में फिटनेस चैकिंग हेतु देने के लिए फर्मों का चयन किस प्रक्रिया से किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जिला धौलपुर एवं भरतपुर जिले में किन फर्मों को फिटनेस चैक करने के अधिकार दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 63 से 73 तक उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत निजी फिटनेस जांच केन्द्र को अधिकार पत्र जारी किया जाता है। (नियमों की छायाप्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है) उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यालय आदेश क्रमांक 9/2011 दिनांक 15-07-2011 एवं तत्पश्चात संशोधन आदेश क्रमांक 03/2012 दिनांक 02-04-2012 जारी किऐ गए हैं। कार्यालय आदेशों की छाया प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(2) वाहनों की फिटनेस प्रमाण पत्र हेतु जांच के प्रावधान केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 62 एवं राजस्थान मोटर यान नियम 1990 के नियम 4.18 में उपलब्ध है। (नियमों की छाया प्रतियां परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।

(यातायात राज्य मंत्री)

जांच कार्य हेतु आवश्यक मशीनों की सूची निम्नानुसार है :-

1- रोलर ब्रेक टैस्टर

2- साइड स्लिप टैस्टर

3- सस्पेंशन टैस्टर

4- हैड-लैम्प टैस्टकर

5- स्पीडोमीटर टैस्टर

6- व्हील एलाइनर सी.सी.डी./टाईवार

7- ईंजन एनालाईजर/ स्केनर

8- डीजल स्मोइक मीटर

9- गैसोलीन एनालाइजर (गैस एनालाइजर)

(3) कार्यालय आदेश 9/2011 दिनांक 15.07.2011 एवं 03/2012 दिनांक 02.04.2012 में वर्णित अर्हताए पूर्ण करने वाले आवेदक को उपरोक्त आदेशों में वर्णित प्रकिया अनुसार आवेदन करने पर पात्र पाये जाने पर अधिकार पत्र जारी किया जाता है ।

(4) जिला धौलपुर एवं भरतपुर में वाहनों की जांच हेतु निजी फिटनेस केन्द्रों को दिये गये अधिकार पत्रों का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शाहपुरा के निगम बस सेवा रहित ग्राम

200. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र के कई ग्राम व पंचायत समिति मुख्यालय निगम बस सुविधा से नहीं जुडे हुए हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्राम व पंचायत समिति मुख्यालय?

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों व पंचायत समिति मुख्यालयों को अविलम्ब निगम बस सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में पंचायत समिति शाहपुरा है, जिसमें 30 ग्राम पंचायतें हैं, इनमें से 26 ग्राम पंचायतें निगम बस सेवा से जुड़ी हुई हैं तथा निम्नाकित 4 ग्राम पंचायतें निगम बस सेवा से वंचित हैं :-

(यातायात राज्य मंत्री)

1. बिदारा
2. खोरी
3. कांट
4. निठारा का बास

इनमें से क्रम संख्या 1 व 2 पर अंकित ग्राम पंचायतों को प्रथम चरण में ग्रामीण परिवहन बस सेवा से जोड़ने की योजना है तथा क्रम संख्या 3 एवं 4 पर अंकित ग्राम पंचायतों को आगामी वर्षों में जोड़ा जावेगा।

(2) उपरोक्तानुसार।

राज्य के हवाई बेड़े में सम्मिलित विमान-हैलीकाप्टर

201. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या नागरिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में राज्य के हवाई बेड़े में कितने हैलीकाप्टर, विमान विद्यमान हैं? उनकी यात्रीभार संख्या व निर्मित वर्ष सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कौन-कौन से विमान व हैलीकाप्टर उड़ान भरने के लिए उपयुक्त अवस्था में हैं तथा कौन-कौन से कब-कब से अनुपयुक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा कौन-कौन से विमान हैलीकाप्टर किन-किन शर्तों एवं दरों पर लीज/किराए पर लिए हुए हैं? तत्सम्बन्धी अनुबंधों की शर्तों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक किन-किन उड़ानों में से किस-किस व्यक्ति द्वारा कहां-कहां की यात्रा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जनवरी, 2012 से जनवरी, 2013 तक सरकार द्वारा किन-किन कम्पनियों से किराए के विमान व हैलीकाप्टर काम में लिए और उनके पेटे कम्पनीवार कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) सरकार द्वारा उक्त अवधि में पायलटों को उड़ान के लिए बुलाने पर कितना भुगतान किया गया? पायलटवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राज्य के बेड़े में दो विमान एवं एक हैलीकाप्टर विद्यमान है। इनका यात्री भार, संख्या एवं निर्मित वर्ष निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	विमान/हैलीकाप्टर का प्रकार	यात्री भार संख्या	निर्मित वर्ष
1	किंग एयर सी-90ए वायुयान	2+6	1989
2	अगस्ता ए 109ई हैलीकाप्टर	2+5	2005
3	किंग एयर बी-200 वायुयान	2+7	2006

(2) उक्त में से किंग एयर सी-90 ए एवं किंग एयर बी-200 उड़ान हेतु उपयुक्त अवस्था में हैं तथा अगस्त ए 109 ई हैलीकाप्टर दिनांक 20-11-2011 से अनुपयुक्त है।

(3) सरकार द्वारा एक हैलीकाप्टर आवश्यकता के अनुसार किराये पर लिए जाने के लिए मैसर्स जी.एम.आर. से अनुबन्ध कर रखा है शर्तों हेतु अनुबंध की प्रति परि. 'अ' संलग्न है। उक्त अनुबंध दिनांक 31-03-2013 तक वैद्य है।

(4) राज्य में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक राजकीय वायुयान विमान/हैलीकाप्टर से की गई यात्राओं का विवरण परि. 'क' पर संलग्न है।

(5) जनवरी, 2012 से जनवरी, 2013 तक सरकार द्वारा अन्य कम्पनियों से किराये पर लिए गए विमान/हैलीकाप्टर का विवरण किये गए भुगतान की सूचना के परि. 'ख' पर संलग्न है।

(6) सरकार द्वारा जनवरी, 2012 से जनवरी, 2013 के मध्य उड़ान हेतु पायलेटों की सेवा प्राप्त करने पर हुए व्यय का विवरण परि 'ग' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

लोकमित्र कियोस्क की निगरानी/मोनिटरिंग

202. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण) : क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आमजन को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने लोकमित्र कियोस्क खोल रखे हैं? यदि हां, तो इसके लिए कब किस कम्पनी से किन-किन शर्तों पर अनुबंध किया गया? अनुबंध पत्र की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) लोकमित्र के माध्यम से क्या-क्या कार्य किए जाने का लक्ष्य था?

(श्री भवानी सिंह राजावत)

वर्तमान में क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं? उसके बदले जनता से किस काम के बदले क्या शुल्क लिया जाता है? उक्त सेवा के बदले किस काम के बदले कितना कमीशन प्राप्त होता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में किस-किस शहर में कितने-कितने लोकमित्र कियोस्क का संचालन किया जा रहा है? सरकार की ओर से कौन अधिकारी कर्मचारी मोनिटरिंग करता है? लोकमित्र कियोस्क की मोनिटरिंग करने वाले अधिकारी/ कर्मचारी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि कुछ लोकमित्र कियोस्क पर अनियमितताओं के मामले भी सामने आए हैं? यदि हां, तो क्या-क्या? जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 के मध्य के प्रकरणों का विवरण एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। आमजन को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने लोकमित्र (ई-मित्र) कियोस्क खोल रखे हैं। इसके लिए राज्य स्तर पर पांच कम्पनियों की निविदा के आधार पर चयन किया गया। यह निम्न प्रकार से हैं :-

1. मैसर्स वक्रांगी साफ्टवेयर लिमिटेड
2. मैसर्स सिल्वर टच टेक्नोलोजी लिमिटेड
3. मैसर्स सी.एम.एस. कम्प्यूटर लिमिटेड
4. मैसर्स अक्ष आप्टीफाइबर लिमिटेड
5. मैसर्स वीरमती साफ्टवेयर एण्ड टेलिकम्यूलनिकेशन लिमिटेड

निम्नलिखित दो कम्पनियों का चयन स्थानीय (जिले) स्तर पर किया गया :-

6. यूनियन इंफोटेक, श्रीगंगानगर
7. सहकारी उपभोक्ता भण्डार, श्रीगंगानगर

फर्म को दिये गये आदेश की प्रति एवं हस्ताक्षरित अनुबंध की प्रति अनुलग्नक-1 पर उपलब्ध है।

(2) (अ) लोकमित्र (ई-मित्र) के माध्यम से क्या-क्या कार्य किए जाने का लक्ष्य था, प्रति अनुलग्नक-2 पर उपलब्ध है।

(ब) वर्तमान में क्या-क्या कार्य किए जा रहे हैं, प्रति अनुलग्नक-3 पर उपलब्ध है।

(सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री)

(स) उसके बदले जनता से किस काम के बदले क्या शुल्क लिया जाता है, प्रति अनुलग्नक-3 पर उपलब्ध है।

(द) उक्त सेवा के बदले किस काम के बदले कितना कमीशन प्राप्त होता है, प्रति अनुलग्नक-4 पर उपलब्ध है।

(3) (अ) प्रदेश में किस-किस शहर में कितने-कितने लोकमित्र (ई-मित्र) कियोस्क का संचालन किया जा रहा है, प्रति अनुलग्नक-5 पर उपलब्ध है।

(ब) सरकार की ओर से कौन अधिकारी कर्मचारी मोनिटरिंग करता है। लोकमित्र (ई-मित्र) कियोस्क का स्थान और सरकार की ओर से मोनिटरिंग करने वाले अधिकारी, कर्मचारी की संख्या, प्रति अनुलग्नक-6 पर उपलब्ध है।

(4) कुछ लोकमित्र (ई-मित्र) कियोस्क पर अनियमितताओं के मामले भी सामने आए हैं। हां, जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 के मध्य के प्रकरणों का विवरण एवं उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई, का विवरण अनुलग्नक-7 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत कार्य

203. श्रीमती निर्मला (किशनगंज) व **श्री प्रमोद जैन "भाया"** (अन्ता-बारां) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि विपणन बोर्ड द्वारा माह दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2013 की अवधि में बारां जिले में किस-किस कृषि उपज मण्डी एवं गौण मण्डी में कौन-कौन से निर्माण कार्य कितनी-कितनी राशि के किस-किस दिनांक को स्वीकृत किये गये? स्वीकृति आदेश की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन सा कार्य किस-किस दिनांक को कितनी-कितनी राशि से पूर्ण हुआ? कार्यवार व मण्डीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन सा निर्माण किन-किन कारणों से पूर्ण नहीं हुआ है एवं फरवरी, 2013 में किस स्थिति में है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) बारां जिले में चार कृषि उपज मण्डी समितियां अटरू, बारां, छबड़ा

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

एवं अन्ता कार्यरत हैं । कृषि विपणन विभाग द्वारा बारां जिले में माह दिसम्बर, 2008 से फरवरी, 2013 की अवधि में इन चार कृषि उपज मण्डियों के मुख्य मण्डी यार्डों में 65 कार्य राशि रुपये 2353.81 लाख एवं गौण मण्डी यार्डों में कुल 28 कार्य राशि रुपये 833.95 लाख के, इस प्रकार कुल 93 कार्य राशि रुपये 3187.76 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हुई । मण्डी, गौण मण्डी एवं कार्यवार विस्तृत विवरण मय स्वीकृति आदेश दिनांक एवं राशि सहित परिशिष्ट 'अ-1' व 'अ-2' पर उपलब्ध है। स्वीकृति आदेशों की छायाप्रतियां 'अ-3/1' से 'अ-3/35' पर उपलब्ध हैं।

(2) उक्त स्वीकृत 93 कार्यों में से 53 कार्य पूर्ण करवा दिये गये जिस पर राशि रुपये 1187.23 लाख का व्यय हुआ। मण्डी एवं कार्यवार विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है ।

(3) उक्त स्वीकृत कार्यों में से शेष 40 कार्य पूर्ण नहीं हुए, इन कार्यों की फरवरी, 2013 तक की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पाली कृषि उपज मण्डी का आय-व्यय

204. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषि उपज मंडी पाली में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक किस-किस स्रोत से कितनी-कितनी आय हुई?

(2) उक्त वर्षों में मण्डी द्वारा किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(3) क्या उक्त मण्डी द्वारा अपनी आय बढ़ाने हेतु कोई योजना विचाराधीन है?

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, पाली में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक प्राप्त आय का मदवार विवरण परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति, पाली में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक व्यय का मदवार विवरण परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(3) मण्डी क्षेत्र में आय बढ़ाने हेतु क्षेत्रीय उपनिदेशक/सचिव द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किये जाते है। मण्डी समिति द्वारा जोधपुर रोड पर

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

मुख्यमण्डी परिसर में शोरूम, पेट्रोल पम्प एवं वाणिज्यिक दुकानों हेतु चिन्हित भूखण्ड एवं रामलीला मैदान रोड पर गौणमण्डी में चिन्हित वाणिज्यिक दुकानों हेतु भूखण्ड नीलामी से आबंटन के लिए नगर परिषद पाली से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। रिक्त दुकानों व चिन्हित भूखण्डों को आबंटित करने तथा लीज राशि के विकल्प लेकर आय बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

परिशिष्ट "अ"

कृषि उपज मण्डी समिति, पाली में वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक प्राप्त आय-व्यय का विवरण

क्र. सं.	मद	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
	आय मद			
1.	अनुज्ञापत्र शुल्क	0.08	0.03	0.01
2.	मण्डी शुल्क	78.57	111.89	94.71
3.	जमाधन पर ब्याज	1.14	2.40	9.71
4.	भवन किराये से आय (आबंटन शुल्क)	9.52	12.10	8.14
5.	भूखण्ड विक्रय से आय	128.65	0	11.43
6.	जुर्माना/विलम्ब/वादशमन आदि	1.86	1.36	0.81
7.	फार्म पर्ची से आय	0.13	0.31	0.08
8.	लीज राशि	31.38	0.98	0.35
9.	अन्य आय	6.99	14.15	1.26
	योग	**258.32**	**143.22**	**126.50**
	व्यय मद			
1.	संस्थापन व्यय	61.48	90.68	62.17
2.	बोर्ड अंशदान	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5
	व्यय मद			
3.	परियोजना निर्माण व्यय (किसान भवन फर्नीचर मद)	8.00	0	0
4.	गैर परियोजना निर्माण व्यय (लघु निर्माण सहित)	6.02	0	0.39
5.	सम्पर्क सडकों का निर्माण/वार्षिक मरम्मत	2.70	2.88	3.60
6.	मण्डी सुविधाओं पर व्यय	14.39	15.98	9.32
7.	अन्य व्यय	6.31	8.04	6.56
8.	किसान कल्याण कोष में अंशदान	2.53	3.00	0
	योग	**101.43**	**120.58**	**82.04**

आधार कार्ड बनाने हेतु अधिकृत संस्थाएं

205. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आधार कार्ड (यू.आई.डी.) बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो आधार कार्ड बनवाना अनिवार्यता है या स्वैच्छिक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में आधार कार्ड बनवाने हेतु सरकार द्वारा किस-किस एजेंसी को कार्य दिया गया है? जिलेवार एजेंसी के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि आधार कार्ड बनाने के समय हाथापाई, छोटी-मोटी झड़प होने की शिकायतें भी सामने आई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व किस कारण से? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां। यह सही है कि प्रदेश में आधार कार्ड (यू.आई.डी.) बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है। आधार कार्ड बनवाना अनिवार्यता नहीं अपितु स्वैच्छिक है।

(सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार मंत्री)

(2) प्रदेश में आधार कार्ड बनवाने हेतु जिलेवार एजेंसी की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) आधार नम्बर बनाने के दौरान हुई छोटी-मोटी झड़प एवं प्राप्त हुई शिकायतों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या 138 की प्रति)

परिशिष्ट "अ"

Rajasthan Municipalities (Conduct of Business) Rules, 2009.

3. Meetings of Municipality.-(1) There shall be an ordinary general meeting of the Municipality once within sixty days and minimum six meetings in a calendar year.

(2) The Chairperson may call an urgent meeting at any time in case of urgency or in the matter of public importance.

(3) The Chairperson shall call a special meeting within seven days from the date of receiving a request in writing signed by not less than one third of the elected members of the Municipality specifying the resolution which is proposed to be moved.

(4) If the Chairperson fails to call a special meeting within the time specified under sub-rule (3), the Chief Municipal Officer shall call the meeting, for the consideration of such resolution, within ten days from the date on which the time specified under sub-rule (3) expires.

(5) The meeting of a Municipality shall ordinarily be held at the office of the Municipality.

(6) Meetings of a Municipality shall be presided by the Presiding Authority.

(7) Meetings of the Municipality shall ordinarily be open to the public but the Presiding Authority may restrict presence of any person or persons in any particular meeting or any part of the meeting.

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज., जयपुर।

क्रमांक :-एफ 2(च) ()/मु.म.स./जांच/डीएलबी/04/933   दिनांक 16.4.04

श्री गौतम टाक,

अध्यक्ष,

नगरपालिका,

मेड़ता सिटी

विषय :—स्पष्टीकरण करने के सम्बन्ध में।

श्री राजेन्द्र सिंह पार्षद, नगरपालिका, मेड़ता सिटी द्वारा आपके विरुद्ध पद का दुरुपयोग कर राजस्थान नगरपालिका (कार्य संचालन) नियम 1974 के नियम 3 के अवहेलना करने एवं सदस्यों व आम जनता के अधिकारों के हनन करने के सम्बन्ध में विभाग को प्राप्त होने पर विभाग द्वारा क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर से जांच करवाई गई। क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर ने अपनी जांच रिपोर्ट में शिकायत का निम्न बिन्दु सही पाया है :—

1. यह कि नगरपालिका के कार्यवाही रजिस्टर के अवलोकन से नगर पालिका की अन्तिम साधारण सभा दिनांक 19.07.2003 को आहूत किया जाना पाया गया है। इसके पश्चात कोई बैठक आहूत नहीं की गई है। इस प्रकार आप द्वारा राजस्थान नगरपालिका (कार्य संचालन) नियम 1974 के नियम 3 की पालना नहीं की गई है।

अत: आप इस सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवावे अन्यथा आपके विरुद्ध राज. नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 63 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जावेगी।

ह./-

शासन उप सचिव

परिशिष्ट "स"

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।

क्रमांक :-प.2(च) ()/मु.म./जांच/डीएलबी/04/2073 दिनांक 06.07.04

आदेश

श्री गौतम टाक अध्यक्ष एवं सदस्य नगर पालिका मेड़तासिटी के विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने की शिकायत प्राप्त होने पर उसकी प्रारम्भिक जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट में आरोप प्रमाणित पाये जाने पर उनका स्पष्टीकरण लिया गया। श्री गौतम टाक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 63 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा न्यायिक जांच करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। चूंकि, श्री गौतम टाक अध्यक्ष एवं सदस्य नगरपालिका मेड़तासिटी के पद पर बने रहने से न्यायिक जांच प्रभावित किये जाने की संभावना है।

अत: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की धारा 63(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री गौतम टाक अध्यक्ष एवं सदस्य नगरपालिका मेड़तासिटी को अध्यक्ष एवं सदस्य नगरपालिका मेड़तासिटी के पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करती हैं।

आज्ञा से

ह./-

शासन उप सचिव

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 140 का विवरण)

परिशिष्ट-अ

जनवरी 2013 में प्रदेश में शहरी/ग्रामीण होम गार्ड्स का नियोजन कर सृजित मानव दिवस

क्र. सं.	जिले का नाम	सृजित मानव दिवस
1	**2**	**3**
1.	अजमेर	13975
2.	अलवर	13289
3.	बाड़मेर	4929
4.	बांसवाड़ा	5635
5.	बारां	4632
6.	बीकानेर	9832
7.	भरतपुर	7843
8.	भीलवाड़ा	7771
9.	बूंदी	5881
10.	चूरू	3743
11.	चित्तौड़गढ़	8697
12.	दौसा	3503
13.	धौलपुर	3221
14.	डूंगरपुर	4278
15.	गंगानगर	7154
16.	हनुमानगढ़	4822
17.	जयपुर	32142
18.	जालौर	2769

1	2	3
19.	जैसलमेर	2945
20.	झालावाड़	5022
21.	झुंझुनूं	1994
22.	जोधपुर	20144
23.	करौली	1764
24.	कोटा	23312
25.	नागौर	6113
26.	पाली	6928
27.	प्रतापगढ़	2285
28.	राजसमन्द	5829
29.	सवाई माधोपुर	7258
30.	सीकर	5881
31.	सिरोही	3379
32.	टोंक	1820
33.	उदयपुर	19721
	कुल	**258511**
जनवरी 2013 में प्रदेश में बोर्डर होम गार्ड्स का नियोजन कर सृजित मानव दिवस		
1.	बाड़मेर	13715
2.	बीकानेर	17562
3.	गंगानगर	14760
4.	जैसलमेर	13090
	कुल	**59127**